{ संपादकीय }

नई दिल्ली, बुधवार 01 मई 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

वैक्सीन के खेल का खुलासा

कोरोना काल में हुई असंख्य मौतों के बाद भी अकाल मृत्यु का सिलसिला रुक नहीं रहा है। लगभग रोजाना ऐसी खबरों से दो-चार होना पड़ रहा है, जिनमें कहीं कसरत करते हुए, कहीं नाचते हुए, कहीं कुर्सी पर बैठे-बैठे ही अच्छे-भले लगने वालों की मौत हो गई। ऊपरी तौर पर शरीर भले ही स्वस्थ दिखाई दे रहा हो, लेकिन भीतर न जाने एकदम से क्या होता है कि सीधे जान ही चली जाती है। डॉक्टर भी इन अकाल मौतों के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन एक सामान्य धारणा बन रही है कि कोरोना से बचने के लिए जो वैक्सीन लगाई गई हैं, ये उसका साइड इफेक्ट यानी दुष्प्रभाव हो सकता है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि अब तक नहीं हुई है। लेकिन इस बीच कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी बनाई वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं।

सोमवार 29 अप्रैल को ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेज में कंपनी ने माना है कि उनकी कोरोना वैक्सीन से थ्रॉम्बोसिस थ्रॉम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है, जो मस्तिष्क आघात या दिल के दौरे का कारण बन सकती है। हालांकि कंपनी का कहना है कि कम मामलों में ही ऐसे दुष्प्रभाव देखे गए हैं। इस भयावह खबर का एक खतरनाक पहलू यह भी है कि एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर ही भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोवीशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई है। जिसे भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया है। कम से कम 175 करोड़ लोगों ने इस वैक्सीन को लगवाया है।

भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगवाने की जबरदस्ती नागरिकों पर थोपी थी, क्योंकि वैक्सीन लगवाने का प्रमाणपत्र दिखाए बिना न सफर करने दिया जा रहा था, न शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों में जाने दिया जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाला प्रमाणपत्र लेकर लोगों को घूमना पड़ रहा था। उनके लिए शायद यह भी प्रचार करवाने का एक अवसर था। हालांकि अब कहा जा सकता है कि इसमें करोड़ों नागरिकों को गिनीपिग की तरह दवा कंपनियों के सामने पेश कर दिया गया। जिन पर कंपनियों ने अपनी वैक्सीन का परीक्षण किया। इसके बाद लोगों की जान अचानक चली जाए, तो भी इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। क्योंकि सरकार को तो वैक्सीन बनवाने की वाहवाही लूटनी थी।

भारत में इस समय जो अकाल मौतें हो रही हैं, उसके पीछे क्या वैक्सीन जिम्मेदार है, और ऐसे कितने लोग हैं, जिनकी मौत का कारण कोविड वैक्सीन है, इसके कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की वजह से हुई मौतों या गंभीर बीमारियों के खिलाफ लोग अदालत गए और अब कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में 51 केस चल रहे हैं। इन पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1 हजार करोड़ का हर्जाना मांगा है। सबसे पहले पिछले साल जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जिस पर मई 2023 में स्कॉट के आरोपों के जवाब में कंपनी ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन से टीटीएस नहीं हो सकता है। लेकिन इस साल फरवरी में हाईकोर्ट में जमा किए दस्तावेज में कंपनी इस दावे से पलट गई। और अब पता चल रहा है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से टीटीएस हो रहा है। हालांकि कंपनी ने उस बात को नकार दिया है कि इस वैक्सीन से कोई घातक बीमारी हो सकती है। एस्ट्रजेनेका का कहना है कि उन लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है या जिन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। मरीजों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इस प्राथमिकता या संवेदनशीलता के प्रदर्शन का अब क्या अर्थ जब लाखों-करोड़ों लोगों की जान पर बन आई है। अगर मरीजों का ख्याल वाकई कंपनी को होता तो पीड़ितों को हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता।

पीड़ितों को न्याय की उम्मीद अब अदालत से ही है। अगर ब्रिटिश कोर्ट कंपनी के खिलाफ फैसला देता है तो एस्ट्राजेनेका पर 255 मिलियन पाउंड यानी करीब 2671 करोड़ रुपये का जुर्माना लग सकता है। कंपनी को यह रकम वैक्सीन से पीड़ित लोगों या उनके परिवार के सदस्यों को मुआवजे के तौर पर देनी होगी। इस मुआवजे से मारे जा चुके लोगों को वापस तो लाया नहीं जा सकेगा, मगर शायद दवा कंपनियों को इस तरह के खिलवाड़ करने के खिलाफ चेतावनी जरूर मिल जाएगी।

कोरोना काल में दुनिया भर में आम जनता लगभग एक जैसी समस्याओं से ही घिर गई। लोगों के लिए स्वास्थ्य का संकट तो खड़ा हुआ ही, इसके साथ ही आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तौर पर कई किस्म की मुसीबतें उन पर टूटीं, हालांकि इस दौर में सत्ता पर बैठे लोगों ने जमकर मनमानी की। लॉकडाउन के नाम पर निरंकुश शासन की छूट मिल गई और इस दौरान सत्ताधीशों और दवा कारोबारियों के बीच नए किस्म की सांठ-गांठ भी हुई। इसकी परतें अब धीरे-धीरे खुल रही हैं। भारत में कोवीशील्ड बनाने वाले अदार पूनावाला को इस वैक्सीन के कारण काफी मुनाफा हुआ। उनकी कंपनी ने 52 करोड़ रूपए के इलेक्टोरल बॉंड खरीदे, जिसका चंदा भाजपा को मिला। इसके बाद लंदन में अदार पूनावाला ने 14 सौ करोड़ रूपयों का आलीशान बंगला खरीदा। अदार पूनावाला की नरेन्द्र मोदी के साथ तस्वीरें भी काफी चर्चित रहीं।

इसी तरह एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की लॉन्चिंग के वक्त ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसे ब्रिटिश साइंस के लिए एक बड़ी जीत बताया था। लेकिन अब खबर है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, बाजार में आने के कुछ महीनों बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। इसके बाद यह सुझाव दिया गया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन का भी डोज दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से ज्यादा थे। अब उन खतरों को एस्ट्राजेनेका ने हाईकोर्ट में कबूल कर लिया है।

ब्रिटेन में तो शायद पीड़ितों को न्याय मिल जाएगा। मगर भारत में क्या ऐसा हो पाएगा। क्या यहां पीड़ितों को कभी मुआवजा मिल पाएगा। क्योंकि सरकार ने तो पीड़ितों के नाम पर बने पीएम केयर्स फंड की जानकारी तक देने से इंकार कर दिया है।

चार सौ पार की फांस

अगर इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चार सौ पार के नारे को चुनाव का मुख्य स्वर बनाने के बाद भी पहले दो चरण के मतदान में गिरावट और उत्साहहीनता के विश्लेषण के क्रम में बहुत सारे लोगों को 2004 चुनाव के पहले के 'इंडिया शाइनिंग' का नारा याद आता है तो यह कोई हैरानी की बात नहीं है। तब भी कई राज्यों की विधान सभा चुनावों में भाजपा जीती थी, जीडीपी के आंकड़े बड़े चमकीले बताए जा रहे थे और यह लग रहा था कि भाजपा-एनडीए को अगर कुछ सीट काम पड़े तो मुलायम सिंह और शरद पंवार जैसे लोग समर्थन के लिए तैयार हों ही जाएंगे-ज्यादा से ज्यादा सौदेबाजी में कुछ अधिक दाम चुकाना हो। हम जानते हैं कि उस चुनाव में बहुत ही कमजोर कांग्रेस और ठीक से हिन्दी भी न बोल पाने वाली सोनिया गांधी ने इंडिया शाइनिंग की हवा निकाल दी थी। कांग्रेस भाजपा से आगे भी निकल गई थी। पर इस तुलना को ज्यादा आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तब के प्रमोद महाजन, जेटली, आडवाणी जी, जोशी जी जैसे भी कुशल मैनेजर थे लेकिन मोदी-शाह की जोड़ी न थी। इस जोड़ी द्वारा तय सीटों का लक्ष्य कई बार चुनावी अर्थात हार या जीत, पूरा होने या न होने वाला भी साबित हुआ है लेकिन इस बार विपक्ष को जिस स्थिति में ला दिया गया है, राहुल गांधी और सारे विपक्षी नेताओं की छवि को जिस तरह ध्वस्त किया गया है और भाजपा हर मामले में लीड की स्थिति से शुरूआत कर रही थी, उससे यह तुलना ज्यादा मतलब की नहीं है।

और तुर्रा यह है कि मोदी जी ही एजेंडा सेट करते हैं, अपनी ही पार्टी नहीं बाकी पार्टियों को चलाते दिखते हैं और लगभग अधिकांश विपक्षी नेताओं को उन्होंने किसी न किसी तरह से घेर लिया है। दर्जन भर मुख्यमंत्रियों/पूर्व मुख्यमंत्रियों से दलबदल कराने के बाद लगभग सारी पार्टियों में टूट-फूट कराई जा चुकी है। कई राज्यों में भाजपा के अंदर मुख्य नाराजगी इसी बात की हो गई है कि सारे महत्वपूर्ण स्थानों से दलबदलुओं को टिकट दिए गए हैं और सामान्य स्थिति में चुनाव जितवा देने वाले अनेक मुद्दे भाजपा की झोली में हैं। मोदी की गारंटी ही सबसे प्रबल स्वर दिखने लगा था। दूसरी तरफ विपक्ष है अब तक न एक संगठन, न एक मोर्चा, न एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम, न एक नेता की तरफ बढ़ने का होश ही नहीं है। क्योंकि हर दल और प्रदेश में टूट-फूट का क्रम अभी भी जारी है और इसमें नेताओं के नाराज होने और पार्टी से अलग कराने के लिए भाजपा के उकसावे या प्रलोभन की भी जरूरत नहीं है। विपक्षी एकता का इंडेक्स आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है, इसकी सुध

अरविन्द मोहन

सोशल मीडिया के परदों के भीतर चलाने वाले खेल को समझने और जानने वालों का दावा है। असल में अभी मोदी समर्थकों के इस विशाल समूह में खुद ही दो फाड़ होने का खतरा है-'ट्रेड्स' और 'रायताज' जैसे नाम वाले खेमों। ट्रेड्स मतलब अत्यधिक परंपरावादी-कट्टरपंथी और 'रायताज' का मतलब जरा मिलावट की वकालत करने वाले।

लेने की भी फुरसत नहीं है।

लेकिन दो कार्यकाल पूरा होने और अच्छे दिन लाने या बालाकोट जैसी घटना जैसा केन्द्रीय मुद्दा न होने से सारी तैयारी बेअसर होती लगती है। मोदी की गारंटी पर जिसको भरोसा है उसको है और जिसको नहीं है उसको होता नहीं दिखता। मतदाताओं में तो उत्साह नहीं ही है, कार्यकर्ताओं में उससे भी ज्यादा उत्साहहीनता है। मतदान की कमी के पीछे ये कारण हो सकते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के पास संगठन और कार्यकर्ताओं की पर्याप्त फौज भी नहीं है तो आप उस तरफ की हवा होने का दावा भी नहीं कर सकते। चुनाव प्रो-मोदी, एंटी मोदी ही है। प्रो राहुल, प्रो अखिलेश, प्रो तेजस्वी तो नहीं ही है। और जिन मुसलमानों के मोदी-विरोधी और हर स्थिति में पहले भाजपा को सारा सकने वाले उम्मीदवार को तलाशने की उत्सुकता तो है लेकिन उनमें भी पहले की तरह उत्साह से चुनाव में वोट डालने की रिपोर्ट नहीं है। भाजपा का हो या उसके सभी सहयोगी दलों का लगभग हर उम्मीदवार मोदी के नाम के सहारे है। सिर्फ उनकी सभाओं और रोड शो की मांग हो रही है। अकेले मोदी जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं पर हर मीटिंग की हर कुर्सी भरवाना उनका काम नहीं हों सकता।

ऐसे आयोजनों से लेकर मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाना कार्यकर्ताओं का काम है। और यह कहना पर्याप्त नहीं है कि चार सौ पार के नारे से झलकते अति आत्मविश्वास के चलते वे सुस्त पड़ गए हैं कि हमारे न सक्रिय होने पर भी पार्टी जीत ही जाएगी। उनमें पुराने या बार-बार रिपीट होने वाले उम्मीदवारों को लेकर एक नाराजगी है तो नए (और दूसरे दलों से लाकर मैदान में उतारे) उम्मीदवारों से ज्यादा नाराजगी है। मतदाता भी एक सीमा से ज्यादा सरकार गिराने, नेता तोड़ने, विपक्ष की घेरेबंदी को लेकर हैरान है तो कार्यकर्ता भी। लेकिन संघ के लोग और मोदी भक्तों का यह स्वभाव नहीं है। वे हर हाल में जुटते हैं और बिहार विधान सभा या इससे पहले के मध्य प्रदेश चुनाव (2018 वाला) में भाजपा के कार्यकर्ताओं और मैनेजरों ने हारती बाजी पलटी थी। ऐसा कई बार हो चुका है और इस बार भी पहले दौर की तुलना में दूसरे दौर में मतदान का बढ़ाना यह बताता है कि संघ परिवार और मोदी भक्त जोर लगा रहे हैं- संभव है कुछ जोर विपक्ष के मरियल संगठन में पहले दौर की उत्साहवर्द्धक रिपोर्ट से भी आई हो।

सोशल मीडिया के परदों के भीतर चलाने वाले खेल को समझने और जानने वालों का दावा है। असल में अभी मोदी समर्थकों के इस विशाल समूह में खुद ही दो फाड़ होने का खतरा है-'ट्रेड्स' और 'रायताज' जैसे नाम वाले खेमों। ट्रेड्स मतलब अत्यधिक परंपरावादी-कट्टरपंथी और 'रायताज' का मतलब जरा मिलावट की वकालत करने वाले। और इन्हीं जानकारों का मानना है कि खुद मोदी जैसे लोग रायताज वाले वर्ग में आटे गए हैं क्योंकि उन्हें साध्वी और अनंत हेगड़े जैसों के पक्ष में खड़ा होने का साहस नहीं बचा है। और इन जमातों की बहस से अंदाजा लगता है कि अंदर ही अंदर भारी उथल-पुथल है और इसमें संघ का लगभग पूरा शीर्ष भी रायताज गिना जाने लगा है। अगर भागवत भी आरक्षण और मुसलमानों के पक्ष में बोलने को 'मजबूर' हों तो उनको भी हमले झेलने के लिए तैयार रहना होगा। पर अनाम या छद्मनाम लोगों के बीच चलने वाली इस गोपनीय सोशल मीडिया की चर्चा आम कार्यकर्ताओं के बीच की अनिश्चितता, दोचित्तापन और उदासीनता के मूल को बताती है और बाहर हर चीज मैनेज करने में सक्षम मोदी जी और उनके सहयोगी इस चीज का प्रबंधन कर कर पाएं यह हैरानी की बात है। यह भी मानी कि यह मैनेज हों सकने वाली चीज है। इसलिए चार सौ पार के नारे को फांस ही नहीं मानिए।

बड़े पैमाने पर सोने का आयात रुपये की गिरावट का कारण

■ नन्तू बनर्जी

2014 से 2023 के बीच भारत का सोने का आयात 638 टन से बढ़कर 780.7 टन हो गया था। देश में 24कैरेट प्रति 10 ग्राम के आधार पर गणना की गयी सोने की कीमत इस दौरान क्रमश: 28,000 रुपये से बढ़कर 73,750 रुपये हो गयी। भारतीय रुपये का विनिमय मूल्य मई 2014 में 59.90 रुपये से गिरकर अप्रैल, 2024 में 83.32 रुपये हो गया।

लंबे समय से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना आयातक रहा है। भारत के अमीर हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए सोने का सहारा लेते हैं। सोने की ऊंची मांग अमीरों के बीच रुपये की कम मांग से जुड़ी है। अमीर भारतीयों के पास रुपये में भारी अतिरिक्त संपत्ति है। देश की शीर्ष एक प्रतिशत आबादी के पास इसकी 40प्रतिशत संपत्ति है। किसी भी अन्य संपत्ति की तरह, मुद्रा का मूल्य उसकी मांग और आपूर्ति से निर्धारित होता है। भारत के अमीरों के पास रुपए की भरमार है। उनके लिए, कागजी मुद्रा की तुलना में सोना कहीं अधिक वांछनीय संपत्ति है।

लंबे समय से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना आयातक रहा है। भारत के अमीर हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए सोने का सहारा लेते हैं। सोने की ऊंची मांग अमीरों के बीच रुपये की कम मांग से जुड़ी है। अमीर भारतीयों के पास रुपये में भारी अतिरिक्त संपत्ति है। देश की शीर्ष एक प्रतिशत आबादी के पास इसकी 40प्रतिशत संपत्ति है।

स्टॉक और रियल एस्टेट में निवेश देश के अमीरों की भारी कमाई को सुरक्षित रखने के अन्य लोकप्रिय तरीकों में से एक है। इससे पता चलता है कि क्यों सोने की मांग हमेशा रुपये की मांग से अधिक रही है। विडंबना यह है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार, 2024 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी (नाममात्र) मौजूदा कीमतों पर 2,848 अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जिससे भारत 195 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से 143वें स्थान पर है। देश के शीर्ष एक प्रतिशत की आय हिस्सेदारी दुनिया में सबसे अधिक है, केवल पेरू और यमन जैसे कुछ छोटे देशों से पीछे है।

सामान्यत: राष्ट्रीय मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं: मुद्रा की मांग और उसकी आपूर्ति; ब्याज दर; आर्थिक प्रदर्शन; मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति; जीडीपी बढ़त; बेरोजगारी की दर; राष्ट्रीय ऋण; और राजनीतिक स्थिरता। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अमीरों के बीच भारतीय रुपये की मांग कम है, जो रुपये के स्टॉक सहित देश की संपत्ति का सबसे बड़ा नियंत्रक है। भारतीय रुपये की आपूर्ति अमीरों के बीच इसकी मांग से कहीं अधिक है। गरीबों के बीच रुपये की मांग है और आपूर्ति में कोई कमी नहीं है।

ब्याज दरें एक मुद्दा हैं। वे विनिमय दरों के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। जब ब्याज दरें अधिक होती हैं तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है क्योंकि निवेशक हमेशा अधिक रिटर्न अर्जित करने के लिए सर्वोत्तम दरों की तलाश में रहते हैं। कई वर्षों से, भारत में ब्याज दरें मुद्रास्फीति दर से भी कम रही हैं। बढ़ती जीडीपी के बावजूद देश का आयात-आधारित आर्थिक प्रदर्शन शायद ही प्रभावशाली है। सोने और हीरे की आयात लागत, ज्यादातर व्यक्तिगत उपयोग के लिए, पेट्रोलियम के बाद दूसरी सबसे अधिक है। भारत जैसे आम तौर पर गरीब देश के लिए यह बिल्कुल हास्यास्पद है। सरकार को सोने के आयात में कटौती करके अमीर और उच्च मध्यम वर्ग को नाराज करने का डर लग रहा है।

मूल्य मुद्रास्फीति भी नियंत्रण में नहीं है क्योंकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दर निर्धारण का निर्णय अक्सर आर्थिक औचित्य की तुलना में मुख्य रूप से स्थानीय बड़े व्यापारिक घरानों को खुश करने के लिए राजनीतिक दबाव में लिया जाता है। यह और बात है कि सरकार-नियंत्रित बैंकों से बड़े पैमाने पर फंड उधार लेने वाले भी बड़े ऋण अपराधी हैं। सरकार सीखने से इनकार करती है। यह शायद ही कभी बड़े सोने के आयातकों और मुंबई स्थित बुलियन मर्चेंट्स एसोसिएशन को नाराज करना चाहता है, जो विश्व स्वर्ण परिषद के साथ उत्कृष्ट तालमेल का आनंद लेने के लिए जाना जाता है।

देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा करने में भी विफल रहा है। कम बेरोजगारी एक मजबूत अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो किसी देश की मुद्रा की मांग को बढ़ाती है। उच्च बेरोजगारी कमजोर अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। जबकि ब्याज दरें विनिमय दरों के सबसे महत्वपूर्ण निर्धारकों में से हैं, बड़े सार्वजनिक ऋण वाले देश भी विदेशी निवेशकों के लिए कम आकर्षक हैं। उच्च ब्याज दरें उच्च विदेशी पूंजी प्रवाह को आकर्षित करती हैं जिससे मुद्रा की मांग अधिक हो जाती है और मूल्य बढ़ जाता है। बड़े सार्वजनिक ऋणों के परिणामस्वरूप अक्सर मुद्रास्फीति होती है।

देश के समग्र आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए, जो सरकार के लंबे-चौड़े सार्वजनिक दावों के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा नहीं बदला है, भारत के अमीरों ने, जिनके पास काफी धन है, अपनी अतिरिक्त नकदी संपत्ति को सोने में बदलने का आसान विकल्प चुना है। सोने की कीमत उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। 20 अप्रैल को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना (99.9 फीसदी) की कीमत 74,870 रुपये पर पहुंच गयी। सोने में लगातार बड़ा निवेश भारतीय रुपये के मूल्य में और गिरावट ला रहा है। मजबूत मांग के कारण, पिछले साल अप्रैल-दिसंबर के दौरान भारत में सोने का आयात पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 26.7 प्रतिशत बढ़कर 35.95 बिलियन डॉलर हो गया। अकेले दिसंबर में, कीमती पीली धातु का आयात 156.5 प्रतिशत बढ़कर 3 बिलियन डॉलर हो गया। स्विट्जरलैंड सोने के आयात का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 41 प्रतिशत है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, पेरू और घाना हैं।

दिलचस्प बात यह है कि भारत में वर्तमान सरकार के तहत पिछले 10 वर्षों में रुपये का प्रचलन सोने का आयात विस्तार के साथ काफी बढ़ गया। 2013-14 में सोने का आयात 638 मीट्रिक टन रहा। पिछले साल पीली धातु का आयात 800 टन तक पहुंच गया था। पिछले पांच वर्षों में सोने की मांग 700 से 800 टन के बीच रही। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के भारतीय परिचालन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.आर. सोमसुंदरम के अनुसार, इस साल मांग 800 से 900 टन के बीच बढ़ने की उम्मीद है। जहां तक भारतीय रुपये के विनिमय मूल्य का सवाल है तो यह अच्छी खबर नहीं हो सकती है। 27 अप्रैल को विनिमय दर एक अमेरिकी डॉलर के लिए 83.355 रुपये तक पहुंच गयी। बहुत कुछ वर्तमान संसदीय चुनाव के परिणाम पर निर्भर करेगा लेकिन अनुमान है कि चालू वर्ष 2024 के अन्त तक सोने की कीमत में और वृद्धि हो सकती है और भारतीय रुपये का विनिमय मूल्य 95 रुपये के करीब गिर सकता है। आईएमएफ द्वारा 2024-25 के दौरान भारत के लिए 6.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान अकेले भारतीय रुपये की गिरावट की यात्रा को रोकने में सक्षम नहीं होगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मजदूर दिवस

मकान, फ्लैट, अपार्टमेंट के सृजक हैं मजदूर

अगर इस दुनिया में मजदूर का नामोनिशॉं न होता।
फिर न होता हवा- महल और न ही ताज महल होता।।

मजदूरों की अहमियत को यह दुनिया न समझ रही हो ऐसा नहीं है, किंतु उन्हें सम्मान देने में लोगों को अपना अपमान लगता है! इसी गलत धारणा के चलते भगवान विश्वकर्मा के वंशज दोराहों पर छोड़े जा रहे हैं। हम जिन सुंदर घरों की चार दीवारी में आरामदायक कुर्सियों और गद्देदार सोफों में बैठकर ए सी की शीतल हवा का आनंद ले रहे हैं, वह भी इन्हीं मजदूरों के पसीनों की कहानी गढ़ते हैं। मजदूरों का पसीना हमारी हर भौतिकतावादी खुशी में छलक-छलक कर उनकी मेहनत की तस्वीर हमारे समक्ष लाता रहा है। ऐसे ही मजदूरों के सम्मान में मई 1986 से मजदूर दिवस की शुरुआत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई। उस समय अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूरों ने लंबा आंदोलन चलाया था जो एक प्रकार से उनके शोषण के खिलाफ था। मजदूरों से 16-16 घंटे काम लिया जाता था। मानवीय समाज को यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया की सभी प्रकार की आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक उन्नति का आधार केवल मजदूरों के कंधों पर टिका होता है। मानवीय समाज में जीवनयापन कर रहा मजदूर परिवार अपना श्रम कम से कम कीमत पर बेच रहा है। बावजूद इसके यह वर्ग बिना किसी चिंता के चैन की नींद सोता है। मजदूरों की जिंदादिली पर नामचीन शायर मुन्नवर राणा लिखते हैं-

सो जाता है फुटपाथ पर अखबार बिछाकर,
मजदूर कभी नींद की गोलियां नहीं खाता।

मजदूरों की स्थिति न सुधरने के पीछे जो कारण दिखाई पड़ रहे हैं, वे मजदूरों की कमजोरी के रूप में ही है। न तो दुनिया के मजदूर एक हो पाए और न ही उनकी समस्याएं दूर हो पाई। हम देख रहे हैं कि वे एक मजदूर के रूप में जन्म लेते हैं और इसी रूप में इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। जब तक सांस रही वे एक स्थान से दूसरे स्थान को भागते रहे। उनका कोई व्यापक संगठन न बन सका, जो उनके हित में आवाज उठा सके। मजदूर होना उस नियति को प्राप्त होना है, जहां न उनके लिए कोई सम्मान है और न ही सहानुभूति। दया का भाव तो दूर-दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। ये वही मजदूर हैं जिन्होंने कभी कोई मकान, फ्लैट या अपार्टमेंट में अपना पसीना बहाया होगा। आज उसी मजदूर को वहां रहने वाले पहचानते भी नहीं हैं। गला तर करने के लिए कोई दो घूंट पानी भी देने को तैयार नहीं। अपनी जड़ों को खो चुके मजदूर न गांव के हो पाते हैं और न ही शहर या महानगरों के। मजदूरों का पुनर्वास कैसे हो? कैसे उन्हें नियमित रोजगार से जोड़ा जाए? कैसे वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें? आज ये सभी सवाल बड़ी समस्या के रूप में खड़े हैं। देखा जाए तो समाज के सभी वर्गों की तुलना में सबसे अधिक मेहनत करने वाला मजदूर आज सबसे अधिक बदहाल स्थिति में है। मजदूरों के हक में हर सरकार उन्नयन की योजनाएं बनती हैं किंतु जब उन्हें अमलीजामा पहनाने का वक्त आता है तब वही सरकारें यहां-वहां ताकने लगती हैं।

आजादी के इतने वर्षों बाद भले ही देश में बहुत कुछ बदल चुका है, किंतु मजदूरों के हालात आज भी नहीं बदले हैं। तब सवाल उठता है कि मजदूर वर्ग, मजदूर दिवस क्यों और कैसे मनाए? बढ़ती मंहगाई और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने मजदूरों के उत्साह की होली जला डाली है। अब मजदूर दिवस महज कागजी रस्म बनकर रह गया है। न तो उन्हें रहने के लिए स्वच्छ वातावरण मिल पा रहा है और न ही पीने के लिए स्वच्छ पानी। शहर के किसी गंदे नाले के आस-पास बसने वाली झोपड़-पट्टियों में रहने वाले मजदूर नारकीय जीवन जीने विवश किए जा रहे हैं। हर बार मजदूर दिवस पर सरकारें मजदूरों के हित की योजनाओं के बड़े-बड़े विज्ञापन जारी करती हैं। इन विज्ञापनों में मजदूरों के हितों की बहुत सी बातें लिखी होती हैं। आश्चर्य तब होता है जब एक भी बात पर सरकार का अमल दिखाई नहीं पड़ता।

सूर्यकांत मिश्रा

आपके पत्र

हरचंद कोशिश हो, ये सूरत बदलनी चाहिए!

शोषण की जितनी इबारतें आज के दौर में लिखी गई हैं वे अप्रत्याशित नहीं है। इससे पहले भी हिटलरशाही जब चरम पर पहुंची थी तब जनता ने आगे बढ़कर उसे ठिकाने लगाया है। अभी भी मई दिवस आते ही ना जाने क्यों हाथ की मुट्ठी तनने लगती है गर्मजोशी से नारे लगाने का मन करने लगता है। कितनी ही फासिस्ट सरकारें दुनिया में आईं और गईं। मई दिवस हमें यह याद दिलाता है कि मज़दूर और किसानों की एकजुटता की ताकत ने मिलकर उन्हें टिकने नहीं दिया है। मई दिवस उन्हें सलाम करने का दिन है।

आज तो सर्वहारा वर्ग का प्रतिशत दुनिया में इतना बढ़ रहा है कि कुल आबादी का तकरीबन 91से लेकर 94 प्रतिशत के लगभग लोग अपना सब कुछ पूंजीवादी ताकतों को सौंप चुके हैं। अफ़सोस इस बात का है कि इतनी बड़ी तादाद में अवाम इस स्थिति में कैसे और क्यों पहुंची तथा इसे बचाने के अब क्या तौर तरीके हो सकते हैं?

एक बात तो जग जाहिर है इस दिक्कत के दौर में आज भी प्रतिरोध वाले आंदोलन जारी हैं वे थमे, रुके नहीं हैं। उनकी भले संख्या कुछ कम नज़र आए लेकिन जनमानस में चिंगारी मौजूद है उनको कुशल नेतृत्व देने वाले लोगों की आज सख्त ज़रूरत है वरना मई दिवस रस्मी तौर पर ही मनता रहेगा, उसकी महत्ता जाती रहेगी।

हालांकि सर्वहारा समाजशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र में समाज की नीचे वाली श्रेणियों को कहा जाता है, जो अक्सर शारीरिक श्रम से जीवन चलाते हैं। औद्योगिक समाजों में अक्सर कारख़ानों में काम करने वाले मज़दूरों को च्प्रोलिटेरियट ?ज्कहा जाता था लेकिन कभी-कभी कृषकों और अन्य ग़रीब मेहनत करने वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता रहा है। आज स्थित बहुत विकट है। सरकारें परोक्ष रुप से कारपोरेट के हाथ में अपनी तमाम जिम्मेदारियां सौंपती जा रही हैं उनका ये कहना कि पुराना कारोबार घाटे में जा रहा है इसलिए मुनाफे के लिए इसे बेचा जा रहा है ये सरासर झूठ है अब तक भारत में जितने संस्थान बेचे गए हैं उस विक्रय में सरकार को घाटा ही हुआ है। ये सरकार ढाल बनकर पूंजीवादी ताकतों को खड़ा कर रही है। विपक्ष की कमज़ोर स्थिति ,मीडिया का गैर जिम्मेदाराना रुख तथा बिकाऊ पत्रकारिता ने भारतवासियों के हक पर डाका डालने वालों का पुरजोर विरोध ना होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर होती जा रही है।

जिसकी वजह से निजी संस्थानों में होते शोषण की तरह अब सरकारी संस्थान,बैंक,बीमा जैसे क्षेत्रों में शोषण अपने चरम पर पहुंच गया है। उच्च वर्ग के अधिकारियों को छोड़कर तमाम मध्यम और निम्न स्तरीय कर्मचारी गहरे असंतोष के बावजूद भयानक रूप से शोषित हैं। ये सब अब सर्वहारा वर्ग की स्थिति में आ गया है। कहने का आशय यह है कि मज़दूर के साथ किसान,छोटे व्यवसायीगण, तमाम शासकीय अशासकीय कर्मचारियों का वर्तमान तो गहरे संकटों से जूझ रहा है भविष्य का तो कुछ अता पता ही नहीं है।

पूंजीवादी तौर तरीकों पर चलने वाली भारत सरकार को ना मंहगाई की चिंता है और ना ही बड़ी संख्या में तैयार पढ़ें लिखे बेरोजगारों की। स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति बदहाल है।देश को स्वस्थ और समर्थ बनाने वाले संस्थान अब निजी दूकान बन गए हैं ।आत्मनिर्भर भारत के सपने बिखेरती सरकार ने लोगों को इस तरह तोड़ कर रख दिया है कि वे अब अपना छोटा व्यवसाय भी चलाने की स्थिति में नहीं है चलाएंगे वे ही लोग जो देश की लूट में शामिल हैं और देश को खरीद रहे हैं।वे रोजगार देंगे वहीं मन माफिक मजदूरी देंगे। विरोध की कोई गुंजाइश भी नहीं रहेगी यानि करना है तो करो वरना करोड़ों बेरोजगार लाईन में लगे ही हैं। सरकार से रोजगार मिलेगा ये तो भूल ही जाइए।जब संस्थान ही उनके हाथ में नहीं तो रोजगार देने की बात कैसे संभव हो सकेगी। बेशक अब तो पानी सर से गुजर चुका है अब नहीं तो कब? सब एकजुट हों और इन लुटेरे सत्ता लोभी शोषणकारी ताकतों को परास्त करें। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां हमारा संबल हैं-

मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही
हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए ।

सुसंस्कृति परिहार

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770

ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

विवाद को आगे न बढ़ाया जाए

आशा की जानी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का आगामी आदेश अंतिम होगा। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान जैसी टिप्पणियां की एवं याचिकाकर्ता से तीखे प्रश्न किया उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि फैसला क्या होगा। पिछले महीने ही सर्वोच्च अदालत ने ईवीएम से संबंधित दो याचिकाएं खारिज की थी। न्यायालय ने एक याचिकाकर्ता पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया था। वस्तुतः शीर्ष अदालत ईवीएम से जुड़ी 40 याचिकाएं अभी तक खारिज कर चुका है। सामान्यतः यह बात समझ में नहीं आती कि चुनाव आयोग के साथ विसनीय विशेषज्ञ द्वारा बार-बार स्पष्ट करने के बावजूद की ईवीएम से न छेड़छाड़ हो सकती है न ही इसे हैक किया जा सकता है; इसके द्वारा चुनाव न कराने का अभियान क्यों लगातार जारी है? सर्वोच्च अदालत में भी इस पर बहस हो चुकीं हैं, फैसले आ चुके हैं। उच्च न्यायालयों ने दो दर्जन से ज्यादा इस पर फैसले दिए हैं। सभी में न्यायालय ने चुनाव आयोग के इस दावे को स्वीकार किया है कि ईवीएम से मतदान कराया जाना सुरक्षित और विसनीय है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं कि ईवीएम एवं भारतीय राजनीति की विडंबनाओं का शिकार हो चुका है। इसी ईवीएम से जब राज्यों में विपक्ष जीतता है या 2004 एवं 2009 में यूपीए की सरकार गठन में इसका योगदान होता है तो वर्तमान विरोधी प्रश्न नहीं उठाते। हालांकि भाजपा की ओर से भी एक समय ईवीएम को इस अविसनीय बनाने की कोशिश हुई थी किंतु बाद में उसने इस अध्याय को पूरी तरह बंद कर दिया। ऐसा लगता है जैसे भारत के संपूर्ण लोकतंत्र और व्यवस्था को ही आम लोगों से लेकर संपूर्ण विश्व की दृष्टि में संदिग्ध, अविसनीय और साखविहीन साबित कर देने का सोचा समझा अभियान चल रहा हो। कल्पना करिए, अगर भारत सहित दुनिया भर में लोगों के एक बड़े समूह के अंदर यह बात बिठा दिया जाए कि भारत के सत्तारूढ़ पार्टी और गठबंधन ईवीएम में छेड़छाड़ कर चुनाव जीतता है जबकि उसे जनता वोट नहीं देती तो हमारी क्या छवि बनेगी? भारत का संसदीय लोकतंत्र, यहां का स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव विश्व के लिए एक बड़ा उदाहरण है। विश्व भर के टिप्पणीकार , विश्लेषक, राजनेता बताते हैं कि भारत जैसे विविधताओं वाले देश में इतने भारी मतदाताओं का मतदान संपन्न कराकर लोकतंत्र का चक्र बनाए रखना अद्भुत सफलता है।

कम मतदान ने भाजपा की परेशानी बढ़ाई

आरती कुमारी

देश में हुए दो चरणों के चुनाव में 190 सीटों पर मतदान हो चुका है। यानी कुल 543 में से 35 प्रतिशत संसदीय क्षेत्रों के उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो चुका है। इन दो चरणों में हुए कम मतदान ने राजनीतिक दलों के साथ मतदाता को भी भ्रमित कर दिया है। जबकि चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ओबीसी के कोटे में कांग्रेस द्वारा कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण देने का मुद्दा उछालकर हिंदु वोटों को धुरवीकृत करने का काम भी किया, बावजूद मतदान का नहीं बढ़ना भाजपा के लिए चिंता का सबब बन गया है। मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद दूसरे चरण में भी मतदान में कमी ने भाजपा नेताओं की परेशानी बढ़ा दी है। दूसरे चरण में उन महिला मतदाताओं अर्थात लाडली बहनों ने भी कम मतदान किया है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में बढ़-चढ़कर मतदान करके भाजपा को 163 सीटें दिलाई थीं। मतदाता के इस रुख के चलते जीत-हार का अनुमान लगाने वाली एजेंसियां भी असमंजस में है। मतदाता की उदासीनता ने ऊंट किस करवट बैठेगा, यह संशय बढ़ा दिया है। लोकतंत्र में वैसे तो जनता देश की भाग्य-विधाता होती है, लेकिन जीत के बाद नेता और दल जनता के भाग्य-विधाता विकास का दावा करते-करते बन जाते है। इस कथित भाग्य-विधाता की दूसरे चरण में हुए कम मतदान के बाद नींद उड़ी हुई है। कम मतदान को राजनैतिक दल अपने हिसाब से परिभाशित करते हैं। ज्यादातर इसे सत्ताधारी दल के विपरीत हुआ मतदान माना जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के आक्रामक प्रचार और हिंदुओं के धुरवीकरण की रणनीति के चलते फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि मतदाता ने अपना रुख बदल दिया है। 60 प्रतिशत के आसपास पहुंचा मतदान अभी भी इस बात का संकेत है कि समूचे देश में भाजपा की बढ़त बनी हुई है। लेकिन जिस मध्यप्रदेश में भाजपा को लाडली बहनों से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वे मतदान के प्रति उदासीन दिखाई दी है। दूसरे चरण में खजुराहो, टीकमगढ़, दमोह, होषांगाबाद, रीवा और सतना में 59 प्रतिशत मतदान हुआ है। जबकि यहां 2019 में 67 प्रतिशत मतदान हुआ था। 2019 की तुलना में इनमें से चार सीटों पर महिलाओं ने कम मतदान किया है। टीकमगढ़ में 2019 में 63.80 प्रतिशत मतदान हुआ था, जबकि 2024 में 56.35 प्रतिशत रह गया। सतना में 2019 में 70.77 था, जो अब 59.21 रह गया। खजुराहो में 2019 में 64.76 प्रतिशत मतदान हुआ था, जो अब 53.06 रह गया। हालांकि दमोह और होशंगाबाद में महिलाओं ने वोट 2019 की तुलना में ज्यादा डाले। दो चरणों में 190 सीटों पर हुए मतदान में ज्यादातर सीटों पर कम मतदान के चलते भाजपा को झटका लगा है। जबकि अच्छे मतदान के लिए भाजपा ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर सूक्ष्म प्रबंधन के दावे किए थे। कार्यकर्ताओं को जुटाकर अमित शाह तक ने मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के गुर सिखाए थे। उधर जिला प्रशासन भी अधिक मतदान के लिए उन सब टोने-टोटकों को आजमाता रहा है, जिन्हें मतदान बढ़ाने का परंपरागत फार्मूला माना गया है। हालांकि इन टोटकों में ज्यादा कुछ असरकारी कभी दिखाई नहीं दिया। प्रशासन की हुंकार पर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों, आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं और स्व-सहायता समूह की महिलाओं को इकट्ठा करके मानव श्रृंखला बनाकर और कुछ नारे लगाकर इन टोटकों की इतिश्री न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में कर ली जाती है। जिसके नतीजे लगभग शून्य होते हैं। बहरहाल भाजपा संगठन इस तैयारी में लगा रहा था कि मतदान लगभग 10 प्रतिशत तक बढ़ जाए। इस नाते भाजपा ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर 370 वोट बढ़ाने का पाठ भी कार्यकर्ताओं को पढ़ाया था। परंतु हुआ इसका उल्टा, 10 से 12 प्रतिशत तक मत-प्रतिशत कम हो गया। साफ है, वोट बढ़ाने का फार्मूला कारगर साबित नहीं हुआ है। संभव है अगले पांच चरणों में भी अब यही ट्रैंड देखने में आए ? मध्यप्रदेश में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में युद्ध स्तर पर मतदान केंद्रों तक मतदाता को पहुंचाने की जिम्मेबारी लेते हुए वोट-प्रतिशत 48.55 प्रतिशत तक पहुंचा दिया था। इसी का नतीजा रहा कि 230 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 163 सीटों पर विजय प्राप्त कर ली थी। भाजपा के इस केंद्र प्रबंधन की तारिफ भाजपा के राश्ट्रीय अधिवेशन में भी हुई। अतएव इसी फार्मूले को लोकसभा चुनाव में भी अजमाने के प्रबंध किए गए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को कार्यशालाएं लगाकर प्रशिक्षित भी किया गया। लेकिन मत-प्रतिशत बढ़ने की बजाय घट गया। कार्यकर्ता और मतदाता के उदासीन होने के कारणों में विधानसभा चुनाव परिणाम में स्पष्ट बहुमत के बावजूद मुख्यमंत्री के चयन में उम्मीद से ज्यादा देरी और फिर मंत्रीमंडल के गठन में भी इसी देरी को दोहराना प्रमुख कारण रहे हैं। इस उदासीनता के पीछे एक बड़ा कारण शिवराज सिंह चैहान को हाशिए पर डालना भी रहा है। जबकि विधानसभा चुनाव में जीत का प्रमुख आधार उनकी लाडली लक्ष्मियां और बहनें रही हैं। शिवराज की लोक-लुभावन भाषण कला भी इस बड़ी जीत का एक राज रही है। जबकि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक उनका करिष्माई नेतृत्व किसी भी क्षेत्र में देखने में नहीं आया है। हालांकि अब नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिवराज को केंद्र में ले जाएंगे। देश और मध्यप्रदेश में कम मतदान की झलक यह जता रही है कि फिलहाल कांग्रेस शून्य नहीं हो रही है। सुविधा भोगी मतदाता ने कम मतदान किया है। ज्यादातर शहरी मतदाता इन दोनों चरणों में शुक्रवार को मतदान के चलते शनिवार और रविवार की छुट्टी होने के कारण सपरिवार पर्यटन पर निकल गया। नतीजतन ऐसे लोगों ने मतदान की जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ लिया। दूसरी तरफ दलों और कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने से किनारा कर लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह किनारा इसलिए किया, क्योंकि वे इस अतिविश्वास के शिकार हो गए हैं कि मोदी और राम में लहर बन जाने के कारण भाजपा 400 पार जा रही है। कांग्रेस और अन्य दलों के कार्यकर्ता इस गलतफहमी में हैं कि मोदी लहर के चलते उनके दल का पार पाना मुश्किल है। इसलिए उसने मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचाने से दूरी बनाए रखी। कांग्रेस के पास संसाधनों की कमी के चलते भी यह स्थिति देखने में आई है। विपक्षी दल मतदाता को मुद्दों के आधार पर लुभाने में भी सफल नहीं हुए। विपक्षी दलों के बिखराव ने भी मतदाता को उदासीन बनाने का काम किया है। मतदाता ने सोच बना लिया कि इंडिया गठबंधन बन जाने के बावजूद इसका कोई केंद्रीय नेतृत्वकर्ता सामने नहीं है। इसलिए मोदी पर भरोसा करना ही ठीक है। लेकिन यह उदासीनता देश हित में कतई उचित नहीं है।

कांग्रेस क्यों नहीं रख पा रही है अपने लोगों पर कंट्रोल

अशोक भाटिया

लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा हैट्रिक की तैयारी में जुटी है। वहीं विपक्षी पार्टियों की एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।'इंडिया 'गठबंधन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस अब खुद कमजोर ही नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी से छिटकते जा रहे हैं, कांग्रेस नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक संकट में घिरी नजर आ रही है। यहां के कई राज्यों में पिछले दो दिनों में इस्तीफों का सिलसिला देखने को मिला है। पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए खोई साख हासिल करने में जुटी कांग्रेस अपने ही नेताओं को जोड़े रखने में विफल नजर आ रही है। फिर चाहे बात हिमाचल-बिहार की हो या फिर बंगाल-असम की। कांग्रेस के कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। नेताओं के पार्टी छोड़ने के सवाल पर राहुल गांधी कह चुके हैं कि जो भी जाना चाहता है, वह जा सकता है। उधर, जो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं वह कांग्रेस पर अनदेखी और जैसे आरोप लगा रहे हैं। इस्तीफों का सिलसिला इन चार राज्यों में ही सिमित नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में भी दलबदल का खेला देखने को मिला था। यहां कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं ने पार्टी छोड़कर भाजपा जॉइन कर ली। महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण और बासवराज पाटिल जैसे बड़े नेताओं का पाला बदलना कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वहीं झारखंड में भी पार्टी की एकलौती सांसद गीता कोड़ा ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद भी इस्तीफों का सिलसिला जारी है। अब हद तो तब हो गई जब देश के चुनाव में दो चरण बीत चुके हैं और तब कांग्रेस के भीतर रण छोड़ने का अलग ही चरण चल रहा है। कांग्रेस में कोई प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ रहा है। कोई उम्मीदवारी छोड़ रहा है। और कोई गढ़ माने जाने वाली सीट पर उम्मीदवारी का पत्ता ही नहीं खोल रहा है। अब सोमवार को दस्तक देती खबर मध्य प्रदेश की बड़ी लोकसभा सीट इंदौर से आई, जहां बारात तैयारी थी, बाराती तैयार थे, लेकिन अचानक दूल्हा पलट गया। यानी इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन खुद ही अपना पर्चा वापस लेकर कांग्रेस को स्वच्छता में टॉप रहने वाले शहर इंदौर से चुनाव में साफ कर दिया। 400 पार का नारा देती भाजपा देश में एक सीट निर्विरोध जीत चुकी है, दो पर जीत पहले से तय मानी जा रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर'इंडिया 'गठबंधन की प्रत्याशी मीरा यादव का पर्चा दस्तखत ना होने से खारिज हो गया। यहां बाद में'इंडिया 'गठबंधन ने अपना प्रत्याशी न रहने पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट को समर्थन दे दिया है। फिर गुजरात के सूरत में कांग्रेस के अधिकृत और डमी, दोनों प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया था। बाकी बसपा समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने पर्चा वापस से लिया। भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए। अब मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के गृह जिले इंदौर की सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम ने अपना पर्चा वापस ले लिया। है। इतना ही नहीं, जब इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन वापस लेने पहुंचे तो उनके साथ कलेक्टर ऑफिस में भाजपा विधायक रमेश मेंदोला देखे गए। और फिर भाजपा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय के साथ अक्षय कांति बम निकल पड़े। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों कांग्रेस प्रत्याशी ने ऐसा किया? कहीं सरकार पलटे या विधायक। तुरंत ऑपरेशन लोटस के आरोप लगते हैं। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के पर्चा लेकर पलटने पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी की कोई कमजोर नस दबाई गई है। इंदौर में कांग्रेस की शहर कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव को कलेक्टर दफ्तर के बाहर फोन पर कांग्रेस के किसी नेता को कॉल करके गुस्सा निकालते देखा गया। इस दौरान वह फोन पर कह रहे थे, "मैं शुरु से कह रहा था कि नाम वापस लेगा, पैसा देखकर टिकट दिया क्या योगदाना था? क्या संघर्ष किया? पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए हमारे जैसे कार्यकर्ता को मार रही है। अकेले खड़े हैं, वो निकल गया। पार्टी क्यों देती है पैसा देखकर, काम को आधार नहीं बनाते हो? यानी कांग्रेस के ही स्थानीय नेता अपने ही प्रत्याशी पर पहले से सवाल उठाते आए। उन्हें डर था कि ये पार्टी पाला पर्चा सब बदलेंगे। हुआ वही जो कांग्रेस के नेताओ को डर था। अब सवाल है कि खजुराहो, सूरत और इंदौर में जो हुआ, क्या आगे मध्य प्रदेश में और भी किसी सीट पर हो सकता है? जवाब में मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि हमारा दर खुला है, खुला ही रहेगा, तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा, "करीब ढाई लाख लोग ज्वाइन कर रह हैं, हमको सेलेक्शन करना पड़ता है किस को आने दें। 179 पूर्व विधायक पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, पार्टी का बढ़ता ग्राफ है। छतरी में अधिकांश लोग समाहित हो रहे हैं। कांग्रेस सोचे उनके लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। बता दें कि हर चरण के चुनाव से पहले भाजपा के खाते में एक अच्छी खबर आ रही है। फर्स्ट फेज से पहले खजुराहो में सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ। दूसरे फेज से पहले सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ। तीसरे फेज से पहले अब इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापिस ले लिया। और अब उस सीट की दस्तक के बारे में बात करते हैं, जहां 2014 में हारी भाजपा प्रत्याशी ने फिर हार नहीं मानी। उसी सीट को अपना घर बनाया। 2019 में जीत हासिल की। ये सीट है उत्तर प्रदेश की अमेठी की। जहां आज स्मृति इरानी ने ने नामांकन किया। हलफनामे में दिल्ली नहीं अमेठी में बनवाए गए घर को ही अपना पता दिखाया। इसी अमेठी को राहुल गांधी भी अपना घर आंगन कहते थे। लेकिन अमेठी से राहुल के लड़ने को लेकर असमंजस अब तक बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में ' इंडिया ' के सीट बंटवारे के तहत कांग्रेस ने खजुराहो सीट सपा के लिए छोड़ दी थी। भाजपा ने इस सीट पर अपने प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा को इस सीट से मैदान में उतारा है। रिटर्निंग अधिकारी ने सपा प्रत्याशी मीरा यादव के नामांकन पत्र में दो कमियां निकाल दीं। पहला, फॉर्म के साथ लगी मतदाता सूची प्रमाणित नहीं है या पुरानी है। दूसरी- दो जगह हस्ताक्षर कराना था, लेकिन केवल एक ही स्थान पर साइन किया गया है। यहां सपा का पर्चा खारिज होने के बाद'इंडिया 'गठबंधन ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट को समर्थन दे दिया है। सूरत लोकसभा सीट से भाजपा के मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित किया गया था। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार निलेश कुम्भानी का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया था। उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ियों का हवाला देकर नामांकन रद्द किया गया था। कांग्रेस के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपनी उम्मीदवारी वापिस ले ली। ऐसे में भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए। चुनाव आयोग ने उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। यह पहली बार है जब लोकसभा चुनाव में भाजपा का कोई सांसद निर्विरोध चुना गया हो।

मेष राशि : आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। राजनीति में हाथ आजमा रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, विरोधी आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके धन में वृद्धि होने से आप प्रसन्न रहेंगे। आज आपको अपने बिजनेस तथा अन्य कार्यों पर पूरी नजर रखने की जरूरत है। लोगों के साथ मेल-मिलाप के लिए भी समय जरूर निकालें और अपने संपर्क का दायरा बढ़ाएं।

वृष राशि : आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके बच्चे बिजनेस में आपका पूरा स्पोर्ट करेंगे। पूंजी के उचित निवेश के लिए आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। सिनेमा जगत के कलाकारों के लिए दिन विशेष रूप से अच्छा है। आज खुद की गलती की जिम्मेदारी न लेने से आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। आज आप बच्चों के करियर संबंधी सलाह लेंगे।

मिथुन राशि : आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है। यदि आप घर मकान या दुकान, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज आप अपने अहम् पर काबू करके परिस्थिति को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से हल मिल जाएगा।

कर्क राशि: आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज आपके तय किए काम समय से पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं साथ ही कुछ काम वक्त से पहले पूरा होने से प्रसन्नता मिलेगी। इस राशि के स्टूडेंट आज अपनी पढ़ाई को लेकर उत्साहित रहेंगे और ज्यादा समय पढ़ाई में बीतेगा, यह देखकर आपके घरवालों को भी ख़ुशी होगी।

सिंह राशि : आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज का दिन तरक्की देने वाला रहेगा। अपने आस पास की सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। हॉकी खेल रहे खिलाडिय़ों को आज अपने कोच के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे वह खेल के मैदान में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य ना खोएं और किसी भी कार्य को शांतिपूर्ण तरीके से व सोच-विचार करके ही पूरा करें।

कन्या राशि: आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। किसी बुजुर्ग की सहायता करने पर आपको अच्छा महसूस होगा। आज अच्छाईयों को अपनाएं जिससे आपका जीवन और अधिक सुंदर बनेगा। छात्रों को आज सफलता मिलने के योग बने हुए हैं।

तुला राशि : आज का दिन आपके लिए उमंग से भरा रहने वाला है। आज कारोबार सम्बन्धी योजनाओं को अपरिचित लोगों के सामने जाहिर न करें, कोई इसकी नकल कर सकता है। इस राशि की वर्किंग महिलाएं कामकाज की वजह से व्यस्त रहेगी।

वृश्चिक राशि: आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। छात्रों को सीनियर्स से कुछ नया सीखने को मिलेगा। किसी काम को लेकर आज भागदौड़ करनी पड़ सकती है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। दांपत्य रिश्ते में अनबन दूर होगी, रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। आज बुजुर्गों के साथ समय बिताएं, उन्हें काफी अच्छा लगेगा।

धनु राशि : आज का दिन आपके लिए ख़ास होने वाला है। आपके माता-पिता आपके करियर को बेहतर बनाने के लिए आपके गुरुजनों से विचार विमर्श करेंगे। आज आपके व्यवहार में आये सकारात्मक बदलाव से जीवनसाथी आपसे प्रसन्न रहेंगे। व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन ठीक-ठाक रहेगा। आज ऑफिस के कार्यों को पूरा करने में थोडा समय लग सकता है।

मकर राशि: आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अपने परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर आप किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करेंगे। ईश्वर आज आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। किसी अनजान व्यक्ति से अपने निजी समस्याओं को शेयर करने से बचना चाहिए। किसी काम में उचित परिणाम मिलने से आज आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी।

कुंभ राशि : आज का दिन आपके लिए कॉन्फिडेंस से भरा रहने वाला है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। यदि आप अपने व्यापार में किसी प्रकार का नया काम बढ़ाना चाहते हैं, तो आप किसी विशेष सलाहकार से सलाह लेकर ही नया काम शुरू करें। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, पहले से चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी।

मीन राशि : आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आपकी मकान, दुकान की परेशानी हल हो सकती है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए दिन बेहतरीन रहेगा। सैलरी इन्क्रीमेंट के साथ पदोन्नति भी होगी। आज आप अपने घर में किसी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य कर सकते हैं, जिसमें आप अपने विशेष अतिथियों को भी आमंत्रित करने का विचार करेंगे। पैसों की स्थिति में बड़े बदलाव होने की संभावना है।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती उत्पादों की मांग

प्रहलाद सबनानी

भारत में आज भी लगभग 60 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है एवं अपने जीवन यापन के लिए मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ही आश्रित रहती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार किये जा रहे विकास कार्यों के चलते इन क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्यय की जाने वाली राशि में अतुलनीय वृद्धि दर्ज हुई है। इससे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर निर्मित होने लगे हैं एवं ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कुछ कम हुआ है। विशेष रूप से कोरोना महामारी के खंडकाल में शहरों से ग्रामीण इलाकों की ओर शिफ्ट हुए नागरिकों में से अधिकतर नागरिक अब ग्रामीण क्षेत्रों में ही बस गए हैं एवं अपने विशेष कौशल का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को प्रदान कर रहे हैं।हाल ही में जारी किए गए कुछ सर्वे प्रतिवेदनों के अनुसार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग की एक नई कहानी लिखी जा रही है क्योंकि अब विभिन्न उत्पादों की मांग ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। उपभोक्ता वस्तुओं एवं ऑटो निर्माता कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हाल ही के समय में उपभोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं एवं दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों (ट्रैक्टर सहित) की मांग में तेजी दिखाई दे रही है, जो कि वर्ष 2023 में लगातार कम बनी रही थी। यह संभवतः रबी फसल के सफल होने के चलते भी सम्भव हो रहा है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने भी हाल ही में सम्पन्न अपनी द्विमासिक मोनेटरी पॉलिसी की बैठक में रेपो दर में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की है, ताकि बाजार, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार में, उत्पादों की मांग विपरीत रूप से प्रभावित नहीं हो, ताकि इससे अंततः वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश के आर्थिक विकास की दर भी अच्छी बनी रहे। भारत में पिछले कुछ समय से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादों की मांग, शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध मांग की तुलना में कम ही बनी रही है। परंतु, वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही के बाद से इसमें कुछ परिवर्तन दिखाई दिया है एवं अब ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों की मांग में तेजी दिखाई देने लगी है। यह तथ्य विकास के कुछ अन्य सूचकांकों से भी उभरकर सामने आ रहा है। जनवरी-फरवरी 2024 माह में दोपहिया वाहनों की बिक्री में, पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान की बिक्री की तुलना में, 30.3 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दोपहिया वाहनों की बिक्री में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर रही है, जो हाल ही के कुछ वर्षों में अधिकतम वृद्धि दर मानी जा रही है। दोपहिया वाहनों की बिक्री ग्रामीण इलाकों (लगभग 10 प्रतिशत) में शहरी इलाकों (लगभग 7 प्रतिशत) की तुलना में अधिक रही है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले रोजगार के अवसरों की मांग में भी फरवरी-मार्च 2024 माह के दौरान 9.8 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में निवासरत नागरिकों को रोजगार के अवसर अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध हो रहे हैं। इसी प्रकार, ट्रैक्टर की बिक्री में भी जनवरी-फरवरी 2024 माह के दौरान 16.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में कुल 892,313 ट्रैक्टर की बिक्री हुई है जो पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 7.5 प्रतिशत अधिक है। भारत के मौसम विभाग द्वारा जारी की गई भविष्यवाणी के अनुसार, वर्ष 2024 के मानसून मौसम के दौरान भारत में मानसून की बारिश के सामान्य से अधिक रहने की प्रबल सम्भावना है। इससे भारत के किसानों में हर्ष व्याप्त है क्योंकि मानसून के अच्छे होने से खरीफ की फसल के भी बहुत अच्छे रहने की सम्भावना बढ़ गई है। मौसम विभाग के सोचना है कि इस वर्ष अल नीनो के स्थान पर ला नीना का प्रभाव दिखाई देगा। अल नीनों के प्रभाव में देश में बारिश कम होती है एवं ला नीना के प्रभाव में देश में बारिश अधिक होती है। साथ ही, भारतीय किसान अब तिलहन, दलहन एवं बागवानी की फसलों की ओर भी आकर्षित होने लगे हैं। दालों, वनस्पति, फलों एवं सब्जियों के अधिक उत्पादन से किसानों की आय में वृद्धि दृष्टिगोचर है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए ई-पोर्टल के बनाए जाने के बाद से तो भारतीय किसान अपनी फसलों को वैश्विक स्तर पर सीधे ही बेच रहे हैं और अपने मुनाफे में वृद्धि दर्ज कर रहे हैं। भारतीय खाद्य पदार्थों की मांग अब वैश्विक स्तर पर भी होने लगी है एवं खाद्य पदार्थों के निर्यात में भी नित नए रिकार्ड बनाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों की मांग सामान्यतः अच्छे मानसून के पश्चात अच्छी फसल एवं विभिन्न सरकारों, केंद्र एवं राज्य सरकारों, द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों पर किए जा रहे खर्चों में बढ़ौतरी के चलते ही सम्भव होती है। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई विकास की विभिन्न योजनाओं पर व्यय में लगातार वर्ष दर वर्ष वृद्धि की जा रही है एवं इसके लिए केंद्रीय बजट में भी बढ़े हुए व्यय का प्रावधान प्रति वर्ष किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर निर्मित हो रहे हैं एवं इन इलाकों में विभिन्न उत्पादों की मांग भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नीलसन द्वारा किए गए एक सर्वे के यह बताया गया है कि जनवरी एवं फरवरी 2024 माह में भारत में विभिन्न उत्पादों की शहरी क्षेत्रों में मांग 1.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग 2.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। विशेष रूप से फरवरी 2024 के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों की मांग में वृद्धि लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। रबी की फसल के भी अच्छे रहने की सम्भावना बलवती हुई है जिसके कारण किसानों की मनोदशा भी सकारात्मक बन रही है और यह वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश की आर्थिक वृद्धि दर को बलवती करने के मुख्य भूमिका निभाने जा रही है। आज देश की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है यदि ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों की मनोवृत्ति सकारात्मक हो रही है तो निश्चित ही वित्तीय वर्ष 2024-25, आर्थिक विकास की दृष्टि से अतुलनीय परिणाम देने वाला वर्ष साबित होने जा रहा है।

संपादकीय

भारत में मानवाधिकारों पर सवाल

भारत में मानवाधिकार के हनन को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर भारत को घेरने की कोशिश की है। हालांकि इस बार उसके सुर कुछ नरम हैं। बीते दिनों अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अलग-अलग देशों में मानवाधिकारों से जुड़े क़ानूनों के पालन की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। अब एक अमेरिकी सरकार के आला अधिकारी ने कहा है कि गणतंत्र और मानवाधिकारों के मुद्दे पर अमेरिका और भारत की बातचीत होती रहती है। अमेरिकी ब्यूरो ऑफ़ डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स एंड लेबर के वरिष्ठ अधिकारी रॉबर्ट एस गिलक्रिस्ट ने मंगलवार को कहा, 'गणतंत्र और मानवाधिकारों के मामले में भारत और अमेरिका के बीच उच्चतम स्तर पर बातचीत होती रहती है। हम भारत से गुज़ारिश करेंगे कि वो मानवाधिकारों से जुड़ी अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करे।' भारत ने इस रिपोर्ट के बारे में फ़िलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। विदेश मंत्रालय या सरकार की तरफ़ से कोई प्रतिक्रिया आएगी तो उसे इस रिपोर्ट में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अतीत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को भारत सरकार ख़ारिज करती रही है। इस बार भी वही होने की संभावना ज्यादा है। इससे पहले सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मानव अधिकारों से जुड़े क़ानूनों पर अमल को लेकर एक कंट्री रिपोर्ट (2023 ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट) जारी की थी। इस रिपोर्ट को ब्यूरो ऑफ़ डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स एंड लेबर ने लिखा है। रिपोर्ट जारी करते हुए ब्लिंकन ने कहा था कि इसमें क़रीब 200 मुल्कों के मानवाधिकारों की स्थिति के सच जानकारी दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस रिपोर्ट में चीन, ब्राज़ील, बेलारूस, म्यांमार के साथ-साथ भारत का भी ज़िक्र है। जहां चीन में वीगर अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हो रहे उत्पीड़न, म्यांमार में रोहिंग्या अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ हो रहे अपराध और उनके पलायन, निकारागुआ में एक्टिविस्टों पर दबाव डालने और उन्हें देश से निकालने के मामलों, सूडान में सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ के किए युद्ध अपराधों के बारे में लिखा गया है। इसके अलावा अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान द्वारा महिलाओं से शिक्षा का अधिकार छीनने, युगांडा के समलैंगिकता विरोधी क़ानून पास करने और एलजीबीटीक्यूआई प्लस समुदाय से जुड़े लोगों के लिए क़ैद, यहां तक कि मौत की सज़ा का प्रावधान करने, ईरान में मॉरल पुलिस के पकड़ने के बाद महिसा अमीनी की मौत और उसके बाद हुए विरोध प्रदर्शनों, इसराइल पर हमास के लड़ाकों के हमले के बारे में लिखा गया है। रिपोर्ट में भारत से जुड़े कई मामलों की ज़िक्र भी विस्तार से किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि भारत में तानाशाही बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार इस बीच चीनी सरकार के दमनकारी लक्ष्यों को लेकर परेशानी बढ़ी है और ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार और सुरक्षा संबंध बढ़ाए हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है। 'रिपोर्ट में मोदी सराकर की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि भारत में मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने चीन की सरकार के कई ऐसे दमनकारी तौर-तरीकों को अपनाया है। इनमें धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ सुनियोजित तरीके से भेदभाव करना, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का गला घोंटना और अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म करने और सत्ता पर अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल शामिल है।' जहां तक इस रिपोर्ट के महत्व का सवाल है तो यह मानवाधिकारों के मामले में भारत की छवि खराब करने की कोशिश ज्यादा है। अमेरिका किस हैसियत से खुद को मानवाधिकारों का चौकीदार मानता है? बावजूद इस सच्चाई के भारत में मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठना देश की वैश्विक छवि पर विपरीत असर डालता है।

व्यवस्थापन की नीति न्यायसंगत बने

सड़कों के पास के पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी टप-टप कर पेड़ों से नीचे गिर कर मर रहे थे, इसके बावजूद भी गरीब लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हम लोगों के लगातार संघर्ष से कुछ अच्छे परिणाम आए और स्थानीय कांग्रेस पार्टी के स्व. प्रभात मिश्रा जो आज जिंदा नहीं हैं, परंतु हम लोग उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस संघर्ष से प्रभावित होकर अपनी भूमिका को बदला। उनके अपने संसदीय क्षेत्र के भी काफी गांव इस काले कानून से प्रभावित थे और उन्होंने हमारी समस्याओं को समझा। उस समय स्वर्गीय वसंत साठे जो नागपुर से सांसद व भारत के कोयला मंत्री भी थे स्वर्गीय बसंत साठे का भी संबंध आरंभ में समाजवादी पार्टी के साथ रहा था और प्रजा समाजवादी पार्टी में थे, बाद में वह कांग्रेस में चले गए थे। स्व. प्रभात मिश्रा का संबंध भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से था और उनके परिजन इस आंदोलन में मानसिक और शारीरिक रूप से हमारे साथ थे, साथी धीरेंद्र मिश्रा, आदित्य मिश्रा, आनंद मिश्रा यह सभी प्रभात मिश्रा जी के परिवार से थे।

रघु ठाकुर

80 के दशक तक कोयले के क्षेत्र में एक विशेष कानून था जिसका नाम था कोल बियरिंग एरिया लैंड एक्विजिशन एक्ट और इस कानून के तहत अधिकारियों को यह अधिकार दिए गए थे कि अगर किसी व्यक्ति के जमीन के नीचे कोयला है तो वह उसे एक सामान्य चित्र जारी कर जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं, ना कोई मुआवजा का फैसला होता था ना कोई वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था होती थी और विशेषतः आदिवासी अंचलों के गरीब लोग जिनकी जमीनों के नीचे कोयला होता था वह इस भय में जीते थे कि पता नहीं किस दिन उनकी जमीन के अधिग्रहण का पत्र आ जाएगा। कोरबा के पास कुसमुंडा आदि गांव के लोगों ने अपने दुख की सूचना हमें दी थी और मैं और मेरे साथी आनंद मिश्रा और उस समय के एक और हमारे कार्यकर्ता मूरीतराम सहित हम लोग वहां गए थे। वहां के किसानों का पता नहीं क्यों ऐसा विश्वास था कि मेरे जाने के बाद उनकी लड़ाई बढ़ेगी और वह लोग जीतेंगे? मुझे याद है कि कुसमुंडा के गांव में जब मैं रात में रुका हुआ था तो उस घर के मालिक रात को मेरे पास आकर बैठे और बोले कि मुझे विश्वास है कि अब आपके आने के बाद हमारी जमीन कोयला अधिकारी नहीं छीन पाएंगे। हमें न्याय मिलेगा।

मैं उनके विश्वास से प्रभावित भी हुआ और घबराया भी क्योंकि भारत सरकार के बने हुए कानून को बदलवाने का संघर्ष कोई आसान संघर्ष नहीं था। यह वह दौर था जब दिल्ली में स्व. राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उनके पास तीन चौथाई बहुमत था। राज्य में भी कांग्रेस सरकार थी जो विशाल बहुमत की संसद के तीन चौथाई संख्या की थी और इस बात की उम्मीद भी कम ही थी कि सरकार इन गरीबों के पक्ष में कुछ करेगी। यह कानून भी कांग्रेस सरकारों के जमाने में ही बनाया गया था इतना ही नहीं कांग्रेस सरकार ने कोयला खोदने के लिए जो पुरानी पद्धति थी जिसमें भूमिगत खदानें हुआ करती थीं और अपने हाथ से कोयला खोदकर कोयले के मजदूर उसे बाहर निकालते थे उसे बदलकर जर्मनी और अन्य देशों से बड़ी-बड़ी मशीनें आयत की थीं जिन्होंने बड़े पैमाने पर कोयला खोदना शुरू किया था तब ओपन माइंस का सिस्टम यानी खुली खदानों की पद्धति शुरू हो गई थी और रातों-रात गांव की जमीन के नीचे भारी मात्रा में कोयला निकाल देती थी तथा वहां तालाब जैसे बन जाते थे और बाजू में मिट्टी के पहाड़ बन जाते थे। इतना ही नहीं पास में जो थर्मल पावर के प्लांट लगे थे उसकी राख बड़े पैमाने पर निकलती थी और पास की नदी में बहाई जाती थी। सारा का सारा नदी का पानी राख से प्रदूषित हो जाता था तथा इसी का इस्तेमाल करने को सारा अंचल लाचार था। इस अंचल में कोयला का होना सरकार के लिए, ठेकेदारों के लिए, माफियाओं के लिए, नौकरशाओं के लिए तथा अमीरों के लिए तो सोने जैसा धंधा था, परंतु गरीबों के लिए यह विकास के नाम की खुली मौत थी। हम लोगों ने इन गांवों के लोगों को इकटठा कर लड़ाई लड़ना शुरू किया और धीरे-धीरे आसपास के बीसियों गांवों में यह लड़ाई पहुंच गई। बड़ी संख्या में औरतें और बच्चे सड़कों पर निकलने लगे और इतना भारी संघर्ष शुरू हुआ कि लोगों ने ना मौसम देखा, ना सत्ता देखी, ना दमन की चिंता की और सड़कों पर निकल पड़े। मुझे याद है कि, एक दिन जब हम लोग कुसमुंडा से एक बड़ा जुलूस लेकर जिसमें आदमियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में औरतें और छोटे-छोटे बच्चे शामिल थे, कोरबा से जुलूस लेकर आ रहे थे उस दिन वहां का तापमान लगभग 50 डिग्री के आसपास था। सड़कों के पास के पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी टप-टप कर पेड़ों से नीचे गिर कर मर रहे थे, इसके बावजूद भी गरीब लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हम लोगों के लगातार संघर्ष से कुछ अच्छे परिणाम आए और स्थानीय कांग्रेस पार्टी के स्व. प्रभात मिश्रा जो आज जिंदा नहीं हैं, परंतु हम लोग उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस संघर्ष से प्रभावित होकर अपनी भूमिका को बदला। उनके अपने संसदीय क्षेत्र के भी काफी गांव इस काले कानून से प्रभावित थे और उन्होंने हमारी समस्याओं को समझा। उस समय स्वर्गीय वसंत साठे जो नागपुर से सांसद व भारत के कोयला मंत्री भी थे स्वर्गीय बसंत साठे का भी संबंध आरंभ में समाजवादी पार्टी के साथ रहा था और प्रजा समाजवादी पार्टी में थे, बाद में वह कांग्रेस में चले गए थे। स्व. प्रभात मिश्रा का संबंध भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से था और उनके परिजन इस आंदोलन में मानसिक और शारीरिक रूप से हमारे साथ थे, साथी धीरेंद्र मिश्रा, आदित्य मिश्रा, आनंद मिश्रा यह सभी प्रभात मिश्रा जी के परिवार से थे। इन लोगों ने भी पहल की थी। बिलासपुर के ही एक और मंत्री जो राज्य सरकार के मंत्री थे स्वर्गीय बी.आर. यादव, उन्होंने भी आवश्यक पहल की और स्व. प्रभात मिश्रा इस बात को तैयार हुए कि वह स्व. बसंत साठे से हम लोगों की मुलाकात कराएंगे और इस बर्बर कानून को बदलने के बारे में हमारे पक्ष का समर्थन करेंगे। और उन्होंने अपने वायदे को निभाया भी और बसंत साठे से मुलाकात कराई तथा जब हमने अपनी मांगे व उनके तर्क रखे तो उनकी तार्किकता से बसंत साठे भी प्रभावित हुए। मुझे स्मरण है कि हमने जो मांगें रखी थी, वह थी-

1. कोल बियरिंग एरिया, लैंड एक्विजिशन एक्ट को समाप्त कर नया कानून बनाया जाए।
2. जिस किसान की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है उसे अधिग्रहण के पहले मुआवजा दिया जाए। साथ ही उनके लिए वैकल्पिक बसावट के लिए जमीन दी जाए।
3. जिस किसान की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है उसे अधिग्रहण के पहले उसके साथ ही उसके मकान और वृक्षों का भी अधिग्रहण किया जाए, क्योंकि जब जमीन ही नहीं रहेगी तो वह किसान मकान, वृक्षों का क्या करेगा?
4. जमीन का मुआवजा शहर की जमीनों के बराबर याने बाजार दर की तुलना से 50 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़कर दिया जाए।
5. इन किसानों को बगैर किसी भुगतान के कंपनी का अंशधारी बनाया जाए ताकि इनको नियमित लाभ का हिस्सा मिल सके। कंपनी के काम में विस्थापित परिवारों के किसी एक व्यक्ति को स्थाई रोजगार दिया जाए।
6. जहां इन लोगों को विस्थापन के बाद बसाहट के लिए जमीन दी जाती है वहां गाँव खाली करने के पहले सामुदायिक भवन, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल और चिकित्सालय की व्यवस्था की जाएं।

भारत सरकार में इन मांगों को लेकर विचार विमर्श हुआ। कोयला मंत्री श्री बसंत साठे की दिलचस्पी से यह काम शुरू हुआ। उस समय मैं कोयला कामगार पंचायत का अध्यक्ष और हिंद मजदूर किसान पंचायत का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी था जिसके अध्यक्ष स्वर्गीय साथी जॉर्ज फर्नांडीज थे।

सरकार के आश्वासन को पूरा कराने के लिये सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भी दायर हुई थी, यह याचिका समूचे देश के लिये उपरोक्त व्यवस्था बनाने के लिये की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को निर्देश दिये थे, बाद में कानून में बदलाव किया गया और जमीन के अधिग्रहण के पहले मुआवजा देना बाध्यकारी हुआ। तथा बाजार दर से डेढ़ गुना मुआवजे की देने की सहमति बनी।

यह भी निर्णय हुआ कि जो किसान विस्थापित होकर जा रहा है उसकी सारी जमीन, मकान एवं पेड़ आदि सबके मुआवजे तय कर उन्हें मुआवजा राशि दी जाए, क्योंकि सरकार अधिकारी यह भी गड़बड़ी करते थे कि किसी व्यक्ति के पास अगर तीन एकड़ जमीन है तो दो एकड़ का अधिकरण करते थे और एक एकड़ छोड़ देते थे, तथा कहते थे कि यह तो अभी कृषि भूमि है। इसलिए मकान के खाली होने का या पेड़ों आदि का मुआवजे का कोई कारण नहीं है। जबकि स्थिति यह होती थी कि खदानों की खुदाई से और ब्लास्टिंग से न केवल बची हुई जमीन बर्बाद हो जाती थी बल्कि मकान टूट जाते थे। यहां तक कि पेड़ भी टूट जाते थे। वैसे भी मात्र आधा या एक एकड़ जमीन से कोई किसान क्या कृषि कर सकता है? क्या जीवनयापन कर सकता है? अतरू इस निर्णय से किसानों को लाभ पहुंचा।

यह भी स्वीकृति हुई कि जहां विस्थापन के बाद यह किसान लोग जाएंगे अगर वहां सरकारी जमीन होगी तो उन्हें जमीन दी जाएगी तथा उनके मकान बनाने के लिए सहयोग किया जाएगा। वहां सामुदायिक भवन, पानी, बिजली और सड़क, स्कूल की व्यवस्था विस्थापन के पहले की जाएगी। अस्पतालों के लिए भी है तय हुआ कि जब तक स्थानीय अस्पताल नहीं बनता है तब तक कोयले के सरकारी कंपनियों के लिए बनाई गई अस्पतालों में इन्हें इलाज की व्यवस्था दी जाएगी।

दरअसल यह व्यवस्थापन की नीति समूचे देश में सभी क्षेत्रों में बनाई जाना आवश्यक है और इसके लिए सतत संघर्ष की आवश्यकता है पर दुखद है कि सरकार बहरी और समाज गूंगा है तथा पीड़ित किसान मजदूर सुसुप्त है।

अध्यात्म

छली प्रायः स्वयं छला जाता है

कुत्ते और मुर्गे में बड़ी दोस्ती थी। एक दिन दोनों घूमते-फिरते जंगल में जा पहुंचे और घंटों गप्पे लगाते रहे। धीरे-धीरे शाम हो गई तथा रात सर पर आ पहुंची। मुर्गे ने घबड़ाकर कहा-अब क्या किया जाए ? बातों ही बातों में सूरज डूब गया और यह चाँद दिखने लगा। अब रात में घर पहुंचना तो मुश्किल है। कुत्ता लापरवाही से बोला-घबड़ाने की क्या जरूरत है। फुर्र से उस डाल पर जा बैठे और मजे से रात बिताओ। मैं भी इसी पेड़ के निचे डेरा डालकर खर्राटे मारता हूँ। जब सबेरा होगा तब घूमते-फिरते घर पहुंच जाऊँगा। बस मुर्गा फुर्र से पेड़ की डाल पर बैठा और कुत्ता पेड़ के तने से टिक कर धरती पर लेट गया। सबेरा होते-होते मुर्गा जाएगा और अपनी आदत के अनुसार लगा जोर से बोलने कुकड़-कूं-कुकड़-कूं। मुर्गा की यह कुकड़-कूं सारे जंगल में गूंज उठी और एक सियार लप-झप करता हुआ उस पेड़ के पास आ पहुंचा। मुर्गे को देखते ही वह बहुत प्रसन्न हुआ और वह मन में सोचने लगा-कितना अच्छा है सबेरा आज का। जरा-सी हिकमत लगाई कि मुर्गी कलेट बनकर मेरे मुंह में आया नहीं। मन में वह विचार आते ही सियार ने मुस्कुराकर मुर्गे से कहा-अहा मुर्गे भाई कितना मीठा है तुम्हारा गाना। मुझे भी गाने का कुछ-कुछ शौक है। बस नीचे उत्तर जाओ थोड़ा देर के लिए और मेरे साथ गाओ। क्या तुम मेरी यह छोटी-सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते ? मुर्गी भी बुद्धू नहीं था। वह सियार के मन की बात ताड़ गया। फिर भी मुस्कुराकर बोला तुम्हारी बात मुझे बहुत पसंद आई। सियार भाई! मैं अभी नीचे आती हूँ और तुम्हारे सुर में सुर मिलाकर गाता हूँ। मेरा एक मित्र उस तरफ पेड़ में सटकर सो रहा है। उसे भी जगा लो न ? वह बजा बजायेगा और हम दोनों मिलकर गायेंगे, सच कहता हूँ मजा आ जायेगा। यह सुनते ही सियार मारे खुशी के नाच उठा। वह लपककर पेड़ के उस ओर में जा पहुंचा जिस ओर कुत्ता सो रहा था। कुत्ते पर नजर पड़ते ही उसके प्राण सुख गए। वह तेजी से भागने लगा। मुर्गे की बात सुनकर कुत्ता सावधान ही चुका था। भला यह सियार को कब छोड़ने वाला था। उसने एक सपाटे में उसका गला धार दबाया। यह देखकर मुर्गा हंसा और बोला मूर्ख कहीं का। आया था मेरी बात में इतना भी नहीं जानता था कि जो दूसरों को छलता है वह स्वयं ही छला जाता है।

घोषणा पत्र पर भड़के मंगल सूत्र में अटके

देश पर 272 लाख करोड़ का कर्ज है। सरकार ने कई उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर दिये तो बैक डूब गए। ताले लग गए। ग्यारह लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उद्योग पतियों के माफ किये गए। इलेक्टोरल बांड ने भाजपा की ईमानदारी छवि पर कालिख पोत दी। देश के छोटे से लेकर बड़े उद्योगपतियों को ईडी का डर दिखाकर उनसे चंदा लिया। बदले में उद्योगपतियों ने अपने-अपने उत्पादों की कीमत चार गुना बढ़ा दिया। बाजार में महंगाई का बूम आ गया। आम आदमी समझ ही नहीं पाया कि महंगाई अचानक से बढ़ कैसे गयी। सुप्रीम कोर्ट के दखल से देश के सामने न खाऊंगा और न खाने दूंगा कहने वालों की सच्चाई समाने आई। क्या नेहरू बोले कर गए थे बीजेपी को कि इलेक्टोरल बांड के जरिए चंदा एकत्र करना। कश्मीर से अब भी 370 हटी नहीं। केवल संशोधन किया गया है।

रमेश कुमार 'रिपु'

क्या आखिरी अश्वमेघ है। किराए की भाजपा का। हर राज्यों में कांग्रेस से भाजपा में आने वालों की भीड़ दिखी।इनके भरोसे भाजपा अपनी सेहत सुधारने का सपना पाल ली है। लेकिन पहले चरण की वोटिंग के ट्रेंड ने जय हो कि जगह,भय हो का माहौल बना दिया है। पहले चरण के 102 सीटों में भाजपा सिर्फ 42-46 सीट पा रही है। ऐसा सियासी आकलन है देश का। वोट का ट्रेण्ड बदलने के लिए मोदी ने भाषण का ट्रेंड ही बदल दिया। कांग्रेस के मेनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाया बता कर भड़के। और मंगल सूत्र में आकर अटके। मुद्दे के लिए भटकती भाजपा एक बार फिर हिन्दू-मुस्लिम के चौराहे पर आ गयी। सब भटक रहे हैं। भाजपा समेत समूचा विपक्ष। बीजेपी अपने मेनिफोस्टो में महंगाई और बेरोजगारी की जगह सपने दिखा रही है। उसे यकीन था कि 2014 से ज्यादा बड़ी जीत उसे मिलेगी। लेकिन पहले चरण के वोट ट्रेंड ने बीजेपी की धुकधुकी बढ़ा दी है। दूसरे चरण में भी वोट का ट्रेंड नहीं बदला। आगे भी यही स्थिति रही तो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की बात सच हो सकती है, कि बीजेपी दो सौ सीट से नीचे रहेगी। यदि ऐसा हुआ तो बीजेपी के लीडर मोदी नहीं रहेंगी। मोदी को भरोसा था कि हिन्दू-मुस्लिम राजनीति के पासे पौ बारह ही पड़ंगे। इसलिए सत्ता के हंसिये से वोट की फसल काटने के लिए राजनीति को धर्म के खेत पर खसीट लाए। कांग्रेस को अर्बन नक्सली कह दिया। कांग्रेस सत्ता में आई तो हिन्दू बहनों के मंगल सूत्र तक छीन लेगी। कांग्रेस लोगों की कमाई ज्यादा बच्चों वालों में बांट देगी। अल्पसंख्यक घुसपैठिए हैं। आतंकवादी हैं। कांग्रेस की सोच माओवादियों और कम्युनिस्टों की है। आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, कि हमारे मेनिफोस्टो में विरासत टैक्स का कहीं जिक्र नहीं है। प्रधान मंत्री असत्यमेय जयते का प्रतीक हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के मेनिफेस्टों को समझाने मोदी से समय मांगा। सवाल यह है, कि अल्पसंख्यक घुसपैठिए हैं तो कितने पकड़े गए। कितने के खिलाफ कार्रवाई हुई।दूसरे चरण मे वोट में भी मोदी की कही बातों के बावजूद वोट का ट्रेंड नहीं बदला। विपक्ष उत्साहित है कि मतदाताओं ने सत्ता परिवर्तन का संकेत दे दिया है। यूपी की आठ सीट पर हुए चुनाव में मेरठ,बागपत, मथुरा,अमरोहा,अलीगढ़ की सीट बीजेपी की फंस गयी है। किसानो को बीजेपी ने निराश किया। वादे पूरे नहीं हुए। ऐसा वहां के वोटर कह रहे हैं। दूसरे चरण में 66.12 फीसदी वोट पड़े हैं। मध्यप्रदेश की होशंगाबाद को छोड़कर सभी जगह वोट पिछली बार की तुलना में कम हुए है। रीवा में दस फीसदी वोट कम पड़े हैं। दूसरे चरण के वोट के आधार पर यह माना जा रहा है कि बीजेपी और इंडिया दोनों को मतदाताओं ने तवज्जो दिया। अब तक के 190 सीट में इंडिया गठबंधन को फायदा ज्यादा होने के संकेत हैं। मंगल सूत्र वाले बयान पर सोशल मीडिया पर प्रधान मंत्री के प्रति गुस्सा ज्यादा देखने को मिला है। वहीं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के मंगल सूत्र वाले बयान पर प्रियंका गांधी ने कहा,मेरी मां ने अपना मंगल सूत्र देश के नाम कुर्बान कर दिया। युद्ध के दौरान मेरी दादी इंदिरा गांधी ने अपने गहने देश को समर्पित किये। कांग्रेस ने आज तक किसी मां -बहनों के मंगल सूत्र नहीं छीने। सवाल यह है कि क्या भाजपा अवसान पर है। उसका यह संक्रमण काल है। इसलिए मोदी ने धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए चुनाव में हर बार की तरह फिर हिन्दू,मुस्लिम की फसल काटना चाहते हैं। अंधेरे में लाठी भांज रही है भाजपा। किसान आंदोलन में 700 किसानों की मौत हुई। चीन के बार्डर पर गढ़वाल में कई सैनिक शहीद हुए। पोलवामा कांड में समय पर हवाई जहाज मोदी उपलब्ध करा देते तो हमारे कई भारतीय सैनिक शहीद न होते। क्या उन शहीद लोगों की विधवाओं के मंगल सूत्र का ध्यान मोदी को नहीं है। आखिर इतने सारे शहीदों की पत्नियों के मंगल सूत्र, किसकी वजह से बिना धागे के हो गए क्या इन सवालों का जवाब बीजेपी के पास है? भाजपा अपने आप को हिन्दू की पार्टी कहती है। कांग्रेस यदि मुस्लिमों की पक्षधर है,तो विवाद क्यों? सबकी राजनीति के अपने अपने तरीके हैं। फिर भी हर चुनाव में भाजपा यह कह कर हिन्दुओं को क्यों डराती है कि आज हिन्दू खतरे में है। देश का प्रधान मंत्री हिन्दू है। गृहमंत्री हिन्दू है। राज्य के मुख्यमंत्री हिन्दू हैं। फिर भी देश का हिन्दू खतरे में है। यदि हिन्दू खतरे में है तो इसके लिए मुठ्ठी भर अल्पसंख्यक दोषी हैं या फिर देश की सरकार! वोट डालने से पहले एक बार मनन जरूर करें। दस साल की भाजपाई सत्ता में देश का आर्थिक ढांचा चरमरा गया है। देश पर 272 लाख करोड़ का कर्ज है। सरकार ने कई उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर दिये तो बैक डूब गए। ताले लग गए। ग्यारह लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उद्योग पतियों के माफ किये गए। इलेक्टोरल बांड ने भाजपा की ईमानदारी छवि पर कालिख पोत दी। देश के छोटे से लेकर बड़े उद्योगपतियों को ईडी का डर दिखाकर उनसे चंदा लिया। बदले में उद्योगपतियों ने अपने-अपने उत्पादों की कीमत चार गुना बढ़ा दिया। बाजार में महंगाई का बूम आ गया। आम आदमी समझ ही नहीं पाया कि महंगाई अचानक से बढ़ कैसे गयी। सुप्रीम कोर्ट के दखल से देश के सामने न खाऊंगा और न खाने दूंगा कहने वालों की सच्चाई समाने आई। क्या नेहरू बोले कर गए थे बीजेपी को कि इलेक्टोरल बांड के जरिए चंदा एकत्र करना। कश्मीर से अब भी 370 हटी नहीं। केवल संशोधन किया गया है। ताकि अडानी जमीन खरीद सकें। राम मंदिर से रोटी नहीं मिलने वाली। राम केवल आस्था है। विश्वास है। भरोसा है। राम का मंदिर नहीं बना था, तब क्या देश नहीं चल रहा था। लोकतंत्र जिंदा नहीं था। भारत नहीं था। राम के लिए मंदिर बनाए हैं तो राम जैसा आचरण भी दिखाएं। तानाशाह क्यों बनते हैं? राम मंदिर बन जाने पर देश में क्या अंतर आ गया या आ जाएगा? जय किसकी और भय किसका होगा,अबकि चुनाव में। यह बात की बात है। मगर सवाल यह है,कि भाजपा अपने ही राज्यपाल के यहां सीबीआइ इसलिए भेज दे कि वो मोदी सरकार की बखिया उधेड़ने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दाल में कुछ काला नहीं,पूरी की पूरी दाल काली है।

भाजपा के मेनिफेस्टों में 2047 तक का सपना दिखाया गया है। महंगाई, बेरोजगारी, की कोई बात नहीं। जुमले से तालियां बजती है। सपने दिखाने से भूख नहीं मरती। एक वो भी सपना था, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। गंगा साफ हो जाएगी। दो करोड़ नौकरी दी जाएगी। पेट्रोल चालीस रुपए लीटर मिलेगा। डॉलर जमीन सूंघने लगेगा। रुपया डॉलर से ऊपर होगा। चार सौ रुपए का गैस सिलेंडर किस राज्य में मिल रहा है? ऐसे कई सवाल हैं,जिनके जवाब इस चुनाव में अधूरे हैं। बुजुर्गो को रेल यात्रा में जो सुविधाएं मिलती थी,बंद कर देने से रेल मंत्रालय फायदे में चलने लगा क्या? छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 6200 ट्रेनें क्यों बंद कर दी गयी। पी.एम.ने भी नहीं बताया। आयुष्मान योजना का लाभ मरीजों को निजी अस्पताल में नहीं मिलता। दवाइयां बाहर से मरीजों को खरीदना पड़ता है। मरीजों को जल्द से जल्द निजी अस्पताल के लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। उनका इलाज सही तरीके से नहीं होता। पांच लाख तक के इलाज कराने की यह योजना कैसी है,सांसदों को भी पता करना चाहिए। सियासी मुजरा खूब चल रहा है। हर दल में। सबसे अधिक डरी हुई है बीजेपी। तीसरी बार सियासी अश्वमेघ यज्ञ में आहूति मतदाता किसे दे रहा है। राम तीसरी बार सत्ता की कमान दिलाएंगे या नहीं। हिन्दुओं को बीजेपी फिर डरा रही है। क्या वाकई हिन्दू खतरे में है। क्या मतदाता मान रहा है कि ईडी, सीबीआई और आई टी की कार्रवाई गलत है। देश को जैसा प्रधानमंत्री चाहिए,उसे वैसा मिला है। तीसरी बार बीजेपी आई तो संविधान बदल दिया जाएगा। इस बात को अशिक्षित लोग क्या समझ रहे हैं। रिक्शे वाले को,पान ठेला वाले को,सब्जी बेचने वाले को,सड़कों के किनारे चाट बेचने वाले को क्यों लगता है, फिर मोदी आएगा। ईवीएम पर देश के कितने लोगों को भरोसा है। चार सौ पार बीजेपी आएगी या फिर उसे 272 के भी लाले पड़ेंगे। दूसरे चरण के चुनाव से पहले बीजेपी मंगल सूत्र का मुद्दा गढ़ ली। तीसरे चरण के चुनाव में पुलवामा कांड जैसा कोई कांड हो जाए तो हैरान नहीं होना।

आज का कार्टून

बीजेपी वाले आएं तो चप्पल-जूते मारो: आकाश आनंद का विवादित बयान

राशिफल

मेष
अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर सन्तुष्ट रहेंगे। छोटी-छोटी बातों को तूल देने से बचें। बड़े व्यावसायिक अनुबन्ध हो सकते हैं।

वृषभ
समाज के कार्यों में आप रुचि लेंगे। बीमार लोगों को दवाइयों में लापरवाही नहीं करनी चाहिये। साहित्य और कला में आपकी स्वाभाविक रुचि बढ़ेगी।

मिथुन
प्रेम सम्बन्धों में धन को लेकर विवाद हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई को लेकर परेशानी होगी। साहस के कारण समाज में यश प्राप्त करेंगे।

कर्क
घर में नकारात्मक वातावरण हो सकता है। पति-पत्नी के बीच अहम को लेकर टकराव हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है।

सिंह
राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद मिलेगा। आय के नये स्रोत बन सकते हैं। सभी काम सुचारू रूप से पूर्ण होंगे। मेहनत का बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा।

कन्या
आज भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। धन की कमी के कारण काम रुक सकते हैं। नौकरीपेशा व्यक्तियों के ऊपर काम का दबाव बढ़ सकता है।

तुला
सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगे। जीवनस्तर में वृद्धि होगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जीवनसाथी के साथ मतभेद कम होंगे।

वृश्चिक
दाम्पत्य सम्बन्धों में अनबन होने की आशंका है। बातचीत के दौरान आपको सावधानी रखनी चाहिये। कुछ मित्र आपके प्रति ईर्ष्या भाव रख सकते हैं।

धनु
जिस भी कार्य को हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिये। बुद्धिमान लोगों का सानिध्य प्राप्त होगा। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिये दिन बहुत ही अच्छा है।

मकर
व्यापार में नया निवेश कर सकते हैं। आपकी कार्यशैली से लोग काफी प्रभावित होंगे। आप परोपकार में धन खर्च करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपका काफी अच्छा प्रदर्शन होगा।

कुंभ
आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होगी। व्यापार में लक्ष्यों को समय पर प्राप्त कर लेंगे। घर में धार्मिक वातावरण रहेगा। पिताजी के साथ चर्चा लाभकारी रहेगी।

मीन
आज आपको उदासीन यात्रा करनी पड़ सकती है। दूसरों के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप न करें। अपनी भावनाओं को सबके समक्ष व्यक्त न करें।

ईरान-इजरायल संघर्ष और भारत

पश्चिम एशिया पिछले एक अप्रैल से ही उबल रहा है, जब इस्राइल ने सीरिया स्थित ईरान के दूतावास पर हमला किया था। उसके बाद इस क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, क्योंकि पहली बार ईरान ने पलटवार करते हुए सीधे इजराइल पर हमला किया, जिसकी प्रतिक्रिया में इस्राइल ने इस्फहान में ताजा हमला किया है। दोनों धुर विरोधी मुल्कों के बीच दशकों से जो छद्म युद्ध चल रहा था, उसने अब गंभीर मोड़ ले लिया है, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता के लिए चिंता बढ़ा दी है। पूरी दुनिया उत्सुकता से इन घटनाक्रमों को देख रही है और इसके प्रभावों की प्रतीक्षा कर रही है। यह एडवर्ड लॉरेन्ज के द्वाबटरफ्लाइ इफेक्टह्न की याद दिलाता है, जो कहता है कि तितली के पंख फड़फड़ाने से भविष्य में हजारों मील दूर के मौसम पर प्रभाव पड़ता है। इस अवधारणा की कल्पना एक तितली द्वारा पंख फड़फड़ा कर तूफान पैदा करने से की गई है। यह ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव तथा सामान्य रूप से शेष दुनिया एवं विशेष रूप से भारत पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में सटीक है। भारत पर इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के जरिये पड़ेगा। यह इसलिए, क्योंकि भारत कच्चे तेल का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और पश्चिम एशिया वैश्विक कच्चे तेल के एक-तिहाई का आपूर्तिकर्ता है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ते ही आपूर्ति संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं। चूंकि भारत अपनी जरूरत के 85 फीसदी कच्चे तेल की पूर्ति आयात से करता है, इसलिए कीमतों में जरा-सी वृद्धि होने पर भी आयात बिल काफी बढ़ जाता है, जिससे न केवल चालू खाते का घाटा बढ़ता है, बल्कि व्यापार संतुलन भी बिगड़ जाता है। दूसरी तरफ, पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें बढ़ जाने से परिवहन लागत बढ़ जाती है, जो मुद्रास्फीति बढ़ाती है और आम आदमी का जीवन कठिन हो जाता है। इसके अलावा, तेल की उच्च कीमत और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से डॉलर में मजबूती आएगी, जो भारतीय रुपये को और कमजोर करेगी और देश के समक्ष आर्थिक चुनौतियां बढ़ जाएंगी। इसलिए यदि समय पर इसका प्रबंधन नहीं किया गया, तो इससे देश की व्यापक आर्थिक बुनियादें खतरे में पड़ जाएंगी। यह भी ध्यान देना प्रासंगिक है कि ईरान लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती और फलस्तीन में हमास का समर्थन करता है और उनसे सहयोग भी लेता है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ने की स्थिति में इस बात की बहुत आशंका है कि ईरान अरब सागर और लाल सागर में व्यापार मार्ग को बाधित करने के लिए हूती विद्रोहियों का सहयोग ले।

इस्राइल की तरह अभेद्य भारतीय सुरक्षा

शिवदान सिंह

पिछले दिनों ईरान ने इस्राइल पर 120 मिसाइल तथा 300 ड्रोन से हमला किया, परंतु ईरान के 99 फीसदी मिसाइल और ड्रोन को इस्राइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नाकाम कर दिया! हालांकि इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, और फ्रांस इत्यादि देशों ने भी उसकी मदद की थी, परंतु इसका श्रेय इस्राइल के अनूठे रक्षा कवच आयरन डोम नामक एयर डिफेंस सिस्टम को जाता है।

इससे इस्राइल को कई लाभ हुए हैं। अब वह पूरे विश्व को यह विश्वास दिलाने में सफल हुआ है कि ईरान शुरू से ही आक्रमणकारी रहा है और पूरे अरब क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों में ईरान का हाथ रहा है! नतीजतन अब अमेरिका शीघ्र ही ईरान को एक आतंकी देश घोषित करने की सोच रहा है, जिससे ईरान का तेल व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित होगा! दूसरा, इस्राइल के एयर डिफेंस सिस्टम के प्रति दुनिया का भरोसा बढ़ा है, जिससे उम्मीद है कि उसके आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कई देशों से ऑर्डर मिल सकते हैं।

भारत ने गलवां हमले के बाद चीनी सीमा पर अपनी रक्षा तैयारी पर और जोर देना शुरू कर दिया है! भारत ने चीनी सीमा पर हवाई सुरक्षा को इस्राइल की तरह अभेद्य बनाने के लिए लद्दाख के पास नियोमा में नए हवाई अड्डे का निर्माण किया है! इसके अलावा, दौलत बेग ओल्डी नामक हवाई पट्टी का भी विस्तार किया गया है। इन दोनों स्थानों से अब राफेल जैसे लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं! हवाई हमले की पूर्व सूचना देने के लिए भारत ने आकाशतीर नामक एयर डिफेंस सिस्टम को भी चीनी सीमा पर तैनात कर दिया है! आधुनिक तकनीक से निर्मित इस सिस्टम की सूचना के आधार पर दुश्मन के हवाई जहाज या मिसाइलों को गिराने के लिए आकाश मिसाइल की यूनिट तैनात की गई है! यह मिसाइल लेजर सिस्टम से नियंत्रित होती है, जिसे लक्ष्य से भटकाना असंभव है। इनके अतिरिक्त, दुश्मन पर मिसाइल से हमला करने के लिए आईजीएलए नाम की मिसाइल के 120 लॉन्चर भी चीन सीमा पर तैनात किए गए हैं।

ईरान जैसी ही हरकत चीन ने भी 2019 में लद्दाख के गलवां में की थी! दरअसल 1996 में भारत और चीन के बीच हुए समझौते के अनुसार, वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएससी) के पास नोमैंस लैंड या सीमाओं के मध्यवर्ती क्षेत्र में दोनों देशों के सैनिक बगैर हथियारों के ही गश्त करेंगे! इसी समझौते के अनुसार, गलवां में दोनों देश की सेनाओं के बीच बातचीत के लिए जून, 2019 में एक बैठक आयोजित की गई थी।

इसमें हिस्सा लेने भारतीय सैनिक तो बगैर हथियारों के पहुंचे, लेकिन चीनी सैनिक कंटीले तार लगे लाठी-डंडों के साथ आए और बिना किसी उकसावे के उन्होंने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। मगर निहत्थे भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से इसका जवाब देते हुए कई चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया तथा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर भी कब्जा कर लिया। अब इस क्षेत्र में चीन आसानी से घुसपैठ नहीं कर सकेगा!

चीनी हमले का वही परिणाम हुआ, जैसा कि इस्राइल पर ईरान के हमले का हुआ है। इससे चीनी सैनिकों की साख पर भारी धब्बा लगा है। इस्राइल को ईरान के हमले को नाकाम करने से जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, वहीं लाभ भारत को भी मिला था।

भारत ने गलवां हमले के बाद चीनी सीमा पर अपनी रक्षा तैयारी पर और जोर देना शुरू कर दिया है! भारत ने चीनी सीमा पर हवाई सुरक्षा को इस्राइल की तरह अभेद्य बनाने के लिए लद्दाख के पास नियोमा में नए हवाई अड्डे का निर्माण किया है! इसके अलावा, दौलत बेग ओल्डी नामक हवाई पट्टी का भी विस्तार किया गया है। इन दोनों स्थानों से अब राफेल जैसे लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं! हवाई हमले की पूर्व सूचना देने के लिए भारत ने आकाशतीर नामक एयर डिफेंस सिस्टम को भी चीनी सीमा पर तैनात कर दिया है! आधुनिक तकनीक से निर्मित इस सिस्टम की सूचना के आधार पर दुश्मन के हवाई जहाज या मिसाइलों को गिराने के लिए आकाश मिसाइल की यूनिट तैनात की गई है! यह मिसाइल लेजर सिस्टम से नियंत्रित होती है, जिसे लक्ष्य से भटकाना असंभव है।

इनके अतिरिक्त, दुश्मन पर मिसाइल से हमला करने के लिए आईजीएलए नाम की मिसाइल के 120 लॉन्चर भी चीन सीमा पर तैनात किए गए हैं। 1,000 आधुनिक ड्रोन किसी भी खतरे से मुकाबले के लिए हमेशा तैयार रहते हैं! यही नहीं, लद्दाख तथा अरुणाचल प्रदेश में जमीनी युद्ध के लिए आर्म्ड कोर की टैंक यूनिटों को भी तैनात किया गया है। सेना की स्ट्राइक कोर, जिसमें लड़ाकू टैंक यूनिटों के साथ करीब 15,000 सैनिक होते हैं, को भी अरुणाचल में स्थापित कर दिया गया है! सीमा पर शीघ्र सैन्य सहायता तथा रसद पहुंचाने के लिए अरुणाचल की सीमा तक कई पुलों तथा सड़कों का निर्माण किया गया है! यहीं पर बीते मार्च में प्रधानमंत्री मोदी ने सेलापास नामक सुरंग का उद्घाटन किया। 2010 से पहले लेह को भारत से जोड़ने के लिए केवल एक सड़क श्रीनगरझलेह थी ! अब लेह को एक और लंबी सुरंग द्वारा हिमाचल प्रदेश से भी जोड़ दिया गया है। हिमाचल वाला मार्ग बहुत सुरक्षित है, जिस तक पाकिस्तान पहुंचने की सोच भी नहीं सकता! इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश और लेह-लद्दाख के लिए संचार व्यवस्था और सड़क मार्गों की व्यवस्था से इन स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत हो गई है। भारत की इन रक्षा तैयारियों को देखकर अब चीन भारत पर कुदृष्टि डालने की सोच भी नहीं सकता!

https://t.me/AllNewsPaperPaid

निर्मला देशपांडे : जिन्हें विनोबा भावे की मानस पुत्री कहा गया

निमिषा सिंह

समय समय पर उत्पीड़ितों अल्पसंख्यकों के बेहतर भविष्य निर्माण के लिए कई सामाजिक कार्यकताओं द्वारा प्रयास जारी रहा पर निर्मला देशपांडे एक ऐसी कार्यकर्ता थी जिनहोने अपना सम्पूर्ण जीवन आदिवासियों, उत्पीड़ितों ,महिला ससक्तिकरण और सांप्रदायिक सोहाद्र के लिए समर्पित कर दिया।1984 मे विभिन्न गांधीवादी संस्थानो और कार्यकताओं को साथ जोड़कर बिनोवा भावे के मार्गदर्शन मे दीदी ने अखिल भारत रचनात्मक समाज की स्थापना की जिसका मूल उद्येश्य सामाजिक एवं सांप्रदायिक शांति और भाईचारे और एकता को बढ़ावा देना था। अखिल भारतीय रचनात्मक समाज दीदी द्वारा शुरू किया गया एक वैचारिक आंदोलन है। साथ ही नित्य नूतन पत्रिका के प्रकाशन की भी शुरूआत हुई जो वैश्विक शांति और न्याय के अहिंसक विचारों को फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर निर्मला देशपांडे, एक चेहरा जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी कूटनीति के लिए जाना जाता था। 1994 मे कश्मीर मे शांति मिशन और 1996 में भारत पाकिस्तान वार्ता आयोजित कराने में निर्मला जी की अहम भूमिका रही। पंजाब और कश्मीर मे हिंसा की चरम स्थिति मे शांति मार्च के लिए निकल जाने वाली निर्मला जी ने चीनी दमन के खिलाफ तिब्बत मे मुक्ति साधना का समर्थन कर तिब्बतियों के लिए भी अपनी आवाज बुलंद की।गांधी ग्लोबल फॅमिली के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद्मश्री एस पी वर्मा जी ने दीदी से जुड़े एक संस्मरण साझा करते हुए कहा कि 1990 मे आतंकवाद के दौर मे दीदी जम्मू कश्मीर पहुंची ,एक लाख लोगों को राशन बांटकर पीड़ितों की मदद की। कितने ही काम उन्होने बिना रुपये के शुरू किया। राजनीति मे 1997 से 2007 तक निर्मला जी ने बतौर राज्य सभा सदस्य अपनी सेवा दी।

सन 1947, लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश हुकूमत का खात्मा हुआ। भारतियों को आजादी हासिल हुई। अंग्रेज तो चले गए पर पीछे छोड़ गए एक ऐसा भारतीय समाज जो रूढ़िवादिता,अशिक्षा, गरीबी, जाति व्यवस्था के संकट से जूझ रहा था और जिससे निजाद पाने के लिए अभी एक और लंबी लड़ाई लड़नी थी। उस दौर में कई चिंतक और बुद्धिवादी लोग न्याय और समता आधारित समाज के निर्माण के लिए सतत संघर्ष कर रहे थे। इन्ही लोगों में से एक थी गांधी विचारक और विनोबा भावे की मानस पुत्री डॉक्टर निर्मला देशपांडे। दीदी के नाम से विख्यात निर्मला देशपांडे गांधीवादी विचारधारा एवं आदर्शो की कट्टर समर्थक होने के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी थी।

19 अक्टूबर 1929 को नागपुर मे विमला और पुरुषोतम यशवंत देशपांडे के घर जन्मी निर्मला जी का बचपन साहित्यिक परिवेश मे बीता। पिता साहित्य अकादमी पुरुस्कार से सम्मानित मराठी साहित्य के जाने माने साहित्यकार थे। निर्मला देशपांडे नागपुर से ही राजनीति विज्ञान मे एम ए के पढ़ाई के बाद वहीं के मारीस कॉलेज मे प्रोफेसर बन गई। दलितों, वंचितों और उत्पीड़ितों के साथ हो रहे भेदभाव से दीदी अक्सर व्याकुल हो जाती और अंततः एक दिन सुख सुविधाओं को त्याग कर आजीवन अविवाहित रहने के संकल्प के साथ वह बिनोवा भावे के पवनार आश्रम मे आ गई। 1952 मे दीदी बिनोवा भावे के भूमिदान आंदोलन से जुड़ी और तकरीबन 40 हजार किलोमिटर की पैदल यात्रा मे शामिल हुई। इस यात्रा मे भूमिहीनों की दुर्दशा ने निर्मला जी को व्यस्थागत उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित किया। भूमिदान आंदोलन के तहत गांधी जी के विचारों मे विश्वास रखने वाले लोगों द्वारा दान की गई लाखों एकड़ जमीन भूमिहीनों और गरीबों मे वितरित की गई।

महात्मा गांधी द्वारा अस्पृस्यता उन्मूलन के लिए 1932 मे स्थापित हरिजन सेवक संघ से दीदी बतौर अध्यक्ष जुड़ी और लंबे समय तक उन्होने वहाँ अपनी सेवा दी। बिनोवा भावे ने अपने गुरु महात्मा गांधी के विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए शांति सेना का गठन किया जिसकी कमांडर निर्मला जी को नियुक्त किया गया। उनके लिए नक्सलियों को समझना और उनके प्रति सहानुभूति रखना मुश्किल नहीं था। यह जानते हुए भी कि नक्सलियों के विरोध का तरीका गांधी विचारधारा से परे था , निर्मला जी ने नक्सलियों पर बल प्रयोग का विरोध किया।

समय समय पर उत्पीड़ितों अल्पसंख्यकों के बेहतर भविष्य निर्माण के लिए कई सामाजिक कार्यकताओं द्वारा प्रयास जारी रहा पर निर्मला देशपांडे एक ऐसी कार्यकर्ता थी जिनहोने अपना सम्पूर्ण जीवन आदिवासियों, उत्पीड़ितों ,महिला ससक्तिकरण और सांप्रदायिक सोहाद्र के लिए समर्पित कर दिया।1984 मे विभिन्न गांधीवादी संस्थानो और कार्यकताओं को साथ जोड़कर बिनोवा भावे के मार्गदर्शन मे दीदी ने अखिल भारत रचनात्मक समाज की स्थापना की जिसका मूल उद्येश्य सामाजिक एवं सांप्रदायिक शांति और भाईचारे और एकता को बढ़ावा देना था। अखिल भारतीय रचनात्मक समाज दीदी द्वारा शुरू किया गया एक वैचारिक आंदोलन है। साथ ही नित्य नूतन पत्रिका के प्रकाशन की भी शुरूआत हुई जो वैश्विक शांति और न्याय के अहिंसक विचारों को फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पुण्यतिथि पर विशेष.......

डॉक्टर निर्मला देशपांडे, एक चेहरा जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी कूटनीति के लिए जाना जाता था। 1994 मे कश्मीर मे शांति मिशन और 1996 में भारत पाकिस्तान वार्ता आयोजित कराने में निर्मला जी की अहम भूमिका रही। पंजाब और कश्मीर मे हिंसा की चरम स्थिति मे शांति मार्च के लिए निकल जाने वाली निर्मला जी ने चीनी दमन के खिलाफ तिब्बत मे मुक्ति साधना का समर्थन कर तिब्बतियों के लिए भी अपनी आवाज बुलंद की।गांधी ग्लोबल फॅमिली के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद्मश्री एस पी वर्मा जी ने दीदी से जुड़े एक संस्मरण साझा करते हुए कहा कि 1990 मे आतंकवाद के दौर मे दीदी जम्मू कश्मीर पहुंची ,एक लाख लोगों को राशन बांटकर पीड़ितों की मदद की। कितने ही काम उन्होने बिना रुपये के शुरू किया।

राजनीति मे 1997 से 2007 तक निर्मला जी ने बतौर राज्य सभा सदस्य अपनी सेवा दी। सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ ही निर्मला जी एक प्रबुद्ध लेखिका भी थी। उनके द्वारा रचित विनोबा भावे की जीवनी ,साहित्य को निर्मला जी द्वारा दी गई अमूल्य देन है। भूदान यात्रा के दौरान विनोबा भावे के प्रवचनों को लिपिबद्ध कर 40 खंडों में उन्होंने भूदान गंगा की रचना की। 2006 में उन्हें राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2007 मे निर्मला जी को राष्ट्रपति पद के लिए नामित भी किया गया था। निर्मला देशपांडे एकलौती ऐसी शक्सियत थी जिन्हे भारत और पाकिस्तान दोनों देशों मे प्यार और सम्मान मिला। 2009 मे पाकिस्तान सरकार द्वारा आजादी की पूर्व संध्या पर उन्हे पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा ए इम्तियाज से नवाजा गया।

79 वर्ष की आयु में 1 मई 2008 को दिल्ली स्थित अपने निवास पर निर्मला देशपांडे का नींद मे ही देहांत हो गया। निश्चित तौर पर दीदी का निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति थी। चूंकि उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने मे समर्पित रहा इसलिए उनकी अस्थियाँ भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत मे बहने वाली सिंधु नदी मे प्रवाहित की गई।

कम हो आय और संपत्ति की विषमता

अजीत रानाडे
अर्थशास्त्री
editor@thebillionpress.org

भारत की समस्या यह है कि यहां कराधान पर्याप्त नहीं है. यह कई बार कहा जा चुका है. सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक समीक्षा में ऐसा कहा गया है और संसद में एक पूर्व विदेश मंत्री इसे रेखांकित कर चुके हैं. यहां कम कराधान का तात्पर्य कर और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के निम्न अनुपात से है, करों की दर से नहीं. ये दरें बहुत अधिक हैं. उच्च व्यक्तिगत आयकर 42 प्रतिशत है, तो मध्यम वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 18 प्रतिशत है. जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे सभी लोग, धनी या गरीब, अपने उपभोग पर देते हैं. चूंकि यह कर देने वाले की आय पर निर्भर नहीं है, इसलिए यह अनिवार्यतः प्रतिगामी है. अचरज की बात नहीं कि जीएसटी संग्रहण का बड़ा हिस्सा कम आय वाले लोगों से आता है, जो इसके अनुचित होने को रेखांकित करता है. हमें आयकर और उपभोग कर दोनों की आवश्यकता है, पर जीएसटी दरें बहुत कम होनी चाहिए. आयकर पर निर्भरता बढ़नी चाहिए और दरें आय श्रेणी के हिसाब से बढ़नी चाहिए. सात लाख रुपये से कम की वार्षिक आय पर कर नहीं देना होता है. यह बड़ी छूट दुर्भाग्यपूर्ण है. यह छूट सीमा देश में प्रति व्यक्ति आय से चार गुना अधिक है. अमेरिकी लोग पांच हजार डॉलर की आय से ही आयकर देने लगते हैं, जो उनके प्रति व्यक्ति आय का दसवां हिस्सा है. भारत को आयकर का दायरा अवश्य बढ़ाना चाहिए. आर्थिक समीक्षा के अनुसार, हर सौ मतदाता में केवल सात लोग आयकर दाता हैं.

आयकर दायरा बढ़ाकर और जीएसटी जैसे अप्रत्यक्ष करों के बोझ को घटाकर आगे बढ़ना चाहिए. अवसरों की विषमता को प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में अधिक उच्च गुणवत्ता एवं मात्रा मुहैया कराकर कम किया जा सकता है. लेकिन सरकारी बजटों में इन सामाजिक प्राथमिकताओं पर खर्च आनुपातिक रूप से घटता जा रहा है. इसका मतलब है कि हमें अधिक कर संग्रहण चाहिए.

हमारे सामने बढ़ती आर्थिक विषमता की चुनौती भी है. वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की हालिया रिपोर्ट ने सौ साल के आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर बताया है कि देश में आय और संपत्ति की विषमता अभी सर्वाधिक है. विषमता से लड़ना गरीबी से लड़ने जैसा नहीं है. भारत में गरीबी का अनुपात गिरता जा रहा है, पर अभी भी ऐसे लोग हैं, जो गरीबी रेखा के आसपास ही हैं. एक बीमारी पूरे परिवार को उस रेखा से नीचे धकेल सकती है. इसीलिए गरीबी दर 15 प्रतिशत होने के बावजूद 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन जैसी खाद्य सुरक्षा योजनाएं चल रही हैं. संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में विषमता घटाना भी शामिल है. इस दिशा में आयकर दायरा बढ़ाकर और जीएसटी जैसे अप्रत्यक्ष करों के बोझ को घटाकर आगे बढ़ना चाहिए. अवसरों की विषमता को प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में अधिक उच्च गुणवत्ता एवं मात्रा मुहैया कराकर कम किया जा सकता है. लेकिन सरकारी बजटों में इन सामाजिक प्राथमिकताओं पर खर्च आनुपातिक रूप से घटता जा रहा है. इसका मतलब है कि हमें अधिक कर संग्रहण चाहिए. यहीं संपत्ति कर पर चर्चा आती है. अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी का दावा है कि दुनिया के सबसे धनी दो सौ लोगों पर मामूली कर लगाकर सामाजिक खर्च के लिए खरबों डॉलर जुटाये जा सकते हैं. ऐसा भारत में भी किया जा सकता है.

संपत्ति का निर्धारण मुश्किल है, खासकर अगर वह रियल इस्टेट के रूप में हो. लोगों में छुपाने की प्रवृत्ति भी होती है. कर देने से बचने की कोशिश भी होती है. धनी लोगों और सबसे अधिक आयकर देने वालों में भी साम्य नहीं है. कितने अरबपति ऐसे हैं, जो सबसे अधिक आयकर भी देते हों? ऐसे में संपत्ति कर लगाने का कोई उचित तरीका है क्या? स्पेन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और फ्रांस जैसे देशों में संपत्ति कर व्यवस्था है. ये सब धनी देश हैं और उनकी वित्तीय व्यवस्था भी बहुत विकसित है. आप यह नहीं कह सकते कि भारत एक गरीब या मध्यम आय देश है, इसलिए संपत्ति कर पर चर्चा अभी नहीं हो सकती. जिन देशों में सबसे अधिक अरबपति हैं, उनमें भारत भी है. अगर उन पर 0.1 प्रतिशत सालाना कर लगा दिया जाए, इससे न वे अपनी संपत्ति से अलग होंगे, न रोजगार सृजन बंद करेंगे और न ही देश में निवेश बंद करेंगे. देश से पूंजी पलायन का कारण संपत्ति कर नहीं होता. किसी भी लोकतंत्र के लिए असीमित संपत्ति का केंद्रण होना अच्छा नहीं है. हमारे गणराज्य के राजनीतिक एवं सामाजिक समता के सिद्धांत तथा बढ़ती आर्थिक विषमता में बड़ा विरोधाभास है. इसीलिए हमें आय और संपत्ति की विषमता को नियंत्रित करने की आवश्यकता है. कोई आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विषमता से पीछा नहीं छुड़ा सकती है. लेकिन यह औद्योगिक प्रदूषण की तरह है. आधुनिक जीवन कुछ उत्सर्जन के बिना असंभव है. लेकिन ऐसा एक समय आता है, जब एक समाज के रूप में हम कहते हैं कि अब बहुत हो चुका. अन्यथा बिगड़ती विषमता सामाजिक अस्थिरता, बंद रिहायशी इलाकों में बढ़ोतरी, अपराध में वृद्धि और अंततः निवेशकों के पलायन का कारण बनती है. कब विषमता असह्य और अत्यधिक है, यह हम सभी को मिलकर तय करना है.

भारत में बचत का आधा हिस्सा ही शेयर, बॉन्ड, बीमा और बैंक खातों में है, शेष रियल इस्टेट या सोने के रूप में है. रियल इस्टेट की कीमत का खुलासा खरीद-बिक्री के समय ही होता है, जिस पर स्टांप ड्यूटी लगती है. ऐसी खरीद-बिक्री कभी-कभार ही होती है, तभी राज्य स्तर पर स्टांप ड्यूटी का संग्रहण कम है. वित्तीय बचत का अच्छा डाटा हमारे पास है, इसलिए इस हिस्से पर संपत्ति कर लगाना संभव है, जिसकी एक सीमा, मसलन सौ करोड़ रुपये से अधिक, हो सकती है. कर 0.1 प्रतिशत जैसा बहुत कम हो सकता है. इसका उद्देश्य केवल वित्तीय संसाधन जुटाना नहीं है.

नारायण मूर्ति, बिल गेट्स, वारेन बफे, निखिल कामथ, रिचर्ड ब्रांसन जैसे कई धनिकों ने अधिक कर लगाने का स्वागत किया है. ब्रिटिश उद्यमी इयान ग्रेग ने एक लेख में लिखा है कि धनिकों पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए और ट्रिकल डाउन व्यवस्था (ऊपर से नीचे धन आने की प्रक्रिया) विफल हो चुकी है. ये धनी लोग केवल कहने के लिए ऐसा कह रहे हैं या उनमें सच में करुणा है? दोनों बातें हो सकती हैं और शायद वे लोग समाज को ऐसी तबाही से बचाना चाहते हों, जहां जाकर लोग अपना गुस्सा बहुत धनी लोगों पर उतारने लगें. ब्रिटेन में कोरोना काल में आकलन किया गया था कि धनिकों पर मामूली कर लगाकर सरकार अरबों पाउंड जुटा सकती है. संपत्ति कर से इस तरह का धन संग्रहण संभावित है. जहां ऐसे कर की व्यवस्था है, उन देशों की प्रक्रिया और अनुभव से सीखा जा सकता है तथा वित्तीय संपत्ति पर मामूली कर लगाकर इसकी शुरुआत की जा सकती है. रियल इस्टेट और सोने को अभी छोड़ा जा सकता है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

भारत की तीखी प्रतिक्रिया

भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अखबार 'द वाशिंगटन पोस्ट' की एक रिपोर्ट को अनावश्यक और आधारहीन बताया है. उक्त अखबार ने अनाम सूत्रों के हवाले से कहा है कि अलगाववादी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के कथित षड्यंत्र में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एक अधिकारी शामिल था. पिछले साल नवंबर में अमेरिकी फेडरल अधिकारियों ने एक भारतीय नागरिक पर अभियोग लगाया था कि वह भारत सरकार के एक अधिकारी के साथ मिलकर पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल था. भारत ने पहले ही इस मामले की जांच के लिए एक कमिटी का गठन किया है और अमेरिकी सरकार से भी इस संबंध में चर्चा हुई है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद को बताया था कि ऐसी जांच की जरूरत इसलिए है क्योंकि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है. पन्नू को भारत ने आतंकियों की सूची में रखा है. उसके पास अमेरिका और कनाडा की नागरिकता है. वह अमेरिका में रहकर भारत विरोधी आयोजन करता रहता है तथा आतंकी हमलों की धमकी देता रहता है. ऐसे कई आतंकी और अपराधी सरगना अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोपीय देशों में हैं. भारत ने इनके बारे में संबंधित सरकारों को जानकारी भी दी है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इसके विपरीत, पश्चिमी सरकारों और मीडिया द्वारा आतंकियों की ही पैरोकारी की जाती है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारत विरोधी समूहों को पश्चिमी देशों में अपनी गतिविधियां करने की पूरी छूट मिली हुई है. बीते रविवार को कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की उपस्थिति में एक आयोजन में खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाये गये. इस घटना पर भी भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है तथा कनाडा के उप उच्चायुक्त को तलब कर अपना विरोध जताया है. उल्लेखनीय है कि एक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री भारत को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं. उस मामले की जांच में सहयोग करने के कनाडा के अनुरोध को भारत ठुकरा चुका है क्योंकि इस संबंध में कोई भी ठोस सबूत मुहैया नहीं कराया गया है. कनाडा द्वारा सबूत नहीं देने या अनाम सूत्रों के हवाले से भारतीय एजेंसी के खिलाफ खबर बनाने या अतिवादी तत्वों पर कार्रवाई नहीं करने जैसी प्रवृत्तियां यही इंगित करती हैं कि पश्चिमी देश भारत विरोधी गिरोहों का इस्तेमाल भारत पर बेजा दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं. पिछले कुछ समय से अनेक देशों में ऐसे गिरोह भारतीय मूल के लोगों के बीच आपसी मतभेद बढ़ाने में भी लगे हुए हैं. पश्चिमी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग हैं, जो उन देशों के विकास में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारत विरोधी समूहों को पश्चिमी देशों में अपनी गतिविधियां करने की पूरी छूट मिली हुई है.

लोकसभा चुनाव में मजदूरों का मुद्दा

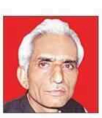

कृष्ण प्रताप सिंह
वरिष्ठ पत्रकार
kp_faizabad@yahoo.com

एक अध्ययन के अनुसार देश में 41.19 प्रतिशत मजदूर कृषि क्षेत्र में, 26.18 प्रतिशत उद्योगों में तथा 32.33 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में नियोजित हैं. कांग्रेस, भाजपा व वामदलों द्वारा नियंत्रित अथवा स्वतंत्र पांच प्रमुख केंद्रीय मजदूर संगठन हैं. इनके 90 प्रतिशत सदस्य संगठित क्षेत्र से आते हैं.

इस लोकसभा चुनाव में मजदूरों के मुद्दे कहां हैं? मतदान के दो चरण पूरा होने के बाद भी यह सवाल इस अर्थ में जवाब मांग रहा है कि न वे नेताओं के भाषणों में सुनाई दे रहे हैं, न कार्यकर्ताओं के नारों में और न ही प्रचार या चर्चाओं में. ऐसे में पार्टियों के घोषणापत्रों में उनका जो थोड़ा जिक्र है, वह भी औपचारिक होकर रह गया है. इसलिए सामान्य मजदूर इस जानकारी से भी वंचित हैं कि उनके हालात बेहतर करने के लिए किस पार्टी या गठबंधन द्वारा क्या वादे किये गये हैं या नहीं किये गये और नहीं किये गये, तो क्यों नहीं. उन मजदूरों को भी यह सब नहीं पता, जिनकी मेहनत से खड़े पंडालों में स्टार प्रचारकों की सभाएं हो रहीं हैं. यह स्थिति इसलिए बहुत अचंभित व चिंतित करती है कि चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ी श्रमशक्ति वाला देश भारत है. कई लोग तो भारत को किसानों और मजदूरों का ही देश कहते हैं. किसान इस मायने में थोड़े खुशकिस्मत हैं कि हाल के वर्षों में उन्होंने कई प्रदेशों में आंदोलनों के रास्ते अपनी ऐसी वर्गीय उपस्थिति दर्ज करा दी है, जो इन चुनाव में भी बनी हुई है. लेकिन मजदूरों की वर्गीय उपस्थिति इतनी भी नहीं है कि किसानों के आंदोलन चलें, तो उनमें खेतिहर मजदूरों की समस्याओं की भी कुछ चिंता कर ली जाए. यह चिंता तब भी नहीं की गयी, जब किसानों द्वारा विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरने के दौर में मजदूर संगठनों ने उनके आंदोलन को पूरा समर्थन दिया था.

मजदूरों की दुर्दशा से ज्यादा चर्चा में तो वे कॉरपोरेट कंपनियां हैं, जिन्होंने इलेक्टोरल बांड की मार्फत विभिन्न दलों को बड़े-बड़े चंदे दिये और अपनी व्यवसाय वृद्धि की. मजदूरों के संदर्भ में तो इस पर भी बात नहीं हो रही है कि वे कितनी बुरी स्थितियों में और कितने जोखिमों के बीच काम करते हैं. यह समस्या सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के साथ है. ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत मजदूरों में 94 प्रतिशत की आय दस हजार रुपये या उससे कम है और इनमें 74 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग से आते हैं. दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्या की दर किसानों की आत्महत्या की दर जितनी ही चिंताजनक है और उनके लिए बढ़ती विकास दर का अर्थ अपनी बढ़ती हुई बदहाली हो गया है. 'एक देश एक राशनकार्ड' के शोर के बीच अलग-अलग राज्यों में मजदूरी में भारी अंतर है क्योंकि हर राज्य यह अपने हिसाब से तय करता है.

चुनाव का माहौल देखकर लगता ही नहीं कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, जब केंद्र सरकार द्वारा 'मजदूरों का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से' संसद से पारित चार श्रम संहिताओं को लागू करने का मुद्दा गर्म था. तब 2019-20 में पारित और 29 'जटिल' केंद्रीय श्रम कानूनों को संशोधित कर और मिलाकर बनीं इन चार संहिताओं (वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020) की प्रशंसा व आलोचना में विभिन्न पक्षों द्वारा ढेरों शब्द खर्च किये जा रहे थे. सत्तापक्ष जहां इन्हें बेहद जरूरी आर्थिक सुधार बता रहा था, वहीं विपक्ष और कई श्रम संगठन इनको 'मजदूरों पर लटकती तलवार' और उनके 'भविष्य के लिए खतरे की घंटी' के रूप में देख रहे थे.

मजदूरों को इन संहिताओं से फिलहाल इतनी ही राहत हासिल है कि इन्हें 2021 में एक अप्रैल से लागू करने जा रही सरकार ने अपना यह निश्चय कोरोना के बहाने टाल दिया है. लेकिन उनके पास ऐसा कोई आश्वासन नहीं है कि नयी सरकार आते ही इन संहिताओं को लागू करने की जुगत में नहीं लग जायेगी. ऐसे में यह चुनाव सुअवसर है कि मजदूर संगठन सत्ता में आने की प्रतिद्वंद्विता कर रहे दलों से यह आश्वासन पाने की कोशिश करें कि उनकी सत्ता में आने की मुराद पूरी हुई, तो वे इन संहिताओं को लागू नहीं करेंगे. लेकिन वे ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे. गत 12 अप्रैल को मैसूर में वामपंथी मजदूर संगठन सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियंस (सीटू) ने अपने अधिवेशन में यह जरूर कहा कि मजदूरों के लिहाज से यह लोकसभा चुनाव बहुत अहम है क्योंकि कॉरपोरेट परस्त सरकारी नीतियों व कानूनों ने उनके समक्ष विषम स्थिति पैदा कर दी है, लेकिन ऐसी नीतियों की अलमबरदार पार्टियों को नकारने की किसी पहल का कोई संकेत नहीं दिया.

एक अध्ययन के अनुसार देश में 41.19 प्रतिशत मजदूर कृषि क्षेत्र में, 26.18 प्रतिशत उद्योगों में तथा 32.33 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में नियोजित हैं. कांग्रेस, भाजपा व वामदलों द्वारा नियंत्रित अथवा स्वतंत्र पांच प्रमुख केंद्रीय मजदूर संगठन हैं- इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस और हिंद मजदूर संघ. इनके 90 प्रतिशत सदस्य संगठित क्षेत्र से आते हैं, जबकि श्रम शक्ति में 90 प्रतिशत की हिस्सेदारी वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का प्रतिनिधित्व बेहद अपर्याप्त है. साफ है कि ये संगठन कुल मजदूरों के चौथाई हिस्से का भी प्रतिनिधित्व नहीं करते. तिस पर विडंबना यह कि उनकी पूंछ मजदूरों के बजाय अपने नियंत्रक राजनीतिक दलों के स्वार्थों से बंधी रहती है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

सूखा झेलती दुनिया में पनबिजली का भविष्य

सौ वर्ष पहले अस्तित्व में आयी हाइड्रो पावर, यानी जल विद्युत या पनबिजली, ऊर्जा के साफ और टिकाऊ स्रोतों में फिलहाल सबसे ज्यादा कारगर है. परंतु इक्वाडोर और कोलंबिया में हाल ही में हुई बिजली की कमी ने दिखा दिया कि यह स्रोत भी जलवायु परिवर्तन की मार से अछूता नहीं है. अल नीनो के प्रभाव के चलते सूखे के हालात ने जल विद्युत संयंत्रों में पानी का स्तर कम कर दिया है. स्थिति यहां तक पहुंच गयी कि इक्वाडोर को आपातकाल की घोषणा करके बिजली कटौती करनी पड़ी. पड़ोसी देश कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में भी पानी की राशनिंग की गयी है और इक्वाडोर को निर्यात की जाने वाली बिजली पर भी रोक लगायी गयी है. जल से ऊर्जा बनाने के लिए पानी की तेज धार को टरबाइन से गुजारा जाता है, जिसके चक्कर खाने की प्रक्रिया से बिजली बनती है. श्रीलंका स्थित अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान में मुख्य रिसर्चर मैथ्यू मैक्कार्टिनी कहते हैं कि हाइड्रो पावर पानी पर निर्भर है, ऐसे में साफ है कि अगर पानी न हो, तो इसका प्रयोग नहीं हो सकता. ऊर्जा उत्पादन में बाधा आती है और बिजली की दूसरी व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ता है. सूखे और अचानक आयी बाढ़ से बांधों को नुकसान पहुंचता है जो जलवायु परिवर्तन के चलते पहले से अधिक भयावह हो चुके हैं और चिंताएं बढ़ा रहे हैं. इक्वाडोर और कोलंबिया अकेले मामले नहीं हैं. हाइड्रो पावर दुनियाभर में अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और पिछले दो दशकों में इसमें 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. परंतु ब्रिटेन स्थित एक एनर्जी थिंक टैंक के अनुसार, 2023 की पहली छमाही में पनबिजली के वैश्विक उत्पादन में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गयी. जलवायु परिवर्तन के चलते सूखे की गंभीर होती स्थिति के चलते पूरी दुनिया में पानी से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा में 8.5 प्रतिशत की कमी आयी है.

-हॉली यंग

Deutsche Welle

बोधि वृक्ष

एकांत का लाभ

अकेला होना करीब-करीब हम भूल चुके हैं. ध्यान रहे, दुनिया में जिन भी श्रेष्ठतम वस्तुओं का जन्म हुआ है, वे सब एकांत में पैदा हुई हैं, भीड़ में नहीं. दुनिया में जिन लोगों ने भी सत्य, सौंदर्य और शिवत्व को जाना है, उन सबने एकांत में जाना है, भीड़ में नहीं. भीड़ ने अब तक कोई महान कार्य नहीं किया है. जो भी महान कार्य हैं वे व्यक्तियों ने किये हैं. और वे सारे कार्य एकांत में पैदा हुए हैं. जो भी महत्वपूर्ण पैदा हुआ है वह व्यक्ति से पैदा हुआ है, भीड़ से नहीं. और व्यक्ति से भी तभी पैदा हुआ है जब वह एकांत में गया है, अकेले में गया है, भीड़ से थोड़ा अपने को उसने मुक्त किया है और दूर हुआ है. परंतु हम सब तो भीड़ की तरफ भागते रहते हैं. यदि तुम्हारे जीवन में एकांत की घड़ियां नहीं हैं, तुम्हारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण बात कभी भी पैदा नहीं हो सकेगी. अकेले होना सीखना चाहिए. ऐसा नहीं कि चौबीस घंटे अकेले रहो. जीवन का काम है, उसमें भीड़ है. पर कुछ घड़ी तो खोज लेनी चाहिए जब तुम बिल्कुल अकेले हो, कोई साथ न हो. उस अकेलेपन में तुम्हें कुछ चीजों का साक्षात्कार होगा. उस अकेलेपन में तुम क्या हो, उसकी अनुभूति होनी शुरू होगी. उस एकांत में ही उस चिंतन को जन्म मिलेगा, जो तुम्हारे जीवन को ऊंचा ले जा सकता है. उस एकांत में ही तुम्हारे भीतर उस आत्मा का जागरण होगा, जो तुम्हें प्रेरणा दे सकती है, गति और शक्ति दे सकती है. अकेले होने में ही तुम्हें विचार होगा कि मैं अपने जीवन को व्यर्थ तो नहीं खो रहा हूं? मैं जो कर रहा हूं, वह व्यर्थ तो नहीं है? जो मेरे जीवन में हो रहा है उसका कोई अर्थ है या नहीं? मेरा जीवन जिस गति से जा रहा है वह उचित है क्या? इन सबका चिंतन पैदा होगा. अपने भीतर की बुराइयां देखने की भी संभावना पैदा होगी. और यदि बुराइयां दिखाई पड़ने लगें, तो उनसे छूटना कठिन नहीं होता है. यदि तुम्हारे जीवन में कुछ श्रेष्ठ है, तो उसे कैसे और बड़ा करें, इसकी भी प्रेरणा मिलेगी. वह तुम्हारा आत्म-निरीक्षण का क्षण हो जायेगा. इसलिए थोड़ी देर एकांत अत्यंत अनिवार्य है.

-ओशो

अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस

श्रम के लिए उचित मुआवजा

देवेंद्रराज सुथार
टिप्पणीकार
devendrakavi1@gmail.com

हर वर्ष एक मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है. यह दिन श्रमिकों के अधिकारों के लिए ऐतिहासिक लड़ाई की याद दिलाता है एवं कार्यस्थल में सामाजिक न्याय और समानता पर जोर देता है. उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दुनियाभर के श्रमिकों को कठिन समय, असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों और कम वेतन का सामना करना पड़ा. इसी कारण विभिन्न देशों में श्रमिक आंदोलनों ने बेहतर कामकाजी परिस्थितियों, उचित वेतन और श्रमिकों के अधिकारों की मान्यता के लिए संगठित होना शुरू कर दिया.

वर्ष 1886 में शिकागो में हेमार्केट मामले ने आधुनिक श्रमिक आंदोलन को उत्प्रेरित किया और इसी के परिणामस्वरूप एक मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मान्यता मिली और दुनियाभर में श्रमिक आंदोलन के प्रयासों को और बढ़ावा मिला. तब से श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष को सफलता मिलती गयी, जिनमें श्रमिक संघों की स्थापना, श्रम कानूनों का कार्यान्वयन और श्रम के लिए उचित मुआवजे जैसे मौलिक अधिकारों की मान्यता शामिल है. हालांकि, श्रमिकों के अधिकारों की लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है. इक्कीसवीं सदी में वैश्विक कार्यबल को नयी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें अनिश्चित रोजगार व्यवस्था और स्वचालन से लेकर स्थिर मजदूरी और श्रम अधिकारों का क्षरण शामिल है. गिग अर्थव्यवस्था के उदय ने एक अनिश्चित परिदृश्य तैयार किया है, जहां नौकरी की सुरक्षा और लाभ की कमी है. इस बीच प्रौद्योगिकी की प्रगति ने नौकरी विस्थापन और कौशल के अवमूल्यन को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. आय असमानता भी गंभीर मुद्दा बना हुआ है. हाल के वर्षों में 15 डॉलर के लिए लड़ाई और जीवनयापन योग्य वेतन के आह्वान जैसे आंदोलनों ने आय असमानता को संबोधित करने और यह सुनिश्चित करने की तात्कालिकता को रेखांकित किया है कि सभी श्रमिकों को उनके श्रम के लिए उचित मुआवजा दिया जाए. कोविड-19 महामारी ने वैश्विक श्रम प्रणालियों के भीतर कमजोरियों और असमानताओं को उजागर कर दिया है.

चूंकि दुनिया स्वचालन और तकनीकी व्यवधान की चुनौतियों का सामना कर रही है, इसलिए श्रमिकों को आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश जरूरी है. नौकरी विस्थापन की स्थिति में आर्थिक स्थिरता के लिए सार्वभौमिक बुनियादी आय जैसे नवीन समाधान तलाशना भी महत्वपूर्ण है. प्रत्येक श्रमिक को महत्व दिया जाना चाहिए, सशक्त बनाया जाना चाहिए और उन्हें वह अधिकार और सुरक्षा दी जानी चाहिए जिनके वे अधिकारी हैं.

आपके पत्र

पशु-पक्षियों के लिए रखें पानी

पूरे प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है. इस बीच तेज पछुआ हवा बहने से आदमी के साथ पशु-पक्षी भी बेहाल हैं. गर्मी के कारण ताल-तलैया सूख गये हैं, जिससे पशु-पक्षियों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है. ऐसे परिस्थिति में लोगों को घर के बाहर, छत य दरवाजे पर पशुओं के लिए पानी रखना चाहिए. इससे भीषण गर्मी पशु-पक्षियों को प्यास बुझाने में आसानी होगी. मनुष्य को अपने साथ वातावरण में पलने वाले पशु-पक्षियों की परेशानियों को समझना चाहिए. जीवों के कल्याण में ही मनुष्य कल्याण संभव है.

सुशील कुमार, सिमरी (दरभंगा)

आत्महत्या की दर में वृद्धि चिंताजनक

इन दिनों युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है. पिछले कुछ वर्षों में भारत में आत्महत्या की दर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. युवाओं की बड़ी आबादी आबादी का एक बड़ा हिस्सा निराशा और अवसाद से ग्रस्त है. लक्ष्य को हासिल करने के पागलपन में उसके अंदर संयम, संतुष्टि और सहन करने की ताकत लगातार घट रही है और जिंदगी से नफरत के भाव बढ़ रहे हैं. शिक्षा, बेरोजगारी, प्रेम जैसे कई मुद्दे हैं, जो युवाओं को आत्महत्या की और उकसाते हैं. आत्महत्या करने वालों में सबसे अधिक किशोर व युवा शामिल हैं.

संदीप कुमार, इमेल से

पोस्ट करें : प्रभात खबर, प्लॉट संख्या डी-9-10, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना (बिहार) - 800013, ■ मेल करें : patna @prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

Wednesday, May 1, 2024
Patna-City
https://epaper.prabhatkhabar.com/clip/6631489d787e9a130520c0ea

संपादकीय

मतदान प्रतिशत में कमी का समाजशास्त्र समझें

सात में से दो चरणों के मतदान के बाद अब साफ हो गया है कि गर्मी और कम मतदान का कोई रिश्ता नहीं है। मौसम विभाग की स्थानीय तापमान रिपोर्ट्स और राज्य व सीट-वार वोटिंग प्रतिशत के आंकड़ों की तुलना से ये स्थिति स्पष्ट हुई है। तमाम कोशिशों के बावजूद पूरी देश में कम मतदान होना राजनीतिशास्त्र या चुनाव विज्ञान से ज्यादा समाजशास्त्र का विषय है। अगर यही ट्रेंड आगे रहा तो वोटर्स की उदासीनता कोई बड़ा संदेश दे रही है और नतीजे चौंका सकते हैं। गहरे समाजशास्त्रीय विवेचन की जरूरत इसलिए है क्योंकि इस चुनाव में राजनीतिक दल शालीनता, स्थापित प्रजातांत्रिक मूल्य और यहां तक कि आपराधिक कानूनों से भी बेपरवाह होकर वोट मांग रहे हैं। जबकि कोशिश मतदाताओं को आम सरोकार के मुद्दों से अपनी ओर खींचने की होनी चाहिए थी। क्या इस किस्म के चुनाव प्रचार से जनता का मतदान के प्रति विश्वास कम हुआ? प्रचार के प्रारम्भ में राम-मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 खत्म करने, कोरोना से बाहर आने, फ्री राशन, विकास के चुनिंदा पैमानों की चर्चा सत्ता पक्ष का मुद्दा बने जबकि राहुल की यात्रा, विपक्ष का गठबंधन, बेरोजगारी, अमीर-गरीब के बीच बढ़ती खाई, विकास में पिछड़े वर्ग की शिरकत व जातिवार जनगणना के बाद संख्या के अनुसार विकास में हिस्सेदारी को विपक्ष ने आगे बढ़ाया। चूंकि चुनाव में जनमत का रुझान एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें एक पक्ष से नाराजगी का घटना-बढ़ना इस बात पर निर्भर करता है कि विकल्प है कि नहीं और अगर है तो अपेक्षाकृत कितना बेहतर। समाजशास्त्रीय विवेचन का विषय यह भी है कि क्या भावनात्मक अतिरेक बार-बार चाक पर नहीं चढ़ता और दूसरी ओर क्या प्रतिबद्ध संगठनात्मक ढांचा न होने से विपक्षी एकता विकल्प बन पाती है। कहीं उदासीनता का कारण साझा प्रत्याशी में वोटर्स की दिलचस्पी कम होना तो नहीं?

सुर्खियों से आगे • शासन धर्मनिरपेक्ष हो यह जरूरी है, पर वह अधार्मिक नहीं हो सकता...

सेक्युलरिज्म क्या है? धर्मनिरपेक्षता कैसी हो?

नवनीत गुर्जर
navneet@dbcorp.in

चुनाव चल रहे हैं।

धर्म, समाज, सब कुछ किसी न किसी रूप में चुनावी गणित के मुख्य किरदार बने हुए हैं।

ऐसे में सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता को समझना जरूरी है।

आखिर ये धर्मनिरपेक्षता क्या है?

अक्सर लोग इसका अर्थ शब्दकोशों में ढूंढते हैं। यह ठीक नहीं। दरअसल, धर्मनिरपेक्षता का संबंध समाज से नहीं, राज्य से है।

शासन से है।

हमारा समाज तो पूरी तरह धार्मिक है, लेकिन शासन या राज्य धर्मनिरपेक्ष होता है।

इस मायने में देखा जाए तो गांधीजी सबसे बड़े हिंदू और मौलाना आजाद बहुत बड़े मुसलमान थे, लेकिन दोनों ही धर्मनिरपेक्ष थे।

कुल मिलाकर धर्मनिरपेक्षता का मतलब अधार्मिक होना या किसी धर्म को न मानना कतई नहीं है।

मोटे तौर पर धर्म एक तरह की जीवन-शैली है। यह अंधे का हाथी भी नहीं कहा जा सकता और रिलीजन जैसे शब्द में सीमित या समाहित भी नहीं हो सकता।

हिंदुस्तान में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं लेकिन धार्मिक होने के बावजूद ये लोग एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं, जिसमें शांति, भाईचारा और आपसी एकता हो। यहीं शासन की भूमिका स्पष्ट होती है।

कोई राज्यसत्ता या स्टेट या शासन धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) हो यह तो जरूरी है, लेकिन वह अधार्मिक नहीं हो सकता है।

शासन इस तरह धर्मनिरपेक्ष हो सकता है कि वह एक धर्म को दूसरे पर हावी न होने दे। सभी धर्मों का बराबर यानी समान आदर करे।

और यदि कभी दो धर्मों में टकराव हो तो शासन दोनों से बराबर दूरी बना ले और फिर अपना निर्णय सुनाए।

इन्हीं संदर्भों में हमारा राज्य या शासन धर्मनिरपेक्ष हो सकता है।

यहां समाज की धर्मनिरपेक्षता के बजाय शक्ति के धर्मनिरपेक्षीकरण की बात ज्यादा प्रासंगिक है।

इस परिप्रेक्ष्य में महान राजनीतिज्ञ अटल बिहारी वाजपेयी के मुताबिक सेक्युलरिज्म को धर्मनिरपेक्ष की बजाय सर्वधर्म समभाव कहें तो ज्यादा बेहतर होगा।

इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में सेक्युलरिज्म की परिभाषा उपयोगितावादी नैतिकता के रूप में की गई है,

भारत के बहुलतावाद का तकाजा है धर्मनिरपेक्षता

भारत में सेक्युलरिज्म का जन्म चर्च तथा राज्य के संघर्ष के कारण नहीं हुआ। इसकी जड़ें उसके अपने इतिहास तथा संस्कृति में विद्यमान हैं। हो सकता है वह भारत के बहुलतावाद का ही तकाजा हो।

जिसकी अभिकल्पना मानव जाति के भौतिक, आध्यात्मिक और नैतिक सुधार के लिए की गई हो। और जो धर्म के आस्तिकता संबंधी पक्ष की न तो पुष्टि करता हो और न ही उसका खण्डन करता हो।

इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस में इसकी परिभाषा ज्ञान का स्वायत्त क्षेत्र स्थापित करने के ऐसे प्रयास के रूप में की गई है, जो अलौकिक हो और तमाम पूर्व धारणाओं से मुक्त भी।

ए.आर. ब्लैकशीड ने पश्चिम में सेक्युलरिज्म की सीमाओं को नियत करने का प्रयास किया था। उनके अनुसार सेक्युलरिज्म का अर्थ धार्मिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता, हेतुवाद, भौतिकवाद और मानववाद आदि विचारों के प्रति आदर माना जा सकता है।

डोनाल्ड यूजीन स्मिथ ने भारतीय संदर्भ में सेक्युलरिज्म की जो परिभाषा दी, उसके अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो धर्म की व्यक्तिगत तथा समवेत स्वतंत्रता प्रदान करता है।

जो न तो किसी धर्म का प्रचार करता है और न ही उसमें हस्तक्षेप करता है।

पश्चिम के विपरीत, भारत में सेक्युलरिज्म का जन्म किसी चर्च तथा राज्य के परस्पर संघर्ष के कारण नहीं हुआ। इसकी जड़ें संभवतया भारत के अपने इतिहास तथा उसकी अपनी संस्कृति में विद्यमान हैं।

हो सकता है कि वह भारत के बहुलतावाद का ही तकाजा हो। या हो सकता है इसके पीछे संविधान निर्माताओं की यह इच्छा रही हो कि वे संख्या के भेदभाव के बिना, सभी समुदायों के प्रति न्यायोचित तथा निष्पक्ष व्यवहार करें।

प्रेरणा

टालमटोली आसान चीजों को कठिन बना देती है और कठिन चीजों को और भी कठिन। - **मेसन कूली**, अमेरिकी लेखक

जीने की राह

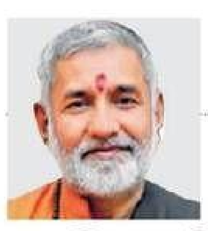

पं. विजयशंकर मेहता
ptvijayshankarmehta.com

अनियंत्रित आदतें हमारी ऊर्जा निचोड़ लेती हैं

मरते हुए रावण से लक्ष्मण जी ने एक सवाल पूछा था- राक्षस राज, क्या आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गईं? तब रावण ने कहा था, रामानुज, इच्छाएं कब किसकी पूरी होती हैं? एक मिटाओ, दूसरी पैदा हो जाती है। इच्छाओं का मुंह मोड़ना पड़ता है। अगर संसार की ओर मुड़ जाएं तो आसक्ति, ईश्वर की ओर मुड़ जाएं तो भक्ति। हम मनुष्यों के भीतर अभिलाषा यानी इच्छा होना स्वाभाविक है और संसार में रहना है तो इस अभिलाषा को आकांक्षा में बदलना पड़ेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रबल इच्छा का नाम ही महत्वाकांक्षा है। और यदि आपको अपनी आकांक्षा को पूरी करना है, तो अपनी ऊर्जा बचाएं। हमारी आदतें अगर अनियंत्रित हैं, तो वो ऊर्जा को पी जाएंगी। आदतों का मतलब होता है लगातार की जाने वाली गतिविधि। दूसरा स्वभाव होता है, जैसे राम जी की आदत थी कि वो किसी की निंदा नहीं करते थे, लेकिन उनका स्वभाव था कि वो किसी को दुखी भी नहीं करते थे। जब हम अपनी महत्वाकांक्षा की यात्रा पर हों, तो उन जगह पर काम करें जहां ऊर्जा समाप्त हो सकती है। पहला किसी से झगड़ा नहीं करें, दूसरा कोई भी काम हड़बड़ी में ना करें, तीसरा कभी किसी की निंदा ना करें, और चौथा अपनी महत्वाकांक्षा की यात्रा में भोग-विलास में न डूबें। अगर कुछ सोचा है तो उसे पूरा जरूर करें।

• Facebook: Pt. Vijayshankar Mehta

अर्थात् • 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रहे, मगर आबादी का उच्चतम खर्च दुनिया में न्यूनतम खर्च के बराबर है

जीडीपी ग्रोथ के फायदे लोगों तक तो नहीं पहुंच रहे हैं

अंशुमान तिवारी
मनी-9 के एडिटर
anshuman.tiwari@tv9.com

फिल्म मैट्रिक्स का वह मशहूर दृश्य याद है आपको, जिसमें मॉर्फियस, निओ के सामने लाल और नीली गोलियों में एक को चुनने का विकल्प रखते हैं। मॉर्फियस निओ से कहते हैं नीली यानी मायावी दुनिया में जीना, लेकिन अगर लाल गोली लेते हैं तो वास्तविकता से मुकाबला होगा। आगे जो आंकड़े आप पढ़ेंगे, उनसे आपको भी मैट्रिक्स की रेड पिल वाली अनुभूति हो सकती है।

क्या आपको पता चला कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे जरूरी आंकड़े नुमायां हो गए हैं और वह भी करीब ग्यारह साल के बाद? ये भारत में परिवारों के उपभोग खर्च सर्वे के आंकड़े हैं। नौकरी, कारोबार, निवेश के लिए यह सबसे जरूरी हैं, क्योंकि इनसे पता चलता है कि लोग खाने, शिक्षा, इलाज पर कहां, कितना खर्च कर रहे हैं। कौन कितना गरीब है, किसे मदद की जरूरत है। किस उत्पाद या सेवा के उत्पादन को बढ़ना चाहिए ताकि मांग बढ़ने पर महंगाई न आए।

एनएसएसओ 1972 से हर पांच साल में भारतीय परिवारों की खपत-खर्च के आंकड़े जारी करता आ रहा है। 2017-18 में आए सर्वे को सरकार ने रद्द कर दिया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय से जारी सर्वेक्षणों में एक है। यह सर्वे अगस्त 2022 और जुलाई 2023 के बीच किया गया था, जिसमें 2.62 लाख परिवार (1.5 लाख ग्रामीण) शामिल थे।

2023-24 का सर्वे 11 साल बाद आया है। यानी एक दशक में पहली बार हमें पता चल रहा है कि देश के सामान्य परिवारों की आर्थिक तस्वीर कैसी है। इन दस सालों में ही नोटबंदी हुई, जीएसटी आया और कोविड की महामारी फैली। इन तीनों से रोजगारों, कारोबारों और कमाई पर बड़ा असर पड़ा है। सर्वे बता रहा है बीते ग्यारह साल में अर्थात 2011-12 के बाद प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च में 146 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। शहरी और ग्रामीण परिवारों का खपत-खर्च करीब-करीब 13 प्रतिशतांक कम हुआ।

प्रतिशत पर न जाइए, हकीकत में 2022-23 गांवों में मासिक प्रति व्यक्ति खपत (एमपीसीई) केवल 3773 रु. प्रति माह थी। जबकि शहरों में 6459 रु.। महंगाई को लेकर हमारी समझ को इस तथ्य से झटका लगता है कि गांवों में 46 फीसदी खर्च खाने पर था और शहरों में 39 फीसदी। गांवों को खाद्य महंगाई ज्यादा सताती है। गांव में खाने पर खर्च 50 फीसदी से नीचे आया है यानी कपड़ा, मोबाइल, ईंधन, बिजली पर खर्च बढ़ा है। इनकी महंगाई भी कुछ कम नहीं। गांव और शहर दोनों ही जगह परिवहन और इलाज पर खर्च बढ़ा है। मगर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और प्रसाधन पर खर्च 11 साल में जस का तस है, जो चौंकाने वाला तथ्य है।

ग्रामीण इलाकों में शीर्ष 5 फीसदी लोगों की मासिक प्रति व्यक्ति खपत 10501 रु. है। सरकारी सर्वे के अनुसार यह गांवों में सबसे फलते-फूलते लोगों का हाल है। इनका खर्च

क्या हमें जवाब मिलेगा?

जीडीपी और विकसित भारत के तमाम ख्वाब तो हमें पकड़ा दिए गए, मगर इस बात की पैमाइश नहीं थी कि बीते दस साल में भारतीयों की जिंदगी कितनी बदली और लोग कितना खर्च करने की हालत में हैं। अब आंकड़े आ गए हैं। क्या हमें निजाम से जवाब मिलेगा?

प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च के ग्रामीण पिरामिड में सबसे नीचे वालों से करीब आठ गुना ज्यादा है। सबसे निचले पांच फीसदी का मासिक खपत खर्च 1373 रु. है। शहरों के पिरामिड में शीर्ष पर बैठे पांच फीसदी लोगों का मासिक प्रति व्यक्ति खर्च करीब 20824 रु. है, जो शहरों के सबसे निचले पांच फीसदी लोगों के मासिक खर्च यानी 2001 रु. का 10.4 गुना है। शहरों में सबसे ऊपर वालों का खर्च गांवों में सबसे ऊपर वालों का दोगुना है।

इन आंकड़ों की रोशनी में जीडीपी की पैमाइश नकली लगने लगती है। अब बीते तीन उपभोक्ता खपत सर्वेक्षण 2004-05, 2011-12 और 2022-23 हमारे सामने हैं। जो बताते हैं कि भारत में 2004 के बाद से खपत-खर्च में लगातार सुस्ती है। जीडीपी का आकार 20 साल में तीन गुना बढ़ गया, पर उपभोग खर्च का हिस्सा जीडीपी में 2004 में 60 फीसदी से घटकर 2023 में 58 फीसदी पर आ गया। ग्रोथ के फायदे किसे मिल रहे हैं? बीते दस साल में असंख्य योजनाओं में लोगों तक भारी पैसा पहुंचने के दावे किए गए, मगर खपत-खर्च का यह हाल क्यों है? 2004 में जितनी आबादी सरकारी अनाज, दवा, इलाज आदि मदद की मोहताज थी, अब उसे कहीं ज्यादा लोग सरकार के मोहताज हैं। सवाल बहुतेरे हैं।

विश्व बैंक दुनिया में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खपत खर्च की नापजोख करता है। इस फार्मूले के आधार पर लोगों के खर्च को न्यूनतम, मध्यवर्ती और उच्च वर्ग में बांटा जाता है। डॉलर और रुपए के गणित के मुताबिक विश्व बैंक के हिसाब से मासिक न्यूनतम खर्च बनता है 7470 से 21015 रु.। मध्य में आते हैं हर महीने 21015 से 57344 रु. खर्च करने वाले। और उच्च वर्ग में आते हैं करीब 57344 रु. से ज्यादा मासिक खर्च वाले लोग।

सरकार के उपभोक्ता सर्वे के अनुसार 2022-23 गांवों में मासिक प्रति व्यक्ति खपत (एमपीसीई) 3773 रु. प्रतिमाह थी, जबकि शहरों में 6459 रु.। यानी हम पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं, मगर हमारी अधिकांश आबादी का उच्चतम खर्च दुनिया में न्यूनतम खर्च के बराबर है।

हैरत होनी चाहिए कि जीडीपी और विकसित भारत के तमाम ख्वाब तो हमें पकड़ा दिए गए, मगर इस बात की पैमाइश नहीं थी कि बीते दस साल में भारतीयों की जिंदगी कितनी बदली और लोग कितना खर्च करने की हालत में हैं। अब आंकड़े आ गए हैं, मैट्रिक्स की लाल गोली निगलनी पड़ी है। क्या निजाम से जवाब मिलेगा?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

वेब भास्कर

धूप सेंकती लेपर्ड सील : आराम की मुद्रा में भी शिकार पर नजर रखती है

धूप सेंकने के साथ अपने शिकार पर निगाहें जमाए लेपर्ड सील की यह परफेक्ट तस्वीर खींची है पॉल निकलेन ने। पॉल अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फोटोग्राफर हैं। वह कहते हैं कि बर्फ पर लेटी सील और नीचे पानी में दिखता उसका अक्स तस्वीर को बेहद खूबसूरत बना रहा था। उनींदी अवस्था में भी लेपर्ड सील मुस्तैद है। वह बताते हैं कि लेपर्ड सील का शरीर इस तरह से बना होता है कि अंटार्कटिका में जमा देने वाली बर्फ भी सहन कर लेता है। पॉल ने अंटार्कटिका में यह तस्वीर नेशनल जियोग्राफिक के एक असाइनमेंट के लिए खींची थी।

तस्वीर साभार : Paul Nicklen

हेल्थ • जिन्हें कोविशील्ड टीका लगा, वे चिंतित न हों

वैक्सीन को लेकर जताई जा रही आशंकाएं कितनी सच हैं

डॉ. चन्द्रकांत लहारिया
जाने माने चिकित्सक
c.lahariya@gmail.com

फरवरी 1998 में प्रतिष्ठित पत्रिका 'द लांसेट' ने एमएमआर वैक्सीन को ऑटिज्म से जोड़ने वाला एक अध्ययन प्रकाशित किया। लोग अपने बच्चों के टीकाकरण को लेकर सशंकित हो गए और यूरोप के कई देशों और दुनिया के अन्य हिस्सों में एमएमआर वैक्सीन कवरेज में बड़ी गिरावट आई। एक दशक बाद खुलासा हुआ कि 'द लांसेट' में छपे अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉ. एंड्रयू वेकफील्ड ने फर्जी डेटा का इस्तेमाल करके वित्तीय लाभ उठाया था। फरवरी 2010 में उस पेपर को प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि बीच के 12 वर्षों में खासी क्षति हुई और कई बच्चे ऐसी बीमारियों से पीड़ित हुए, जिन्हें एमएमआर टीकों द्वारा रोका जा सकता था। उससे भी बड़ी समस्या उभरकर आई कि लोग टीकों की बारे में भ्रांतियां फैलाते हैं, जिससे दुनिया भर में जनता में टीकों को लेकर झिझक पैदा होती है। 2019 की शुरुआत में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन हिचकिचाहट को दस बड़ी वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बताया था।

कोविड-काल में हमने टीकों के बारे में कई अफवाहें सुनी थीं। यही कारण था कि शुरुआत में टीकों का कवरेज कम रहा। टीकों को लेकर झिझक की जड़ में गलत सूचना और कभी-कभी गलतफहमी होती है। टीकों के लाभ सिद्ध और ज्ञात हैं। वे संक्रमण और बीमारियों को रोकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अस्पताल में भर्ती होना और मौतें घटती हैं। पिछली दो शताब्दियों में टीकों ने करोड़ों बच्चों व वयस्कों को बीमारियों से बचाया है।

टीके सुरक्षित होते हैं लेकिन पूरी तरह जोखिम मुक्त नहीं। इस तरह का जोखिम किसी भी दवा के साथ हो सकता है। पेरासिटामोल को सबसे सुरक्षित दवाओं में से एक माना जाता है, लेकिन यह भी लीवर या किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि दवाएं बीमार लोगों को दी जाती हैं, इसलिए वो इससे जुड़े जोखिम को स्वीकार करने के अधिक इच्छुक होते हैं। जबकि टीके स्वस्थ व्यक्तियों को दिए जाते हैं। यही कारण है कि टीकों को अधिक से अधिक सुरक्षित बनाने के प्रयास किए जाते हैं। टीके तभी लगाए जाते हैं, जब इनके फायदे अधिक माने जाते हैं।

एस्ट्राजेनेका कंपनी द्वारा निर्मित वैक्सीन- जिसे भारत में कोविशील्ड के रूप में उत्पादित किया गया है- द्वारा ब्रिटेन की अदालत में यह स्वीकार किया गया है कि वैक्सीन में रक्त के थक्के जमने के दुर्लभ दुष्प्रभाव हैं। यह नया खुलासा नहीं है। लाइसेंस के बाद से ही यह पाया गया कि इस टीके के परिणामस्वरूप टीटीएस (थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम) और वीआईटीटी (वैक्सीन-प्रेरित इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसायटोपेनिया) जैसे दुर्लभ प्रभाव हो सकते हैं। टीटीएस को 30 वर्ष से कम उम्र के लोगों में अधिक

सभी देशों को टीकों के लाभों को वयस्कों, बुजुर्गों और पहले से मौजूद बीमारियों वाले लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। टीकों से संबंधित खबरों को परिप्रेक्ष्य में रखकर भ्रांतियों को दूर करना भी जरूरी है।

देखा गया था। ये मामले यूरोपीय देशों में अधिक थे। विशेषज्ञों का मानना था कि इन दुर्लभ प्रतिकूल घटनाओं के साथ कुछ जातीय संबंध थे। ये जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा निर्मित एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन में भी देखे गए थे। इन सभी को पिछले तीन वर्षों में वैज्ञानिक जर्नल्स में नियमित रूप से छापा गया है।

लोगों के मन में सवाल हैं कि क्या भारत में दिल के दौरे जैसी घटनाओं का वैक्सीन से होने वाली क्लॉटिंग से सम्बन्ध हो सकता है? संक्षेप में जवाब यह है कि ऐसी आशंका बहुत कम है। भारत में हुए स्वतंत्र वैज्ञानिक और एपिडेमियोलॉजिकल डाटा में इन टीकों और दिल के दौरों में कोई सम्बन्ध नहीं मिला था। ऐसे में जिन्हें कोविशील्ड वैक्सीन लगी, उन्हें चिंतित होना चाहिए? बिलकुल नहीं। टीकों से जुड़े कोई भी दुर्लभ और गंभीर दुष्प्रभाव अधिकतर पहला टीका लगने के बाद और 30 मिनट के भीतर और अधिक से अधिक कुछ दिनों और सप्ताह के भीतर होते हैं। अब कोविड के टीके लग नहीं रहे हैं। कारण इतना है कि फिलहाल कोविड एक गंभीर बीमारी नहीं है और इन टीकों की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो उन टीकों को फिर इस्तेमाल किया जाएगा। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

डिफ्रेंट एंगल • फोन से ध्यान हटाकर दिन में पांच मिनट, पूरे दिल से किसी की बात सुनें

क्या स्क्रीन की दुनिया में असली सुकून मिल सकता है?

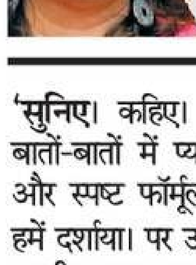

रश्मि बंसल
लेखिका और स्पीकर
mail@rashmibansal.in

'सुनिए। कहिए। कहिए। सुनिए। कहते सुनते बातों-बातों में प्यार हो जाएगा'। कितना सुंदर और स्पष्ट फॉर्मूला, एक पुराने फिल्मी गीत ने हमें दर्शाया। पर उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि चालीस साल बाद क्या हाल होगा। चाहे बड़ा हो या बच्चा, हर कोई आजकल बहरा बनकर घूम रहा है। आपने देखा ही होगा, ट्रैफिक के बीचों-बीच एक भाईसाहब आराम से क्रॉस कर रहे हैं। हॉर्न बज रहे हैं, उन्हें कोई सुध नहीं। कान में बड्स, हाथ में फोन; पांव जमीन पर ऑटो-मोड में चल रहे हैं। मानो जीता-जागता इंसान हॉरर फिल्म वाला जॉम्बी बन गया हो।

आप रिक्शे में बैठते हो, घर का पता बताकर। आपकी नजर पड़ती है ड्राइवर के फोन पर कि मैप लगाया या नहीं। भाई, वो तो ड्राइविंग करते हुए गेम खेल रहा है। एक तरफ साइकिल, दूसरी तरफ ट्रक, बीच में गाय-बैल भी आ सकती है। अपने देश में वाहन चलाना वीडियो गेम से कम नहीं। अब दिल में धक-धक हो रही है। रिक्शे ने शार्प टर्न लिया तो मुंह से निकल ही गया, भाईसाब, जरा सड़क पर ध्यान दीजिए। कोई जवाब नहीं तो आपने भी कान में बड्स लगाए, पत्नी को वीडियो-कॉल किया। अपनी दास्तां सुनाकर दिल हल्का किया। चलो, घर न भी पहुंचे तो अंतिम दर्शन तो दे दिया।

वैसे जब आप घर पहुंचोगे तो सन्नाटा मिलेगा। हर कोई मोबाइल में व्यस्त होगा। आप भी वाट्सएप ग्रुप्स में फालतू मैसेज पढ़कर, थोड़ा झगड़ कर टाइम पास कर लेते हो। एक समय था जब टीवी के रिमोट के लिए झगड़े होते थे। क्रिकेट देखना है या सीरियल। लेकिन कम से कम एक कमरे में साथ बैठकर, थोड़ी चिलम-चिल्ली होती थी। डिनर टेबल पर इधर-उधर की बातें। अब कुछ कहना है तो उंगलियों की कसरत कीजिए। वाट्सएप पर मैसेज कीजिए।

ये अलग बात है कि टाइप किए गए मैसेज में सिर्फ शब्द हैं, भाव नहीं। इसलिए अक्सर लोगों के बीच गलतफहमियां हो जाती हैं। फिर, किसी ने ईजाद की इमोजी। ताकि आप गुस्से में कुछ भी बक डालो लेकिन अब एक-दो स्माइली। सामने वाला चकरा जाए, सीरियस है या मजाक। टाइपिंग... डिलीट...टाइपिंग... उफ्फ!

वैसे जिस दिन से बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है उसकी एक ही मांग है- मुझे देखो, मुझे सुनो। जब वो रोता है, तो मां भागकर उसे पालने में से उठाती है। उसकी भूख-प्यास मिटाती है। पर जैसे-जैसे वो बड़ा होता है मां का ध्यान और चीजों पर जाने लगता है। अब उसे इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। कोई मुझे सुने, कोई मुझे देखे- इसी को अंग्रेजी में कहते हैं 'गिविंग अटेंशन'। जब सिर्फ आपका कान नहीं, आपकी रूह किसी की बात सुनती है। गहराई से उनके साथ कनेक्शन बनता है। चाहे दो या पांच मिनट ही सही, लेकिन एक अजीब सा सुकून दोनों को महसूस होता है।

आज सोना-चांदी नहीं, 'अटेंशन' दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है। हर कोई इसे पाने के लिए आपको लालच दे रहा है। हम आपका मन बहला देंगे, हमारा वीडियो देखो। हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारा माल खरीदो।

लेकिन क्या स्क्रीन की दुनिया में हमें असली सुकून मिल सकता है? वो प्यार, वो अपनापन जिसके लिए हम तरसते हैं; पास वाले से नजर फेर कर, फॉरवर्ड पर हंसते हैं। पति-पत्नी एक ही सोफे पर अपने-अपने फोन में, शायद भूल गए हम आपके कौन हैं। ऑनलाइन गुरु जीने का ज्ञान दे रहे हैं, हमारा जीने का कीमती वक्त ले रहे हैं। ये सौदा हमारे नुकसान का ही है, करते रहो आप इंटरनेट की जय। स्क्रीन से थोड़ी आंख हटाएं, यूं ही लोगों से बतियाएं। कुछ अपने, कुछ पराए, रिश्तों की डोर में बंध जाएं। दिन में पांच मिनट, सिर्फ पांच मिनट, पूरे दिल से किसी की बात सुनिए। चाहे घर में या ऑफिस में, ये राह चुनिए। क्योंकि अटेंशन आज दुनिया का सबसे कीमती उपहार है, जिसमें झलकता आपका प्यार है। देर मत कीजिए, पहला कदम आप ही लीजिए। स्माइली चेहरे पर लाइए, ऑफ्लाइन हो जाइए। **(ये लेखिका के अपने विचार हैं)**

https://t.me/AllNewsPaperPaid

पूर्वोत्तर क्षेत्र
समस्या समाधान के प्रयास

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र लंबे समय से विद्रोह, आंतरिक टकराव तथा उन चुनौतियों का सामना कर रहा है जो जटिल इतिहास, भौगोलिक अलगाव तथा केन्द्र सरकारों द्वारा लगातार कथित 'अनदेखी' से गंभीर हुई हैं, लेकिन इनसे निपटने के प्रयास जारी हैं। यहां प्रमुख समस्या उसकी सीमाओं के भीतर होने वाले आंतरिक टकराव हैं। इसके अनेक कारण हैं जिनमें नस्ली तनाव से लेकर संसाधनों पर विवाद तक शामिल हैं जिनसे हिंसा और विस्थापन के दुष्चक्र पैदा हुए हैं। चीन और दक्षिणपूर्व एशिया से निकट होने के रणनीतिक महत्व से यह प्रतियोगी भू-राजनीतिक हितों के टकराव वाला क्षेत्र रहा है। इससे स्थिति और जटिल होती है। परंपरागत रूप से पूर्वोत्तर में टकराव को भारतीय मुख्यभूमि से जुड़ाव में कमी, निवासियों के बीच कबीलाई व सामुदायिक मतभेद तथा असम सब-डिवीजन में विभाजक रेखाओं से हवा मिलती रही है। इसके साथ ही बाहरी शक्तियां, जैसे चीन, म्यांमार और बांग्लादेश भी यहां अपनी भूमिका निभाती हैं। इस क्षेत्र की समस्याओं के अनेक कारण हैं जो अशांति के रूप में दिखते हैं। अतीत में आर्थिक विकास तथा ढांचागत विकास में कमी से लोगों में हाशियाकरण और वंचना की भावना पैदा हुई जिससे 'विद्रोही आंदोलनों' को निराश नौजवानों को भर्ती करने का मौका मिला। इसके साथ ही खासकर म्यांमार और बांग्लादेश से सटी इस क्षेत्र की सीमाओं पर आवागमन से विद्रोही समूहों को यहां अपने अड्डे बनाने तथा हमारे सुरक्षा बलों पर हमलों का मौका मिला है। बाहरी कारकों द्वारा सीमापार से घुसपैठ तथा विद्रोही समूहों को समर्थन से भारत की सुरक्षा अवस्थापना को लगातार चुनौती मिलती रही है।

पूर्वोत्तर की समस्यायें देश की स्वतंत्रता के बाद से ही गंभीर होती रहीं, लेकिन उन पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि, पिछले एक दशक से केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर की समस्याओं के आमूल समाधान पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृह मंत्री तथा अनेक केन्द्रीय मंत्रियों ने इस क्षेत्र का बार-बार दौरा कर विकास परियोजनाओं को गति दी है जिससे इस क्षेत्र की जनता अब स्वयं को बाकी भारत की तरह विकास और प्रगति में भागीदार मानती है। केन्द्र सरकार के प्रयासों से पूर्वोत्तर के विभिन्न 'विद्रोही' समूहों से बातचीत कर उनको मुख्यधारा में लाने में सफलता मिली है। म्यांमार से 'घुसपैठियों' और हथियार तस्करों के प्रवेश पर लगाम लगाने के लिए सीमा पर भारत-बांग्लादेश सीमा की तरह बाड़बंदी की जा रही है। पूर्वोत्तर में दशकों से जारी अशांति के कारण वहां सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून-अफस्पा लागू रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में इसके क्षेत्र में लगातार कमी की गई है। पिछले महीनों में केवल मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच टकराव की बड़ी घटना सामने आई है, लेकिन फिलहाल स्थिति शांत है। मणिपुर की समस्या के पीछे 'घुसपैठियों' द्वारा सरकारी जमीनों, वनभूमि तथा बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की जमीनों पर अवैध कब्जा था। इसे म्यांमार से आने वाले हथियार तस्करों और नशे के व्यापारियों ने और गंभीर बनाया था। राज्य सरकार ने कड़ाई से जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ न केवल अभियान चलाया, बल्कि वह कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण करने में भी सफल रही। पूर्वोत्तर राज्यों में असम विकास की नई बुलंदियां छू रहा है और यह अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आदर्श बन गया है। वर्तमान लोकसभा चुनाव में पूर्वोत्तर की जनता ने भारी मतदान कर न केवल भारतीय लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास प्रकट किया है, बल्कि उसका देश के साथ ही अपने विकास के प्रति विश्वास भी बढ़ा है।

युवाओं का राजनीति से अलगाव

बड़ी संख्या में मतदाता युवा पीढ़ी के हैं। लेकिन चुनाव प्रक्रिया से उनका अलगाव चिन्ता का विषय है। उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए अनिवार्य मतदान जैसे प्राविधान लागू करने पर विचार होना चाहिए।

प्रफुल्ल गोराडिया
(लेखक, पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं)

देश में वर्तमान समय में बड़ी संख्या में मतदाता युवा पीढ़ी के हैं। लेकिन व्यापक रूप से राजनीति तथा उसका अभिन्न अंग मानी जाने वाली चुनाव प्रक्रिया से उनका अलगाव चिन्ता का विषय है। भारतवर्ष का संबंध अधिकाधिक उसके युवा नागरिकों से है। ऐसे में यह तथ्य चिन्ताजनक है कि हाल ही में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके युवा बड़ी संख्या में मतदान प्रक्रिया से बाहर हैं। इन मतदाताओं में से बहुत कम ने ही मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण कराया है। देश का संबंध उन युवाओं से अधिक मजबूत है जिनकी औसत आयु 18 वर्ष है। देश में पिछले लगभग 60 साल में 12 आम चुनाव हुए हैं। मोटेतौर से कहा जाए तो आज पांच साल का बच्चा अपने जीवनकाल में पांच व संभवतः 6 आम चुनाव देखेगा। देश की यह युवा पीढ़ी अपने साथ देश का भविष्य निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। लेकिन इस युवा पीढ़ी में 18 वर्ष की मतदान योग्य आयु प्राप्त करने पर मतदान करने की इच्छा तुलनात्मक रूप से काफी कम है।

देश की सर्वाधिक संख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में मतदान योग्य आयु वाले केवल 25 प्रतिशत नौजवानों ने मतदाताओं के रूप में अपना पंजीकरण कराया है। ऐसे में इसके कारणों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आखिर क्या कारण है कि इस पीढ़ी में अपने देश का संचालन करने की इच्छा की कमी है? क्या अधिकांश युवाओं को उम्मीद है कि सरकारी प्रतिनिधि उनसे पुरानी 'माई बाप' शैली में संपर्क करेंगे? अथवा क्या उनको उम्मीद है कि राजनीतिक पार्टियों में उनके वोट प्राप्त करने के लिए ज्यादा प्रतियोगिता नहीं होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि युवा पीढ़ी में पूरी राजनीतिक प्रक्रिया और स्वयं लोकतांत्रिक संस्था के प्रति एक अनिच्छा वाली स्थिति पैदा हो गई है? पिछले वर्षों में देश में युवाओं की बड़ी संख्या ने विश्वास कर लिया है कि सत्ता में चाहे जो आए, उससे उनके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका कारण संभवतः यह है कि देश में राजनेताओं की बड़ी संख्या को ऐसे वर्ग के रूप में देखा जाता है जो केवल अपने हित में ही काम करते हैं। लेकिन इस प्रकार की संदेहवादी भावना अपने मन में पालने वाले युवा भूल जाते हैं कि अपनी निष्क्रियता से वे राष्ट्र के संचालन में अपनी इच्छा प्रकट करने का अधिकार खो देते हैं।

हालांकि, बड़ी संख्या में युवाओं में राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने तथा देश के जीवन में सार्थक भूमिका निभाने की इच्छा उस सीमा तक बलवती नहीं है जिसकी वर्तमान समय में आवश्यकता है। देश में स्वतंत्रता के लगभग पचास साल पहले से ही राजनीतिक प्रकृति का सार्वजनिक जीवन रहा है। इसकी शुरुआत सेवानिवृत्त ब्रिटिश नौकरशाह एलेन आक्टावियन ह्यूम द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना से हुई थी। इसी प्रकार मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, हिंदू महासभा की 1916 में तथा कम्युनिस्ट पार्टी की 1925 में हुई थी। इस प्रकार भारतीयों को राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में प्रवेश का अवसर मिला था। इसके पीछे सत्ता प्राप्त करने का उद्देश्य न होकर, एक आदर्शवाद-संचालित इच्छा थी कि देश को आजाद कराना है। लेकिन विडंबना है कि इसके कुछ ही समय बाद निराशा की भावना फैलने लगी तथा शुरुआती आदर्शवाद में तेजी से कमी आई। आदर्शवाद में इस कमी के साथ ही देश के नैतिक व सामाजिक मूल्यों में पतन भी दिखने लगा। ऐसे में यह सवाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि क्या निराशा की इस भावना के पीछे राजनेताओं की गुणवत्ता के प्रति निराशा थी? निश्चित रूप से सभी पार्टियों में ऐसे सदस्य नहीं थे जो समाज के शिक्षित व ज्ञानवान तबकों से आते हों। लेकिन अतीत की तुलना में वर्तमान समय में काफी परिवर्तन आया है। देश की वर्तमान केन्द्र सरकार पहले शासन कर चुकी सरकारों की राजनीतिक अवस्थापना की तरह अधकचरी तथा अनिर्णय की शिकार नहीं है।

हालांकि, वर्तमान केन्द्र सरकार भी अभी राजनेताओं व राजनीति के प्रति जनता में व्याप्त निराशावादी भावनाओं का पूरी तरह निराकरण करने में सक्षम नहीं हुई है और जनता के बड़े हिस्से में पहले से व्याप्त भावनाओं ने जड़ें जमा रखी हैं। लेकिन इसके बावजूद उसने पिछले दशक में काफी परिवर्तन किया है और आज यह कहना उचित नहीं होगा कि अच्छे लोगों की राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। राजनीति में दिलचस्पी लेने वालों की संख्या बढ़ी है तथा अच्छे लोग राजनीति में आने लगे हैं। हाल के वर्षों में अनेक अकादमिक और पेशेवर रूप से सक्षम लोग राजनीति में आए हैं और उनमें से कुछ मंत्री भी बने हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में अनेक पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह तथा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ मंत्री बने हैं और उन्होंने अतीत के अनेक राजनेताओं की तुलना में बहुत अच्छा काम भी किया है। लेकिन स्पष्ट रूप से अभी हमें इस दिशा में काफी लंबी यात्रा करनी है।

किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति तथा चुनाव लड़ने के भारी खर्च भी निराशा के कारण हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि इस समस्या का काफी समाधान चुनाव क्षेत्रों के नए परिसीमन से हो जाएगा। इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि होगी। इसके साथ ही चुनाव लड़ने पर आने वाला भारी खर्च भी चिन्ता और अधिकांश लोगों में निराशा का कारण है। इसके चलते कोई आम आदमी हर निर्वाचन क्षेत्र में लगभग दो मिलियन मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए बहुत अधिक पैसा नहीं खर्च कर पाता है। यह भी स्पष्ट है कि केवल परिसीमन तथा सीटें बढ़ाने से चुनाव खर्च की समस्या हल नहीं होगी।

अमीर उम्मीदवारों के राजनीति के प्रति आकर्षित होने का एक कारण यह परंपरागत विश्वास भी है कि उम्मीदवार चुनाव खर्च में काला धन प्रयोग करने में सफल होगा और इसके बाद और अधिक मात्रा में काले धन का सृजन करने में भी सफल होगा। लेकिन यदि राजनीति और चुनावी राजनीति में 'भ्रष्टाचार के दरवाजे' बंद हो जाएं तो अवसरवादियों के विभिन्न पार्टियों से या निर्दलीय उम्मीदवार बनने के अवसर कम हो जाएंगे। यह बात उन लोगों के लिए भी सही है जो राजनीति को पैसा कमाने का माध्यम मानते हैं। 'अनिवार्य मतदान' न केवल चुनाव व्यवस्था को अद्यतन बनाने, बल्कि चुनाव लड़ने व चुनाव प्रचार का खर्च घटाने में भी सहायक होगा। अनिवार्य मतदान का प्राविधान करने से 'वोटबैंक' राजनीति चलाते रहना भी असंभव हो जाएगा। अतीत पर गौर करें तो एक समय ऐसा भी था जब कुल मतदान 50 प्रतिशत या इससे भी कम होता था। ऐसे में यदि किसी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी का सुनिश्चित बोटबैंक होता तो उसे चुनाव जीतने में कोई कठिनाई न होती। हालांकि, वोटबैंक की राजनीति आज भी एक सीमा तक जारी है, पर बदलती परिस्थितियों में इसे ज्यादा लंबे समय तक चलाते रहना कठिन होता जा रहा है। धर्म, जाति, समुदाय, आदि के आधार पर चलने वाली वोटबैंक राजनीति पर पिछले दशक में केन्द्र सरकार द्वारा व्यापक रूप से जमीन पर पहुंचाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रभाव पड़ा है। इससे एक 'लाभार्थी' समूह विकसित हुआ है जो सभी धर्मों, जातियों व समुदायों तक विस्तारित है और इसने परंपरागत 'वोटबैंक' पर व्यापक प्रहार करने में सफलता पाई है।

मतदान प्रतिशत में वृद्धि के साथ ही प्रतिबद्ध वोटबैंक की शक्ति और प्रभाव घटा है। उदाहरण के लिए, यदि एक लाख मतदाताओं में किसी खास उम्मीदवार का वोटबैंक 25 प्रतिशत या 25,000 मतदाता हैं। ऐसे में यदि उस सीट पर मतदान 50 या 55 प्रतिशत होता है तो यह प्रतिबद्ध वोटबैंक उस उम्मीदवार की विजय सुनिश्चित करता है। लेकिन यदि अनिवार्य मतदान की स्थिति में मतदान 100 प्रतिशत हो तो ऐसे वोटबैंक का कोई निर्णायक लाभ नहीं होगा। राजनीतिक प्रक्रिया में सार्थक सहभागिता के लिए 'खैरातों' की भूमिका पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। खैरातों से लोकतंत्र में चुनावों की भूमिका पर व्यापक असर पड़ता है क्योंकि यह 'मतदाताओं को रिश्वत' के सिवा और कुछ नहीं है। यदि यही स्थितियां बनी रहें तो इस बात का कोई अर्थ नहीं होगा कि नौजवान लोग मतदान करने वालों में बड़ी संख्या में क्यों शामिल नहीं होते हैं। नौजवानों को मतदान प्रक्रिया में अधिकाधिक सहभागी बनाने के लिए चुनाव प्रक्रिया के साथ ही राजनेताओं की गुणवत्ता तथा राजनीतिक पार्टियों के कामकाज में भी व्यापक सुधार की आवश्यकता होगी।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नृत्य की सार्वभौमिक भाषा

> "पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों से लेकर समकालीन वैश्विक नृत्य घटनाओं तक, नृत्य समुदायों को प्रेरित, स्वस्थ और एकजुट करता रहता है"

राजदीप पाठक
(लेखक, गांधी स्मृति दर्शन समिति के कार्यकारी हैं)

पिछले साल 14 अप्रैल को, भारत के असम में इतिहास रचा गया था, क्योंकि बिहू नर्तकों की सबसे बड़ी सभा के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। विभिन्न समुदायों और पृष्ठभूमि के 11,000 से अधिक नर्तक असम के पारंपरिक नृत्य करने के लिए एक साथ आए, जिसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव देखा। यह सांस्कृतिक विविधता और एकता का शानदार प्रदर्शन था।

यह कार्यक्रम इस बात का चमकदार उदाहरण था कि सांस्कृतिक विविधता कैसे लोगों को एक साथ ला सकती है और भावनात्मक जुड़ाव और एक-दूसरे की संस्कृति और परंपराओं की सराहना की भावना को बढ़ावा दे सकती है।

अभी हाल ही में कालातीत अनुग्रह और अटूट जुनून के लुभावने प्रदर्शन में राग सेवा के हिस्से के रूप में, 90 वर्षीय अभिनेता-नर्तक और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता वैजयंतीमाला बाली ने अयोध्या में अपने अलौकिक भरतनाट्यम प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मानवीय अभिव्यक्ति की इस समृद्ध पच्चीकारी में, नृत्य एक कालजयी रत्न के रूप में उभरता है, जो पीढ़ियों पर अपना जादू बिखेरता है और युगों-युगों तक दिलों को लुभाता है। केवल गति से परे, यह रचनात्मकता की एक सिम्फनी का प्रतीक है, जो आत्मा को बेलगाम आनंद से भर देती है। लय और भावना का एक सुंदर अंतर्संबंध, यह आधुनिक जीवन के बोझ से सांत्वना प्रदान करता है, अस्तित्व के ताने-बाने में खुशी के धागों को जोड़ता है।

जीवन की लय में आपका स्वागत है, क्योंकि हम 1982 से हर साल 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं। नृत्य जीवन को बदलने में मदद करता है। नवरस, जिसका उपयोग खुशी, उदासी, प्रेम, क्रोध और कई अन्य भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जीवन का जश्न मनाने और समुदाय की भावना पैदा करने का एक तरीका है।

यह दिवस नृत्य के आंतरिक मूल्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और नृत्य समुदाय के प्रयासों के व्यापक प्रचार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसके मिशन के केंद्र में यह आकांक्षा है कि सरकारें और प्रभावशाली हस्तियां नृत्य के महत्व को पहचानेंगी और इसकी खेती के लिए समर्थन बढ़ाएंगी। हम सभी यो-यो मा के सिल्क रोड एन्सेम्बल से परिचित हैं, जो सेलिस्ट यो-यो मा द्वारा स्थापित एक संगीत समूह है, जहां चीन, ईरान, भारत और स्पेन के संगीतकार एक साथ आते हैं और संस्कृतियों के बीच एक पुल बनाने के लिए अपने संगीत का उपयोग करते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के बीच समझ को बढ़ावा देना। सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से, यह सीमाओं के पार विचारों, परंपरा और नवाचार के आदान-प्रदान का एक मंच है।

इसके अलावा, वनबीट पहल, जो दुनिया भर के संगीतकारों को सहयोग करने और नया संगीत बनाने के लिए एक साथ लाती है - को अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया था - इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और संगीतकारों का एक वैश्विक समुदाय बनाना है। %वनबीट% ने सीरिया, रूस और क्यूबा जैसे देशों के संगीतकारों को एक साथ लाया है, न केवल संगीतकारों को अपना संगीत साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया है बल्कि सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं को पार करने वाले नए सहयोग भी तैयार किए हैं। नृत्य अंतरसांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। दुनिया भर की नृत्य कंपनियाँ नए कार्य बनाने के लिए एक साथ आती हैं जो उनकी सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हैं और सामान्य विषयों का पता लगाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण %एल्विन ऐली अमेरिकन डांस थिएटर% है, जो 60 वर्षों से अधिक समय से नृत्य के माध्यम से विविधता और समावेशन को बढ़ावा दे रहा है। कंपनी के प्रदर्शन अफ़्रीकी-अमेरिकी सांस्कृतिक अनुभव का जश्न मनाते हैं और प्रेम, हानि और पहचान जैसे सार्वभौमिक विषयों का पता लगाते हैं।

इतना ही नहीं, नेशनल बैले ऑफ क्यूबा एक डांस कंपनी है जो अपने प्रदर्शन के जरिए अंतरसांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देती है। 1948 में 20वीं सदी की सबसे प्रसिद्ध बैले नृत्यांगनाओं में से एक, एलिसिया अलोंसो द्वारा स्थापित, यह अपनी अनूठी शैली के लिए जाना जाता है जो एफ्रो-क्यूबा और स्पेनिश नृत्य परंपराओं के साथ शास्त्रीय बैले के तत्वों को जोड़ती है।

भारत में, द कलाक्षेत्र फाउंडेशन, - भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों को लोकप्रिय बनाने के लिए मौजूद कई फाउंडेशनों और संस्थानों में से - चेन्नई स्थित नृत्य विद्यालय, जिसकी स्थापना 1936 में रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने की थी, ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने की मांग की और आज एक अग्रणी संस्थान है जो छात्रों को भरतनाट्यम, कथकली और कुचिपुड़ी सहित भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विभिन्न रूपों में प्रशिक्षित करता है।

इसी तरह, बैंगलोर के पास %नृत्यग्राम डांस विलेज%, जिसकी स्थापना 1990 में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना प्रोतिमा गौरी ने की थी, एक अनूठी संस्था है जो नृत्य प्रशिक्षण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो न केवल नृत्य तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करती है, बल्कि योग, ध्यान और भारतीय पौराणिक कथाओं जैसे पहलू। संस्थान ने वैश्विक मान्यता प्राप्त की है और भारतीय शास्त्रीय नृत्य को समकालीन नृत्य रूपों के साथ मिश्रित करने वाले नए कार्यों को बनाने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय नृत्य कंपनियों के साथ सहयोग किया है।

हम बॉलीवुड डांस को मिस नहीं कर सकते, जो एक वैश्विक घटना बन गई है और इसने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ आने और भारत की जीवंत संस्कृति का जश्न मनाने के लिए एक मंच तैयार किया है। भारतीय शास्त्रीय रूपों से लेकर बैले तक विभिन्न नृत्य शैलियों का उपयोग करना; कैबरे के लिए, हिप-हॉप, ब्रेक डांस इत्यादि - प्रत्येक चरण में एक अद्वितीय लय समाहित होती है

आप की बात

कांग्रेस की असलियत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक वे ज़िंदा हैं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। उनकी बात बिल्कुल सही है। धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों, जबकि देश भारतीय संविधान से चलता है? संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार हर व्यक्ति, समूह, सम्प्रदाय व समाज के हर वर्ग को सुविधाएं देना भारत सरकार का कर्तव्य है। एक तरफ कांग्रेस देश के संविधान पर खतरे की बात करती है, वहीं दूसरी ओर मनमाने ढंग से कर्नाटक में संविधान को ताक पर रखकर मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास कर रही है। मोदी का यह कहना सही है कि संविधान पर खतरे की बात करने वाली कांग्रेस ने ही संविधान के साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ की है। इतिहास गवाह है कि आपातकाल में संविधान को आमूल रूप से बदलने का कुत्सित प्रयास किया गया था तथा जनता के मूलाधिकारों तक को स्थगित कर पूरे देश को कैदखाने में बदल दिया गया था। देश की जनता भूली नहीं है कि-इंदिरा इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ इंदिरा का नारा देने वाली कांग्रेस स्वयं को हमेशा देश के कानून और आम जनता से ऊपर मानती रही है। उसने पूरी बेशर्मी से नेहरू-गांधी परिवार को ही भारत रत्न समेत सर्वोच्च पुरस्कारों से नवाजा था। आज जनता कांग्रेस की असलियत अच्छी तरह समझ गई है।

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

मोदी की गारंटी

जब देश का प्रधानमंत्री अच्छा, ईमानदार, देशभक्त हो और केवल अपने देश के हित में सोचता हो तो फिर वह देश तो तरक्की करेगा ही। हमारे देश को भी ऐसा ही प्रधानमंत्री मिला है जिसने पिछले दस साल में सारे देश को अपना परिवार माना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को विश्वास दिलाया है कि जब तक वह प्रधानमंत्री है तब तक देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं चलने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री का यह निर्णय सबके लिए लाभदायक होगा। कांग्रेस, सपा, बसपा जैसी अनेक पार्टियां धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण की पक्षधर हैं, भले ही इससे हिंदू दलितों, आदिवासियों व ओबीसी को कितना ही नुकसान क्यों न हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक आवश्यक हो तब तक एससी, एसटी व ओबीसी का आरक्षण जारी रहेगा। मोदी ने बार-बार कहा है कि स्वयं बाबा साहेब अंबेडकर भी इस स्थिति को बदल नहीं सकते हैं। ऐसे में आरक्षण के सवाल पर कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों द्वारा मोदी व अमित शाह तथा अन्य भाजपा नेताओं के फेक वीडियो का मुकाबला करना और जवाब देना सभी जागरूक लोगों का कर्तव्य ही नहीं, दायित्व भी है।

– **एमएम राजावत,** शाजापुर

कमाई पर नजर

सैम पित्रोदा के पैतृक संपत्ति में 55 परसेंट सरकार द्वारा ले लिए जाने के संबंध में दिए बयान की तरह सुप्रीमकोर्ट में भी ऐसे ही एक याचिका पर विचार चल रहा है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की नजर जनता की कमाई पर है। हालांकि, सरकार की अनेक टैक्सों से काफी आमदनी हो रही है, पर इसके बावजूद खासकर कांग्रेस की नजर जनता के धन पर लगी रहती है। सभी तरह के टैक्स चुका कर कठोर परिश्रम से एकत्र किए गए धन पर कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी की फिर से कुंडली मारने की मंशा स्वीकार करने योग्य नहीं है। हालांकि, भाजपा सरकार ने विगत वर्षों में मध्य वर्ग को राहत देने के प्रयास किए हैं तथा कार्पोरेट कर को भी वैश्विक स्तर पर ले आई है। कांग्रेस ने ऐसे में संपत्ति के पुनर्वितरण के नाम पर इंदिरा गांधी युग के स्टेट ड्यूटी टैक्स या मृत्यु कर जैसे करों की वापसी के संकेत दिए हैं जिनसे देश की अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं मिला था। देश के मध्य वर्ग तथा खासकर पढ़े-लिखे नौजवानों को वोट के माध्यम से जनता की कमाई पर नजर रखने वाली ऐसी नकारात्मक प्रवृत्तियों का डट कर विरोध करना होगा। यदि कहीं दुर्भाग्य से विपक्षी गठबंधन सत्ता में वापस आ गया तो वह देश को फिर से अंधकार में धकेल देगा।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

ममता की घोषणायें

तृणमूल कांग्रेस ने अपना चुनाव घोषणापत्र जारी किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ने वादा किया है कि वह बंगाल में सीएए, एनआरसी और समान नागरिक संहिता कानून लागू नहीं होने देंगी। टीएमसी का यह घोषणापत्र संविधान की मूल अवधारणा और संघीय ढांचे की अवहेलना करता है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई पार्टी खुले आम संविधान की इस तरह धज्जियां उड़ा रही है। स्पष्ट है कि टीएमसी किस वर्ग को लुभाना चाह रही है। वह अवैध घुसपैठियों की हिमायत कर राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को खुलेआम खतरे में डालने का प्रयास कर रही है। आश्चर्य है कि संविधान-विरोधी वादे करने वाले इस चुनाव घोषणापत्र पर चुनाव आयोग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। देश में संविधान की शपथ लेकर चुनाव में भाग लेने वाले किसी राजनीतिक दल को यह अधिकार नहीं है कि वह संसद द्वारा पास तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कानून को देश के किसी भाग में लागू न करने की बात करे। इससे अधिक देशद्रोह की बात भला और क्या हो सकती है। विपक्षी दल इस पर चुप क्यों हैं?

– **अंकित सोनी,** मनावर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 64

अनुमानों का प्रबंधन

भारत में खाद्य और ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव अस्वाभाविक नहीं है। खाद्य कीमतों का निरंतर बना रहने वाला दबाव हेडलाइन मुद्रास्फीति को ऊंचे स्तर पर बनाए रखता है। ऐसे में यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि ऐसी कीमतों का झटका किस प्रकार मुद्रास्फीतिक नतीजों के प्रबंधन की राह में रोड़ा बन सकता है। मुद्रास्फीति संबंधी नतीजे अपेक्षाकृत अनुकूल हो चुके हैं और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का अनुमान है कि चालू वर्ष में मुद्रास्फीति की दर औसतन 4.5 फीसदी रह सकती है। इस स्थिति में भी यह 4 फीसदी के लक्ष्य से ऊपर रहेगी। यह सही है कि मौद्रिक सख्ती और कच्चे माल की लागत में कमी के कारण कोर मुद्रास्फीति की दर 4 फीसदी से कम हुई है लेकिन खाद्य कीमतों के क्षेत्र में बार-बार बनने वाला दबाव हेडलाइन मुद्रास्फीति दर को कोर स्तर तक पहुंचने से रोकता है। दिसंबर के 5.7 फीसदी के स्तर से गिरावट के बावजूद हेडलाइन मुद्रास्फीति की दर जनवरी-फरवरी 2024 में 5.1 फीसदी रही। जनवरी में गिरावट के बाद खाद्य मुद्रास्फीति की दर फरवरी में 7.8 फीसदी तक जा पहुंची। ऐसा प्राथमिक रूप से सब्जियों, अंडों, मांस और मछलियों की कीमतों की बदौलत हुआ।

मौद्रिक नीति के नजरिये से देखें तो यह समझना आवश्यक है कि कैसे खाद्य या ईंधन मुद्रास्फीति की कीमतों का दबाव समग्र मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकता है। रिजर्व बैंक अर्थशास्त्रियों के एक शोध आलेख में इस बात की पड़ताल की गई है कि खाद्य और ईंधन की हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति का दूसरा दौर भारत में किस तरह का असर डालेगा। हेडलाइन और खाद्य मुद्रास्फीति की दरों की गति जहां परस्पर संबद्ध है, वहीं इस बात के भी प्रमाण हैं कि घरेलू मुद्रास्फीति के अनुमानों तथा खाद्य मुद्रास्फीति के बीच भी गहरा संबंध है। इसका कोर मुद्रास्फीति की दर के व्यवहार पर असर पड़ता है जो काफी हद तक आम परिवारों के मुद्रास्फीति संबंधी अनुमानों से संचालित होती है।

रिजर्व बैंक के अर्थशास्त्रियों ने यह भी पाया कि निकट भविष्य में कोर और हेडलाइन मुद्रास्फीति में समरूपता आ सकती है। इससे संकेत मिलता है कि गैर कोर घटकों से लेकर कोर मुद्रास्फीति तक झटके का प्रसार हो सकता है। सन 1990 के दशक के 0.37 फीसदी के उच्चतम स्तर से खाद्य मुद्रास्फीति में एक फीसदी की प्रतिक्रिया तब से लगातार कम हो रही है। 2023-24 की तीसरी तिमाही तक यह प्रतिक्रिया 0.14 फीसदी थी। इतना ही नहीं ईंधन कीमतों के झटके का कोर मुद्रास्फीति पर असर मोटे तौर पर महत्त्वपूर्ण नहीं है हालांकि ऐसे झटके लंबी अवधि तक टिके रहते हैं। हाल के समय में कोर मुद्रास्फीति में जो गिरावट आई है, खासतौर पर 2016 में मुद्रास्फीति को लक्षित करने का लचीला ढांचा अपनाने के बाद, वह मौद्रिक नीति के लिए अहम रहा है। उसने मुद्रास्फीति के अनुमानों का बेहतर प्रबंधन किया है।

इसके बावजूद चिंताएं बरकरार हैं। खाद्य और ईंधन संबंधी वस्तुओं के अधिक भार के कारण कोर मुद्रास्फीति को लगने वाले झटके बढ़ सकते हैं। हाल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होने के बाद भी करीबी नजर डालने की आवश्यकता है। जलाशयों के जल स्तर में कमी, खासकर दक्षिण के राज्यों में इसमें कमी तथा सामान्य से अधिक तापमान का अनुमान भी अल्पावधि में चिंता का विषय है। बहरहाल, औसत से बेहतर बारिश के कारण कृषि उत्पादन के क्षेत्र में राहत मिल सकती है। जलवायु संबंधी झटकों के कारण निकट भविष्य में खाद्य कीमतें अनिश्चित बनी रहेंगी और यह बात मुद्रास्फीति के परिदृश्य पर असर डालेगी। खाद्य कीमतों में अस्थिरता के बारे में कोई भी अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। खासतौर पर मौसम में लगातार बदलाव को देखते हुए ऐसा हो रहा है। अगर ऐसे ही झटके लगते रहे तो भविष्य में सख्त मौद्रिक नीति की जरूरत होगी। एमपीसी की टिकाऊ ढंग से मुद्रास्फीति के 4 फीसदी के लक्ष्य को पाने की प्रतिबद्धता से अनुमानों के प्रबंधन में मदद मिलेगी और अस्थिरता में कमी आएगी।

श्रीलंका और बांग्लादेश का रुख पूर्व की ओर

दक्षिण एशिया के छोटे देश द्विपक्षीय एवं बड़े क्षेत्रीय व्यापार समझौते के जरिये पूर्व की ओर रुख कर रहे हैं जिसका परिणाम होगा कि इन देशों के व्यापार पर चीन का दबदबा बढ़ता जाएगा। बता रही हैं अमिता बत्रा

पिछले महीने के शुरू में श्रीलंका में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा था कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) की सदस्यता के लिए वह अपने आवेदन को मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहा है। अधिकारी ने यह भी कहा कि आरसेप के वर्तमान सदस्यों ने किसी नए सदस्य को अपने समूह में शामिल करने के लिए नया ढांचा तैयार किया है। अधिकारी के अनुसार आरसेप के सदस्यों के साथ उसकी बातचीत चल रही है। श्रीलंका ने इस 15 सदस्यीय व्यापक क्षेत्रीय व्यापार समझौते का हिस्सा बनने के लिए 2023 में आवेदन किया था। उसने इस वर्ष थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी किया था। यह स्पष्ट है कि हिंद महासागर का यह छोटा देश संकट से उबर रही अपनी अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की पहल कर रहा है और पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय/वैश्विक मूल्य तंत्र (आरवीसी/जीवीसी) केंद्र के साथ जुड़ने में पूरी शक्ति झोंक रहा है।

श्रीलंका द्वारा नीतिगत स्तर पर उठाया गया यह कदम सराहनीय है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि वह गर्त में जाने के बाद आर्थिक सुधार की प्रक्रिया से गुजर रहा है। श्रीलंका ने आर्थिक मझधार से निकलने के लिए जो कदम उठाए हैं वे निर्यात में विविधता लाने पर केंद्रित हैं। इसका कारण यह है कि श्रीलंका में हाल में पैदा हुए बाह्य ऋण संकट के लिए आंशिक रूप से सीमित वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात था जिसके कारण उसके पास जमा विदेशी मुद्रा भंडार घटता चला गया। श्रीलंका से होने वाले निर्यात में परिधान, चाय एवं रबर जैसी प्राथमिक जिंस और सेवाओं में मुख्य रूप से पर्यटन शामिल हैं। इसके अलावा श्रीलंका श्रम उत्पादकता में गिरावट, श्रम बल में युवाओं की कमी और युवा एवं काम करने वाली आबादी के पलायन से जूझता रहा है। क्षेत्रीय मूल्य व्यवस्था के साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन श्रम बल और देश में औद्योगिक उत्पादन दोनों के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई कंपनी/देश आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति करने वाली दूसरी कंपनी या अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक उत्पाद खरीदता/खरीदती है। आरवीसी एक समान रूप से श्रमोन्मुखी होता है और विनिर्माण विशेषज्ञता एवं प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देती है। श्रीलंका ने तुलनात्मक रूप से अधिक लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में भी रुचि दिखाई है जो अपने आप में बड़ी बात है। आरसेप में कई क्षेत्रों में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) प्लस नियामकीय प्रावधान भी शामिल हैं मगर थाईलैंड के साथ द्विपक्षीय एफटीए में दोनों देशों के बीच 15 वर्षों की अवधि के दौरान बड़े स्तर पर शुल्क उदारीकरण के अलावा सीमा शुल्क प्रावधान, निवेश एवं बौद्धिक संपदा अधिकार भी समाहित किए गए हैं। 'लॉक-इन' (प्रावधानों से जुड़ी अनिवार्य शर्त) प्रभाव के माध्यम से ये प्रावधान श्रीलंका में संरचनात्मक एवं नियामकीय नीति सुधारों को बढ़ावा देंगे जिससे यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अधिक आकर्षक बन जाएगा। आरसेप साझा एवं उद्गम के संचयी नियमों की पेशकश करता है, जो जीवीसी एकीकरण को बढ़ावा देते हैं। ये श्रीलंका को निर्यातोन्मुखी विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद करेंगे। इसके अलावा थाईलैंड की मदद से श्रीलंका को पूर्वी आर्थिक गलियारे (ईईसी) के साथ जुड़ने में भी मदद मिल जाएगी। ईईसी एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) है जिसका उद्देश्य उच्च तकनीकी क्षेत्र में थाईलैंड की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना है।

इसके अलावा यह क्षेत्रीय मूल्य व्यवस्था (आरवीसी) और संपर्क परियोजनाओं के जरिये व्यापार एवं निवेश के अवसरों को पड़ोसी आसियान और एशियाई अर्थव्यवस्था तक ले जाता है। व्यापार एवं माल परिवहन (लॉजिस्टिक) मार्गों की स्थापना के लिए बंदरगाह शहर कोलंबो (जो स्वयं एक एसईजेड) और ईईसी के बीच संपर्क की संभावनाओं पर भी विचार हो रहा है। इस संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान थाईलैंड आसियान में चीन और जापान से निवेश झटकने के मामले में सबसे आगे रहा है। मलेशिया जैसे दूसरे आसियान देशों ने भी श्रीलंका में अपनी बड़ी कंपनियों से निवेश बढ़ाने में रुचि दिखाई है। उन्होंने आरसेप में शामिल होने के लिए श्रीलंका के आवेदन को भी अपना पूरा समर्थन देने का मन बना लिया है। लिहाजा, मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) नीति श्रीलंका को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में में मदद कर सकती है। संभावित लाभों के अलावा आरसेप में श्रीलंका की भागीदारी दक्षिण एशिया में व्यापारिक माहौल में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का संकेत दे रही है। बांग्लादेश ने भी इस बड़े क्षेत्रीय व्यापार समझौते का हिस्सा बनने में दिलचस्पी दिखाई है। तुलनात्मक रूप से छोटी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं दक्षिण एशिया से बाहर एक वैकल्पिक व्यापार समझौते एवं व्यवस्थाओं पर सक्रियता से विचार कर रही हैं।

हम यह जानते हैं कि निरंतर एवं संभावित टकराव ने दक्षिण एशियाई तरजीही व्यापार व्यवस्था (साप्टा) और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को इस क्षेत्र में आंतरिक क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने से रोक दिया है। मगर भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार संधियों और समझौतों ने छोटी अर्थव्यवस्थाओं की निर्यात रणनीति को सकारात्मक विकल्प दिए हैं। इनमें भारत-श्रीलंका एफटीए, भूटान और नेपाल के साथ ऐतिहासिक व्यापार संधि भी एफटीए की तरह ही काम करते रहे हैं। इसके अलावा 2008 में भारत ने अपनी तरफ से दक्षिण एशिया सहित सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) को एकतरफा शुल्क मुक्त एवं शुल्क तरजीह योजना की पेशकश उनके 90 प्रतिशत से अधिक निर्यात पर की। इन व्यवस्थाओं ने पाकिस्तान छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए भारतीय बाजारों के द्वार खोल दिए हैं। हालांकि, कोविड महामारी और यूक्रेन संकट के बाद छोटी अर्थव्यवस्थाएं महसूस कर रही हैं कि विनिर्माण में विविधता लाने के लिए केवल बाजार तक पहुंच ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उन्हें दीर्घ अवधि का विकल्प चाहिए।

इस अवधि के दौरान बांग्लादेश को भी बाह्य अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा है। यह 2026 तक एलडीसी श्रेणी से बाहर आने वाला है। दक्षिण एशिया के देश केवल एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विविधता सुनिश्चित कर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब तक केवल एक ही क्षेत्र उनके निर्यात एवं आर्थिक वृद्धि का स्रोत रहा है। उनका पारंपरिक निर्यात बाजारों, जो मुख्य रूप से यूरोपीय संघ और अमेरिका में हैं, में हाल में सुस्ती आई है और अब इनमें धीमी से मध्यम गति से सुधार होने की उम्मीद है। इसके उलट पूर्वी एशिया ने अपनी आर्थिक गतिशीलता बरकरार रखी है और इसके तत्काल और निकट भविष्य में वैश्विक व्यापार वृद्धि में मजबूती के साथ योगदान देने की संभावना है।

दक्षिण एशियाई देशों के द्विपक्षीय एवं बड़े क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के जरिये पूर्वी एशिया की तरफ झुकाव का एक परिणाम यह हो सकता है कि वैश्विक व्यापार में चीन की लगातार बढ़ती हिस्सेदारी नहीं थमेगी। दक्षिण एशियाई देशों के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी लगभग एक चौथाई तक पहुंच गई है। भारत की तुलना में बांग्लादेश और श्रीलंका के आयात में चीन की हिस्सेदारी पहले ही बहुत अधिक हो गई है। श्रीलंका के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी पिछले एक दशक के दौरान लगभग चार गुना बढ़ चुकी है जबकि भारत की हिस्सेदारी लगभग स्थिर रही है। बांग्लादेश के मामले में इसके द्वारा किए जाने वाले आयात में भारत की हिस्सेदारी पिछले दशक में बढ़ी जरूर है मगर यह चीन की तुलना में यह काफी कम है। जहां तक कुल निर्यात की बात है तो भारत की हिस्सेदारी बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों मामलों में तुलनात्मक रूप से अधिक है। मगर इन देशों के पूर्वी एशियाई आरवीसी के साथ जुड़ाव से यह रुझान चीन के पक्ष में पलट सकता है। लिहाजा, दक्षिण एशिया में व्यापारिक व्यवस्था में बदलाव भारत की क्षेत्रीय व्यापार रणनीति के बारे में काफी कुछ बयां करते हैं।

(लेखिका सीएसईपी में सीनियर फेलो एवं जेएनयू में अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में प्राध्यापक (अवकाश पर) हैं। ये उनके निजी विचार हैं)

कैसे दूर हों ऋणशोधन कानून की खामियां?

बैंकिंग साख
तमाल बंद्योपाध्याय

ऋणशोधन प्रक्रिया में असामान्य देरी हो रही है। वेणुगोपाल धूत के वीडियोकॉन समूह के विरुद्ध ऋणशोधन प्रक्रिया अगस्त 2019 में आरंभ हुई थी जब राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) ने कॉर्पोरेट कर्जदारों के समेकन की इजाजत दी थी।

अक्टूबर 2019 में संभावित बोलीकर्ताओं से रुचि की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट यानी ईओआई) आमंत्रित की गई। एक माह बाद वेदांत समूह ने अपनी ईओआई प्रस्तुत की और इसके एक वर्ष बाद यानी नवंबर 2020 में वेदांत समूह की कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (टीएसटीएल) ने अंतिम समाधान योजना पेश की। यह 2,962 करोड़ रुपये की बोली थी जिसमें अपरिवर्तनीय डिबेंचर शामिल थे।

दिसंबर 2020 में टीएसटीएल को सफल बोलीकर्ता माना गया। ऋणदाताओं की समिति ने समाधान योजना मंजूर की और 95.09 फीसदी ने इसका समर्थन किया। एनसीएलटी ने जून 2021 में मंजूरी दे दी लेकिन जनवरी 2022 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) ने उसके आदेश को पलट दिया। टीएसटीएल ने तत्काल सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन दो वर्ष बाद भी हालात जस के तस हैं। अप्रैल 2023 में टीएसटीएल ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि वह वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के पूर्व चेयरमैन वेणुगोपाल धूत की अपील को खारिज कर दे। धूत ने वीडियोकॉन को समूह की 12 कंपनियों के साथ अधिग्रहीत करने की दिवालिया अदालत से मंजूर बोली के खिलाफ अपील की थी।

धूत ने टीएसटीएल की बोली को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते हुए यह मांग की कि बैंकों को उनकी 31,789 करोड़ रुपये की समाधान योजना स्वीकारने को कहा जाए। ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) अगस्त 2016 में आई थी। माना जा रहा था कि इसके आने के बाद संकटग्रस्त कंपनियों और फंसी परिसंपत्तियों का समाधान आसान होगा। उस समय तक दिवालिया प्रक्रिया कई कानूनों और कई मंचों में बंटी थी जिसमें वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन, ऋणवसूली पंचाट, लोक अदालत और रिजर्व बैंक की कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन योजना आदि शामिल थीं।

नए कानून के तहत सितंबर 2016 में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने एक स्टील उत्पादक कंपनी के खिलाफ मामला दाखिल किया जिस पर 955 करोड़ रुपये का कर्ज था। जून 2017 तक रिजर्व बैंक ने ऐसे 12 देनदारों की सूची बनाई जिनके खिलाफ वह तत्काल दिवालिया प्रक्रिया चाहता था। इसके बाद अगस्त 2017 में 28 देनदारों की नई सूची आई। दोनों सूची को जोड़कर देखा जाए तो ये कुल मिलाकर भारतीय बैंकिंग तंत्र के 10 लाख करोड़ रुपये के फंसे कर्ज में 50 फीसदी से अधिक के लिए जिम्मेदार थे। शुरुआती दिनों में सब ठीक था। परंतु बीते कुछ सालों में यह प्रक्रिया काफी धीमी पड़ी है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा तो कई दिक्कतों में से एक है जिसके चलते मामलों के निपटारे की अवधि बढ़ती जा रही है और रिकवरी का मूल्य कम हो रहा है।

एक बार देनदारी चूकने वाली की पहचान होने के बाद कर्जदाताओं की समिति समाधान पेशेवर (आरपी) चुनती है ताकि मामले की निगरानी की जा सके। अगले चरण में सूचना ज्ञापन तैयार कर संभावित बोलीकर्ताओं से ईओआई मंगाया जाता है। बोलीकर्ताओं की अर्हता का आकलन करने के बाद बोली का आकलन किया जाता है और उपयुक्त समाधान योजना चुनी जाती है। कर्जदाता समिति मंजूरी के लिए एनसीएलटी के पास जाती है। आईबीसी की धारा 20 के अनुसार आरपी को परिसंपत्तियों के मूल्य की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करने और देनदारों के संचालन को एक चालू संस्था के रूप में प्रबंधित करने की आवश्यकता है।

यह धारा आरपी को इस बात की भी इजाजत देती है कि वे ऋणशोधन प्रक्रिया के दौरान अंतरिम वित्त जुटाएं। समाधान योजना लागू होने के बाद ऐसे फाइनेंसरों को प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाता है।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की नवंबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार रिकवरी दर मार्च 2019 के 43 फीसदी से गिरकर सितंबर 2023 में 32 फीसदी पर आ गई जबकि इस दौरान औसत समाधान अवधि दोगुनी बढ़कर 324 दिन से 653 दिन हो गई। वैसे आईबीसी में समाधान पूरा करने की तय अवधि 270 दिन है जिसे कुछ शर्तों के अधीन बढ़ाया जा सकता है।

फरवरी 2024 में वित्तीय मामलों की स्थायी समिति की 67वीं रिपोर्ट में आईबीसी के डिजाइन की समीक्षा की बात कही गई। समिति ने पाया कि वास्तविक रिकवरी 25 से 30 फीसदी के बीच है और कुछ मामलों में समाधान में दो साल तक का समय लगा जो बहुत अधिक था। आईबीसी के बनने के बाद से 6,815 मामले एनसीएलटी के पास गए और इनमें से 2,827 मामले यानी 41 फीसदी मामले अभी भी समाधान प्रक्रिया में हैं। औसत समाधान अवधि बढ़कर तीन वर्ष से अधिक हो चुकी है।

दिसंबर 2023 तक इनमें से 891 मामले हल हुए थे। वित्तीय कर्जदाताओं के 9.09 लाख करोड़ रुपये के दावे के बरअक्स 3.1 लाख करोड़ रुपये का निपटान हुआ। 2,376 मामलों की परिणति नकदीकरण के रूप में हुई जबकि 721 का स्वैच्छिक नकदीकरण हुआ। भारतीय ऋणशोधन और दिवालिया बोर्ड (आईबीबीआई) ने अनुशंसा की थी कि स्वैच्छिक मध्यस्थता की मदद से विवादों का निपटारा किया जाए। पूर्व विधि सचिव टीके विश्वनाथन की अध्यक्षता वाले पैनल ने 129 पन्नों की रिपोर्ट जनवरी में पेश की जिसमें कहा गया कि मध्यस्थता विवाद निस्तारण की पूरक व्यवस्था हो सकती है। इस बीच ऋणशोधन कानून समिति की पांचवी रिपोर्ट जो मई 2022 में पेश की गई वह भी अभी लंबित है। इसमें समाधान और नकदीकरण प्रक्रिया को समय पर पूरा करने तथा परिसंपत्ति का अधिकतम मूल्य हासिल करने के लिए कुछ दिलचस्प अनुशंसाएं की गई हैं। जनवरी 2021 में एक अन्य समिति ने ऐसी दिवालिया प्रक्रिया की बात की जहां कंपनी के दिवालिया घोषित होने के पहले ही पुनर्गठन योजना तैयार कर ली जाती है। इसे 'प्रीपैक' कहा जाता है। अमेरिका में अक्सर इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल यह व्यवस्था सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम क्षेत्र तक सीमित है।

एक अन्य प्रस्ताव कंपनी मामलों के मंत्रालय के जनवरी 2023 के चर्चा पत्र में है जो रियल एस्टेट कंपनियों के मामले में परियोजना के आधार पर ऋणशोधन समाधान की बात करता है। नई सरकार के गठन के बाद जुलाई में इन अनुशंसाओं को सदन में पेश किया जा सकता है। प्रीपैक के एमएसएमई के लिए इस्तेमाल के अलावा हमें दिवालिया समाधान के लिए अदालत के बाहर निपटारे की अधिक मजबूत प्रक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल प्रक्रिया को अधिक किफायती बनाना तथा अदालतों का दखल कम करना सरकार की प्राथमिकता में नजर आ रहा है।

मोटे तौर पर आईबीसी उद्देश्य पूर्ति में कामयाब रहा है क्योंकि इससे गलत प्रवर्तकों में भय उत्पन्न हुआ है। देनदारी में चूक करने वाले कई लोग चर्चा के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन समय के साथ चतुर प्रवर्तकों ने कानून को धता बनाना सीख लिया। अब समय आ गया है कि इस कानून की कमियों को दूर किया जाए और देनदारी चूकने वाले भी समझें कि आईबीसी नख दंत विहीन नहीं है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आपका पक्ष

देश के विकास में मजदूरों की महत्त्वपूर्ण भूमिका

देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए किसी कारखाने की छोटी मशीन चलाने वाले मजदूर से लेकर हवाई जहाज को उड़ाने वाले पायलट तक का भी अहम योगदान होता है। जाहिर है, देश के विकास और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में मजदूर वर्ग का बहुत बड़ा योगदान होता है। 1 मई को हर साल अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन् 1886 में शिकागो में उस समय हुई थी जब मजदूर अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे थे। इस दौरान एक शरारती ने मजदूरों की भीड़ पर बम फेंक दिया जिसमें कुछ मजदूरों की मौत हो गई थी। इसकी याद में पेरिस में घोषणा कि गई कि दुनिया भर में अंतर-राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाए। तब से दुनिया के 80 देशों में यह आयोजन होने लगा। लेकिन यह सिर्फ दिखावा बन कर रह गया है। भारत में भी इस दिन सरकार मजदूरों के हितों के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं करती हैं। 1 मई के बाद उसकी किसी को याद नहीं रहती है। आज हमारे देश में मजदूरों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हर मौसम में अपने शरीर को भस्म करने के उपरांत भी स्थानों पर उनको हक नहीं मिलता है।

आज अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस है। वर्षों से मजदूरों के हितों की बातें होती आ रही हैं मगर धरातल पर योजनाएं फाइलों में दबी रह जाती हैं

हालांकि सरकारें मजदूरों के हितों के लिए काम करती हैं। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों और गरीबों को राशन कार्ड के जरिये ही सस्ता राशन उपलब्ध कराने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को हरी झंडी दी है। केंद्र सरकार का यह फैसला तो सराहनीय है, लेकिन इस योजना की राह में कई बाधाएं आ सकती हैं। मजदूरों के लिए सरकार ने जो संस्थाएं बनाई हैं, वहां उनकी बात को कोई ध्यान से नहीं सुनता है। कई-कई चक्कर लगाने पर उनका हक मिलता है। ईएसआईसी अस्पतालों की हालत खराब है। केंद्र सरकार को निजी क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में भी सोचना चाहिए। उनके भविष्य के लिए योजनाएं बनानी चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

सुव्यवस्थित निगरानी प्रणाली जरूरी

शिक्षा-रोजगार-सूचना आदि अधिकारों के समुचित पालन के लिए बेहतर और आधुनिक निगरानी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। उदाहरण-स्वरूप शिक्षा के अधिकार कानून के तहत गरीब और वंचित वर्ग के न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था के साथ-साथ उनका अन्य धनाढ्य सहपाठियों के संग सामाजिक भेदभाव समाप्त करने हेतु प्रावधान करने की भी सख्त जरूरत है। अधोसंरचना- विकास की कवायद तो बहुत हो चुकीं। अब बच्चों के सीखने की क्षमता/दक्षता की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। एक व्यवस्थित पोर्टल विकसित कर इन कामों की समुचित मॉनिटरिंग जरूरी है। इसी प्रकार रोजगार और सूचना के अधिकारों के ठीक तरह से पालन व निगरानी के लिए भी आधुनिक पोर्टल विकसित किए जाने की आवश्यकता है। शायद तभी 'सुशासन' की परिकल्पना साकार हो सकेगी।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी (बाएं) ने मंगलवार को नौसेना के 26वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। वह 1 जुलाई, 1985 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ एडमिरल त्रिपाठी का करीब 30 वर्ष का लंबा और विशिष्ट करियर रहा है।

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली/एनसीआर। बुधवार, 1 मई 2024

टूडो की गलती

Trudeau

कनाडा में रविवार को हुए एक कार्यक्रम में जिस तरह से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी में खालिस्तान समर्थक नारे लगाए जाते रहे, उस पर भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के डेप्युटी हाई कमिश्नर को तलब कर ठीक ही इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया।

आपत्तिजनक व्यवहार | खालसा दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में न केवल खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए बल्कि ऐसे बैनर प्रदर्शित किए गए, जिनमें भारतीय नेताओं को निज्जर का हत्यारा बताया गया था। अफसोस और चिंता की बात यह रही कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की वहां मौजूदगी के बावजूद इन सबको रोकने की या इन्हें गलत बताने की कोई कोशिश भी नजर नहीं आई।

अलगाववादियों को रोके कनाडा

संबंधों में खटास | इस पूरे मामले में ट्रूडो का व्यवहार राजनयिक पैमाने पर बिल्कुल फिट नहीं बैठता। दोनों देशों के रिश्ते अगर इस मोड़ पर आ गए हैं, जहां उनके बीच भरोसे, आपसी सहयोग और संवाद की कमी है, तो यह अकारण नहीं है। पिछले साल खुद ट्रूडो ने सार्वजनिक रूप से निज्जर हत्याकांड में भारत के शामिल होने का निराधार आरोप लगाया था। भारत के मांगने के बाद भी आज तक उनकी सरकार इस आरोप के पक्ष में कोई सबूत नहीं दे पाई है।

राजनीतिक मजबूरी | भारत बार-बार इस बात को दोहरा रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरह अलगाववादी और अतिवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना न केवल दोनों देशों के रिश्तों के लिए बल्कि खुद कनाडा के लिए भी खतरनाक है। कनाडा में इन तत्वों को जिस तरह का खुला स्पेस दे दिया गया है, उसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है। मगर लंबे काल में यह सबके लिए नुकसानदेह ही साबित होने वाला है।

पड़ोस से सबक | अच्छा होगा कि कनाडा अपने पड़ोसी देश अमेरिका से सबक ले। US में खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर भी सवाल उठे थे। लेकिन सार्वजनिक बयानबाजी करने के बजाय इस मामले को सरकार के स्तर पर उठाया गया। स्वाभाविक ही भारत ने अमेरिकी सरकार की ओर से मुहैया कराए गए सबूतों को गंभीरता से लिया। इस मामले में एक उच्चस्तरीय जांच शुरू हुई। अच्छी बात यह भी है कि इस मामले को दोनों देशों के संबंधों के दरम्यान नहीं आने दिया गया।

बड़ा सवाल | निश्चित रूप से कनाडा इस मामले में एक बहुत बुरे उदाहरण के रूप में सामने आया है, लेकिन खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियां कई और देशों में मसला बनी हुई हैं। सभी संबंधित देशों को देर-सबेर यह समझना होगा कि लोकतांत्रिक स्पेस की आड़ में किसी अन्य देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा करती गतिविधियों को चलने देने की वकालत ठीक नहीं है।

नजरिया

AI क्या करेगा

अंकित विरमानी

Large Language Model (LLM) में क्षमता है कि वह मेडिकल साइंस के सदियों पुराने इतिहास को कुछ पलों में छान मारे। उसमें ताकत है हेल्थ केयर में क्रांतिकारी बदलाव लाने की और बदलाव वह ला भी रहा है। ChatGPT को सशक्त करने वाला LLM जल्द ही अस्पतालों-क्लिनिक में आम हो सकता है, बिल्कुल stethoscope की तरह। तकनीक में यह छलांग बहुत लंबी है। इससे बहुत उम्मीदें जगती हैं, लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं। LLM को मोटा-मोटा समझा जाए तो यह एक तरह का AI प्रोग्रैम है, जो तमाम दूसरे कामों के साथ ही टेक्स्ट पढ़ना और जेनरेट करना भी जानता है। यह रोगी के लक्षणों, मेडिकल हिस्ट्री और डेटाबेस के जरिये बहुत कम समय में जांच कर सकता है। LLM यह अनुमान लगाने में भी डॉक्टरों की मदद कर सकता है कि किसी खास रोगी के लिए किस थेरेपी के कारगर होने की ज्यादा संभावना है। ऐसे में इलाज के दौरान trial-and-error अप्रोच से बचा जा सकता है, साइड इफेक्ट्स के खतरों को कम किया जा सकता है। इसका एक और बड़ा फायदा है, रिसर्च में मदद। इससे मेडिकल फील्ड में नई खोज में गति आ सकती है।

अब आते हैं इस तकनीक के दूसरे पहलू पर, इससे जुड़ी चिंताओं पर। पहली बात तो यही कि यह अचूक नहीं है। गलतियों की आशंका हमेशा बनी रहेगी। यह डेटा की गलत व्याख्या कर सकता है और गलत सलाह दे सकता है। अगर डॉक्टर पूरी तरह LLM मॉडल पर निर्भर हो गए, तो हेल्थ केयर पर गंभीर असर पड़ने से इनकार नहीं कर सकते। AI की जो ताकत है, वही उसकी खामी भी है। यह डेटा से सीखता है। क्या होगा अगर कोई डेटा पूर्वाग्रह से ग्रसित हो? ऐसी स्थिति में डायग्नोसिस और इलाज, दोनों में पुराने पूर्वाग्रह कायम रह सकते हैं। LLM को तैयार करने के लिए उसके साथ जो जानकारी साझा की जाए, उसे फिर पूरी सख्ती से गोपनीय रखा जाए। अगर किसी रोगी की जानकारी लीक होती है, तो यह उसके भरोसे को तोड़ना होगा।

जब दोनों पक्ष हमारे सामने खुल गए हैं, तब कहा जा सकता है कि LLM में हेल्थ केयर को बदलने की क्षमता है, लेकिन उसे मानवीय विवेक का स्थान नहीं लेना चाहिए। गलतियों को कम करने के लिए सुरक्षा उपायों की जरूरत है। जिस डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाना है, उसकी जांच हो। डिवेलपर्स की अलग-अलग टीमें चाहिए होंगी। संभावित कमियों को दूर कर दिया जाए, तो LLM मेडिकल फील्ड में बहुत मददगार हो सकता है। तकनीक आए, लेकिन डॉक्टरों के सहायक के रूप में। आखिरी निर्णय हमेशा डॉक्टरों पर छोड़ा जाए।

एकदा

कैदियों को दिलाए पैसे

ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जब सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा में चयनित हुए, तब अंग्रेज अफसरों की ज्यादती चरम पर थी। उन्हें लगा कि सरकारी सेवा में रहकर कोई आंदोलन नहीं किया जा सकता। लिहाजा उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके पूर्व नेताजी ने कलकत्ता से प्रकाशित दीनबंधु अखबार के संपादक चितरंजन दास को पत्र लिखकर सरकारी नौकरी छोड़ने, अखबार में काम करने और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अभियान चलाने में अग्रणी भूमिका निभाने की अपनी मंशा स्पष्ट की थी। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के एवज में वर्ष 1921 में उन्हें गिरफ्तार कर बर्मा के मांडले सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वहां से वह नियमित रूप से 'दीनबंधु' साप्ताहिक के संपादक को पत्र लिखकर आंदोलन में ऊर्जा भरने का काम कर रहे थे। नेताजी के उन पत्रों का संकलन 'तरुण के स्वप्न' नामक पुस्तक में किया गया है। नेताजी के जेल में रहते ही एक और घटना हुई। जेल कानूनों में प्रावधान होने के बावजूद विजयादशमी पर्व पर कैदियों को उनके श्रम का पारितोषिक नहीं दिया गया। विरोधस्वरूप नेताजी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आखिर ब्रिटिश हुकूमत को उनकी मांग माननी पड़ी और कैदियों को पहली बार 30 रुपये पर्व मनाने के लिए दिए गए। कैदियों को पारितोषिक के इस नियम का पहली बार पालन किया गया। उनके नारे 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा' का तो जिक्र होता है, लेकिन नेताजी के इन योगदानों पर ज्यादा चर्चा नहीं होती।

Subrata Dhar

संकलन : **सलिल पांडेय**

मानव अंगों के अवैध कारोबार पर रोक लगाना सही है, लेकिन ज़िंदगी बचाना भी कम ज़रूरी नहीं

'करीबी रिश्तेदार' का दायरा बढ़ाए सरकार

राजेश चौधरी

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में हाल ही में कहा कि अपने भाई को किडनी डोनेट करना हो तो महिला के लिए पति की इजाजत लेना जरूरी नहीं है। दरअसल, अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में कहा था कि किडनी डोनेट करने से पहले महिला को पति से NOC लेना होगा।

अस्पतालों का रुख | किडनी या अन्य अंग डोनेट करने को लेकर कानूनी प्रावधान बने हुए हैं। लेकिन जब कोई महिला अपने भाई या बहन को अंग डोनेट करना चाहती है तो अस्पताल प्रशासन उसे अपने लाइफ पार्टनर से अनुमति लेने को कहता है। दिलचस्प है कि जब महिला अपने पति को ऑर्गन डोनेट करती है, तब कोई सवाल नहीं उठता। सवाल तभी उठता है जब महिला अपने ब्लड रिलेशन वाली फैमिली में ऑर्गन डोनेट करना चाहती है। इस लिहाज से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला काफी अहम माना जा रहा है।

नियम क्या है | ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिसू एक्ट 1994 के तहत ऑर्गन डोनेशन के लिए नियम तय किए गए हैं। इस कानून की धारा-9 नजदीकी रिश्तेदार द्वारा लिवर डोनेशन की इजाजत देती है। नजदीकी रिश्तेदारों में पति, पत्नी के अलावा बेटा, बेटी, पिता, माता, भाई, बहन, दादा, दादी, पोता और पोती को रखा गया है। यानी ये सब एक-दूसरे को लिवर डोनेट कर सकते हैं। इस कैटिगरी में कजन को नहीं रखा गया है।

बदलते सामाजिक हालात | मौजूदा दौर में सिंगल पैरेंटिंग के काफी मामले दिखते हैं। बहुत से कपल सिर्फ एक बच्चा पैदा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पैदा होने और पलने-बढ़ने वाले बच्चे को अगर किसी विशेष परिस्थिति में किसी ऑर्गन की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। क्योंकि ऐसे बच्चों को न भाई होते हैं और न बहन। जो नियम है उसमें कजन को ऑर्गन देने या लेने की इजाजत नहीं है।

क्यों मुश्किल हुआ ऑर्गन डोनेशन

- करीबी रिश्तेदार ही डोनेट कर सकते हैं
- करीबी रिश्तेदारों में कजन भी नहीं आते
- देश में ऑर्गन बैंक भी नहीं बने हैं

सुप्रीम कोर्ट का फैसला | पिछले साल ऐसा एक मामला आने पर सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल के कजन के लिए लिवर डोनेट करने की इजाजत दी थी। तीन साल के बच्चे की जिंदगी बचाने और कानून के शब्दों पर सख्ती से अमल करने के बीच कोई एक विकल्प चुनना था और कोर्ट ने जिंदगी बचाने का विकल्प चुना। उस मामले में 31 साल के डोनर और उसके 3 साल के कजन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर लिवर ट्रांसप्लांटेशन की इजाजत मांगी गई थी। जाहिर है, उस फैसले में कजन को करीबी रिश्तेदारों के दायरे में शामिल माना गया था।

AI Image

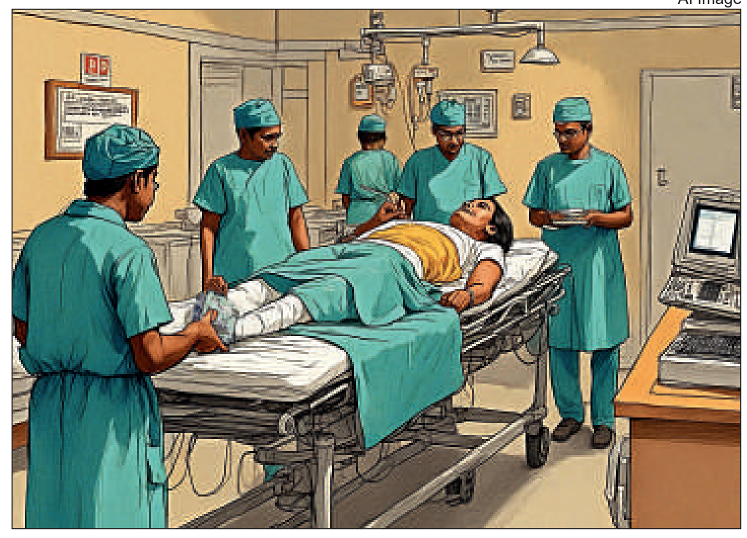

स्नेह का आधार | इसी तरह 12 साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया था, जब किडनी लेने और देने वालों के बीच कोई रिश्ता नहीं था। 2012 के उस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला की अर्जी का निपटारा करते हुए कहा था कि प्यार और स्नेह के आधार पर किडनी डोनेशन किया जा सकता है। स्नेह और प्यार सिर्फ नजदीकी रिश्तेदारों से हो, यह जरूरी नहीं। कई बार यह दूर के रिश्तेदार से भी मिल सकता है। जो रिश्तेदार नहीं हैं उनसे भी स्नेह मिल सकता है।

ऑर्गन बैंक भी नहीं | ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन इंडिया विषय पर रिसर्च कर चुकी अंजू वली टिक्कू का मानना है कि देश भर में हर साल एक लाख लोगों को किडनी की जरूरत पड़ती है। इनमें सिर्फ पांच फीसदी को वैध तरीके से किडनी मिल पाती है। यानी किडनी की डिमांड काफी ज्यादा है, लेकिन उसकी उपलब्धता बहुत कम। भारत में विदेश की तर्ज पर ऑर्गन बैंक भी नहीं है।

टेस्ट अप्रूव नहीं होते | इंडियन मेडिकल असोसिएशन एक्शन कमिटी के चेयरमैन विनय अग्रवाल बताते हैं कि कानून का उद्देश्य अवैध कारोबार को रोकना है, लेकिन जरूरी यह भी है कि जरूरतमंदों को ऑर्गन मिले और अमूल्य जीवन बचाया जा सके। पति, पत्नी और नजदीकी रिश्तेदार कानूनन एक-दूसरे को किडनी दे सकते हैं, लेकिन यह प्रावधान कई मामलों में काम नहीं आता क्योंकि कई बार मेडिकल टेस्ट अप्रूव नहीं होता है।

ऑर्गन बचाने की कोशिश | विदेश में सात-सात दिन तक बॉडी को सुरक्षित रखा जाता है ताकि परिवार की सहमति लेकर ऑर्गन बचाए जा सकें और जरूरतमंदों की मदद के वास्ते उन्हें आर्गन बैंक में रखा जा सके। हजारों लोग हमारे यहां सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। समय रहते अगर व्यवस्था की जाए तो सड़क हादसे में जान गंवा चुके लोगों की किडनी और दूसरे अंगों का इस्तेमाल अन्य लोगों की जान बचाने और मदद के लिए किया जा सकता है।

दायरा हो व्यापक | मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजर डालें तो जाहिर होता है मौजूदा कानून अवैध करोबार पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया है, लेकिन लोगों के जीवन को बचाना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में अदालती फैसलों की भावनाओं के अनुरूप बदलती सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए नजदीकी रिश्तेदार की परिभाषा को व्यापक किया जाना चाहिए। साथ ही, ऑर्गन बैंक बनाने की भी दरकार है ताकि कानूनी दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके और अंगों के अवैध कारोबार पर भी अंकुश लगा रहे।

अगस्त-सितंबर में मौसम दे सकता है सरप्राइज

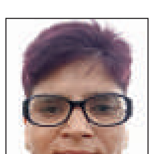

पूनम गौड़

इस बार अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही देश के कुछ हिस्सों में लू चली। अब एक बार फिर कई हिस्सों में लू का प्रकोप शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, इस बार मई-जून में देश का 80% से अधिक हिस्सा भयानक गर्मी की चपेट में होगा। 2023 में देश के 60% हिस्से में जून में भयंकर गर्मी पड़ी थी।

ला लीना में देरी | इस साल राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में लू का प्रकोप अधिक देखने को मिलेगा। जून के बाद भी इस भयंकर गर्मी से राहत मिलेगी, इसकी संभावना कम है। कारण यह है कि अल नीनो जून में खत्म होने की संभावना है। इसके बाद ला नीना को विकसित होने में कुछ समय लग सकता है। माना जा रहा है कि अगस्त में ला नीना का असर दिखना शुरू होगा। इसी वजह से मॉनसून भी अगस्त और सितंबर में काफी अच्छा रहेगा। इससे पहले देश का ज्यादातर हिस्सा गर्मी से झुलसेगा। लू के दौरान तापमान सामान्य से पांच डिग्री तक ज्यादा रहता है।

प्री-मॉनसून में कम बारिश | पिछले साल 31 मई से 20 जून तक हीट वेव का सबसे लंबा रेकॉर्ड बना था। मई और जून में देश के दक्षिणी, मध्य और पूर्वी हिस्से सबसे अधिक गर्मी झेलेंगे। इन महीनों में बारिश भी कम होने की संभावना है। प्री-मॉनसून सीजन में बारिश की यह कमी गर्मी की सबसे बड़ी वजह बनेगी।

सेहत पर बुरा असर | बढ़ती गर्मी का लोगों की सेहत पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह जानलेवा हो सकती है। गर्मी के दौरान अत्यधिक थकान, डी-हाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक के खतरे अधिक रहते हैं। लू की वजह से कुछ राज्यों में मौतें तक होने की आशंका बनी रहती है। बिजली की खपत बढ़ने से लोड बढ़ता है और पावर ग्रिड में भी समस्या आती है। ऐसे में बिजली संकट स्थिति को और विकराल बना सकता है।

चुनाव पर असर | शुरुआती दो चरणों की वोटिंग पर इसका साफ असर देखा गया।

कॉमन रूम

जैसे-जैसे मतदान के चरण आगे बढ़ेंगे वैसे-वैसे गर्मी का प्रकोप भी बढ़ेगा। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए मौसम विभाग इस बार चुनाव आयोग को पंद्रह दिन और एक हफ्ते का पूर्वानुमान जारी कर रहा है। अत्यधिक गर्मी और लू के दौरान वोटिंग प्रतिशत और कम हो सकता है। खासतौर पर शहरी इलाकों में। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी गर्मी से निपटने की तैयारियों को लेकर हाई लेवल समीक्षा बैठक की थी। इसमें जरूरी दवाओं, आइस पैक, ORS और पीने के पानी को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया गया।

जल संकट | गंगा, गोदावरी, नर्मदा समेत देश की 12 नदियों में पिछले साल की तुलना में पानी कम है। दक्षिण भारत की 13 नदियों में तो पानी है ही नहीं। ऐसे में गर्मी के साथ देश के कई हिस्सों में पानी की कमी हो सकती है। अधिकांश नदियों के बेसिन में 40% से कम पानी भंडार है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, पेन्नार, नर्मदा, तापी, साबरमती, गोदावरी, महानदी, कावेरी आदि नदियों में पानी तेजी से कम हो रहा है।

जलाशयों में कम पानी | केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि भारत के 150 प्रमुख जलाशयों में पानी जमा करने की उनकी कुल क्षमता 36% से कम है। इनमें ज्यादातर जलाशय दक्षिण राज्यों तथा महाराष्ट्र और गुजरात में हैं। आयोग के पास 20 नदियों के बेसिन का डेटा रहता है। गंगा बेसिन में महज 41.2% पानी है। नर्मदा में 46.2%, तापी में 56%, गोदावरी में 34.76%, महानदी में 49.53% और साबरमती में 39.54% पानी की कमी है। महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व दिशा में बहने वाली 13 नदियां सूख चुकी हैं। ये नदियां आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा से होते हुए बहती हैं।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

कर्मों का भुगतान हमें हर हाल में करना पड़ता है

संत राजिन्दर सिंह जी महाराज

युगों-युगों से संत-महात्मा, धर्मों के संस्थापक शाकाहार पर जोर देते रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि वे कर्मों का विधान जानते हैं। भौतिक विज्ञान (Physics) में हम पढ़ते हैं, 'हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है'। इस सिद्धांत के नैतिक दृष्टिकोण से हम कर्मों के विधान को समझ सकते हैं। आजकल वैज्ञानिक हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगों की शक्ति पर जांच कर रहे हैं। ये तरंगें विचारों, वचनों और कार्यों की प्रतिक्रिया के रूप में हमारे अंदर से प्रकट होती हैं। यही कर्मों का विधान कहता है कि 'जब भी कोई कार्य किया जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है।'

प्राचीन हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन धर्मों के मूल सिद्धांतों में से एक है कर्मों का विधान। यह हमारी आत्मा के स्तर पर हमें प्रभावित करता है। हमारे विचारों, वचनों और कर्मों को दर्ज किया जाता है, इसीलिए जब ये अच्छे होते हैं तो हमें उसका अच्छा फल मिलता है और जब ये बुरे होते हैं, तो हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। यह इस दुनियावी इंसान के कानून की तरह है, जो सजा और पुरस्कार पर आधारित है। बाइबल में भी लिखा है, जैसे को तैसा (an eye for an eye, a thooth for a thooth)। कुछ दूसरे धर्मग्रंथों में यह भी आया है कि हमारे जीवन के कर्मों के आधार पर हमें स्वर्ग या नरक में स्थान दिया जाता है।

संत-महात्मा जिन्होंने परमात्मा को पाया है और आंतरिक मंडलों के राज खोले हैं, वे अपने अनुभव के आधार पर हमें कर्मों के विधान के बारे में समझाते हैं। इसीलिए जो लोग उनसे ज्योति और श्रुति का निज अनुभव लेना चाहते हैं, वे उन्हें बताते हैं। वे उन्हें शाकाहार का पालन करना होता है। आध्यात्मिक गुरु नहीं चाहते कि हम नए कर्म बनाएं और फिर उन्हें भुगतने के लिए दोबारा इस धरती पर आने को मजबूर हों। यदि हम किसी जीव की हत्या करते हैं तो उस कर्म का भुगतान हमें करना ही पड़ता है। बौद्ध धर्म में भी ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें लोगों को पिछले जन्म के कर्म का नतीजा भुगतना पड़ा था।

यह बात विचार करने योग्य है कि संत-महापुरुष जिन्होंने परमात्मा को पाया है, वे अपने अनुभव के आधार पर कर्मों का विधान सिखाते हैं। जो लोग इस सिद्धांत की पुष्टि करना चाहते हैं वे संत-महात्माओं की तरह परीक्षण करके अंतर के मंडलों में जा सकते हैं। वहां जाकर वे कर्मों के विधान की सत्यता का पता लगा सकते हैं। जिन्होंने near-death experience, यानी मृत्यु के नजदीक के अनुभव किए हैं, उन्होंने बताया है कि वे रोशनी से भरपूर क्षेत्र में आ गए और अपने जीवन की समीक्षा कर अपने अच्छे और बुरे सभी कार्यों को देखा। उन्होंने दूसरे लोगों को देखा ही नहीं बल्कि महसूस भी किया कि जब वे उनसे अच्छा या बुरा बर्ताव करते थे, तब उन्हें कैसा लगता था? इन अनुभवों से वे प्रेम के मुख्य सिद्धांत को समझ पाए। जीवन में वापसी के बाद ऐसे लोग अधिक प्रेममय और दूसरों का ख्याल रखने वाले बन गए। वे कर्मों के विधान को भी समझ पाए, जिससे कि उन्होंने सदाचारी जीवन जीते हुए अपना ध्यान पिता-परमेश्वर की ओर लगाया। आइए, हम भी ध्यान-अभ्यास के माध्यम से पिता-परमेश्वर के प्रेम और शांति का अनुभव करें।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बुधवार • 1 मई • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

दुनिया में सबसे ताकतवर 'इंसान' वह होता है, जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता।
-विवेकानंद

गंभीर विचार की जरूरत

कर्नाटक की हासन लोक सभा सीट से जनता दल (सेक्युलर) के सांसद और वर्तमान चुनाव में प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना का जो कथित 'सेक्स स्कैंडल' उजागर हुआ है, उसने राजनीति में भूचाल ला दिया है। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। उनके चाचा एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पिता एचडी रेवन्ना विधायक हैं। हासन सीट पर 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है, लेकिन मतदान से पहले ही प्रज्वल के बहुत सारे वीडियो प्रचारित हुए जिनमें उनका कई लड़कियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होना दर्शाया गया है। चुनाव से पहले इन वीडियो को व्यापक तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना यह तो

स्पष्ट संकेत देता है कि रेवन्ना के विरोधियों ने बहुत ही सुनियोजित और शातिराना तरीके से इस काम को अंजाम दिया और उसका परिणाम भी वह हुआ जो अपेक्षित था। जनता दल (एस) कर्नाटक में भाजपा का सहयोगी दल है। कुछ दिन पहले प्रज्वल रेवन्ना मोदी के साथ एक मंच पर दिखाई दिए थे। विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस ने केवल भाजपा पर ही नहीं, बल्कि सीधे नरेन्द्र मोदी को कठघरे में खड़ा कर दिया। प्रियंका गांधी ने तो सीधे-सीधे कहा कि एक राक्षस हजारों लड़कियों का यौन उत्पीड़न करके भाग जाता है, लेकिन इन्हें इसका पता नहीं लगता और मोदी इस पर चुप्पी मार जाते हैं। प्रियंका गांधी की यह प्रतिक्रिया अतिवादी हो सकती है, लेकिन उन्हें यह प्रतिक्रिया देने का अवसर एक प्रतिष्ठित राजनीतिक घराने से संबंध रखने वाले लंपट चरित्र के एक सांसद ने उपलब्ध कराया है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी हमेशा देश की नारी शक्ति के साथ खड़ी है और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और उसकी जिम्मेदारी है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जनता दल (एस) ने भी जांच पूरी होने तक के लिए प्रज्वल को निलंबित कर दिया है, लेकिन इतना सब होना ही पर्याप्त नहीं है। केवल इतने भर से जनता दल (एस) या भाजपा का दायित्व खत्म नहीं हो जाता। सभी राजनीतिक दलों का दायित्व है कि वे विचार करें कि आखिर, एक राजनेता कैसे सामान्य महिलाओं को अपना शिकार बना लेता है, और प्रतिरक्षण एवं अभयदान देता है, और क्यों वे महिलाएं, जिनके सशक्तिकरण का डंका जोर-शोर से बजाया जा रहा है, अपने शोषण के मामले में असहाय नजर आती हैं। इसके वास्तविक कारणों की पड़ताल जरूरी है।

सरकार को फटकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पारित अपने आदेश में कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री बने रहने का उनका फैसला निजी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्कूली बच्चों के मौलिक अधिकारों को रौंद दिया जाए। अदालत ने दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में बच्चों को किताबें उपलब्ध न होने के मामले में दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए निगमायुक्त को निगम के स्कूली बच्चों के लिए पाठ्यसामग्री के लिए अपनी सीमा से बाहर जाकर राशि आवंटित करने का निर्देश दिया। इस काम में केजरीवाल के जेल में होने के कारण विलंब हो रहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ गैर-सरकारी संगठन 'सोशल जूरिस्ट' की जनहित याचिका पर

सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि दिल्ली व्यस्त राजधानी ही नहीं है, बल्कि उसका या किसी भी अन्य राज्य में मुख्यमंत्री का पद कोई औपचारिक पद नहीं है। यह ऐसा पद है, जहां पदधारक को बाढ़, आग और बीमारी जैसी प्राकृतिक आपदा या संकट से निपटने के लिए 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध रहना पड़ता है। इसलिए राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित की मांग है कि इस पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक या अनिश्चित समय के लिए संपर्क से दूर या अनुपस्थित न रहे। बेशक, स्कूली बच्चों को पाठ्यपुस्तकों, लेखन सामग्री और वर्दी मिलने में पेश आ रही समस्याओं का अब त्वरित समधान हो सकेगा। लेकिन आने वाले दिनों में अदालत को इस तरह के तमाम फैसले देने पड़ सकते हैं, जो आम जन के सरोकार से जुड़े हो सकते हैं। कारण, जब से केजरीवाल ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में पीएमएलए के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं, तभी से दिल्ली सरकार और उससे आवंटित धन के जरिए काम चलाने वाले नगर निगम में सारा कामकाज ठप सा पड़ गया है। केजरीवाल जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व निभाना चाहते हैं। इस बाबत कोई स्पष्ट नियम न होने के कारण उन्हें अपनी जिद पर अड़े रहने में मदद मिल रही है। होना तो यह चाहिए कि उन्हें अपनी पार्टी के किसी अन्य विधायक को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा देनी चाहिए ताकि जनता के काम न रुकें। जनता से जुड़े कार्यों में भी राजनीति होने लगेगी तो आने वाले दिनों में दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं, और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वालों की संख्या बढ़ना भी तय है।

मजदूर दिवस/योगेश कुमार गोयल

आज भी हैं हाशिये पर

उद्योग, व्यापार, भवन निर्माण, पुल, सड़कों का निर्माण, कृषि इत्यादि समस्त क्रियाकलाप में श्रमिकों के श्रम का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है, और वर्तमान मशीनी युग में भी उनकी महत्ता कम नहीं है। समाज के इसी वर्ग के लिए प्रति वर्ष 1 मई को 'अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस' अथवा 'मजदूर दिवस' मनाया जाता है, जिसे 'मई दिवस' भी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाए जाने की शुरुआत अमेरिका में 8 घंटे से ज्यादा काम न कराने के लिए की गई कुछ मजदूर यूनियनों की हड़ताल के बाद 1 मई, 1886 से हुई थी।

दरअसल, वह ऐसा समय था जब कार्यस्थल पर मजदूरों को चोट लगना या काम करते समय उनकी मृत्यु हो जाना आम बात थी। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने, कार्य करने के घंटे कम करने तथा सप्ताह में एक दिन के अवकाश के लिए मजदूर संगठनों द्वारा पुरजोर आवाज उठाई गई। 1 मई, 1886 का ही वह दिन था, जब वह हड़ताल हुई थी और शिकागो शहर के हेय मार्किट चौराहे पर उनकी रोज सभाएं होती थीं। 4 मई, 1886 को जब उस हड़ताल के दौरान पुलिस भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास कर रही थी, उसी दौरान किसी अज्ञात शख्स ने एकाएक भीड़ पर बम फेंक दिया। उसके बाद पुलिसिया गोलीबारी के कारण कई श्रमिक मारे गए। और तभी से हर साल मई दिवस मनाया जाने लगा।

श्रमिक दिवस और श्रम के महत्त्व को रेखांकित करते हुए एडम स्मिथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि दुनिया की सारी संपदा को सोने-चांदी से नहीं, बल्कि मजदूरी के द्वारा खरीदा जा सकता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि वह अमेरिका पर भरोसा करता है, फिर भी मजदूर से डरता है तो वह बेवकूफ है, और कोई कहे कि वह अमेरिका से प्यार करता है, फिर भी मजदूर से नफरत करता है, तो वह झूठा है। फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट का कहना था कि किसी व्यवसाय को ऐसे देश में जारी रहने का अधिकार नहीं है, जो अपने श्रमिकों से जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मजदूरी से भी कम मजदूरी पर काम करवाता है। जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मजदूरी से उनका आशय सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह से था।

संशय की नहीं रही गुंजाइश

ईवीएम

प्रमोद भार्गव

सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के फैसले से ईवीएम में डाले गए वोट और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) से मतदान कराने की सुविधा को क्लीन चिट मिल गई है। अतएव मतपत्र से चुनाव कराने की पुरानी पद्धति और वीवीपैट से निकली पर्चियों की शत-प्रतिशत गिनती कराने की मांग से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा, 'आंखें मूंदकर केवल शक की बुनियाद पर किसी भी नई व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत है।' अलबत्ता, चुनाव आयोग को इतना निर्देश जरूर दिया है कि चुनाव परिणाम के बाद सिंबल यूनिट को 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाए जिससे यदि कोई उम्मीदवार जांच की मांग करता है तो उसकी मांग की पूर्ति की जा सके। इस फैसले के परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि अपारदर्शिता की बेहूदी दलीलों और मीडिया में आईं खबरों के आधार पर मतदान की इस तकनीकी पद्धति पर सवाल खड़े करना कुतर्क के अलावा कुछ नहीं है। जस्टिस दत्ता ने तो 18 पृष्ठ के अलग से लिखे फैसले में यहां तक कह दिया, 'हाल के कुछ वर्षों में कुछ निहित स्वार्थों वाले समूहों द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धियों को कमजोर करने के प्रयासों का रुझान बढ़ रहा है। इन कोशिशों को शुरू होने से पहले ही खत्म करना होगा। मतपत्र से मतदान कराने की प्रणाली दोबारा लौटाने का प्रश्न न तो उठता है और न ही भविष्य में उठ सकता है। हां, भविष्य में जनता की मांग पर ईवीएम में सुधार या इससे बेहतर प्रणाली लागू की जा सकती है।'

जस्टिस दत्ता के कथन से साफ है कि कुछ पूर्वाग्रही समर्थ लोग देश की उस हरेक प्रणाली और उपाय को खारिज करना चाहते हैं, जो अधिकतम पारदर्शी होने के साथ अपनाने में सरल है। इसीलिए भारत की इस चुनाव प्रक्रिया की पूरी दुनिया में तारीफ होती है और दुनिया के अनेक लोकतांत्रिक देश इस चुनाव प्रणाली को भारत से सीखने के लिए भारतीय अधिकारियों को अपने देश में आमंत्रित करते हैं। अतएव कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों, जो अपनी हार को छिपाने के लिए ईवीएम का दुष्प्रचार करते हैं, को स्वयं अपनी नेतृत्व क्षमता का मूल्यांकन करने के साथ मतदाता की बदली मानसिकता को भी समझने की जरूरत है। यदि दल अपने घोषणापत्रों में ओबीसी के 27 प्रतिशत निर्धारित आरक्षण में कर्नाटक के सभी मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग में जोड़कर आरक्षण देने की बात कहेंगे और देश के समृद्ध व व्यवसायी लोगों की कमाई को अन्य लोगों में बांटने की बात करेंगे तो मतदाता इतना तो जानता ही है कि उसका हित किन नीतिगत उपायों में सुरक्षित रहने वाला है? इसलिए कहा जा सकता है कि ईवीएम को

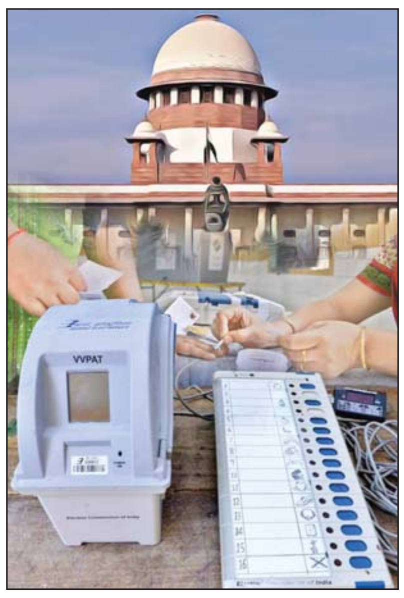

निशाना बनाने वाले और राष्ट्रीय उपलब्धियों को कमजोर करने वालों को जनता वोट क्यों दे? जब मतपेटियों में मतपत्र से वोट डाले जाते थे, तब उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मतपेटियां लूटने या जबरिया वोट डालने की प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने में इतनी हिंसा होती थी कि दर्जनों लोग मौत के घाट उतार दिए जाते थे। गरीबों और दलितों को वोट डालने नहीं दिया जाता था। बाहुबली नेता अपने गुर्गों से इकतरफा वोट डलवा लिया करते थे।

लेकिन अब जब तकनीक से जुड़ी ईवीएम से वोट डालने की सुविधा मतदान से वंचित कर दिए जाने वाले लोगों को मिल गई तो इस ताकत से मत-प्रतिशत तो बढ़ा ही वोट हड़पने वाली शक्तियां भी नौ, दो, ग्यारह होती चली गईं। कहा जा सकता है निष्पक्ष मतदान पर विश्वास नहीं करने वाले नेताओं की मंशा पर पानी फिर गया। पश्चिम बंगाल में अभी भी ग्राम पंचायत चुनावों में जो मतपत्र से चुनाव होता है, उसमें मतपेटियां लूटने और अनेक प्रकार से धांधली करने के मामले सामने आए हैं। तय है, ईवीएम चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ी पहल है, इससे मतदान तो पारदर्शिता के साथ होता ही है, मतगणना भी त्वरित होती है। अन्यथा मतपत्रों की गिनती में दो से तीन दिन तक लग जाया करते थे। इससे मतगणना में लगे कर्मचारियों को मानसिक प्रताड़ना के साथ अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ईवीएम में पहले यह पता नहीं चलता था कि मतदाता ने जिस प्रत्याशी को वोट दिया है उसी को मिला है, अथवा नहीं? किंतु अब ईवीएम में सुधार कर इस समस्या का समाधान कर लिया गया है। अब मतदाता जिसे वोट देता है, वह वीवीपैट पर दिखाई देता है।

चुनाव सुधार की दृष्टि से चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम (आरवीएस) तैयार किया है। इस मशीन की मदद से अब मूल मतदान स्थल से दूर रह रहे किसी दूसरे राज्य या शहर में रहने वाले मतदाता लोक सभा और विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे यानी मतदान के लिए उन्हें अपने मूल निवास स्थल पर आने की जरूरत नहीं रह जाएगी। चुनाव सुधार की दृष्टि से यह पहल अमल में आती है तो ऐतिहासिक होगी। नतीजतन, उन 45 करोड़ लोगों को वोट डालने का अवसर मिलेगा, जो अपने घरों से दूर रहते हैं। यह उपाय मत-प्रतिशत बढ़ाने का भी काम करेगा।

हालांकि जब भी चुनाव सुधार की दृष्टि से जो भी उपाय सामने लाया जाता है, तो विपक्ष उसका विरोध करता ही है। जब ईवीएम से मतदान अनिवार्य किया गया था, तब भी इसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए गए थे। आज भी जो दल चुनाव में हार जाता है, वह ईवीएम में गड़बड़ी के सवाल उठा देता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आदर्श स्थिति यही है कि हरेक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे। इस नाते 2005 में भाजपा के एक सांसद लोक सभा में 'अनिवार्य मतदान' संबंधी विधेयक लाए भी थे। लेकिन बहुमत नहीं मिलने के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका था। कांग्रेस और अन्य दलों ने इस विधेयक के विरोध का कारण बताया था कि दबाव डालकर मतदान कराना संविधान की अवहेलना है। हमारे यहां आर्थिक रूप से संपन्न सुविधाभोगी जो तबका है, वह अनिवार्य मतदान को संविधान में दी निजी स्वतंत्रता में बाधा मानते हुए इसका मखौल उड़ाता है। मतदान की अनिवार्यता अथवा आरवीएम से सुविधा का मतदान कथित अल्पसंख्यक और जातीय समूहों को 'वोट बैंक' की लाचारगी से भी छुटकारा दिलाएगी।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों, जो अपनी हार छिपाने के लिए ईवीएम का दुष्प्रचार करते हैं, को स्वयं की नेतृत्व क्षमता का मूल्यांकन करने के साथ मतदाता की बदली मानसिकता को समझने की जरूरत है। यदि दल अपने घोषणापत्रों में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण में कर्नाटक के मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग में जोड़कर आरक्षण की बात कहेंगे तो कहा जा सकता है कि ईवीएम को निशाना बनाने वालों और राष्ट्रीय उपलब्धियों को कमजोर करने वालों को जनता वोट क्यों दे

भारतीय निर्यातकों ने 2023 में यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी देशों को निर्यात में अच्छी वृद्धि दर्ज की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, जीवन यापन की ऊंची लागत, कमजोर बाहरी मांग के चलते यूरोपी संघ और ब्रिटेन जैसे बड़े बाजारों में परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। इसके बावजूद भारतीय वस्तुओं का निर्यात 2023 में यूरोपीय संघ को 2.1 प्रतिशत बढ़ गया

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

क्या कर्नाटक पुलिस ने सीबीआई से प्रज्वल रेवन्ना का अता-पता लगाने के लिए इंटरपोल से मदद लेने का आग्रह किया है? क्या केंद्र सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है ताकि उसे वापस भारत लाया जा सके?

रोहिणी सिंह, पत्रकार
@rohini_sgh

गेंद और बल्ले का बिगड़ा है संतुलन

आईपीएल **मनोज चतुर्वेदी**

आईपीएल-2024 को बल्लेबाजों के दबदबे के रूप में याद रखा जाएगा। इससे पहले तक 250 रन से ऊपर के स्कोर को जीत के लिए सुरक्षित माना जाता था। लेकिन इस सीजन में यह स्कोर भी सुरक्षित नहीं रहा। याद करिए केकेआर और पंजाब किंग्स के मुकाबले को। इसमें केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करके 262 रन बनाए जिसे किसी अन्य सीजन में पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता। पर पंजाब किंग्स ने आठ गेंदें बाकी रहते लक्ष्य पाकर सभी को हैरत में ही नहीं डाला, बल्कि टी-20 इतिहास में चेज करने का रिकॉर्ड भी बना डाला। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने सबसे बड़ा लक्ष्य 259 रनों का हासिल किया था। इस टी-20 लीग में बल्लेबाजों के गेंदबाजों पर हावी रहने के कई कारण हैं।

पिछले दिनों गेंदबाजों की दयनीय हालत देखने पर कई पूर्व क्रिकेटरों ने इस स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ सुझाव दिए थे जिनमें एक सुझाव बाउंड्री रेखा को बढ़ाने का भी था। पर सवाल है कि जब 100 मीटर से ज्यादा के छक्के लग रहे हों तो क्या बाउंड्री बढ़ाने का कोई फायदा नजर आता है। मुझे लगता है कि इसमें विकेट का व्यवहार, आधुनिक बल्लों और आक्रामक शॉटों की भूमिका अहम है। इन वजहों से आईपीएल में इस सीजन में गेंदबाजों की मुश्किलों में थोड़ा इजाफा हुआ है। तमाम बार देखा गया है कि गेंदबाजों की समझ में नहीं आता कि गेंद डालें तो कहां। श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन कहते हैं कि स्पिन गेंदबाजों ने गेंद को घुमाना ही बंद कर दिया है। वे गति में बदलाव से विकेट लेना चाहते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि स्पिनरों को सफलता मिलना कम हो गया है। यही वजह है कि विकेट लेने के मामले में टॉप 20 गेंदबाजों में चार स्पिनर युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ही शामिल हैं। भारत में आम तौर पर सूखे विकेट बनते रहे हैं, जिन पर पेसरों को शुरुआत में स्विंग और सीम मूवमेंट मिलता था और खेल की प्रगति के साथ स्पिनरों को मदद मिलती थी। इस तरह से गेंद और बल्ले में संतुलन बना रहता था पर जलवायु में आए बदलाव ने इस संतुलन को किसी हद तक बिगाड़ दिया है।

इस सीजन में ज्यादा गर्मी पड़ने से विकेट ज्यादा सूख गए हैं, और कई बार बेमौसम बारिश ने स्थिति को और बिगाड़ा है। एक क्यूरेटर ने कहा है कि ज्यादा गर्मी पड़ने से

विकेट ज्यादा सूख गए हैं, और विकेट पर घास नहीं छोड़े जाने से नमी विकेट में नहीं जा रही। मौसम में नमी की कमी की वजह से भी इस बार विकेट का व्यहार बदला हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो गेंदबाजों को विकेट से मदद नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ यंग ब्रिगेड ज्यादा आक्रामक अंदाज में खेलती है और उनके खेलते समय उनके दिमाग में इस बात का डर कतई नहीं होता कि सामने गेंदबाजी करने वाला मिचेल स्टार्क है या ट्रेंट बोल्ट।

अब हम पेसरों की बात करें तो उनका प्रमुख हथियार यॉर्कर होता है पर अब बल्लेबाजों ने क्रीज में काफी अंदर खड़े होकर यॉर्कर के असर को कम किया है। बाकी का काम लेप शॉट, रिवर्स फ्लिक जैसे शॉटों से खत्म कर दिया है। मौजूदा समय में बल्लेबाज रन गति बढ़ाने के लिए छक्के लगाने से गुरेज नहीं करते। इस कारण ही दिल्ली केपिटल्स के जैक मेकगर्क दो बार 15 गेंदों में अर्धशतक लगा चुके हैं। मैचों में बनते बड़े स्कोरों और गेंदबाजों की धुनाई पर रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया पर सेव गेंदबाज अभियान छेड़ा था। वह पहले छह मैचों में कोई भी विकेट नहीं ले पाने से कितने आहत रहे होंगे। यही वजह है कि पूर्व भारतीय कप्तान बल्ले और गेंद में संतुलन को जरूरी मानते हैं। वहीं सुनील गावस्कर चाहते हैं कि सीमा रेखा की दूरियों को बढ़ा दिया जाए पर बीसीसीआई जानता है कि दर्शकों का ज्यादा चौके-छक्के लगने से मनोरंजन होता है, इसलिए वह शायद ही गेंद और बल्ले में संतुलन बनाने का प्रयास करे।

छक्कों और चौकों में लगातार इजाफा होने की वजह आधुनिक बल्ले भी हैं। कई बार पेस गेंदबाजों की गेंद बल्ले का किनारा लेकर छक्के के लिए मैदान से बाहर जा रही है। आधुनिक बल्लेबाजों की थ्रो का ही कमाल है कि अब तक खेले जा चुके 38 मैचों में 678 छक्के लग चुके हैं। यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो जल्द ही पिछले साल बने 1124 छक्कों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। बल्लेबाजों के खेल के अंदाज में आई आक्रामकता का ही कमाल है कि इस सीजन में सात बार 260 से ज्यादा का स्कोर बन चुका है। पिछले सीजन तक सिर्फ दो बार ही 250 से ज्यादा का स्कोर बना था। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही 300 का स्कोर और किसी खिलाड़ी के दोहरे शतक को भी देखा जा सकेगा। गेंद और बल्ले में संतुलन बिगड़ने की वजह से ही अब आईपीएल में कम स्कोर वाले रोमांचक मुकाबले दिखना बंद हो गए हैं, या इस तरह कह सकते हैं कि वह बीते दिनों की बात हो गई है। पर एक दिक्कत यह है कि हम जब विश्व कप में खेलने जाते हैं, तो वहां इस तरह के विकेट नहीं मिल पाते। तब हमारे बल्लेबाजों को मुश्किल पेश आती है। इसलिए जून में होने वाले टी-20 विश्व कप से पहले सभी खामियों को दूर करने की जरूरत है।

'सोलमेट' **सद्गुरु**

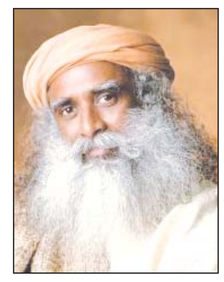

बहुत से लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जो सिर्फ उनके लिए बना है। ऐसा शख्स है जिसे आसमान के सितारे उनका बनाना चाहते हैं। आप भले ही इस बात को नकार दें लेकिन एक बड़ा सच यह भी है कि लोग सब कुछ छोड़कर अपने लिए ऐसे व्यक्ति की तलाश में जुट जाते हैं, जिसे आजकल की भाषा में सोलमेट का नाम दिया जा रहा है। इस तलाश को करते हुए हम भूल जाते हैं कि आत्मा यानी सोल का किसी से कुछ संबंध नहीं है। जब आत्मा की बात होती है तब हम असीमित और परम तत्व की बात कर रहे होते हैं। साथी की आवश्यकता उसे ही पड़ती है, जो अपूर्ण और सीमित है। लोग साथी की तलाश क्यों करते हैं? शायद यह भौतिक और शारीरिक कारणों की वजह से ही है, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत भी हो सकता है। यह मानसिक और भावनात्मक कारणों की वजह से भी संभव है, हम इसे साथ निभाने जैसी बात से जोड़ सकते हैं। निश्चित तौर पर यह भी बहुत खूबसूरत हो सकता है। अगर आप संबंधों की निजता, उनकी सीमाओं और हालात को लेकर ईमानदार हैं, तो काफी समझदार कहे जा सकते हैं। अगर भविष्य में कभी आपके साथ मुश्किल हालात आते हैं, तो आप परिपक्वता के साथ इनका आसानी से सामना कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपने लिए खुद सीमाओं का निर्धारण कर लेते हैं। वे लोग 'सोलमेट' और 'मेड इन हेवन' जैसी थ्योरी को सही समझते हैं, और अपने लिए भ्रम का एक जाल बुन लेते हैं, जिससे कभी बाहर नहीं निकल पाते। क्या विवाह जैसे संबंध में कुछ बुराई है? बिल्कुल भी नहीं!! विवाह एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव हो सकता है, लेकिन तभी तक जब तक आप इसे अपनी नियति या सर्वश्रेष्ठ न मान बैठें। अगर आप अपने जीवन को सहजता और खुशी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह तभी संभव है जब आप मान लें कि विवाह समाज की बनाई संस्था है, इसका ब्रह्मांड या स्वर्ग से कुछ लेना-देना नहीं है। हालांकि सच है कि कर्मों का बंधन या जुड़ाव आपको किसी खास व्यक्ति के नजदीक लेकर जाता है, जब आप प्रेम की पूर्णता को समझ जाएंगे तब यह भी जानेंगे कि आत्मा को कभी किसी साथी की तलाश नहीं रहती।

रीडर्स मेल

सनातन का अनुकरणीय कार्य

जूना अखाड़े ने अनुसूचित जाति के एक महंत को जगद्गुरु के आसन पर आरूढ़ कर सनातन के वास्तविक स्वरूप को तो स्थापित किया ही साथ ही उन लोगों के मुंह पर भी ताला लगाने का काम किया है, जो सनातन को ऊंच-नीच और छुआछात से सना हुआ कहकर सनातन परंपराओं का उपहास उड़ाते थे। भगवान राम का संपूर्ण जीवन दर्शन समानता और समरसता का दर्पण रहा है। ऐसे में जूना अखाड़ा ने भगवान श्री राम के उन्हीं आदर्शों को आत्मसात करते हुए ऐसे समय में यह कदम उठाकर सनातन को गाली देने वालों को करारा जवाब दिया है। जूना अखाड़ा के अंतरराष्ट्रीय सभापति श्री महंत प्रेम गिरि और काशी सुमेरु पीठाधीश्वर जगुदगुरु स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने अनुसूचित जाति के महामंडलेश्वर महेंद्रानंद गिरि को जगद्गुरु और दो अन्यों को महामंडलेश्वर बनाकर पूरे सनातन समाज में अनुकरणीय, प्रेरणादायी और आदर्श परंपरा स्थापित की है। इससे हिन्दुओं का मतांतरण भी रुकेगा। अनुसूचित जाति के ये तीनों संत मतांतरित हुए हिन्दुओं को पुनः सनातन धर्म में लाने का महान कार्य कर रहे हैं। आशा है कि अन्य संत अखाड़े भी इस पवित्र मार्ग का अनुसरण करेंगे।

डॉ. नरेन्द्र टोंक, मेरठ

आरक्षण का लाभ सबको मिले

देश हित में सोचने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता को विश्वास दिलाया है कि जब तक वह प्रधानमंत्री हैं, तब तक देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं चलने दिया जाएगा। कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का यह निर्णय हर जाति-समाज के लोगों के लिए अवश्य ही मुफीद साबित होगा। कारण, न केवल कांग्रेस पार्टी, बल्कि सपा, बसपा सहित देश में ऐसी कई छोटी-बड़ी पार्टियां हैं जो आज हमारे देश में आरक्षण को धर्म के आधार पर ही देना पसंद करती हैं जबकि आज देश के बहुसंख्यक वर्ग का कहना है कि आरक्षण सरकार को धर्म की बजाय आर्थिक आधार पर ही लागू करना चाहिए। फिर इसमें हर जाति, समाज, संप्रदाय के गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर खुलकर आरक्षण देना चाहिए। मगर बात वही हमारे यहां जो सबसे गरीब हैं, उन्हें आरक्षण सर्वप्रथम मिलना चाहिए। कारण, हमेशा जातिगत आधार पर दिया गया आरक्षण बहुसंख्यक समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। देश में जातिगत आधार पर दिए जाने वाला आरक्षण अगर बंद करके उसका आधार आर्थिक कर दिया जाएगा तो हर जाति, समाज के गरीब से गरीब तबके को इसका लाभ पहुंचेगा और उसे आगे बढ़ने का एक बड़ा भी अवसर मिल मिलेगा।

एमएम राजावतराज, शाजापुर, मप्र

बयानवीरों का इलाज बांधें

भड़काऊ बयानवीरों को हार का मुंह दिखाएं। वर्षों से भड़काऊ बयान देना थम नहीं रहा है, बल्कि चुनाव के दौरान वे अधिक भड़काऊ बयान जारी करते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कमान इन पर कंट्रोल नहीं कर सका है। बयानवीर समझते हैं कि इससे कुछ तो मतदाता प्रभावित होते हैं, किंतु अधिकांश मतदाता ज्यादा ही नाराज होते हैं। अच्छा हो कि मतदाता ही दृढ़ निश्चय कर लें कि भड़काऊ बयानवीर, जो किसी भी दल का उम्मीदवार हो, के पक्ष में कतई मतदान नहीं करेंगे और हर हालत में उसे हराने का ही प्रयास करेंगे ताकि वह इतना मनबढ़ न हो कि कुतर्क पर उतर आए।

बी एल शर्मा, 'अकिंचन' तराना, ई मेल से

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 257

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

पंजाब केसरी संपादकीय
संस्थापकः शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

सूरत और इन्दौर का लोकतन्त्र !

लोकतन्त्र विचारधाराओं की लड़ाई का नाम होता है। लोकतन्त्र में सबसे बड़ा दावा (स्टेक) आम लोगों का होता है क्योंकि जो भी सरकार बनती है वह इनकी सक्रिय हिस्सेदारी से ही बनती है। यह हिस्सेदारी प्रति मतदाता एक वोट की होती है। लोग राजनैतिक दलों की मार्फत सत्ता में अपनी हिस्सेदारी तय करते हैं। ये राजनैतिक दल कुछ नहीं होते बल्कि एक समान विचारधारा वाले दलों के लोगों का समूह होते हैं। राजनैतिक दलों में शामिल लोगों की विचारधारा में जब परिवर्तन होता है तो वे दूसरी विचारधारा वाले दलों में शामिल होकर कहते हैं कि उन्हें इस दल की नीतियां अपनी विचारधारा के करीब लगती हैं। यह परिवर्तन यदि लोकतन्त्र में चुनाव के समय होता है तो इसे अवसरवादिता कहा जाता है। मगर हम देखते हैं कि 1952 के पहले चुनावों से लेकर अभी तक यह काम बदस्तूर जारी है और अक्सर चुनावों के मौके पर भारी संख्या में दल-बदल भी होता है। मगर निश्चित रूप से यह असरवादिता के अलावा और कुछ नहीं होता है क्योंकि विचारधारा का बदलना कोई चाय या काफी का प्याला तैयार करना नहीं है कि रातोंरात मिनटों-सैकेंडों में यह काम हो जाये।

मगर लोकतन्त्र में हम जब यह देखते हैं कि किसी विशिष्ट पार्टी के प्रत्याशी ने चुनावों में अपना नामांकन अपने दल की तरफ से भरकर ऐन वक्त पर अपना नाम वापस लेकर प्रमुख विपक्षी पार्टी के लिए मैदान खुला छोड़ दिया तो इसे अवसरवादिता से भी ऊपर की चीज कहा जायेगा। इसे कुछ विद्वान धोखेबाजी भी कह सकते हैं और कुछ लालच में अंधा होना भी। मगर डा. लोहिया ऐसे लोगों को दया का पात्र मानते थे। उनका यह विचार गांधीवाद से उपजा था। गांधीवाद झूठे और फरेबी व्यक्ति को दया का पात्र मानता है और उसे सही मार्ग पर चलने का सुधारात्मक तरीका भी सुझाता है। इसमें उसकी मदद केवल उसकी अन्तर्रात्मा ही कर सकती है जिसके मर जाने पर मुनष्य लालची और छल-कपटी बन जाता है। अपने निजी स्वार्थ में वह इस कदर अंधा हो जाता है कि अपने समाज के अपने लोगों के ही हितों को ताक पर रख देता है। गांधीवाद का यह सिद्धांत शाश्वत है और जीवन के हर पक्ष पर एक समान रूप से लागू होता है। राजनीति में निजी स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। इसमें आने वाले व्यक्ति का कोई निजी जीवन भी नहीं होता।

> **राजनीति में निजी स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। इसमें आने वाले व्यक्ति का कोई निजी जीवन भी नहीं होता। महात्मा गांधी ने कई बार ''हरिजन'' अखबार में लिखा कि जिन लोगों को अपने निजी जीवन से मोह होता है राजनीति उनके लिए नहीं है। राजनीति में किसी भी व्यक्ति का कोई निजी जीवन नहीं होता। इसमें काम करने वाले व्यक्ति का जीवन एक खुली किताब होना चाहिए जिसमें कभी भी झांकने के लिए लोग स्वतन्त्र होने चाहिए। इसीलिए हम पाते हैं कि स्वतन्त्रता आन्दोलन से निकली जो पीढ़ी आजाद भारत की राजनीति में सक्रिय हुई उसका कोई निजी जीवन नहीं होता था। मगर बदलते समय के साथ जब संस्कृति के चिन्ह तक बदल जाते हैं तो राजनीति के न बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता।**

महात्मा गांधी ने कई बार 'हरिजन' अखबार में लिखा कि जिन लोगों को अपने निजी जीवन से मोह होता है राजनीति उनके लिए नहीं है। राजनीति में किसी भी व्यक्ति का कोई निजी जीवन नहीं होता। इसमें काम करने वाले व्यक्ति का जीवन एक खुली किताब होना चाहिए जिसमें कभी भी झांकने के लिए लोग स्वतन्त्र होने चाहिए। इसीलिए हम पाते हैं कि स्वतन्त्रता आन्दोलन से निकली जो पीढ़ी आजाद भारत की राजनीति में सक्रिय हुई उसका कोई निजी जीवन नहीं होता था। मगर बदलते समय के साथ जब संस्कृति के चिन्ह तक बदल जाते हैं तो राजनीति के न बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वक्त के बदलने से राजनीति का चरित्र भी बदला और यह अवसरवादिता का केन्द्र इस तरह बनती चली गई कि इसका स्वरूप किसी तिजारत जैसा हो गया है जिसका प्रमाण लगातार महंगे होते चुनाव हैं जिनमें कोई साधारण व्यक्ति भाग लेने की बात तक नहीं सोच सकता। यह पतन है जो राजनीति में आया है जिसकी वजह से इसमें आने वाले लोगों का चरित्र भी बदल गया है। हमने देखा कि किस प्रकार गुजरात के सूरत चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी का ऐन वक्त पर नामांकन रद्द केवल इसलिए कर दिया गया कि उसके नाम के अनुमोदकों के हस्ताक्षर नहीं मिल रहे थे। ऐसा होने पर प्रतिद्वन्द्वी दल भाजपा का प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गया। इसे लोकतन्त्र में सप्रयास छल-कपट कहा जा सकता है लेकिन ऐसा केवल भाजपा के शासन में ही हुआ हो ऐसा नहीं है इससे पहले के दशकों में कांग्रेस के शासन में भी ऐसा कई बार हुआ था।

बेशक कुछ में जायज तौर पर भी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गये थे। मगर मध्यप्रदेश के इन्दौर में तो कयामत ही हो गई। यहां की सीट पर खड़े कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कान्ति बम ने नामांकन वापस लेने के अन्तिम दिन नाम वापस ले लिया और बड़े आराम से भाजपा में इसके बाद शामिल हो गया। इसे लोकतन्त्र का अपराध भी हम कहें तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। ऐसा भी पहली बार नहीं हुआ है। दरअसल यह अन्तर्रात्मा को मार देने के समान है और गांधीवाद कहता है कि जिस व्यक्ति की अन्तर्रात्मा मर जाती है वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं रहता है। राजनीति मनुष्यों का खेल होती है। हम सब सोचें कि हम लोकतन्त्र को कैसे मजबूत बना सकते हैं।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

हुई खामोशी की दीवार खड़ी...

ज्यों-ज्यों पहिए की रफ्तार बढ़ी,
त्यों-त्यों रिश्तों में दरार बढ़ी,
दूरभाष से भले ही दूर बैठे लोग पास हुए,
पर घर के सदस्यों के बीच हुई खामोशी की दीवार खड़ी.. ।।

-गीता पाढा

पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर रात में भी उड़ान भरेंगे विमान

- **एयरफील्ड लाइटनिंग सिस्टम का कार्य पूरा होने के बाद एयरपोर्ट तैयार**

पोर्ट ब्लेयर, (भाषा): पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय (वीएसआई) हवाई अड्डे के उत्क्रोश एयरफील्ड को रात में विमान को उतारने और उड़ान भरने की सुविधा मिल गयी है। अधिकारियों ने बताया कि एयरफील्ड लाइटनिंग सिस्टम (एएफएलएस) का कार्य पूरा होने के बाद हवाई अड्डा इस सुविधा के साथ तैयार है। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली में नौसेना मुख्यालय तथा अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर-इन-चीफ एयर मार्शल साजू बालकृष्णन की निगरानी में आईएनएस उत्क्रोश में विमानन बुनियादी ढांचे में 'प्रोजेक्ट एमएएफआई' (एयरफील्ड बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण) के तहत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। निजी एयरलाइन संचालकों से पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर रात में विमान उतारने और उड़ान भरने की सुविधाओं का लाभ उठाने का भी अनुरोध किया। हवाई अड्डा निदेशक देवेंद्र यादव ने कहा, 'वीएसआई हवाई अड्डा अब आधुनिक प्रौद्योगिकियों से लैस है जिनसे रात, खराब मौसम एवं निम्न दृश्यता की स्थिति में विमानों का सुचारू परिचालन हो पायेगा।

प्रधानमंत्री मोदी, मुस्लिम और आरक्षण

फिरोज बख्त अहमद

मोदी हमारा भाई है, भारतीय मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने ऊपर छोड़े गए तीरों से इस लिए अचंभे में हैं कि उनके नज़दीक वे आज भी वही मोदी जी हैं जो कहते हैं कि वे हर मुस्लिम के एक हाथ में क़ुरान और एक में कंप्यूटर देखना चाहते हैं, यही नहीं प्रधानमंत्री बनते ही उन से कुछ पतंग बनाने वाले जिनमें अधिकतर मुस्लिम थे, मिले कि उन्हें आर्थिक समस्या है। मोदी जी ने उन्हें 50 लाख रुपए की मदद की। मोदी अगर चाहते तो कह सकते थे कि उन्होंने काफ़ी मुस्लिम पतंगसाजों की सहायता की है, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनकी विचाराधारा कभी भी तुष्टिकरण की नहीं बल्कि सशक्तिकरण की रही।

वैसे मोदी सभी मुस्लिम देशों में सबसे हरदिल अजीज नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया भाषणों में कांग्रेस को निशाना बनाते हुए मुसलमानों का कई बार ज़िक्र किया है कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस का शासन है वहां वह पिछड़े हुए वर्गों और दलितों का आरक्षण मुस्लिमों में बांट दिया जाएगा। हालांकि संविधान के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं। यहां मोदी ने साफ कर दिया है कि उनके जीते जी न तो कोई हिंदुओं की जायदाद, मंगल सूत्र, सोना आदि कोई नहीं ले सकता। कई मुस्लिमों की सोच है कि प्रधानमंत्री का कद बहुत ऊंचा होता है और उनको ऐसी बातें शोभा नहीं देती, मगर इसके पीछे कोई कारण था। जब आरक्षण का बखान किया तो उनके तीर के निशाने पर मुस्लिम नहीं कांग्रेस थी।

भाजपा और संघ ने अमित शाह और डा. मोहन भागवत की ओर से यह साफ कर दिया है कि वे पहले से चल रहे किसी भी आरक्षण के विरुद्ध नहीं हैं। कुछ प्रतिद्वंद्वी खेमों ने तो डॉक्टर्ड वीडियो में भाजपा की ओर से यह खेला कर दिया कि मुस्लिम आरक्षण समाप्त किया जाएगा, जिसका भाजपा ने विरोध किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और विपक्ष मुस्लिमों को भड़काना चाहते हैं जो कि सच है। मोदी ने तो केवल कांग्रेस की करतूतों पर बयान दिया था कि यह पार्टी पिछड़ी जातियों व दलितों का आरक्षण मुस्लिमों की झोली में डालने जा रही है, उनकी जायदाद और गहनों को हथियाने जा रही है आदि।

दरअसल चुनाव में इस प्रकार का प्रचार आम तौर से किया ही जाता है क्योंकि अंग्रेज़ी की कहावत है कि प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज़ है। इसमें चुनाव को भी जोड़ लेना चाहिए। कानूनी आरक्षण ऐसे ही रहेगा। वास्तव में आरक्षण, मेजोरिटी, माइनॉरिटी आदि ऐसे शब्द हैं जो एक मज़बूत भारत को विभाजित कर रहे हैं। जब भारत का संविधान बन रहा था तो बकौल राम बहादुर राय, ने क़ानून पर मील पत्थर अपनी पुस्तक, "भारतीय संविधान : कुछ अनकही कहानियां" में लिखा है कि 1949 में जिस समय कंस्टीट्यूशन ड्राफ्ट किया जा रहा था तो ड्राफ्ट 299 का एक भाग आरक्षण था, जिसमें वोटिंग से फैसला किया जाना था कि क्या मुसलमानों को धर्म पर आधारित आरक्षण दिया जाना चाहिए अथवा नहीं, जिसमें सात सांसद मौजूद थे, दो हिंदू और पांच मुस्लिम। बड़े ही विस्मय की बात है कि इस मीटिंग में मौजूद दो हिंदुओं, अर्थात सरदार पटेल और सी. राजगोपालाचारी ने आरक्षण की हिमायत की और पांच मुसलमानों, अर्थात मौलाना आज़ाद, मौलाना हिफजुर रहमान, बेगम एजाज़ रसूल, हुसैन भाई लालजी और तजम्मुल हुसैन ने इसका विरोध किया क्योंकि ये लोग जानते थे कि भारत के कानून में धर्म के आधार पर दिए गए आरक्षण का कोई महत्व नहीं और यदि कोई भी पार्टी धर्म पर आधारित आरक्षण देती है तो उसे कोर्ट में जाकर ध्वस्त किया जा सकता है।

कहते हैं कि 26 मई 1949 में एक सभा में आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुसलमानों के लिए आरक्षण नुक्सानदेह साबित होगा क्योंकि इसके कारण समाज में अर्थात विश्व विद्यालयों, शिक्षा संस्थानों, सरकारी दफ्तरों आदि के चंद खुले व चरमराते दरवाज़े बंद हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर यदि कोई मुस्लिम छात्र प्रवेश के लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में जाएगा तो अधिकारी उसे प्रवेश क्यों देंगे, उसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द आदि का रुख करना चाहिए। वैसे भी आज की तारीख़ में मुस्लिम लगभग बीस करोड़ हैं, जो अल्पसंख्यक नहीं बल्कि दूसरे नंबर के बहुसंख्यक हैं, जैसा कि मौलाना आज़ाद ने भी एक बार कहा था। मौलाना ने 1952 में एक बार यह भी कहा था कि आरक्षण धर्म अथवा जातियों के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि गरीब व्यक्तियों को दिया जाना चहिए, भले ही वे किसी भी धर्म व जाति के हों, क्योंकि भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी दो प्रकार की जातियां हैं -एक अमीर, एक गरीब।

जिन दलितों, जनजातियों आदि को आरक्षण मिल गया वे सम्पन्न हो गए और जिनके पास पैसा नहीं, भले ही उनकी जातियां उच्च हों, अफजाल हों, ब्रह्मण हों, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पंडित नहरू ने धार्मिक आरक्षण से मुस्लिमों को खबरदार किया था, मगर बावजूद इसके कांग्रेस ने मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए आरक्षण का आडंबर कर जब भी उन्हें आरक्षण दिया, संघी विचाराधारा वाले किसी व्यक्ति ने उसे अदालत से खारिज करा दिया, जैसे दो कांग्रेसी अल्पसंख्यक मंत्रियों, सलमान खुर्शीद और के. रहमान खान के समय हुआ जिन्होंने क्रमशः नौ और पांच प्रतिशत आरक्षण दिया था मगर न्यायालयों ने उसे अमान्य घोषित कर दिया था। मुस्लिमों को आरक्षण के स्थान पर कांग्रेस ने भीख का प्याला, सच्चर कमेटी रिपोर्ट व श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आदि थमा दी और वोट के बदले उनके क्षेत्रों में थाने बना दिए, जबकि वहां स्कूल, शिक्षा संस्थान, पार्क, क्रीड़ांगन, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुस्तकालय आदि बनाने चाहिए। अत: मोदी को अब मुस्लिमों के उत्थान की गारंटी भी लेनी चहिए और मुसलमानों को भी मोदी का सम्मान करना चाहिये।

कम मतदान से चिंतित राजनीतिक दल

राजेश माहेश्वरी

देश में इस समय आम चुनाव का माहौल है। देश में सात चरणों में हो रही लोकसभा चुनावी प्रक्रिया के तहत अभी तक दो चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है। दोनों चरणों में वोटिंग 2019 के मुकाबले कम हुई। इससे तमाम राजनीतिक दल, उम्मीदवार और खुद चुनाव आयोग भी इस बात को लेकर चिंतित नजर आ रहा है कि आखिर लोग वोट देने घरों से क्यों नहीं निकल रहे? क्या इसके पीछे तेज गर्मी बड़ा कारण है या फिर वोटरों में उदासीनता या फिर कुछ और। पहले चरण के कम मतदान के बाद राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपनी चुनावी सभाओं में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का आह्वान किया था लेकिन दूसरे चरण में भी आशानुरूप कम मतदान ही देखने को मिला।

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश जहां से 80 सांसद देश की संसद में पहुंचते हैं, वहां देश के अन्य राज्यों की तुलना में कम मतदान रिकार्ड हुआ। पहले चरण में कम वोटिंग होने की वजह से नतीजों को लेकर सियासी दलों की धुकधुकी भी बढ़ गई है। वहीं बीजेपी नेताओं का दावा है कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नए रिकॉर्ड बनाएगा। इसके अलावा मोदी सरकार की वापसी की उम्मीदों का दावा भी किया गया है। उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण में प्रदेश में कुल 61.11 फीसदी मतदान हुआ था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में इन आठ सीटों पर 66.41 प्रतिशत मतदान हुआ था। पिछले चुनाव के मुकाबले पहले चरण की इन सीटों पर करीब 5.39 फीसदी कम वोट पड़े हैं। यूपी की 8 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को हुआ। इस दौरान वोटिंग प्रतिशत 55.39 रहा। पिछले आम चुनाव में इन सीटों पर 62.18 प्रतिशत वोट पड़े थे । इस हिसाब से साल 2024 के चुनाव में दूसरे चरण में पिछले चुनाव के मुकाबले 6.79 प्रतिशत कम वोटिंग हुई है।

दरअसल 2019 के दूसरे चरण में जिन सीटों पर भाजपा जीती थी, उन पर 3 फीसदी तक मतदान कम हुआ है। जो सीटें कांग्रेस ने जीती थीं उन पर 5-10 फीसदी मतदान घटा है। हिंदी पट्टी के प्रमुख राज्यों में मतदान औसतन 7 फीसदी तक घटा है। ये राज्य ही भाजपा के दुर्गनुमा चुनावी गढ़ हैं। क्या यह घटा हुआ मतदान भाजपा के खिलाफ एक 'खामोश चुनावी लहर' है? सवाल यह भी है कि फिर यह लहर किस राजनीतिक दल के पक्ष में है? कांग्रेस ने तो 300 सीटों पर भी उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और गठबंधन के तौर पर 'इंडिया' छिन्न-भिन्न स्थिति में है। तो फिर जनादेश कैसा होगा और केंद्र सरकार का स्वरूप भी कैसा होगा?

वैसे तो इस बार के लोकसभा चुनाव का खास ट्रेंड यह दिख रहा है कि हर जगह मतदान में या तो पिछली बार के मुकाबले कमी आ रही है या उसके आसपास मतदान हो रहा है लेकिन हैरानी की बात है कि जिन सीटों पर पार्टियों के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं या पार्टियों ने ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए फिल्मी सितारों आदि को उतारा है उन सीटों पर भी मतदान करने में लोगों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। दूसरे चरण की 88 सीटों में से ज्यादातर वीआईपी सीटों पर औसत से कम या पिछली बार से कम मतदान हुआ है। यह ट्रेंड केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक समान रूप से देखने को मिला है।

केरल की तिरुवनंतपुरम सीट को बहुत हाई प्रोफाइल माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के शशि थरूर लगातार चौथी बार जीतने के लिए लड़ रहे हैं तो भाजपा ने केंद्रीय मंत्री और कारोबारी राजीव चंद्रशेखर को लड़ाया है लेकिन 2019 के 74 फीसदी के मुकाबले 2024 में सिर्फ 64 फीसदी मतदान हुआ। इसी तरह मेरठ में भाजपा ने रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को उतारा है लेकिन वहां 2019 के 64.29 के मुकाबले 2024 में 59 फीसदी मतदान हुआ।

राहुल गांधी की वायनाड सीट पर 73 फीसदी से कुछ ज्यादा वोट हुआ, जबकि 2019 में जब राहुल गांधी पहली बार वहां चुनाव लड़ने पहुंचे थे तब वहां 80.37 फीसदी मतदान हुआ था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की जोधपुर सीट पर 2019 में 69 फीसदी वोट हुआ था, जबकि इस बार 64 फीसदी मतदान हुआ है। मथुरा में भाजपा की हेमामालिनी की सीट पर तो 2019 के मुकाबले करीब 14 फीसदी वोट कम पड़े हैं। वहां सिर्फ 49 फीसदी मतदान हुआ है जबकि पिछली बार 63 फीसदी के करीब वोट पड़े थे।

कम मतदान होने के पीछे क्या वोटरों में बढ़ती उदासीनता तो नहीं। इसमें कुछ वोटर वोट देना ही नहीं चाह रहे तो कुछ वोटर ऐसे हैं जिन्हें पार्टी या उम्मीदवार की जीत-हार पक्की लग रही है। ऐसे में वह वोट देने ही नहीं निकल रहे। जानकार भी यही मानते हैं कि कम वोटिंग के पीछे यह एक कारण लगता दिखाई दे रहा है। हालांकि, अभी इसका विश्लेषण होना बाकी है लेकिन कम वोटिंग के पीछे वोटरों में वोटिंग के प्रति उदासीनता होना दिख रहा है। खासतौर से बड़े राज्यों में जहां कहीं पिछले कुछ समय से नेताओं ने पार्टी बदली तो कहीं पैराशूटर उम्मीदवार आ धमके इससे भी वोटरों में उदासीनता आई। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है।

पहले दो चरण में कम वोटिंग होने से राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ गई है। भाजपा ने अपने प्रचार अभियान को अधिक तेज कर दिया है। आने वाले चरणों में पार्टी की कोशिश ज्यादा मतदान कराने की होगी ताकि वह बड़े लक्ष्य को हासिल कर सके। इसके साथ ही विपक्षी दलों ने अपनी चुनावी रणनीति को बदल दिया है। बहरहाल तीसरे चरण के मतदान के मद्देनजर भाजपा ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला लिया है। करीब 500 नेता और पदासीन कार्यकर्ता मतदान वाले क्षेत्रों में तैनात किए जाएंगे। वे सुबह और शाम में मुख्य चुनाव केंद्र को रपट देंगे कि मतदाता की स्थिति क्या है? तीसरे चरण में अपने कोटे के मतदाताओं के वोट डलवाने को भाजपा ने कमर कस ली है। क्या कम मतदान का सबब यही है? हम इस सवाल से सहमत नहीं हैं। वहीं मतदाताओं को भी यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हरेक वोट बहुमूल्य है। देश में एक वोट से हार-जीत के कई प्रसंग हैं। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी तो राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज नेता एक वोट की वजह से ना केवल विधायक बनने से चूक गए। बल्कि उसी एक वोट की वजह से वह मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आज तक नहीं पहुंच पाए।

राष्ट्र के प्रगति चक्र में श्रमिकों की भूमिका

-योगेश कुमार गोयल

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस (1 मई) पर विशेष

प्रतिवर्ष 1 मई का दिन 'अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस' अथवा 'मजदूर दिवस' के रूप में मनाया जाता है, जिसे 'मई दिवस' भी कहा जाता है। यह दिवस समाज के उस वर्ग के नाम है, जिसके कंधों पर सही मायनों में विश्व की उन्नति का दारोमदार है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति तथा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का प्रमुख भार इसी वर्ग के कंधों पर होता है। वर्तमान मशीनी युग में भी उनकी महत्ता कम नहीं है। श्रमिक दिवस और श्रम के महत्व को रेखांकित करते हुए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का कहना था कि किसी व्यवसाय को ऐसे देश में जारी रहने का अधिकार नहीं है, जो अपने श्रमिकों से जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मजदूरी से भी कम मजदूरी पर काम करवाता है। जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मजदूरी से उनका आशय सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मजदूरी से था।

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर यह जानना आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक दिवस कब से और क्यों मनाया जाता है? अमेरिका में 8 घंटे से ज्यादा काम न कराने के लिए की गई कुछ मजदूर यूनियनों की हड़ताल के बाद 1 मई 1886 से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाए जाने की शुरूआत हुई थी। दरअसल वह ऐसा समय था, जब कार्यस्थल पर मजदूरों को चोट लगना या काम करते समय उनकी मृत्यु हो जाना आम बात थी। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने, कार्य करने के घंटे कम करने तथा सप्ताह में एक दिन के अवकाश के लिए मजदूर संगठनों द्वारा पुरजोर आवाज उठाई गई।

1 मई 1886 का ही वह दिन था, जब वह हड़ताल हुई थी और शिकागो शहर के हेय मार्किट चौराहे पर उनकी रोज सभाएं होती थी। 4 मई 1886 को जब शिकागो के हेय मार्किट में उस हड़ताल के दौरान पुलिस भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास कर रही थी, उसी दौरान किसी अज्ञात शख्स ने एकाएक भीड़ पर बम फैंक दिया। उसके बाद पुलिसिया गोलीबारी के कारण कई श्रमिक मारे गए। हालांकि उस समय अमेरिकी प्रशासन पर उन घटनाओं का कोई असर नहीं पड़ा लेकिन बाद में श्रमिकों के लिए 8 घंटे कार्य करने का समय निश्चित कर दिया गया। मजदूरों पर गोलीबारी और मौत के दर्दनाक घटनाक्रम को स्मरण करते हुए ही 1 मई 1886 से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाने लगा। 1889 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय महासभा की द्वितीय बैठक में फ्रांसीसी क्रांति को याद करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि इसे 'अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस' के रूप में मनाया जाए। उसी समय से विश्वभर के 80 देशों में 'मई दिवस' को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

श्रमिक वर्ग ही है, जो अपनी हाड़-तोड़ मेहनत के बलबूते पर राष्ट्र के प्रगति चक्र को तेजी से घुमाता है लेकिन कर्म को ही पूजा समझने वाला श्रमिक वर्ग श्रम कल्याण सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। मई दिवस के अवसर पर देशभर में भले ही मजदूरों के हितों की बड़ी-बड़ी योजनाएं बनती हैं, ढ़ेरों लुभावने वायदे किए जाते हैं, जिन्हें सुनकर एकबारगी तो लगता है कि उनके लिए अब कोई समस्या नहीं बचेगी किन्तु अगले ही दिन मजदूरों को पुन: उसी माहौल से रूबरू होना पड़ता है, फिर वही शोषण, अपमान व जिल्लत भरा तथा गुलामी जैसा जीवन जीने के लिए अभिशप्त होना पड़ता है। समय-समय पर मजदूरों के लिए नए सिरे से मापदंड निर्धारित किए जाते हैं।

जहां तक मजदूरों द्वारा अपने अधिकारों की मांग का सवाल है तो मजदूरों के संगठित क्षेत्र द्वारा ऐसी मांगों पर उन्हें अक्सर कारखानों के मालिकों की मनमानी और तालाबंदी का शिकार होना पड़ता है और प्राय: जिम्मेदार अधिकारी भी कारखानों के मालिकों के मनमाने रवैये पर लगाम लगाने की चेष्टा नहीं करते। जहां तक मजदूर संगठनों के नेताओं द्वारा मजदूरों के हित में आवाज उठाने की बात है तो आज के दौर में अधिकांश ट्रेड यूनियनों के नेता भी भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र का हिस्सा बने हैं, जो विभिन्न मंचों पर श्रमिकों के हितों के नाम पर शोर तो बहुत मचाते नजर आते हैं लेकिन अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु कारखानों के मालिकों से सांठगांठ कर अपने ही साथियों के हितों पर कुल्हाड़ी चलाने में संकोच नहीं करते।

ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर किसके लिए मनाया जाता है 'श्रमिक दिवस'? बहुत से मजदूरों की तो इस दिन भी काम करने के पीछे यह मजबूरी भी होती है कि अगर वे एक दिन भी काम नहीं करेंगे तो उनके घरों में चूल्हा कैसे जलेगा। विडम्बना है कि देश की स्वाधीनता के सात दशक से भी अधिक बीत जाने के बाद भी अनेक श्रम कानूनों को अस्तित्व में लाने के बावजूद हम ऐसी कोई कारगर व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, जो मजदूरों को उनके श्रम का उचित मूल्य दिला सके। हालांकि इस संबंध में एक सच यह भी है कि अधिकांश श्रमिक अपने अधिकारों के लिए इस कारण आवाज नहीं उठा पाते कि कहीं इससे नाराज होकर उनका मालिक उन्हें काम से न निकाल दे और उनके परिवार के समक्ष भूखे मरने की नौबत आ जाए।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

दवाओं पर सवाल

भ्रामक विज्ञापन मामले में सर्वोच्च न्यायालय का रुख कदापि नरम पड़ता नहीं दिख रहा है और उसके कड़े रुख का जमीनी असर दिखाई पड़ने लगा है। उत्तराखंड सरकार ने पंतजलि आयुर्वेद की 14 दवाओं के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। बेशक, सर्वोच्च न्यायालय की तारीफ की जा सकती है कि वह पूरे सोच-विचार के बाद ही सजा देने की ओर बढ़ रहा है। लोगों को लग सकता है कि सजा सुनाने में देरी हो रही है, लेकिन वास्तव में न्यायालय सभी पक्षों को सुनवाई का पूरा मौका देना चाहता है और यही न्यायोचित है। न्यायालय कथित औषधि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में समाज के सामने व्यापकता में आदर्श रखना चाहता है। मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) को भी अदालत ने फिर एक बार आड़े हाथों लिया। पिछली सुनवाई के समय शीर्ष अदालत ने कहा था कि एलोपैथिक डॉक्टर गैरजरूरी और महंगी दवाइयां लिखते हैं। यह बात आईएमए अध्यक्ष आर वी अशोकन को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने अदालती टिप्पणी को 'दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया था। ध्यान रहे, आईएमए ही पंतजलि आयुर्वेद के खिलाफ अदालत गया है, पर आईएमए भी बेदाग नहीं है।

गौर करने की बात है कि शीर्ष अदालत ने आईएमए के वकील से कह दिया है, ज्यादा गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहें। मतलब, भ्रामक विज्ञापन प्रकरण में न केवल आयुर्वेद, बल्कि एलोपैथी की दुनिया को भी सबक लेने की जरूरत है।

सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापन मामले का यथोचित विस्तार किया है। उन सभी उत्पादों की जांच होनी चाहिए, जो भ्रामक विज्ञापन जारी करते रहे हैं, धोखा देते रहे हैं।

एलोपैथी को सफलतम व्यावहारिक उपचार विधि माना जाता है, पर यह नहीं मानना चाहिए कि वह सोलह आना सही है। आईएमए अध्यक्ष ने अहंकार और दुस्साहस का प्रदर्शन करते हुए यहां तक कह दिया था कि न्यायालय अस्पष्ट और अप्रासंगिक टिप्पणी कर रहा है और देश के चिकित्सा पेशे के खिलाफ व्यापक रुख अपनाना सर्वोच्च न्यायालय को शोभा नहीं देता है। जाहिर है, उनकी यह टिप्पणी बड़बोलापन भी है। हमने कोविड महामारी के समय ही देखा है कि किस तरह से चिकित्सा जगत में अफरातफरी का जानलेवा माहौल था। हर सांस का सौदा किया जा रहा था, मगर किसी अस्पताल या किसी चिकित्सक पर शायद ही आंच आई। गंभीर मरीजों पर नानाविध अपुष्ट प्रयोग किए गए और न जाने कितने मरीजों को अपनी मौत मरने के लिए छोड़ दिया गया। चिकित्सा क्षेत्र की कमियों का खमियाजा स्वयं चिकित्साकर्मियों ने भी बड़ी संख्या में भुगता था। एलोपैथी स्वयं को संत-सज्जन मानकर दूसरी चिकित्सा विधाओं को निशाना न बनाए, तो बेहतर है।

सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापन मामले का यथोचित विस्तार किया है। उन सभी उत्पादों की जांच होनी चाहिए, जो भ्रामक विज्ञापन जारी करते रहे हैं और जनता को धोखा देते रहे हैं। इसी से जुड़ा एक मामला कोविड वैक्सीन का है। ब्रिटिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उसकी कोविड वैक्सीन दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। वैक्सीन निर्माता ने अदालत में कहा है कि कोविशील्ड ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे रक्त के थक्के जम सकते हैं और प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है। ध्यान रहे, एस्ट्राजेनेका को ब्रिटेन में मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है कि उसके टीके के चलते कई लोगों की जान गई है। भारत में किसी दवा कंपनी से मुआवजे के लिए कोई आगे नहीं आया है, पर ब्रिटेन के हाईकोर्ट में 51 मामलों में पीड़ित 10 करोड़ पाउंड तक के हर्जाने की मांग कर रहे हैं। कोरोनील का दावा निंदनीय है, पर कोविशील्ड का बचाव आईएमए भला कैसे करेगा?

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 01 मई, 1949

विराम संधि प्रस्ताव

काश्मीर कमीशन ने भारत और पाकिस्तान की सरकारों के सामने काश्मीर के बारे में विराम संधि के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। वह पिछले काफी समय से दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों से चर्चा चला रहा था। उसने पिछली १५ अप्रैल को प्रस्तावों का एक मसविदा दोनों सरकारों के सामने रखा था, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया। कुछ और चर्चा के बाद अब कमीशन ने विराम संधि के अपने आखिरी प्रस्ताव भारत और पाकिस्तान के सामने उनकी स्वीकृति के लिए पेश किये हैं। कमीशन इस निर्णय पर पहुंचा है कि अब दोनों सरकारों के साथ और चर्चा जारी रखने से कोई लाभ नहीं होगा। उसने दोनों सरकारों से एक सप्ताह के भीतर उत्तर मांगा है कि उन्हें विराम संधि के अंतिम प्रस्ताव स्वीकार हैं अथवा नहीं। काश्मीर कमीशन का यह रवैया कुछ अजीब मालूम देता है। काश्मीर का मामला असाधारण है और अपने प्रधानमंत्रियों की गैर मौजूदगी में दोनों सरकारों के लिए एक सप्ताह की अवधि में अपने उत्तर भेज सकना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होगा। इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि जो प्रस्ताव खुद कमीशन के पुराने आश्वासनों और स्पष्टीकरणों से मेल नहीं खाते, उनको भारत सरकार कैसे स्वीकार कर सकती है।

काश्मीर विराम संधि के जो प्रस्ताव पेश किये गये हैं, उनको अभी गोपनीय रखा गया है। किन्तु उनके बारे में समाचारपत्रों में कुछ अनुमान प्रकाशित हुए है। यदि ये अनुमान सही हैं तो भारत के लिए इन प्रस्तावों को स्वीकार कर सकना कठिन प्रतीत होता है। भारत की आपत्ति विशेष रूप से दो बातों को लेकर है। एक तो विराम संधि के अनुसार दोनों पक्षों की सीमाओं की एक रेखा निश्चित होगी। कमीशन ने जो रेखा खींची है, उस पर भारत को आपत्ति है। कमीशन १ जनवरी, १९४९ को मोर्चे की जो वास्तविक स्थिति थी, उसी के आधार पर रेखा खींचना चाहता है। इस बारे में भारत का यह कथन बताया जाता है कि उत्तरी प्रदेश जिस पर पाकिस्तानी फौजों ने अधिकार कर लिया था, भारत के अधिकार में सौंप दिया जाना चाहिए। जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार पाकिस्तान की नियमित अथवा अनियमित फौजों के लिए इस प्रदेश से हटना अनिवार्य है। अगर पाकिस्तानी फौज हट जाती है, तो स्वभावतः यह प्रदेश काश्मीर सरकार के संरक्षण में लौट जाता है।

शिशु आहार से मसालों तक शिकायत

के श्रीनाथ रेड्डी | प्रोफेसर, जन स्वास्थ्य, पीएचएफआई

यहां स्कैन करें

हमारी खाद्य नियामक एजेंसियों को दबावों का सामना करने में सक्षम बनाने की जरूरत है। खाद्य गुणवत्ता जांचने वालों को अधिक साधन संपन्न, सतर्क और अभेद्य होना पड़ेगा।

अमेरिकी लेखक और पर्यावरणविद वेंडेल बेरी की एक तल्ख टिप्पणी आज बड़ी मौजूं है, 'लोगों को ऐसे खाद्य उद्योग द्वारा भोजन दिया जाता है, जो सेहत पर कोई ध्यान नहीं देता है ...और उनका इलाज ऐसे स्वास्थ्य उद्योग द्वारा किया जाता है, जो भोजन पर कोई ध्यान नहीं देता है।' साफ शब्दों में कहें, तो खाद्य उद्योग लोगों की सेहत के प्रति और स्वास्थ्य उद्योग लोगों के पोषण के प्रति लापरवाह है। जो लोग जन स्वास्थ्य के महत्व को समझते हैं, वे पोषण का महत्व भी अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे विशेषज्ञ सेहत पर मंडराते खतरों और खाद्य उद्योग की भूमिका को लेकर सतर्क हैं।

आजकल जैसे उत्पाद बाजार से हमारे निवाले तक पहुंच रहे हैं, उनको लेकर बड़ी चिंता जताई जा रही है। एक हालिया रिपोर्ट पर नाराजगी है कि नेस्ले कंपनी भारत और कई अन्य विकासशील देशों में ऐसे शिशु आहार बेच रही है, जिसमें यूरोप में बेचे जा रहे शिशु आहार की तुलना में शर्करा की मात्रा ज्यादा है। जब यह रिपोर्ट सामने आई, तब हांगकांग व सिंगापुर की नियामक एजेंसियों ने दो भारतीय कंपनियों के कुछ मसालों पर रोक लगा दी, इससे भी चिंता की लहर दौड़ गई।

नेस्ले के शिशु आहार (सेरेलैक) पर रिपोर्ट एक स्विस गैर-सरकारी संगठन पब्लिक आई द्वारा जारी की गई है, जिसने इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क के साथ मिलकर यह शोध किया है। दरअसल, नेस्ले कंपनी मातृ-दूध का विकल्प पेश करने का दावा करती है। तमाम स्वास्थ्य अधिकारी जिंदगी के पहले छह महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे आदर्श पोषक संरचना, प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुण और बच्चे की आंत में एक स्वस्थ माइक्रोबायोम के विकास में मदद मिलती है। जो कंपनियां मातृ-दूध के विकल्प को बढ़ावा देकर व्यावसायिक अभियान चलाती हैं, वे दरअसल मां और शिशु के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सोच को कमजोर करती हैं। कंपनियों ने प्रचार कर रखा है कि मां के दूध के बिना भी शिशु पोषण संभव है।

आखिर, यह शिशु आहार संबंधी विवाद क्यों है? क्या खाद्य उद्योग खाद्य पदार्थों में शर्करा की मात्रा बढ़ाते हुए स्वास्थ्य संबंधी खतरे की ओर से अपनी आंखें बंद कर ले रहा है? यदि हां, तो वह पश्चिमी यूरोप में ऐसा न करने को लेकर क्यों सावधान है? वह भारत सहित अनेक विकासशील देशों में ऐसा करने के लिए क्यों आजाद महसूस करता है? क्या ऐसा इसलिए है, क्योंकि राष्ट्रीय नियामक एजेंसियों की क्षमता में अंतर है? यूरोप की खाद्य नियामक एजेंसियां ज्यादा सतर्क हैं। वे खाद्य पदार्थों की कड़ाई से निगरानी करती हैं और कानूनों को सही ढंग से लागू करती हैं। यूरोपीय नियामक खाद्य सामग्रियों की स्वतंत्र जांच में सक्षम हैं और कार्रवाई करने के लिए भी ज्यादा स्वतंत्र हैं।

ध्यान रहे, शिशु आहार में उच्च शर्करा मोटापे की वजह बन सकती है। उच्च शर्करा की शिकायत आगे चलकर मधुमेह में बदल सकती है। चूंकि उच्च शर्करा का सेवन एक लत में बदल जाता है, तो बच्चा अधिक आहार की मांग करता है, जिससे शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कमजोर मांसपेशियों का विकास होता है। इससे एक चुस्त, सेहतमंद और आर्थिक रूप से उत्पादक पीढ़ी की उम्मीद धूल में मिल जाती है। यह वही पीढ़ी है, जो हमारे भविष्य की प्रगति की ध्वजवाहक बन सकती है।

यहां मसाला से जुड़ी कहानी अलग है। कथित तौर पर हांगकांग और सिंगापुर में नियामक एजेंसियों ने भारतीय मसालों में एथिलीन ऑक्साइड नाम का रासायनिक कैंसर कारक तत्व पाया है। इन दोनों देशों में प्रतिबंध के बाद, मीडिया ने बताया है कि सितंबर 2020 और अप्रैल 2024 के बीच यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (ईएफएसए) ने 527 भारतीय खाद्य उत्पादों में इस रसायन का पता लगाया था। इसका उपयोग मसालों को सुगंधित बनाने के लिए भी किया जाता है। एथिलीन ऑक्साइड के संपर्क में आने से लिंफोमा और ल्यूकेमिया जैसे कैंसर हो सकते हैं। वैसे, पैकेटबंद मसालों को लेकर जो शिकायत आ रही है, उसके पीछे निर्माण की गलत विधि जिम्मेदार है। मसाला प्रसंस्करण का काम जहां होता है, वहां औद्योगिक रसायनों की माजूदगी एक वजह हो सकती है। दूसरी ओर, शिशु आहार की अगर बात करें, तो इसमें जान-बूझकर ज्यादा शर्करा तत्व मिलाए जा रहे हैं।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कथित तौर पर सेरेलैक के भारतीय और अंतरराष्ट्रीय संस्करणों पर किए गए परीक्षणों की रिपोर्ट जुटाने की कोशिश कर रहा है। यह उन भारतीय मसाला ब्रांडों के देशव्यापी नमूने भी एकत्र कर रहा है, जिन्हें कुछ विदेशी नियामकों ने लाल झंडी दिखाई है। बेशक, मसालों की जांच सक्षम भारतीय प्रयोगशालाओं में की जाएगी, पर यह देखना चाहिए कि भारत में बने खाद्य उत्पादों की जांच के लिए पहले क्या-क्या उपाय किए गए हैं? क्या हमारी नियामक एजेंसियों के पास परीक्षण की तमाम जरूरी व्यवस्था है? हमें विदेशी संगठनों के खुलासे पर ही क्यों निर्भर रहना चाहिए या विदेशी नियामकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से सतर्क क्यों रहना चाहिए? जब हम भारत में कुछ बनाते हैं, तो क्या उसकी सही जांच यहीं नहीं करनी चाहिए? हमारी नियामक एजेंसियों को उद्योग के प्रभाव या राजनीतिक दबावों का सामना करने में सक्षम बनाने की जरूरत है। खाद्य गुणवत्ता जांचने वालों को अधिक साधन संपन्न, सतर्क और अभेद्य होने की जरूरत है।

हमें अपनी नियामक एजेंसियों की कमान खाद्य उद्योग के ही पसंदीदा उदार या लचीले व्यक्तियों के हाथों में नहीं सौंपनी चाहिए। एजेंसी का मार्गदर्शन करने वाली तकनीकी सलाहकार समितियों में लचीले लोगों को शामिल करके एजेंसी पर कब्जा देने से बचना चाहिए। हालांकि, ऐसी नियुक्तियां अक्सर राजनीतिक फैसले पर आधारित होती हैं, पर नागरिक समाज को सुनिश्चित करना चाहिए कि नियामक एजेंसियां जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहें।

वैसे, ये चिंताएं केवल भारत के हिस्से नहीं हैं। पिछले दशक में कुछ पश्चिमी देशों ने उदारवादी राजनीतिक विचारधारा और उद्योग जगत के ज्यादा प्रभाव के चलते अपनी नियामक एजेंसियों को खत्म होते देखा है। ऐसे में, विकासशील देशों को नियामक दक्षता बनाए रखते हुए ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। सेलिब्रिटी शेफ और लेखिका जूलिया चाइल्ड की चेतावनी पर गौर कीजिए, हमने यह सीखा है कि बड़ी कंपनियां कितनी ताकतवर, दखलंदाज, प्रभावशाली व आक्रामक हैं, और हमें सतत सतर्क रहना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

हर साल जलने वाले जंगलों को भला कैसे बचाया जाए

एस पी सती | प्रोफेसर, वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी

यहां स्कैन करें

शीतलता और हरियाली के प्रतीक माने जाने वाले जंगल इन दिनों धधक रहे हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग अब इतनी विकराल हो चुकी है कि उन पर काबू पाने के लिए सेना को उतारना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि दावानल की घटनाएं पहले नहीं होती थीं। सदियों से पहाड़ इसके गवाह रहे हैं। उत्तराखंड का इतिहास तो यह भी है कि 1920-21 में जब जंगलों पर लोगों के हक-हुकूक खत्म कर दिए गए, तब खुद लोगों ने ही आंदोलन के तहत वनों में आग लगा दिए थे। मगर अब तो हर साल दावाग्नि की समस्या विकराल रूप में सामने आने लगी है। इसकी कुछ खास वजहें हैं।

पहली वजह, जलवायु परिवर्तन के कारण 'ड्राई पीरियड' यानी सूखे की अवधि बढ़ गई है। तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण नमी कम हो रही है। नतीजतन, जंगलों में सूखी पत्तियां या टहनियां आसानी से दहक उठती हैं। वन विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल 1 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच जंगलों में आग लगने की 100 से अधिक बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसकी एक बड़ी वजह ड्राई पीरियड और तापमान-वृद्धि है। पहले यह अवधि छोटी होती थी, लेकिन अब जनवरी-फरवरी से लेकर मई-जून तक हम इसका एहसास करते हैं। दूसरी वजह है, सन् 1980 में वन (संरक्षण) कानून में किया गया वह प्रावधान, जिसके तहत पहाड़ों पर 1,000 मीटर ऊंचाई से ऊपर हरे पेड़ों की व्यावसायिक रूप से कटाई प्रतिबंधित कर दी गई। इसका नुकसान यह हुआ कि चीड़ के पेड़ों की संख्या असीमित बढ़ गई। चीड़ दरअसल ऐसा पेड़ है, जो आग बढ़ाने में सहायक माना जाता है। मार्च-अप्रैल से चीड़ की पत्तियां सूखकर नीचे गिरने लगती हैं और तापमान में वृद्धि होने पर आग के फैलाव का एक बड़ा कारण बनती हैं। बेशक, हरे पेड़ों की कटाई बंद होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान तय करते समय हमें यह भी सोचना चाहिए कि किन पेड़ों की कटाई बंद होनी चाहिए और किनकी नहीं। ऐसा इसलिए, क्योंकि हर पेड़ की प्रकृति अलग होती है। चीड़ को अन्य पेड़ों के समान देखना एक गलत नजरिया साबित हुआ है।

तीसरी वजह है, जंगलों से लोगों का रिश्ता खत्म हो जाना। पहले लोगों का अपने आसपास के जंगलों से करीबी रिश्ता होता था। वे वनोपज से अपना गुजारा करते थे, इसके बदले में जंगलों का प्रबंधन किया करते थे। मगर सरकार ने जैसे ही जंगल अपने हाथों में लिया, लोगों ने खुद को इससे अलग कर लिया। इसके कारण वन बढ़ते हुए गांवों तक पहुंच गए, जो दावानल की चौथी वजह है। पहले जंगल को रोकने के तमाम उपाय अपनाए जाते थे, लेकिन अब अव्वल तो पहाड़ी गांवों में लोग रहते नहीं, और जो रहते हैं, उनके घरों में एलपीजी गैस आदि की सुविधा बढ़ने से जंगलों पर उनकी निर्भरता खत्म हो गई है। नतीजतन, वे वनों को नियंत्रित करने में खास रुचि नहीं रखते। इसी कारण जंगल की आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है और वनाग्नि की विकरालता काफी ज्यादा बढ़ गई है।

वन (संरक्षण) कानून में सुधार करते हुए 1,000 मीटर से ऊंचाई पर चीड़ के पेड़ों की कटाई संबंधी प्रतिबंध तत्काल खत्म किए जाने चाहिए।

ऐसा नहीं है कि इस समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। इसके लिए सबसे पहले मजबूत इच्छाशक्ति की दरकार है, फिर सही दिशा में कदम बढ़ाना होगा। सबसे पहले 1980 के वन (संरक्षण) कानून के प्रावधान ठीक करने होंगे। इसमें 1,000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर हरे पेड़ों की कटाई संबंधी प्रतिबंध तत्काल खत्म किए जाने चाहिए। विशेषकर चीड़ के संबंध में तो इसे जरूर हटाना चाहिए और ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि चीड़ की कटाई हो सके। इसके साथ-साथ गांव बसाने की तरफ भी ध्यान देना अनिवार्य है। गांवों में आबादी को इतना जागरूक करना ही होगा कि वे पहले की तरह जंगलों का प्रबंधन अपने हाथों में ले लें।

तीसरा रास्ता है, वन विभाग को सक्रिय बनाना। पहले यह विभाग जंगलों का प्रबंधन किया करता था, फिर इस पर वन-संरक्षण की जिम्मेदारी डाल दी गई। इसको प्रबंधन का अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अच्छी बात है कि सरकार अपने तईं कुछ प्रयास कर रही है, पर उसका खास असर नहीं पड़ रहा, इसलिए उसका बहुत फायदा नहीं दिखता। जाहिर है, हमें बुनियादी उपाय करने होंगे, तभी हम जंगलों को जलने से बचा पाएंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

कोयल सा बोलिए

व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, इस पर विचार किए बिना बोलने से हानि होती है। हमारे शास्त्रों ने व्यक्ति के बोलने पर भी काफी गंभीर विचार किया है। एक सुंदर उदाहरण से भी समझाया गया है कि क्या कौआ किसी से कुछ लेता है या कोयल किसी को कुछ देता है? मगर लोग कोयल की मीठी वाणी सुनकर उसके वशीभूत हो जाते हैं, जबकि कर्कश कांव-कांव सुनकर कौए को दुत्कार देते हैं।

संस्कृत में लिखी एक पंक्ति है- *वद वाक्यं शुभं सदा*, अर्थात व्यक्ति को सदा शुभ वाक्य बोलना चाहिए। महर्षि गौतम का *न्याय-दर्शन* बताता है कि व्यक्ति को बोलते समय आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि का ध्यान रखना चाहिए। संबंधित शब्दों को क्रमबद्ध बोलना 'आकांक्षा' है। पदों में निहित अर्थ का ज्ञान कराने की क्षमता को 'योग्यता' कहते हैं। वाक्य का उचित और पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए पदों की एक-दूसरे से निकटता होनी चाहिए। यदि वाक्य में एक पद के उच्चारण और दूसरे पद में दूरी हो, तो उसका अर्थ प्रकट होना कठिन है, इसे 'सन्निधि' कहते हैं। याद रखिए, अशुभ बोलने से वातावरण में नकारात्मकता बढ़ती है। चौथी शती के ग्रंथ *अमरकोश* ने बुरा बोलने वालों को दुर्मुख, मुखर और अबद्धमुख कहा है। परिवार और समाज में श्रेष्ठ वही कहलाता है, जो कम व मधुर बोलता है। वाल्मीकि महर्षि के अनुसार, भगवान राम सत्यभाषी, मितभाषी (कम बोलने वाले) और पूर्वभाषी (आगे से बोलने वाले) थे।

रामायण में एक कथा आती है कि किष्किंधा में भगवान राम से जब सुग्रीव के मंत्री पवनपुत्र हनुमान मिले, तो भगवान ने उनका परिचय पूछा। ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान ने जब अपना परिचय दिया, तो उसे सुनकर श्रीराम ने उनके वक्तव्य की प्रशंसा की। अनुज लक्ष्मण से उन्होंने कहा कि बाल ब्रह्मचारी हनुमान एक भी शब्द अशुद्ध नहीं बोलते। यह एक भी शब्द न तो अधिक बोलते हैं और न ही एक भी शब्द कम बोलते हैं। निश्चय ही इन्होंने अपने गुरु भगवान सूर्य से शास्त्रों, विशेषकर व्याकरण शास्त्र का गहरा अध्ययन किया है।

संस्कृत साहित्य में लिखे गए अनेक नीति श्लोकों में उन रहस्यों को सामान्य रीति में अभिव्यक्त किया गया है, जो पग-पग पर मानव का पथ-प्रदर्शन करते हैं। चाणक्य ने अपनी 'नीति' में लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को पांच प्रकार की बातों को कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए- अर्थनाश (धन का डूबना), मनस्ताप (मानसिक संताप), गृह-दुश्चरित (घर में दुश्चरित्र पुरुष या स्त्री), वंचन (अपने साथ हुई ठगी) और अपमान। इनमें में किसी की भी चर्चा कहीं नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को धीर और गंभीरता के साथ अपनी बात कहनी चाहिए, जिससे वह प्रभाव उत्पन्न कर सके।

क्या कौआ किसी से कुछ लेता है या कोयल किसी को कुछ देता है? मगर मीठी वाणी सुनकर लोग कोयल के वशीभूत हो जाते हैं, जबकि कर्कश कौआ को दुत्कार देते हैं।

शास्त्री कोसलेंद्रदास

जो बाइडन | अमेरिकी राष्ट्रपति

गर्भपात संबंधी कानून को पलटकर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही हमें 160 साल पीछे ले जा चुके हैं। अब वह कहते हैं, यह राज्यों के अधिकारों का मामला है। वह गलत हैं, यह महिलाओं के अधिकार का मुद्दा है!

अनुलोम-विलोम
कोरोना टीका

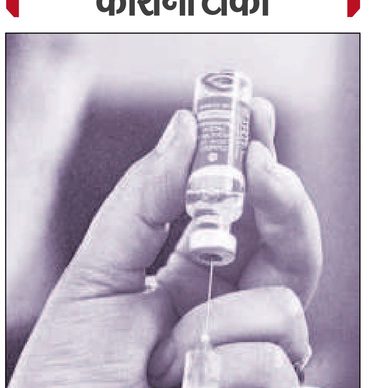

यह आम जनता के साथ धोखा नहीं

ब्रिटेन की अदालत में फरवरी महीने में ही एक बात कबूली गई थी, जिस पर अब देश भर में बहस हो रही है। यह विमर्श कोरोना टीके से जुड़ा हुआ है और आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी सरकार ने जान-बूझकर आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। असल में खबर यह है कि कोरोना की दवा बनाने वाली ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अदालत में यह स्वीकार किया है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। यह साइड इफेक्ट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के रूप में हो सकता है, जिससे शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से अचानक हृदयगति रुक जाने से मौत की घटनाएं बढ़ी हैं, उसकी एक बड़ी वजह कोविड टीके हैं। एस्ट्राजेनेका दवा कंपनी दुनिया भर में अपना टीका कोविशील्ड और वैक्सजेवरिया के नाम से बेचती है।

मगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने या अपनी सरकार को घेरने से पहले हमें उस समय के हालात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। वह एक ऐसा वक्त था, तब शायद ही किसी को पता था कि उसके जीवन की गाड़ी किधर का रुख करेगी। चारों तरफ कोहराम मचा था और तमाम लोग कोरोना से प्रभावित हो रहे थे। महामारी का ऐसा तांडव मचा था, मानो हर घर में लोग बीमार हो रहे थे। ऐसे में, किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की होती है। जाहिर है, हमारी सरकार ने भी ऐसा ही किया। आपात स्थिति के कारण ही कोरोना टीके को मंजूरी दी गई। तब बस एक ही मंशा थी कि अगर ये टीके कारगर साबित होते हैं, तो लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है और ऐसा हुआ भी। कंपनी ने ब्रिटिश अदालत में यह स्वीकार करते हुए कि उसके टीके से लोगों को दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकता है, यह भी कहा है कि कोविड वैक्सीन के कारण दुनिया भर में 60 लाख लोगों की जिंदगियां बचाई गईं।

आज हम भले ही कोविशील्ड की गुणवत्ता पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उन दिनों, जब लोगों की जान पर बन आई थी, यह जांचने का वक्त ही कहां था कि टीके कितने सुरक्षित हैं? वैसे भी, जब एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफॉर्ड के साथ मिलकर वैक्सीन बनाई, तब यही माना गया कि नामचीन संस्थाएं शायद ही नियमों की अनदेखी करेंगी। ऐसे में, यदि कोविशील्ड को भारत में मंजूरी मिल भी गई, तो इसमें क्या गलत हुआ? हां, अब इससे बचाव के उपाय जरूर किए जाने चाहिए। मुमकिन है कि इस दिशा में काम हो भी रहा होगा।

रोहित, टिप्पणीकार

बिना जांच टीका लगाने का नतीजा

जो आशंका काफी पहले से जताई जा रही थी, अब उस पर मुहर लग ही गई। कोरोना टीके पर शुरू से संदेह किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि बिना पुख्ता जांच के किसी भी टीके को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन उपलब्धियों का सेहरा अपने सिर बांधने की ऐसी धुन हमारे नीति-नियंताओं पर चढ़ी थी कि उन्होंने बिना यह देखे कि टीके का क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, आनन-फानन में सभी लोगों को टीके लगाने का फरमान जारी कर दिया। इसका नतीजा अब सामने है। ब्रिटिश अदालत में एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उसके टीके से खून के थक्के जम सकते हैं और हृदयाघात जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अपनी गलती स्वीकार करके कंपनी बेशक चलती बने या कुछ मुआवजे देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ले, लेकिन इस स्वीकारोक्ति ने आम लोगों के सामने मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी हैं। हमने पिछले कुछ महीनों से देखा ही है कि कैसे नाचते-गाते या कसरत करते लोग अचानक मौत की नींद सो गए। विवाह की वेदी तक पर ऐसी घटनाएं देखी गईं और खुशी का माहौल अचानक गम में बदलता दिखा।

परेशानी की बात यह भी रही कि जब अचानक हृदयाघात की घटनाएं सामने आ रही थीं और टीके की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे थे, तब भी हमारे नीति-नियंताओं की नींद नहीं खुली और उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। हां, यह निर्देश जरूर जारी किया गया कि जिनको गंभीर कोरोना हुआ है, वे एक-दो साल भारी शारीरिक काम करने से बचें। क्या अच्छा नहीं होता कि वस्तु-स्थिति की जानकारी लोगों को दी जाती। जाहिर है, एस्ट्राजेनेका ने जिस तरह से सच छिपाए रखा, ठीक उसी तरह का काम हमारी सरकार ने भी किया।

यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि हमारा तंत्र अपने नागरिकों के प्रति कितना संवेदनहीन है। एक हद तक यह माना जा सकता है कि आपात स्थिति को देखते हुए टीकाकरण की अनुमति दी गई, लेकिन यह तो समझ से परे है कि लोगों पर टीके की दो-दो, तीन-तीन खुराक लेने की शर्त क्यों थोपी गई? इतना ही नहीं, जब टीके की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे थे, तब भी क्यों नहीं पर्याप्त संवेदनशीलता दिखाई गई और उचित जांच-पड़ताल की गई? साफ है, हमारे नीति-नियंताओं को आम लोगों के स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं था। यह काफी दुखद स्थिति है। अगर अब भी हमारा तंत्र इन दुष्परिणामों के अध्ययन और निवारण में न जुटा, तो आने वाले दिनों में एक बड़ी आबादी प्रभावित हो सकती है। हमें टीके के साइड इफेक्ट का तोड़ ढूंढ़ना ही होगा।

कुणाल झा, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 1 मई, 2024

दैनिक जागरण
निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है

फर्जी वीडियो

गृहमंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो के सहारे उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने और गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश कोई नई बात नहीं। इस तरह की हरकतें होती ही रहती हैं। चूंकि इस समय चुनाव चल रहे हैं, इसलिए फर्जी, संदर्भ से काटकर और अर्थ का अनर्थ करने वाले गलत तरीके से संपादित किए गए वीडियो आने का सिलसिला शायद ही थमे। किसी को बदनाम करने के लिए फर्जी वीडियो प्रचारित-प्रसारित करने का सिलसिला इसीलिए तेज होता जा रहा है, क्योंकि यह काम करने वाला पूरा एक तंत्र खड़ा हो चुका है। इसी कारण दुनिया भर में फेक न्यूज एक बड़ी समस्या बन गई है। इसका कारण तकनीक का दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त उपाय न करना और दोषी लोगों को कठोर दंड न दिया जाना है। आम तौर पर जब किसी नेता के फर्जी वीडियो पर कोई कार्रवाई होती है तो विरोधी दल के लोग यह शोर मचाने लगते हैं कि विरोधियों का दमन किया जा रहा है। कुछ तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ लेने लगते हैं।

हालांकि समय-समय पर सभी दलों के नेता फर्जी खबरों, फोटो, वीडियो का शिकार बनते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें प्रचारित-प्रसारित करने वालों के खिलाफ पुलिस कोई कदम उठाती है तो राजनीतिक कारणों से आरोपित का बचाव किया जाने लगता है। कभी-कभी तो ऐसे तत्वों के प्रति अदालतें भी नरम रवैया अपना लेती हैं। इसका परिणाम यह है कि फोटो, वीडियो में छेड़छाड़ कर भ्रम फैलाने वालों के दुस्साहस पर लगाम नहीं लग पा रही है। यह इसलिए चिंता की बात है, क्योंकि अब एआइ का सहारा लेकर ऐसे वीडियो बनाए जाने लगे हैं, जिनके साथ की गई छेड़छाड़ का पता लगाना कठिन होता है। इस तरह के वीडियो बनाकर कलाकारों और नेताओं को बदनाम करने के मामले बढ़ रहे हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि तकनीक का दुरुपयोग करके जनमत और साथ ही चुनावों को प्रभावित करने का काम सुनियोजित तरीके से होने लगा है। कैंब्रिज एनालिटिका का मामला ऐसा ही था। ऐसे मामले इसीलिए सामने आते हैं, क्योंकि सोशल नेटवर्क प्लेटफार्म संचालित करने वाली कंपनियां उनका दुरुपयोग रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने से इन्कार कर रही हैं। कई बार तो वे शिकायत के बाद भी मानहानिकारक या फिर कानून एवं व्यवस्था के लिए खतरा बनने वाले फर्जी वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करतीं। फर्जी खबरें राजनीति और सामाजिक सद्भाव के साथ शासन तंत्र के लिए भी खतरा हैं। यह खतरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अच्छा हो कि राजनीतिक दलों में इस खतरे से निपटने के उपायों को लेकर सहमति बने। यह समझा जाना चाहिए कि लोकतंत्र के समक्ष जो नए खतरे उभरे हैं, उनमें फर्जी खबरें, फोटो और वीडियो भी हैं। आधुनिक तकनीक एक वरदान है, लेकिन यदि उसका दुरुपयोग नहीं थमा तो वह अभिशाप भी बन सकती है।

पवित्र अभियान

जाति, वर्ग का भेदभाव खत्म करने की दिशा में अखाड़ों ने बहुत पहले से ही कार्य करना शुरू कर दिया था और इसी की परिणति है कि वंचित समाज के कई संत महामंडलेश्वर का दर्जा पा चुके हैं, लेकिन प्रयागराज में जूना अखाड़े ने इसी समाज के महेंद्रानंद गिरि को जगद्गुरु का सम्मानित पद सौंपकर एक पवित्र अभियान की ओर कदम बढ़ाया है। यह पहल इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदू धर्म विरोधी कई ताकतें इस समय तेजी से मतांतरण के प्रयासों में जुटी हैं और उनके निशाने पर वंचित समाज और आदिवासी ही हैं जो लोभ-भय, सामाजिक उपेक्षा व सरकारी सुविधाओं से वंचित होने के कारण दूसरे धर्म अपना लेते हैं। जूना अखाड़े ने वंचित और आदिवासी समाज के 52 और संतों को महामंडलेश्वर बनाने का निर्णय किया है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। यह पहल सामाजिक विघटन रोकने में मील का पत्थर साबित होगी और अन्य अखाड़ों को भी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की प्रेरणा मिलेगी। आने वाले कुंभ में इस तरह के और कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं। वंचित समाज के लोगों की महामंडलेश्वर और जगद्गुरु जैसे सम्मानित पदों पर प्रतिष्ठा सनातन धर्म के समयानुकूल बदलाव का द्योतक है। यह सनातन धर्म की उदात्तता ही है कि उसके दरवाजे समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए खुलते हैं। इसके मूल में है कि कोई भी पद जाति से नहीं योग्यता से मिलना चाहिए। महामंडलेश्वर पद पाना आसान नहीं है। इसके लिए संतों को कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। घर-परिवार से दूर रहकर भक्ति व त्याग वाली दिनचर्या अपनानी होती है। महेंद्रानंद गिरि अनुसूचित जाति के पहले जगद्गुरु हैं जिनको इस पद से सम्मानित कर जूना अखाड़े ने इस पूरे समाज को बराबरी का संदेश दिया है। उपेक्षितों को सम्मान देकर ही हम अपने साथ रख सकते हैं।

भारतीय लोकतंत्र को लांछित करने का अभियान

श्रीराम चौलिया

भारत में चुनाव प्रक्रिया एवं शासन व्यवस्था में कुछ सुधार आवश्यक हैं, पर हमारी उपलब्धियों को अनदेखा कर मनगढ़ंत आरोप लगाना एक सुनियोजित षड्यंत्र है

अवधेश राजपूत

देश में जारी लोकसभा चुनाव जिस बड़े पैमाने पर आयोजित हो रहे हैं, वह विश्व के सामने एक मिसाल है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, जहां करीब 97 करोड़ मतदाता हों, दो हजार आठ सौ राजनीतिक दल कड़ी प्रतिस्पर्धा में हों, 55 लाख ईवीएम हों, जिनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, साढ़े दस लाख मतदान केंद्र हों, जहां अधिकतर शांतिपूर्वक और बिना धांधली के मतदान हो और चुनाव परिणाम की विश्वसनीयता पर हारने वाले उम्मीदवार अथवा दल भी स्वीकृति देते हों। इतने बड़े पैमाने पर आज तक इतिहास में कभी भी लोकतांत्रिक स्वेच्छा का प्रदर्शन नहीं देखा गया। अगर इस कीर्तिमान को कोई तोड़ेगा भी तो उस देश का नाम भारत ही होगा। हम ही अपने आप द्वारा स्थापित ऊंचाइयों से ऊपर जाने की सामर्थ्य रखते हैं।

विश्व में लोकतंत्र की साख कायम रखने में भारत सबसे प्रबल दायित्व निभा रहा है। हम आज उस कालखंड में हैं, जहां चीन जैसे शक्तिशाली देश में तानाशाही का बोलबाला बढ़ रहा है और अमेरिका जैसा लोकतांत्रिक महारथी राजनीतिक ध्रुवीकरण और आत्मसंदेह में फंसा है। अगर हम शासन व्यवस्थाओं के वैश्विक संतुलन का जायजा लें तो वह खतरनाक ढंग से तानाशाही के पक्ष में झुक रहा है और फिर भी भारत लोकतंत्र की लौ को जलाए हुए है। मौजूदा लोकसभा चुनाव इसका परिचायक है। दुनिया भर में लोग देख सकते हैं कि तेज गति से आर्थिक प्रगति करते विशाल देश भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत और गहरा है। वे आश्वस्त हो सकते हैं कि सफलता और समृद्धि के लिए चीन की राह पर जाना अनिवार्य नहीं है। इन अकाट्य तथ्यों के बावजूद पश्चिम के उदारवादी पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भारत में कथित 'लोकतांत्रिक पथभ्रष्टता' और पतन पर निरंतर दुष्प्रचार अभियान चला रहे हैं। भारत में चुनाव प्रक्रिया के प्रति जनसाधारण में आस्था के तमाम जमीनी प्रमाणों को जानबूझकर अनदेखा करके इन छिद्रान्वेषी आलोचकों ने लगातार लांछन लगाने और यह माहौल बनाने का प्रयास किया है कि भारत पीछे की ओर जा रहा है। उदाहरण के लिए कुछ खबरों और लेखों के शीर्षक देखें-मोदी का निरंकुशता की ओर झुकाव: कैसे मोदी भारत को निरंकुशता में बदलने के लिए हिंदू धर्म का उपयोग कर रहे हैं' (फारेन पालिसी)। 'मोदी का भारत वह स्थान है, जहां वैश्विक लोकतंत्र खत्म हो जाता है।' (न्यूयार्क टाइम्स)। 'इस साल भारत के चुनाव अपनी 'अलोकतांत्रिक प्रकृति' के साथ सामने आए हैं।' 'मोदी लोकतंत्र को चुनावी अधिनायकवाद में बदल रहे हैं।' (लि मांडे)। 'भारत में कानून के शासन का क्या हुआ?' (द एटलांटिक)। 'क्या मोदी ने भारतीय लोकतंत्र को उसके टूटने के बिंदु से आगे धकेल दिया है?' (न्यू यार्कर)। 'नरेन्द्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार नागरिक अधिकारों पर अपना हमला बढ़ा रही है।' (द गार्डियन)

मोदी सरकार के साथ भारत के निंदक टिप्पणीकारों एवं संपादकों के लक्षणों को समझना आवश्यक है। ये वस्तुगत सच्चाई के बजाय एक छोटे अभिजात्य वर्ग की सर्वसम्मति और आरामकुर्सी पर हासिल कथित ज्ञान के आधार पर लिखते और बोलते हैं। ब्रिटेन के राजनीतिशास्त्री एड्रियन पेबस्ट ने 'उदार लोकतंत्र के राक्षस' नामक पुस्तक में इनकी पोल खोली है। उन्होंने दिखाया है कि पश्चिमी उदारवादी 'आम लोगों के मूल्यों के प्रति अत्यधिक अलोकतांत्रिक और असहिष्णु हैं' और उनका लक्ष्य है 'सत्ता और धन को संकीर्ण और गैरजिम्मेदार अभिजात्य वर्ग के हाथों में केंद्रित करना।' वे न केवल भारत जैसे सक्रिय लोकतंत्र पर अंगुली उठाते हैं, बल्कि अपने देशों में रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी सरकारों एवं नेताओं में अलोकतांत्रिक प्रवृत्तियां हावी होने का आरोप लगाते हैं। जहां भी उदारवादी धड़े के अनुसार राजनीति और समाज नहीं झुकते, वहां इस धड़े के लोग उन्हें पिछड़ता हुआ दिखाने को अपना कर्तव्य समझने लगते हैं। हालांकि उदारवादी और रूढ़िवादी, दोनों ही लोकतांत्रिक दायरे के अंदर रहते हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञों को केवल उदारवादी ही लोकतांत्रिक नजर आते हैं और बाकी सबको वे अलोकतंत्रवादी या लोकलुभावनवादी करार देते हैं। इनमें सामान्य जनता की समझ को स्वीकार करने की जैसी अनिच्छा और असहिष्णुता है, उससे साफ जाहिर है कि ये गैरलोकतांत्रिक मानसिकता के शिकार हैं और इनमें विशेषाधिकार की यह भावना है कि पूरे विश्व को उनके पसंदीदा पथ पर ही चलना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ऐसे लोगों के बारे में उचित ही कहा कि उन्हें लगता है कि वे सिर्फ पर्यवेक्षक ही नहीं, बल्कि 'हमारे चुनाव में राजनीतिक खिलाड़ी भी हैं और वे एक ऐसा एक वैश्विक खेल खेल रहे हैं, जिसमें उन्हें घुसपैठ करनी होगी।'

चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, प्राचीन विरासत और विकास पर जोर देकर जनमानस का समर्थन जुटाया है, इसलिए उदारवादी विदेशी समीक्षकों में गहरी हताशा है। दुर्भाग्यवश हमारे अपने विपक्षी नेताओं और वाम-उदार बुद्धिजीवियों के साथ इन अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों और टिप्पणीकारों की साठगांठ है। राहुल गांधी का यह कथन विदेशी आलोचकों की भाषा से न केवल मिलता-जुलता है, बल्कि उन्हें प्रभावित भी करता है कि वर्तमान आम चुनाव 'लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए अंतिम अवसर हैं, क्योंकि मोदी उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।' दूसरे देशों में बसे भारतीय मूल के कुछ कथित उदारवादी विचारक भी इस गठजोड़ में शामिल हैं और उन्हें उन देशों में वरीयता तभी मिलती है, जब वे मोदी की हाय-हाय करते दिखें और भारत की बुराई करते रहें।

विश्व के प्रत्येक लोकतंत्र में त्रुटियां होती हैं और कोई भी देश दोषहीन नहीं हो सकता। भारत में भी चुनावी प्रक्रिया एवं शासन व्यवस्था में लगातार सुधार जरूरी हैं और अभी हमारा लोकतंत्र सर्वाधिक उत्कृष्ट स्तर पर नहीं पहुंचा है, लेकिन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हमारी जो उपलब्धियां हैं, उन्हें अनदेखा करके मनगढ़ंत आरोप लगाना और भारत की छवि को मलिन करना एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। इसका भंडाफोड़ साधारण भारतीय मतदाता तो करेंगे ही, हमारे तार्किक, राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों को भी चाहिए कि वे वास्तविकता दिखाते रहें।

(लेखक ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जिंदल इंडिया इंस्टीट्यूट के महानिदेशक हैं)

response@jagran.com

मनचाहे आरोपों की राजनीति

राजीव सचान

कांग्रेस के घोषणा पत्र के साथ भाजपा वही कर रही, जो उसने सीएए और कृषि कानूनों को लेकर किया था

कांग्रेस के इस आरोप में दम है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न्याय पत्र नाम वाले उसके घोषणा पत्र की मनचाही व्याख्या कर रहे हैं और उसमें तो वैसा कुछ लिखा ही नहीं, जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से मोदी यह कहकर कांग्रेस को घेर रहे हैं कि वह लोगों की जमीन-जायदाद और यहां तक कि महिलाओं का सोना-चांदी और उनके मंगलसूत्र के बारे में जानकारी जुटाकर उन्हें अपने पसंदीदा वोट बैंक को बांटने का इरादा रखती है। मोदी यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण में कटौती कर मुस्लिम समुदाय को देना चाहती है। उन्हें यह कहने का मौका इसलिए मिल गया, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने राज्य के समस्त मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा मानकर ओबीसी आरक्षण में शामिल कर दिया। इस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आपत्ति भी जताई है। भाजपा को संपत्ति के पुनर्वितरण करने का आरोप लगाकर कांग्रेस को घेरने का मौका उसके घोषणा पत्र के इस बिंदु से मिला कि वह संपत्ति का सर्वे कराएगी। रही-सही कसर सैम पित्रोदा ने यह कहकर पूरी कर दी कि भारत को अमेरिका जैसे विरासत टैक्स पर बहस करनी चाहिए।

कांग्रेस सफाई देते-देते परेशान है, लेकिन मोदी और उनके सहयोगी अपने आरोप बार-बार दोहरा रहे हैं। कांग्रेस का इससे परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन बहुत समय नहीं हुआ, जब कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों के अन्य अनेक नेता देश को यह समझाने में लगे हुए थे कि यदि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू हुआ तो देश के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। इसका दुष्प्रचार इतना अधिक किया गया कि दिल्ली के साथ देश के अनेक हिस्सों में लोग सड़कों पर उतरे, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और उसमें करोड़ों की सरकारी और गैर-सरकारी संपत्ति स्वाहा हो गई। कुछ लोगों की जान भी गई। दिल्ली में 50 से अधिक लोगों की जान लेने वाले दंगे सीएए विरोधी शाहीन बाग धरने के लंबा खिंचने का ही नतीजा थे। याद करें कि इस धरने को संबोधित करने कौन-कौन विपक्षी नेता जाते थे और वहां क्या-क्या कहते थे? शाहीन बाग धरने के चलते दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली एक व्यस्त सड़क जबरन अवरुद्ध कर दी गई थी,

सत्तापक्ष-विपक्ष में आरोपों की बौछार। फाइल

लेकिन किसी को दिल्ली-एनसीआर के आम लोगों को हो रही परेशानी की परवाह नहीं थी।

कुछ दिनों पहले सीएए के नियम अधिसूचित कर दिए गए, लेकिन शायद ही कोई उनके विरोध में उतरा हो, क्योंकि सभी को यह समझ आ गया था कि चार वर्ष पहले उन्हें बरगलाया गया था। तब विपक्षी नेताओं को सीएए की मनमानी व्याख्या करने का मौका इसलिए मिल गया था, क्योंकि उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए मुसलमानों को इन देशों का बहुसंख्यक होने के नाते नागरिकता देने का प्रविधान नहीं था। विपक्षी नेताओं को सीएए के जरिये भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीने जाने का सनसनीखेज आरोप लगाने का अवसर भी इसलिए मिल गया था, क्योंकि इस कानून के बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी लाने की चर्चा हो रही थी। हालांकि एनआरसी के मसौदे का अता-पता नहीं था, लेकिन विपक्षी नेताओं ने यही बताया कि देश के मुसलमानों को पहले एनआरसी से बाहर किया जाएगा, फिर सीएए के प्रविधान के तहत उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। लोगों को भड़काने और सड़कों पर उतारने के लिए यह पर्याप्त था।

भाजपा की ओर से अपने घोषणा पत्र की मनमानी व्याख्या से कांग्रेस का परेशान होना स्वाभाविक है, पर जब कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दलों के नेता कृषि कानूनों की मनचाही व्याख्या कर रहे थे तो भाजपा के साथ दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा एवं पंजाब के लोग भी बहुत परेशान हुए थे। तब इन कानूनों के विरोध में विपक्षी दलों के सहयोग-समर्थन से उत्साहित किसान संगठन राजमार्गों को घेरकर बैठ गए थे। वे करीब एक वर्ष तक दिल्ली को घेरकर बैठे रहे। इससे करोड़ों लोग परेशान हुए और अरबों रुपये का नुकसान हुआ। तब कांग्रेस समेत विपक्ष को आनंद आ रहा था, क्योंकि सरकार किसान नेताओं के निशाने पर थी और वह उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए नहीं कर पा रही थी, क्योंकि किसान संगठनों के साथ विपक्षी दल यही बताने में लगे थे कि कृषि कानूनों का मूल उद्देश्य किसानों की जमीन छीनना है। कृषि कानूनों की ऐसी व्याख्या का कोई आधार न था, लेकिन विपक्ष ने यह तय कर लिया था कि उसे किसानों को यही समझाना है कि इन कानूनों से उनके खेत खतरे में हैं। तब विपक्षी दलों के साथ कथित किसान संगठनों के नेता भी अपना राजनीतिक हित देख रहे थे। एक ऐसा ही संगठन पंजाब के विधानसभा चुनावों में उतरा और उस समय किसान नेता बने योगेंद्र यादव का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के बाद कहना था कि हमने तो विपक्षी दलों के लिए पिच तैयार की थी, लेकिन यदि वे उसका फायदा नहीं उठा सके तो हमारा क्या दोष?

यदि कोई इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि भाजपा कांग्रेस के घोषणा पत्र की मनचाही व्याख्या कर रही है तो वह गलत नहीं, लेकिन उसे इस नतीजे पर भी पहुंचना होगा कि तीन-चार वर्ष पहले कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल सीएए और कृषि कानूनों की मनमानी व्याख्या कर रहे थे। चूंकि राजनीतिक दलों ने एक-दूसरे की नीतियों को लेकर उन पर मनचाहे आरोपों की बौछार करने की सुविधा हासिल कर रखी है, इसलिए चुनावों के दौरान आदर्श चुनाव संहिता प्रभावी नहीं दिखती। आदर्श चुनाव संहिता तब प्रभावी होगी, जब कोई आदर्श राजनीतिक संहिता भी होगी।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

https://t.me/AINewsPaperPaid

ऊर्जा

अच्छाई की राह

अच्छे व्यक्ति का साथ हो तो सद्गुणों का विकास होता है। इससे व्यक्ति विनम्र बन जाता है। जबकि बुरे की संगति में व्यक्ति उद्दंड बन जाता है। हमारे निकट लोगों के जीवन में झांकने से प्रतीत होगा कि अच्छे लोगों के सान्निध्य से जिस किसी में उद्दंडता थी, उसमें विनम्रता आ गई। उसकी बुराइयों पर भी विराम लग गया। जहां संगति अच्छी नहीं होती, वहां विनम्र व्यक्ति भी उद्दंड बन जाता है।

हमारे दैनिक जीवन में चलने वाले अप्रत्यक्ष संग्राम को किसी हथियार से नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी शक्ति से ही जीता जा सकता है। स्वामी विवेकानंद के इस कथन के अनुसार कि जब प्रेरणा भीतर से आएगी, तभी आप अच्छाई की ओर उन्मुख हो सकेंगे। यह मत सोचें कि आप अच्छे नहीं बन सकते हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा है कि महान व्यक्ति जिन चीजों को ढूंढ़ते हैं, वे उन्हें अपने भीतर ही प्राप्त हो जाती हैं। कमजोर ही दूसरों का मुंह ताकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ ने भी कहा है कि आत्मप्रेरित इंसान कभी खाली नहीं बैठ सकता। वह खुद को और दूसरों को भी सुखी बनाता है।

एक व्यक्ति प्रकृति से विनम्र है, किंतु उसे गलत सीख मिली कि तुम बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास बहुत धन है, तुम्हें क्या करने की जरूरत है, ऐसी गलत सीख देकर उसे अहंकारी बना दिया जाता हैं। जो अहंकारी बन जाता है, वह पतन की राह पर बढ़ जाता है। पतन का सबसे सरल मार्ग है-अहंकारी हो जाना। बुराई के रास्ते तो हर मोड़ पर मिल जाते हैं, परंतु अच्छाई का रास्ता भीतर से होकर ही निकलता है। इसलिए स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार आवश्यक है। जब आपको अंदर से अच्छा बनने की प्रेरणा मिलती है तो आपको संभावनाओं का अनंत आकाश नजर आता है। इस प्रेरणा के कारण ही आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनने को उत्सुक होते हैं। यह अंदरूनी प्रेरणा सफलता के निकट ले जाती है।

ललित गर्ग

महिलाओं को भी मिले पुरुषों के समान वेतन

सुनीता मिश्रा

हमारे देश में निजी नौकरियों में विभिन्न पदों के लिए वेतनमान तय नहीं हैं, जैसा कि सरकारी नौकरियों में होता है

माना जा रहा है कि पिछले पांच वर्षों से जिस श्रम संहिता (लेबर कोड) के लागू होने का इंतजार किया जा रहा है, उसे नई सरकार बनने के कुछ महीनों के भीतर ही लागू किया जा सकता है। इसमें लेबर कोड से जुड़े सभी चार पार्ट को एक पार्ट में ही लागू किया जाएगा। लेबर कोड के चार पार्ट में वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंधी संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 शामिल हैं। इसके तहत न्यूनतम वेतन काम की स्थिति, भौगोलिक स्थिति और कुशलता की जरूरतों को ध्यान में रखकर तय होंगे। जिससे कंपनियों को महिला कामगारों को पुरुष कामगारों के जैसा काम करने पर समान वेतन देना होगा। महिला कर्मचारी नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। इसके अलावा एक निश्चित अवधि के लिए काम करने वाली महिला कर्मियों को भी स्थायी कर्मियों की भांति सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही कंपनियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा के साथ नर्सिंग सुविधा और आफिस में क्रेच की सुविधा भी मुहैया करानी होगी।

महिलाओं को जगह-जगह भेदभाव सहना पड़ता है। महिलाएं पुरुषों जैसा काम करती हैं, जबकि उनके जैसा वेतन नहीं पाती हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) के अनुसार वैश्विक स्तर पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 20 प्रतिशत वेतन कम मिलता है। महिलाओं और पुरुषों के वेतन में समानता दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। चीन, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, स्वीडन, पुर्तगाल और रूस जैसे कई देश इसमें शामिल हैं। इस अंतर के लिए दुनिया के तमाम देशों में उनकी परिस्थितियों के हिसाब से अलग-अलग कारण जिम्मेदार माने गए हैं। लेकिन हमारे देश में महिलाओं और पुरुषों के वेतन में जो असमानता है, उसकी जड़ें सामाजिक मान्यताओं में ही निहित हैं।

हमारे देश में निजी नौकरियों में विभिन्न पदों के लिए वेतनमान तय नहीं हैं, जैसा कि सरकारी नौकरियों में होता है। इसलिए एक ही कंपनी में एक ही जैसा काम करने वाले महिला और पुरुष का वेतन अलग-अलग होता है। इसका खामियाजा सबसे अधिक महिलाओं को भुगतना पड़ता है। कई बार अपनी निजी समस्याओं और परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण महिलाओं को अधिक काम के बदले कम वेतन लेने को मजबूर होना पड़ता है। इन तमाम कारणों से महिलाओं और पुरुषों के वेतन में अंतर है। ऐसे में लेबर कोड लागू होने के बाद महिलाओं को आगे बढ़ने के कई अवसर मिलेंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन मिलने पर उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। वे कंपनियों में अपने अधिकार के लिए लड़ सकेंगी और अदालत का दरवाजा खटखटा सकेंगी।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

आत्ममंथन करे कांग्रेस

'सूरत के बाद इंदौर' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी में पढ़ा कि आम चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति कितनी लचर रही है। अब तो पार्टी में आंतरिक स्तर पर ही चुनावी रणनीति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पार्टी अगर इतने महत्वपूर्ण चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी ही ढंग से नहीं चयन कर पा रही तो वह सत्तारूढ़ भाजपा को किस प्रकार चुनौती पेश कर पाएगी। इससे पहले कई सीटों पर ऐसी बातें सामने आ चुकी हैं कि पार्टी के प्रत्याशी ने ही चुनाव लड़ने से इन्कार कर दिया तो कहीं टिकट दिए जाने पर ही विरोध शुरू हो गया, जैसे कि जयपुर। राजधानी दिल्ली भी कांग्रेस की लचर रणनीति का एक बड़ा उदाहरण है, जहां बड़ी मशक्कत के बाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन प्रत्याशी उतारने में बहुत देर कर दी और जब उम्मीदवार उतारे तो ऐसे कि प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ही अपने पद से इस्तीफा देकर चलते बने। ये किसी भी लिहाज से कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं। इससे चुनाव में उतरने से पहले ही कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित होगा। कांग्रेस को आत्ममंथन कर अपनी रणनीति बदलनी होगी। अन्यथा उसकी चुनावी संभावनाएं अच्छी नहीं दिख रहीं।

गुंजन शर्मा, कमला नगर-नई दिल्ली

गैर जरूरी खर्च पर लगे रोक

'आंकड़ों के अभाव में असंतुलित विमर्श' शीर्षक से लिखे आलेख में शिवाकांत शर्मा ने गैर-जिम्मेदाराना लोकलुभावन वादों के नुकसान से हमें अवगत कराया है। साथ ही इसकी आवश्यकता जताई है कि अन्य देशों की तरह हमारे देश में कोई ऐसी स्वास्थ्य संस्था होनी चाहिए। जो यह बता सके कि विभिन्न सरकारों के गैर जरूरी खर्च कौन-कौन से हैं और इन खर्चों का दूरगामी असर अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा? बकायदा उन्होंने अपने आलेख में मौजूदा सरकार के पांच किलो मुफ्त अनाज वितरित करने सहित कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए उन वादों पर भी सवाल उठाया है। जिससे राजस्व की हानि की आशंका अधिक है बजाय उन नीतियों के अमल में लाने से सरकार की अधिक आमदनी होगी। फिर ऐसी दशा में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकारें एवं केंद्र के पास धन कहां से आएगा? आलेख बेहद विद्वतापूर्ण है एवं सुधी पाठकों, नीति नियंताओं की आंखें खोलने वाला है। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि एन-केन-प्रकारेण चुनाव जीतने की ललक में किसी को इन महीन बातों पर ध्यान देने की फुरसत कहां है? लेकिन समय आएगा। हम सबको इस विषय पर सोचना होगा। तभी बेरोजगारी, गरीबी एवं महंगाई से निजात पाने की उम्मीद कर सकते हैं। आखिर अर्थव्यवस्था का समग्र विकास होगा। तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीबी दूर होगी, महंगाई से निजात मिल सकेंगे।

मुकेश कुमार मनन, पटना

न्यायिक स्वतंत्रता जरूरी

'न्यायपालिका की गरिमा पर आघात' शीर्षक आलेख में सीबीपी श्रीवास्तव ने न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता पर मंडराते खतरे के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया है। कोर्ट के फैसले को सम्मानपूर्वक लेना आवश्यक है। न्यायपालिका का सम्मान हमारे लोकतंत्र की गरिमा का हिस्सा है। यह दुखद है कि राजनीतिक विचारों के कारण न्यायपालिका के फैसलों को विवादास्पद बनाया जा रहा है। कोर्ट के फैसलों की आलोचना करना लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन वह आलोचना सकारात्मक और उचित होनी चाहिए। राजनीतिक स्वार्थ के लिए कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाने से न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर आघात होता है। वकीलों और नेताओं को यह समझना चाहिए कि कोर्ट का हर फैसला उनके अनुसार नहीं हो सकता, फिर भी न्यायपालिका की मर्यादा और गरिमा का सम्मान करना चाहिए। समाज को भी कोर्ट के फैसलों के पीछे की विधियों और तथ्यों को समझने की आवश्यकता है। कोर्ट के फैसलों पर बिना उचित आधार के आरोप लगाना अनुचित है।

awanishg30@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

संपादकीय जागरण

(10) बुधवार, 1 मई, 2024 : वैशाख कृष्ण-7-8 वि. 2081

निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है

फर्जी वीडियो

गृहमंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो के सहारे उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने और गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश कोई नई बात नहीं। इस तरह की हरकतें होती ही रहती हैं। चूंकि इस समय चुनाव चल रहे हैं, इसलिए फर्जी, संदर्भ से काटकर और अर्थ का अनर्थ करने वाले गलत तरीके से संपादित किए गए वीडियो आने का सिलसिला शायद ही थमे। किसी को बदनाम करने के लिए फर्जी वीडियो प्रचारित-प्रसारित करने का सिलसिला इसीलिए तेज होता जा रहा है, क्योंकि यह काम करने वाला पूरा एक तंत्र खड़ा हो चुका है। इसी कारण दुनिया भर में फेक न्यूज एक बड़ी समस्या बन गई है। इसका कारण तकनीक का दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त उपाय न करना और दोषी लोगों को कठोर दंड न दिया जाना है। आम तौर पर जब किसी नेता के फर्जी वीडियो पर कोई कार्रवाई होती है तो विरोधी दल के लोग यह शोर मचाने लगते हैं कि विरोधियों का दमन किया जा रहा है। कुछ तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ लेने लगते हैं। हालांकि समय-समय पर सभी दलों के नेता फर्जी खबरों, फोटो, वीडियो का शिकार बनते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें प्रचारित-प्रसारित करने वालों के खिलाफ पुलिस कोई कदम उठाती है तो राजनीतिक कारणों से आरोपित का बचाव किया जाने लगता है। कभी-कभी तो ऐसे तत्वों के प्रति अदालतें भी नरम रवैया अपना लेती हैं। इसका परिणाम यह है कि फोटो, वीडियो में छेड़छाड़ कर भ्रम फैलाने वालों के दुस्साहस पर लगाम नहीं लग पा रही है। यह इसलिए चिंता की बात है, क्योंकि अब एआइ का सहारा लेकर ऐसे वीडियो बनाए जाने लगे हैं, जिनके साथ की गई छेड़छाड़ का पता लगाना कठिन होता है। इस तरह के वीडियो बनाकर कलाकारों और नेताओं को बदनाम करने के मामले बढ़ रहे हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि तकनीक का दुरुपयोग करके जनमत और साथ ही चुनावों को प्रभावित करने का काम सुनियोजित तरीके से होने लगा है। कैंब्रिज एनालिटिका का मामला ऐसा ही था। ऐसे मामले इसीलिए सामने आते हैं, क्योंकि सोशल नेटवर्क प्लेटफार्म संचालित करने वाली कंपनियां उनका दुरुपयोग रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने से इन्कार कर रही हैं। कई बार तो वे शिकायत के बाद भी मानहानिकारक या फिर कानून एवं व्यवस्था के लिए खतरा बनने वाले फर्जी वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करतीं। फर्जी खबरें राजनीति और सामाजिक सद्भाव के साथ शासन तंत्र के लिए भी खतरा हैं। यह खतरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अच्छा हो कि राजनीतिक दलों में इस खतरे से निपटने के उपायों को लेकर सहमति बने। यह समझा जाना चाहिए कि लोकतंत्र के समक्ष जो नए खतरे उभरे हैं, उनमें फर्जी खबरें, फोटो और वीडियो भी हैं। आधुनिक तकनीक एक वरदान है, लेकिन यदि उसका दुरुपयोग नहीं थमा तो वह अभिशाप भी बन सकती है।

विवादित पोस्ट पर कार्रवाई

लोकसभा चुनाव के दौरान इंटरनेट मीडिया पर विवादित और भड़काऊ पोस्ट को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता है। बिहार में ऐसी 95 शिकायतें अंकित की गई हैं। इसमें 10 की गंभीरता को देखते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने प्राथमिकी भी कराई है। चुनाव के समय मुद्दों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप सामान्य बात है। लोकतंत्र में हर कोई अपनी बात रखने को स्वतंत्र है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी अपनी बात रखते हैं और रखनी भी चाहिए। जनता सभी को देखती-सुनती है, फिर अपना निर्णय देती है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां वैचारिक बहस होती है, लेकिन जब यह मर्यादा की सीमा लांघने लगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। यह भी देखा जा रहा है कि इंटरनेट मीडिया पर कुछ लोग विवादित बयान और प्रतिक्रिया देकर स्वयं को प्रकाश में लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे किसी भी प्रयास को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। एक स्वस्थ और सकारात्मक विचार का सदैव स्वागत किया जाना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए, पर वातावरण को कलुषित करने का कोई भी प्रयास किया जा रहा हो, तो ऐसे तत्वों को चिह्नित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे तत्वों की पहचान कर प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, वह बिल्कुल सही है। करीब डेढ़ महीने में 95 शिकायतें चिह्नित की जा सकी हैं, संख्या इससे भी अधिक होने का अनुमान है, जहां भावना को उकसा कर अपना स्वार्थ साधने का प्रयास किया जाता है। ऐसे लोगों को न समाज से मतलब है, न सकारात्मक वैचारिक पक्ष से। कोई भी सभ्य समाज ऐसे प्रयास को कतई स्वीकार नहीं करेगा।

> अमर्यादित पोस्ट को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास ही कहा जा सकता है, इस पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या अरविंदर सिंह लवली का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा राजधानी में कांग्रेस की चुनावी संभावनाएं खराब करेगा?

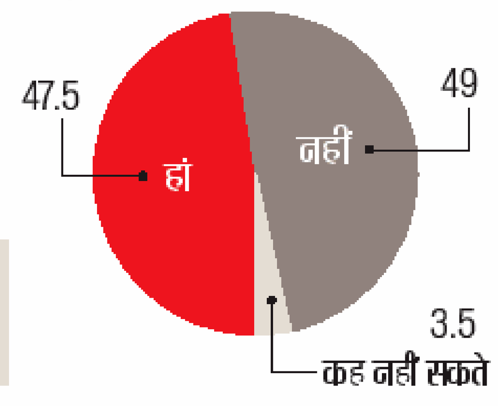

आज का सवाल
क्या टी-20 विश्व कप के लिए चयनित टीम संतुलित है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

भारतीय लोकतंत्र को लांछित करने का अभियान

श्रीराम चौलिया

भारत में चुनाव प्रक्रिया एवं शासन व्यवस्था में कुछ सुधार आवश्यक हैं, पर हमारी उपलब्धियों को अनदेखा कर मनगढ़ंत आरोप लगाना एक सुनियोजित षड्यंत्र है

देश में जारी लोकसभा चुनाव जिस बड़े पैमाने पर आयोजित हो रहे हैं, वह विश्व के सामने एक मिसाल है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, जहां करीब 97 करोड़ मतदाता हों, दो हजार आठ सौ राजनीतिक दल कड़ी प्रतिस्पर्धा में हों, 55 लाख ईवीएम हों, जिनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, साढ़े दस लाख मतदान केंद्र हों, जहां अधिकतर शांतिपूर्वक और बिना धांधली के मतदान हो और चुनाव परिणाम की विश्वसनीयता पर हारने वाले उम्मीदवार अथवा दल भी स्वीकृति देते हों। इतने बड़े पैमाने पर आज तक इतिहास में कभी भी लोकतांत्रिक स्वेच्छा का प्रदर्शन नहीं देखा गया। अगर इस कीर्तिमान को कोई तोड़ेगा भी तो उस देश का नाम भारत ही होगा। हम ही अपने आप द्वारा स्थापित ऊंचाइयों से ऊपर जाने की सामर्थ्य रखते हैं।

विश्व में लोकतंत्र की साख कायम रखने में भारत सबसे प्रबल दायित्व निभा रहा है। हम आज उस कालखंड में हैं, जहां चीन जैसे शक्तिशाली देश में तानाशाही का बोलबाला बढ़ रहा है और अमेरिका जैसा लोकतांत्रिक महारथी राजनीतिक ध्रुवीकरण और आत्मसंदेह में फंसा है। अगर हम शासन व्यवस्थाओं के वैश्विक संतुलन का जायजा लें तो वह खतरनाक ढंग से तानाशाही के पक्ष में झुक रहा है और फिर भी भारत लोकतंत्र की लौ को जलाए हुए है। मौजूदा लोकसभा चुनाव इसका परिचायक है। दुनिया भर में लोग देख सकते हैं कि तेज गति से आर्थिक प्रगति करते विशाल देश भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत और गहरा है। वे आश्वस्त हो सकते हैं कि सफलता और समृद्धि के लिए चीन की राह पर जाना अनिवार्य नहीं है। इन अकाट्य तथ्यों के बावजूद पश्चिम के उदारवादी पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भारत में कथित 'लोकतांत्रिक पथभ्रष्टता' और पतन पर निरंतर दुष्प्रचार अभियान चला रहे हैं। भारत में चुनाव प्रक्रिया के प्रति जनसाधारण में आस्था के तमाम जमीनी प्रमाणों को जानबूझकर अनदेखा करके इन छिद्रान्वेषी आलोचकों ने लगातार लांछन लगाने और यह माहौल बनाने का प्रयास किया है कि भारत पीछे की ओर जा रहा है। उदाहरण के लिए कुछ खबरों और लेखों के शीर्षक देखें-मोदी का निरंकुशता की ओर झुकाव: कैसे मोदी भारत को निरंकुशता में बदलने के लिए हिंदू धर्म का उपयोग कर रहे हैं' (फारेन पालिसी)। 'मोदी का भारत वह स्थान है, जहां वैश्विक लोकतंत्र खत्म हो जाता है।' (न्यूयार्क टाइम्स)। 'इस साल भारत के चुनाव अपनी 'अलोकतांत्रिक प्रकृति' के साथ सामने आए हैं।' 'मोदी लोकतंत्र को चुनावी अधिनायकवाद में बदल रहे हैं।' (लि मांडे)। 'भारत में कानून के शासन का क्या हुआ?' (द एटलांटिक)। 'क्या मोदी ने भारतीय लोकतंत्र को उसके टूटने के बिंदु से आगे धकेल दिया है?' (न्यू यार्कर)। 'नरेन्द्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार नागरिक अधिकारों पर अपना हमला बढ़ा रही है।' (द गार्डियन)

अवधेश राजपूत

मोदी सरकार के साथ भारत के निंदक टिप्पणीकारों एवं संपादकों के लक्षणों को समझना आवश्यक है। ये वस्तुगत सच्चाई के बजाय एक छोटे अभिजात्य वर्ग की सर्वसम्मति और आरामकुर्सी पर हासिल कथित ज्ञान के आधार पर लिखते और बोलते हैं। ब्रिटेन के राजनीतिशास्त्री एड्रियन पेबस्ट ने 'उदार लोकतंत्र के राक्षस' नामक पुस्तक में इनकी पोल खोली है। उन्होंने दिखाया है कि पश्चिमी उदारवादी 'आम लोगों के मूल्यों के प्रति अत्यधिक अलोकतांत्रिक और असहिष्णु हैं' और उनका लक्ष्य है 'सत्ता और धन को संकीर्ण और गैरजिम्मेदार अभिजात्य वर्ग के हाथों में केंद्रित करना।' वे न केवल भारत जैसे सक्रिय लोकतंत्र पर अंगुली उठाते हैं, बल्कि अपने देशों में रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी सरकारों एवं नेताओं में अलोकतांत्रिक प्रवृत्तियां हावी होने का आरोप लगाते हैं। जहां भी उदारवादी धड़े के अनुसार राजनीति और समाज नहीं झुकते, वहां इस धड़े के लोग उन्हें पिछड़ता हुआ दिखाने को अपना कर्तव्य समझने लगते हैं। हालांकि उदारवादी और रूढ़िवादी, दोनों ही लोकतांत्रिक दायरे के अंदर रहते हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञों को केवल उदारवादी ही लोकतांत्रिक नजर आते हैं और बाकी सबको वे अलोकतंत्रवादी या लोकलुभावनवादी करार देते हैं। इनमें सामान्य जनता की समझ को स्वीकार करने की जैसी अनिच्छा और असहिष्णुता है, उससे साफ जाहिर है कि ये गैरलोकतांत्रिक मानसिकता के शिकार हैं और इनमें विशेषाधिकार की यह भावना है कि पूरे विश्व को उनके पसंदीदा पथ पर ही चलना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ऐसे लोगों के बारे में उचित ही कहा कि उन्हें लगता है कि वे सिर्फ पर्यवेक्षक ही नहीं, बल्कि 'हमारे चुनाव में राजनीतिक खिलाड़ी भी हैं और वे एक ऐसा एक वैश्विक खेल खेल रहे हैं, जिसमें उन्हें घुसपैठ करनी होगी।'

चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, प्राचीन विरासत और विकास पर जोर देकर जनमानस का समर्थन जुटाया है, इसलिए उदारवादी विदेशी समीक्षकों में गहरी हताशा है। तभी उनके हर वार में मोदी को केंद्रबिंदु बनाया जाता है और उन्हें भारत के खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है। दुर्भाग्यवश हमारे अपने विपक्षी नेताओं और वाम-उदार बुद्धिजीवियों के साथ इन अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों और टिप्पणीकारों की साठगांठ है। राहुल गांधी का यह कथन विदेशी आलोचकों की भाषा से न केवल मिलता-जुलता है, बल्कि उन्हें प्रभावित भी करता है कि वर्तमान आम चुनाव 'लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए अंतिम अवसर हैं, क्योंकि मोदी उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।' दूसरे देशों में बसे भारतीय मूल के कुछ कथित उदारवादी विचारक भी इस गठजोड़ में शामिल हैं और उन्हें उन देशों में वरीयता तभी मिलती है, जब वे मोदी की हाय-हाय करते दिखें और भारत की बुराई करते रहें।

विश्व के प्रत्येक लोकतंत्र में त्रुटियां होती हैं और कोई भी देश दोषहीन नहीं हो सकता। भारत में भी चुनावी प्रक्रिया एवं शासन व्यवस्था में लगातार सुधार जरूरी हैं और अभी हमारा लोकतंत्र सर्वाधिक उत्कृष्ट स्तर पर नहीं पहुंचा है, लेकिन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हमारी जो उपलब्धियां हैं, उन्हें अनदेखा करके मनगढ़ंत आरोप लगाना और भारत की छवि को मलिन करना एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। इसका भंडाफोड़ साधारण भारतीय मतदाता तो करेंगे ही, हमारे तार्किक, राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों को भी चाहिए कि वे वास्तविकता दिखाते रहें।

(लेखक ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जिंदल इंडिया इंस्टीट्यूट के महानिदेशक हैं)

response@jagran.com

मनचाहे आरोपों की राजनीति

राजीव सचान

कांग्रेस के घोषणा पत्र के साथ भाजपा वही कर रही, जो उसने सीएए और कृषि कानूनों को लेकर किया था

कांग्रेस के इस आरोप में दम है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न्याय पत्र नाम वाले उसके घोषणा पत्र की मनचाही व्याख्या कर रहे हैं और उसमें तो वैसा कुछ लिखा ही नहीं, जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से मोदी यह कहकर कांग्रेस को घेर रहे हैं कि वह लोगों की जमीन-जायदाद और यहां तक कि महिलाओं का सोना-चांदी और उनके मंगलसूत्र के बारे में जानकारी जुटाकर उन्हें अपने पसंदीदा वोट बैंक को बांटने का इरादा रखती है। मोदी यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण में कटौती कर मुस्लिम समुदाय को देना चाहती है। उन्हें यह कहने का मौका इसलिए मिल गया, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने राज्य के समस्त मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा मानकर ओबीसी आरक्षण में शामिल कर दिया। इस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आपत्ति भी जताई है। भाजपा को संपत्ति के पुनर्वितरण करने का आरोप लगाकर कांग्रेस को घेरने का मौका उसके घोषणा पत्र के इस बिंदु से मिला कि वह संपत्ति का सर्वे कराएगी। रही-सही कसर सैम पित्रोदा ने यह कहकर पूरी कर दी कि भारत को अमेरिका जैसे विरासत टैक्स पर बहस करनी चाहिए।

कांग्रेस सफाई देते-देते परेशान है, लेकिन मोदी और उनके सहयोगी अपने आरोप बार-बार दोहरा रहे हैं। कांग्रेस का इससे परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन बहुत समय नहीं हुआ, जब कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों के अन्य अनेक नेता देश को यह समझाने में लगे हुए थे कि यदि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू हुआ तो देश के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। इसका दुष्प्रचार इतना अधिक किया गया कि दिल्ली के साथ देश के अनेक हिस्सों में लोग सड़कों पर उतरे, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और उसमें करोड़ों की सरकारी और गैर-सरकारी संपत्ति स्वाहा हो गई। कुछ लोगों की जान भी गई। दिल्ली में 50 से अधिक लोगों की जान लेने वाले दंगे सीएए विरोधी शाहीन बाग धरने के लंबा खिंचने का ही नतीजा थे। याद करें कि इस धरने को संबोधित करने कौन-कौन विपक्षी नेता जाते थे और वहां क्या-क्या कहते थे? शाहीन बाग धरने के चलते दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली एक व्यस्त सड़क जबरन अवरुद्ध कर दी गई थी, लेकिन किसी को दिल्ली-एनसीआर के आम लोगों को हो रही परेशानी की परवाह नहीं थी। दुर्भाग्य से इस धरने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया। यदि कोविड महामारी नहीं आई होती तो शायद दंगों के बाद भी यह धरना जारी रहता।

सत्तापक्ष-विपक्ष में आरोपों की बौछार • फाइल

कुछ दिनों पहले सीएए के नियम अधिसूचित कर दिए गए, लेकिन शायद ही कोई उनके विरोध में उतरा हो, क्योंकि सभी को यह समझ आ गया था कि चार वर्ष पहले उन्हें बरगलाया गया था। तब विपक्षी नेताओं को सीएए की मनमानी व्याख्या करने का मौका इसलिए मिल गया था, क्योंकि उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए मुसलमानों को इन देशों का बहुसंख्यक होने के नाते नागरिकता देने का प्रविधान नहीं था। विपक्षी नेताओं को सीएए के जरिये भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीने जाने का सनसनीखेज आरोप लगाने का अवसर भी इसलिए मिल गया था, क्योंकि इस कानून के बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी लाने की चर्चा हो रही थी। हालांकि एनआरसी के मसौदे का अता-पता नहीं था, लेकिन विपक्षी नेताओं ने यही बताया कि देश के मुसलमानों को पहले एनआरसी से बाहर किया जाएगा, फिर सीएए के प्रविधान के तहत उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। लोगों को भड़काने और सड़कों पर उतारने के लिए यह पर्याप्त था।

भाजपा की ओर से अपने घोषणा पत्र की मनमानी व्याख्या से कांग्रेस का परेशान होना स्वाभाविक है, पर जब कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दलों के नेता कृषि कानूनों की मनचाही व्याख्या कर रहे थे तो भाजपा के साथ दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा एवं पंजाब के लोग भी बहुत परेशान हुए थे। तब इन कानूनों के विरोध में विपक्षी दलों के सहयोग-समर्थन से उत्साहित किसान संगठन राजमार्गों को घेरकर बैठ गए थे। वे करीब एक वर्ष तक दिल्ली को घेरकर बैठे रहे। इससे करोड़ों लोग परेशान हुए और अरबों रुपये का नुकसान हुआ। तब कांग्रेस समेत विपक्ष को आनंद आ रहा था, क्योंकि सरकार किसान नेताओं के निशाने पर थी और वह उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए नहीं कर पा रही थी, क्योंकि किसान संगठनों के साथ विपक्षी दल यही बताने में लगे थे कि कृषि कानूनों का मूल उद्देश्य किसानों की जमीन छीनना है। कृषि कानूनों की ऐसी व्याख्या का कोई आधार न था, लेकिन विपक्ष ने यह तय कर लिया था कि उसे किसानों को यही समझाना है कि इन कानूनों से उनके खेत खतरे में हैं। तब विपक्षी दलों के साथ कथित किसान संगठनों के नेता भी अपना राजनीतिक हित देख रहे थे। एक ऐसा ही संगठन पंजाब के विधानसभा चुनावों में उतरा और उस समय किसान नेता बने योगेंद्र यादव का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के बाद कहना था कि हमने तो विपक्षी दलों के लिए पिच तैयार की थी, लेकिन यदि वे उसका फायदा नहीं उठा सके तो हमारा क्या दोष?

यदि कोई इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि भाजपा कांग्रेस के घोषणा पत्र की मनचाही व्याख्या कर रही है तो वह गलत नहीं, लेकिन उसे इस नतीजे पर भी पहुंचना होगा कि तीन-चार वर्ष पहले कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल सीएए और कृषि कानूनों की मनमानी व्याख्या कर रहे थे। चूंकि राजनीतिक दलों ने एक-दूसरे की नीतियों को लेकर उन पर मनचाहे आरोपों की बौछार करने की सुविधा हासिल कर रखी है, इसलिए चुनावों के दौरान आदर्श चुनाव संहिता प्रभावी नहीं दिखती। आदर्श चुनाव संहिता तब प्रभावी होगी, जब कोई आदर्श राजनीतिक संहिता भी होगी।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अच्छाई की राह

अच्छे व्यक्ति का साथ हो तो सद्गुणों का विकास होता है। इससे व्यक्ति विनम्र बन जाता है। जबकि बुरे की संगति में व्यक्ति उद्दंड बन जाता है। हमारे निकट लोगों के जीवन में झांकने से प्रतीत होगा कि अच्छे लोगों के सान्निध्य से जिस किसी में उद्दंडता थी, उसमें विनम्रता आ गई। उसकी बुराइयों पर भी विराम लग गया। जहां संगति अच्छी नहीं होती, वहां विनम्र व्यक्ति भी उद्दंड बन जाता है।

हमारे दैनिक जीवन में चलने वाले अप्रत्यक्ष संग्राम को किसी हथियार से नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी शक्ति से ही जीता जा सकता है। स्वामी विवेकानंद के इस कथन के अनुसार कि जब प्रेरणा भीतर से आएगी, तभी आप अच्छाई की ओर उन्मुख हो सकेंगे। यह मत सोचें कि आप अच्छे नहीं बन सकते हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा है कि महान व्यक्ति जिन चीजों को ढूंढ़ते हैं, वे उन्हें अपने भीतर ही प्राप्त हो जाती हैं। कमजोर ही दूसरों का मुंह ताकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ ने भी कहा है कि आत्मप्रेरित इंसान कभी खाली नहीं बैठ सकता। वह खुद को और दूसरों को भी सुखी बनाता है।

एक व्यक्ति प्रकृति से विनम्र है, किंतु उसे गलत सीख मिली कि तुम बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास बहुत धन है, तुम्हें क्या करने की जरूरत है, ऐसी गलत सीख देकर उसे अहंकारी बना दिया जाता है। जो अहंकारी बन जाता है, वह पतन की राह पर बढ़ जाता है। पतन का सबसे सरल मार्ग है-अहंकारी हो जाना। बुराई के रास्ते तो हर मोड़ पर मिल जाते हैं, परंतु अच्छाई का रास्ता भीतर से होकर ही निकलता है। इसलिए स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार आवश्यक है। जब आपको अंदर से अच्छा बनने की प्रेरणा मिलती है तो आपको संभावनाओं का अनंत आकाश नजर आता है। इस प्रेरणा के कारण ही आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनने को उत्सुक होते हैं। यह अंदरूनी प्रेरणा सफलता के निकट ले जाती है। इसी से अच्छाइयों के द्वार उद्घाटित होते हैं। इसलिए भीतर छिपी प्रेरणा को पहचानना आवश्यक है।

ललित गर्ग

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

आत्ममंथन करे कांग्रेस

'सूरत के बाद इंदौर' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी में पढ़ा कि आम चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति कितनी लचर रही है। अब तो पार्टी में आंतरिक स्तर पर ही चुनावी रणनीति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पार्टी अगर इतने महत्वपूर्ण चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी ही ढंग से नहीं चयन कर पा रही तो वह सत्तारूढ़ भाजपा को किस प्रकार चुनौती पेश कर पाएगी। इससे पहले कई सीटों पर ऐसी बातें सामने आ चुकी हैं कि पार्टी के प्रत्याशी ने ही चुनाव लड़ने से इन्कार कर दिया तो कहीं टिकट दिए जाने पर ही विरोध शुरू हो गया, जैसे कि जयपुर। राजधानी दिल्ली भी कांग्रेस की लचर रणनीति का एक बड़ा उदाहरण है, जहां बड़ी मशक्कत के बाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन प्रत्याशी उतारने में बहुत देर कर दी और जब उम्मीदवार उतारे तो ऐसे कि प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ही अपने पद से इस्तीफा देकर चलते बने। ये किसी भी लिहाज से कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं। इससे चुनाव में उतरने से पहले ही कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित होगा। कांग्रेस को आत्ममंथन कर अपनी रणनीति बदलनी होगी। अन्यथा उसकी चुनावी संभावनाएं अच्छी नहीं दिख रहीं।

गुंजन शर्मा, कमला नगर-नई दिल्ली

ममता को सुप्रीम झटका

'न्यायपालिका की गरिमा पर आघात' शीर्षक आलेख में सीबीपी श्रीवास्तव ने इस आरोप से इन्कार किया है कि न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव है। उन्होंने उचित लिखा है कि न्यायालय के किसी भी निर्णय की आलोचना करने के पहले उस मामले के तथ्यों और संबंधित विधियों पर विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद करने पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह आदेश पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद दी। कोर्ट अब इस मामले में छह मई को सुनवाई करेगी। सनद रहे 26 अप्रैल को हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएससीसी) के 2016 भर्ती पैनल को रद कर दिया था। इस मामले में सीबीआइ ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया था, जो कथित घोटाले के समय डब्ल्यूबीएसएससी में पद पर थे। कोलकाता हाई कोर्ट ने गत दिनों शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 2016 में बहाल हुए शिक्षकों की नौकरी खत्म कर दी थी। साथ ही उन सभी को आठ वर्ष का वेतन लौटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस फैसले की आलोचना की थी। ममता की इस आलोचना को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेता विकास रंजन भट्टाचार्य ने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ से आग्रह किया था कि अवमाननापूर्ण बयानों के लिए ममता पर कड़ी कार्रवाई की जाए। शिक्षक बहाली में कम नंबरों वाले उम्मीदवारों के नाम मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर होने के आरोप लगे। इतना नहीं मेरिट में न होने वालों को भी नौकरी मिलने के आरोप लगे।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

निष्पक्ष विश्लेषण की आवश्यकता

शिवाकांत शर्मा द्वारा लिखित आलेख 'आंकड़ों के अभाव में असंतुलित विमर्श' पढ़ा। देश में लोकसभा चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। चुनाव जीतने के लिए सभी दल लोकलुभावन वादों की झड़ी लगा देते हैं। इलेक्ट्रानिक मीडिया पर भी सही विश्लेषण नहीं दिखाया जाता है। इंटरनेट मीडिया पर अपने-अपने दल के समर्थक अपनी नीतियों की अपने पक्ष में व्याख्या करते हैं। जनता किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाती है कि किस पर भरोसा करें। देश में आंकड़ों का निष्पक्ष विश्लेषण करने के लिए कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, लेकिन इस तरह की तटस्थ संस्थाएं यूरोप, अमेरिका, कनाडा व आस्ट्रेलिया समेत कुल 37 देशों में है, जिन्हें राजस्व निगरानी समिति या परिषद कहा जाता है। भारत में भी इस तरह की संवैधानिक संस्था होनी चाहिए। संभव है, उस संस्था पर भी राजनीतिक आरोप- प्रत्यारोप लगें, लेकिन राजनीतिक आरोपों की वजह से सुधार की गति नहीं रुकनी चाहिए। इस चुनाव में भाजपा ने अस्सी करोड़ जनता को पांच वर्षों तक निशुल्क अनाज देने का घोषणा की है, तो कांग्रेस ने एमएसपी की गारंटी तथा हर स्नातक व हर गरीब परिवार की महिला को एक-एक लाख प्रति वर्ष देने की घोषणा की है। दोनों प्रमुख दलों की घोषणाओं का सही विश्लेषण होना चाहिए, ताकि आम जनता सच्चाई से अवगत हो सके, एवं सोच विचार कर मतदान करे।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया।

पोस्ट

यह भी क्या संयोग है कि जनवरी में इंदौर एवं सूरत को शहरों के स्वच्छता सर्वेक्षण का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था और अप्रैल में दोनों शहरों ने कांग्रेस प्रत्याशी को अपने यहां से साफ कर दिया।
निष्ठा अनुश्री@nishthaanushree

इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार का भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में नामांकन वापस लेना शर्म की बात है। यह प्रमाणित करता है कि हमारी चयन प्रक्रिया में कमियां हैं। हमें किसी वफादार एवं प्रतिबद्ध कांग्रेस नेता को टिकट देना चाहिए था। अनिल शास्त्री@anilkshastri

यह समय की मांग है कि प्रज्वल रमन्ना पर ऐसी कार्रवाई हो कि दुनिया याद रखे। साथ ही यह भी समय की मांग है कि वे तथाकथित प्रगतिशील दल, नेता, बुद्धिजीवी आदि अपनी जुबान बंद रखें, जो शाहजहां शेख को अपना माई-बाप बनाकर बैठे थे।
अभिषेक उपाध्याय@upadhyayabhii

टी-20 के अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों में रवि बिश्नोई की छठी रैंकिंग है, लेकिन इसके बावजूद उनका चयन नहीं किया गया। वहीं, भारतीय टीम के लिए रिंकू सिंह के हालिया प्रदर्शन को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए था। ये फैसले पचाना कुछ मुश्किल है। इरफान पठान@IrfanPathan

जनपथ

जेडीएस पर लग गया रेवन्ना का दाग,
अब तो ऐन चुनाव में फैलेगी यह आग।
फैलेगी यह आग जलाएगी यह इज्जत,
बिगड़ा हुआ चरित्र कराए भारी हुज्जत।
देता तुरत बिगाड़ मिला जो वर्षों में यश,
भुगत रहा है आज परिस्थिति वह जेडीएस।
- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 20

****

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का 75
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

जब तक आप बेहतर को नहीं जानते, तब तक अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। जब आप बेहतर को जानने लगें, तो बेहतर काम करें। -माया एंजेलो

भले ही जनता दल (एस) ने अश्लील वीडियो मामले में प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया हो, लेकिन कथित तौर पर महिलाओं के साथ उनके जैसे विकृतिपूर्ण वीडियो सामने आए हैं, उन्हें देखते हुए जरूरी है कि मामले की तत्काल जांच हो और दोषी पाए जाने पर उन पर कड़ी कार्रवाई भी हो।

शर्मनाक

लोकसभा चुनावों के बीच पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पुत्र व पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना और पोते प्रज्वल रेवन्ना, जो हासन से मौजूदा सांसद और लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, से जुड़े यौन उत्पीड़न एवं अश्लील वीडियो मामले में जनता दल (सेक्युलर) ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर पार्टी के भीतर व बाहर एक संदेश देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन इस मामले में जो विवरण सामने आ रहे हैं, वे बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाले हैं। दरअसल, प्रज्वल व उनके पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने वाली घरेलू सहायिका का आरोप है कि पिता-पुत्र ने लगातार चार साल तक उसका यौन उत्पीड़न तो किया ही, प्रज्वल ने उसकी बेटी को भी फोन पर तब तक परेशान किया, जब तक कि उसने उन्हें ब्लॉक नहीं कर दिया। आरोप है कि यही स्थिति उनके घर में काम करने वाली दूसरी सहायिकाओं की भी थी। कर्नाटक पुलिस के अनुसार, चुनाव प्रचार के दौरान, मतदाताओं के बीच पेन ड्राइव वितरित की गईं, जिनमें प्रज्वल के करीब तीन हजार आपत्तिजनक वीडियो थे। एचडी रेवन्ना इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, पर जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं, जिनमें से अधिकांश कथित तौर पर प्रज्वल ने अपने मोबाइल फोन पर घर और दफ्तर में रिकॉर्ड किए थे, उन पर सवाल तो उठते ही हैं। जिस पार्टी का चुनाव चिह्न ही सिर पर धान रखकर ले जाती महिला का प्रतिनिधित्व करता हो, उसी पार्टी का युवा नेता कथित तौर पर ऐसी करतूतों में लिप्त हो, तो यह शर्मनाक ही है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पाने के बाद 2014 के चुनाव में अपने दादा और पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स की पढ़ाई बीच में छोड़ कर्नाटक लौटने वाले और 2015 में ब्रिटेन की कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के दस उभरते हुए युवा राजनीतिज्ञों की सूची में शामिल प्रज्वल रेवन्ना जैसे युवा नेता का ऐसे आरोपों में घिरना निराश भी करता है। भाजपा नेता देवराज गौड़ा के पिछले साल दिसंबर

के एक पत्र, जिसमें प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो से भरी एक पेन ड्राइव का जिक्र था, का हवाला देते हुए राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में है, जबकि नैतिकता का तकाजा तो यही है कि इस मामले में उसी वक्त अविलंब कार्रवाई की जानी चाहिए थी। राजनीतिक जीवन में ऐसे लोगों का होना खतरनाक है। कथित तौर पर महिलाओं के साथ प्रज्वल रेवन्ना के जैसे विकृतिपूर्ण वीडियो सामने आए हैं, उन्हें देखते हुए जरूरी है कि घटना की तत्काल जांच हो और दोषी पाए जाने पर उन पर कड़ी कार्रवाई भी हो।

चुनावी 'पावर प्ले' में बयानों की गुगली

भारत बेहतर का हकदार है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 96 करोड़ से अधिक मतदाता सिर्फ तर्क-कुतर्क के नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धी विचारों के परिदृश्य के भी हकदार हैं। क्षमता और अवसर की विषमताओं से निपटने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

इंडियन प्रीमियर लीग में नए प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं। खिलाड़ियों ने पारंपरिक स्ट्राइक रेट के गणित की धज्जियां उड़ा दी हैं। इंडियन पॉलिटिकल लीग में भी मौजूदा टेम्प्लेट को खत्म किया जा रहा है। अगर क्रिकेट के मैदानों पर रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं, तो 2024 के चुनाव की राजनीतिक बयानबाजी भी अभिव्यक्ति एवं दावों के मानदंडों एवं सीमाओं को मिटा रही है। लेकिन दोनों का प्रभाव बिल्कुल विपरीत है। मैच देखने वाले रोमांचित हो रहे हैं, जबकि राजनीतिक बयानबाजी सुनने वाले निराश हैं और यहां तक कि समर्थकों का समूह भी बेचैन है। खेल के मैदान की तरह, ऊंचे शॉट्स (बड़ी-बड़ी बातें), रहस्यमय और दिमाग को सुन्न कर देने वाले दावों की कमी नहीं है, जो गुगली और यॉर्कर से कम नहीं हैं। और ध्यान रखिए, लोकसभा चुनाव अभी 'पावर प्ले' चरण में है, सात में से केवल दो चरणों के मतदान संपन्न हुए हैं।

शंकर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

परेशान करने वाले अनुत्तरित सवाल संदर्भों में उलझे हुए हैं। उम्मीद है कि ये सवाल राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को अपने घोषित और अघोषित इरादे पर ईमानदार आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बहस की गुणवत्ता मायने रखती है।

अब तक घोषणा पत्र मूलतः चुनाव प्रचार के लिए 'आइटम सॉन्ग' होते थे, पर आश्चर्यजनक रूप से घोषणा पत्र जन अभियान रैलियों के 'थीम सॉन्ग' के रूप में उभरे हैं। कांग्रेस को शायद अपने राजनीतिक वादे में लोगों की इतनी दिलचस्पी की उम्मीद भी नहीं होगी, इसके न्याय पत्र को शायद भारी संख्या में डाउनलोड किया गया होगा।

मीडिया में चर्चा है कि क्या न्याय पत्र में पुनर्वितरण के लिए निजी संपत्ति को जब्त करने का स्पष्ट उल्लेख है या नहीं। मुश्किल यह है कि पहचान के उपकरणों के रूप में प्रयुक्त व्यंजना (मंगलसूत्र, घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले) को रेखांकित किया गया, जिसके चलते ध्रुवीकरण हुआ है। कांग्रेस इस बात पर बहस कर सकती है कि स्पष्ट रूप में क्या कहा गया है, लेकिन तेजी से बढ़ते चुनावी चक्र में राजनीति अंतर्निहित मान्यताओं की धारणाओं पर आधारित होती है। पिछले दो हफ्ते में नैरेटिव में आया बदलाव स्पष्ट है। अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक के बाद आम धारणा थी कि 2024 के चुनाव का नतीजा तय है। फरवरी में 'अबकी बार 400 पार' का नारा सामने आया और भाजपा ने अपने दम पर 350 का आंकड़ा पार करने का दावा किया। पिछले हफ्ते की घटनाओं ने धारणाओं को तो नहीं बदला है, पर 400 पार के आंकड़े पर समर्थकों के बीच भी सवाल उठने लगे हैं।

जिस बात पर चर्चा हो रही है, वह राजनीतिक तथ्यों के चरित्र पर कम और बयानबाजी के कारणों पर ज्यादा है। लोकप्रिय धारणा इसे पहले चरण में कम मतदान पर प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित करती है और यह अटकलों से भरा हुआ है। बहस का विषय यह है कि क्या यह जुबानी जंग मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए है या ऐसे संदेश भेजने का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को मतदान के लिए प्रेरित करना था?

यह समझने में गलती नहीं करनी चाहिए कि भाजपा की अगुआई वाले राजग और विपक्षी गठबंधन की क्षमताओं में भारी असमानता है और यह क्षमता कांग्रेस के कारण और खराब हुई है। भाजपा का घोषणा पत्र आकांक्षाओं का दस्तावेज है-सब अमृत काल के विचारों में समाहित है। कांग्रेस का घोषणा पत्र महज वचन पत्र है। इसके कुछ वादों को यथोचित विस्तार दिया गया है, जबकि कुछ हिस्से पेचीदा हैं। इसमें बिना किसी स्पष्टीकरण के जातिगत और वित्तीय सर्वेक्षण की घोषणा ने दावों का पिटारा खोल दिया है, जिसका भाजपा ने लाभ उठाया। सैम पित्रोदा का वीडियो कांग्रेस की स्थिति को और कमजोर कर रहा है। हैरानी नहीं कि बहस विरासत-कर पर केंद्रित हो गई है-जिसे भाजपा ने जोर-शोर से उठाया और कांग्रेस विरासत-कर लागू करने से इन्कार कर रही है। असमानता एक जटिल विषय है। इतिहास हमें बताता है कि भारत में धन और संपत्ति पर कर लगाने की कोशिश की गई और फिर उन्हें खारिज कर दिया गया।

प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने का कोई भी प्रयास नीतियों में अंतराल को पाटने के साथ शुरू होना चाहिए। मसलन, कृषि को अधूरे आर्थिक मॉडल के अभिशाप से मुक्त करना। निश्चित रूप से, जाति जनगणना दोषों को उजागर कर सकती है, लेकिन क्षमता और अवसर की विषमताओं से निपटने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है—स्वास्थ्य में निवेश, प्राथमिक शिक्षा में सुधार और कौशल के लिए स्टाइपेंड आधारित ढांचे का निर्माण।

बहस वास्तविकताओं पर केंद्रित होनी चाहिए। क्या धन को नियंत्रित और पुनर्वितरित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए? या क्या अभाव को करों से एकत्रित राजस्व से वित्त पोषित किया जाना चाहिए? क्या अरबों डॉलर रखने वाले धनाढ्यों के अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाने की गुंजाइश है? ये ऐसे प्रश्न हैं, जो अर्थव्यवस्था की बुनियादी बातों को प्रभावित करते हैं। और यह स्वीकार करना चाहिए कि सरकारें पुनर्वितरण में लगी हुई हैं और यह भारत की बैलेंस शीट पर दिखाई देता है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर भारत पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करता है। 81.3 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य कवरेज, आवास, किसानों और महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण-सभी करों के रूप में मिलने वाले राजस्व से होता है।

भारत की गरीबी के बारे में सच्चाई एक आंकड़े में अंतर्निहित है—कृषि में लगे लगभग आधे कार्यबल को राष्ट्रीय आय के छठे हिस्से पर निर्भर रहना पड़ता है। इस कॉलम में पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था के राजनीतिक भूगोल को चित्रित किया गया था-बिहार के शिवहर और तेलंगाना के हैदराबाद में प्रति व्यक्ति आय में अंतर बहुत बड़ा है। क्षेत्रीय और भौगोलिक विचलन और नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता से बचा नहीं जा सकता है। निश्चित रूप से भारत को शैक्षिक, डिजिटल या आय जैसे कई अंतरों को पाटना चाहिए। ये मुद्दे एक मजबूत बहस की मांग करते हैं। दिक्कत यह है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। लगता है कि प्रमुख विपक्षी दल, कांग्रेस के पास अपना नुकसान करने की प्रतिभा और भाजपा को फायदा पहुंचाने की अद्भुत क्षमता है।

भारत बेहतर का हकदार है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 96 करोड़ से अधिक मतदाता सिर्फ तर्क-कुतर्क के नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धी विचारों के परिदृश्य के भी हकदार हैं।

जीवन धारा

महात्मा गांधी

जिसने प्रार्थना के जादू का अनुभव किया है, वह लगातार कई दिन तक आहार के बिना तो रह सकता है, परंतु प्रार्थना के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। कारण, प्रार्थना के बिना भीतरी शांति नहीं मिलती।

ईश्वर से भीतरी लौ लगाने के लिए करें प्रार्थना

__प्रार्थना__ मनुष्य के जीवन का धर्म होनी चाहिए, क्योंकि कोई आदमी धर्म के बिना जी ही नहीं सकता। कुछ लोग हैं, जो अपनी बुद्धि के अहंकार में कह देते हैं कि उन्हें धर्म से कोई सरोकार नहीं। मगर यह तो ऐसा ही है, जैसे कोई मनुष्य कहे कि वह सांस तो लेता है, मगर उसकी नाक नहीं है। बुद्धि से कहिए या स्वभाव से अथवा अंधविश्वास से कहिए, मनुष्य दिव्य तत्व से अपना कुछ न कुछ नाता स्वीकार करता ही है। घोर नास्तिक या अनीश्वरवादी भी किसी नैतिक सिद्धांत की आवश्यकता को मानता है और उसके पालन में कुछ न कुछ भलाई और उसका पालन न करने में बुराई समझता है। ब्रेडलो की नास्तिकता मशहूर है; वह सदा अपने आंतरिक दृढ़ विश्वास को घोषित करने का आग्रह रखते थे। उन्हें इस प्रकार सच कहने के कारण अनेक कष्ट उठाने पड़े, परंतु इसमें उन्हें आनंद आता था और वह कहते थे कि सत्य स्वयं अपना पुरस्कार है। यह बात नहीं थी कि उन्हें सत्य के पालन से होने वाले आनंद का बिल्कुल भान नहीं था। परंतु यह आनंद पूरी तरह सांसारिक ही नहीं होता, यह ईश्वर के साथ अपने संबंध की अनुभूति से पैदा होता है। इसलिए मैंने कहा है कि जो इंसान धर्म को नहीं मानता, वह भी धर्म के बिना नहीं रह सकता।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। वह यह है कि प्रार्थना जैसे धर्म का सबसे मार्मिक अंग है, वैसे ही मानव-जीवन का भी। प्रार्थना या तो याचनारूप होती है या व्यापक अर्थ में वह ईश्वर से भीतरी लौ लगाना है। दोनों ही सूरत में अंतिम परिणाम एक ही होता है। जब वह याचना के रूप में हो, तब याचना आत्मा की सफाई और शुद्धि के लिए, उसके चारों ओर लिपटे हुए अज्ञान और अंधकार के आवरण हटाने के लिए होनी चाहिए। इसलिए जो अपने भीतर दिव्य ज्योति जगाने को तड़प रहा हो, उसे प्रार्थना का आसरा लेना होगा। परंतु प्रार्थना शब्दों या कानों का व्यायाम मात्र नहीं है, खाली मंत्र-जाप नहीं है। आप कितना ही रामनाम जपिए, अगर उससे आत्मा में हलचल नहीं मचती, तो वह व्यर्थ है। प्रार्थना में शब्दों के बिना हृदय होना, हृदय के बिना शब्द होने से बेहतर है। वह स्पष्ट रूप से आत्मा की तड़प के जवाब में होनी चाहिए। और जैसे कोई भूखा आदमी मनचाहे भोजन में मजा लेता है, ठीक वैसे ही भूखी आत्मा को हार्दिक प्रार्थना में आनंद आता है। और यह मैं अपने और अपने साथियों के थोड़े से अनुभव से कहता हूं कि जिसने प्रार्थना के जादू का अनुभव किया है, वह कई दिन तक आहार के बिना तो रह सकता है, परंतु प्रार्थना के बिना एक क्षण भी नहीं। कारण, प्रार्थना के बिना भीतरी शांति नहीं मिलती। अगर यह बात है, तो कोई कहेगा कि हमें अपने जीवन के हर क्षण में प्रार्थना करते रहना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु हर क्षण ईश्वर से लौ लगाए रखना, तो असंभव ही होगा। इसलिए हम प्रार्थना के लिए कुछ घंटे नियत करके उस समय संसार का मोह छोड़ देने का गंभीर प्रयत्न करते हैं।

प्रार्थना की शक्ति...

सूत्र

मनुष्य के हृदय में अंधकार और प्रकाश की शक्तियों में सतत संग्राम होता रहता है। अतः जिसके पास प्रार्थना की ढाल का सहारा नहीं है, वह अंधकार की शक्तियों का शिकार हो जाएगा। प्रार्थना करने वाला आदमी अपने मन में शांति का अनुभव करेगा और संसार के साथ भी उसका संबंध शांति का होगा।

दूसरा पहलू

केरल 'जल बजट' अपनाने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य है, जिसने पानी की बर्बादी रोकने की पहल की है।

जल संकट में प्रभावी जल बजट का प्रयोग

केरल 'जल बजट' अपनाने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य है। इसे अपनाकर केरल ने जल की मांग और आपूर्ति सुधारने, भूजल स्तर को बढ़ाने, कृषि उत्पादन की सुनिश्चितता, पर्यावरण व समग्र जल सुरक्षा और पानी की बर्बादी रोकने की दिशा में मिसाल कायम की है। दरअसल दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहली वर्षा केरल के तट पर ही होती है, बावजूद इसके, गर्मी के दिनों में राज्य के कुछ इलाके पानी की कमी का सामना करते हैं। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए केरल ने जल बजट बनाने का फैसला किया है।

सुधीर कुमार

जल बजट जल संसाधन के प्रबंधन पर केंद्रित एक रणनीति है। यह जल के उपभोग की सीमा निर्धारित करती है, जिससे भूजल स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

जल बजट जल संसाधन की मात्रा तय करने और उनके प्रबंधन पर केंद्रित एक रणनीति है। यह जल की उपलब्धता और उपयोग का सालाना ब्यौरा देती है। जल बजट किसी वर्ष विशेष में प्राप्त पानी को वितरित व प्रबंधित करने का समाधान पेश करती है। यह जल के उपभोग की सीमा निर्धारित करती है, जिससे भूजल स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और इसके भंडारण को स्थायी रूप से सूखने से बचाया जा सकता है। यह भूजल की स्थिति की भी जानकारी देता है। जल बजट के तहत उपलब्ध जल को खर्च करने की योजना बनाई जाती है और उसी के अनुसार उसका कुशल उपयोग किया जाता है। अगर हमें पहले से पता हो कि हमारे पास कितना पानी है और वह कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो हम उसका बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आसन्न जल संकट को टाला जा सकता है।

नीति आयोग के अनुसार, 2030 तक देश की 40 प्रतिशत आबादी के पास पीने के लिए पानी का अभाव रहेगा। ऐसे में जल बजट की महत्ता समझी जा सकती है।

सूखे और मानसून की अनिश्चितता तथा जल बजट जैसी व्यवस्था न होने के कारण ही देश के कई शहर 'डे-जीरो' की स्थिति का सामना कर रहे हैं। बंगलूरू और चेन्नई जैसे शहर अपने निवासियों की प्यास के साथ-साथ अन्य जरूरतों के लिए पानी उपलब्ध कराने में असमर्थता जता चुके हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक देश की 40 प्रतिशत आबादी के पास पीने के लिए पानी का अभाव रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का अधिकार शामिल है।' हालांकि यह तभी संभव है, जब हरेक स्तर पर जल संरक्षण के सार्थक प्रयास हों। जल संकट के व्यापक होने का प्रमुख कारण भूमिगत जल का अंधाधुंध दोहन है। जल बजट एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके सफल क्रियान्वयन से पानी की उपलब्धता बेहतर हो सकती है। जल संरक्षण के विभिन्न तरीकों को धरातल पर उतारने की दरकार है।

आंकड़े

केला उत्पादन में अव्वल

हमारा देश शीर्ष केला उत्पादक देशों में अव्वल है, जिसकी वैश्विक उत्पादन में हिस्सेदारी एक चौथाई से ज्यादा है।

भारत	26.45%
चीन	9.38%
इंडोनेशिया	6.99%
ब्राजील	5.45%
इक्वाडोर	5.35%

स्रोत : FAO

मन की शांति सबसे ज्यादा अनमोल है। वह मांगने से कभी नहीं मिलती। जब कोई निःस्वार्थ भाव से ईश्वर की शरण में आता है, तो उसे शांति मिलती है।

मन की शांति

अंतर्यात्रा
संकलित

एक आदमी बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता था। वह रोज मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता कि मुझे ढेर सारा धन दे दो। एक दिन भगवान ने उसे दर्शन देकर पूछा, क्या तुम सिर्फ धन के लिए मंदिर आते हो? उस आदमी ने ईमानदारी से जवाब दिया, हां, गरीबी की वजह से न मैं अपनी इच्छा पूरी कर पाता हूं, और न ही घर वालों की। भगवान ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो। जो सच्चे मन से किसी वस्तु की कामना करता है, उसे वह वस्तु अवश्य मिलती है। फिर भगवान अंतर्धान हो गए।

कुछ ही दिनों बाद उसकी परिस्थिति बदलने लगी। वह काफी पैसे वाला बन गया। व्यस्त होने के कारण अब उसका मंदिर जाना भी छूट गया!

वर्षों बाद वह फिर एक दिन मंदिर गया, तो भगवान फिर उसके सामने प्रकट होकर बोले, अब क्या कमी है, जिसे पूरा करने आए हो? वह आदमी बोला, भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया। लेकिन सब कुछ होते हुए भी मन को शांति नहीं मिली! भगवान ने उससे कहा, मन की शांति तो तुमने कभी मांगी ही नहीं! मन की शांति सबसे ज्यादा अनमोल है। वह मांगने से कभी मिलती भी नहीं। जब कोई निःस्वार्थ भाव से मेरी शरण में आता है, तो उसे बिना मांगे ही शांति मिल जाती है।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 29 नवंबर, 1989

विधानसभा भंग करने की सिफारिश

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज राज्यपाल मोहम्मद उस्मान आरिफ से विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करने का फैसला किया। मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्यों के चुनाव हारने के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है।

बीच सड़क दिल न दे जाए धोखा

कोरोना के बाद हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं, ऐसे में वाहन चालकों की नियमित स्वास्थ्य जांच करना जरूरी है, ताकि हादसों से बचा जा सके।

ऋतुपर्ण दवे

स्वास्थ्य

सड़क पार करना और किनारे बने फुटपाथ पर भी चलना क्या अब सुरक्षित नहीं रह गया है? ऐसे में जैब्रा क्रॉसिंग को कैसे सुरक्षित माना जा सकता है? ये सवाल इन दिनों लोगों के मन में उठ रहे हैं, क्योंकि बीते कुछ वक्त में ऐसे कुछ हादसे हुए हैं, जब बीच सड़क पर वाहन चालक अचानक नियंत्रण खो बैठा। हालांकि ऐसा उसने किसी साजिश के तहत या जान-बूझकर नहीं किया। जब वाहन इधर-उधर टकराते हुए रुका, तो पता चला कि ड्राइवर की या तो सांसें थम चुकी हैं या वह बेहोश हो चुका है।

ऐसी घटनाएं इन दिनों सुर्खियों में हैं। राजस्थान के नागौर में एक शोभायात्रा के दौरान सड़क से गुजर रही बोलेरो के ड्राइवर को हार्ट अटैक होने से वाहन बेकाबू हो गया और कई लोग कुचले गए। इलाज के दौरान ड्राइवर की मौत हो गई। 18 दिसंबर, 2023 को प्रतापगढ़ में ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आया, जिससे सड़क पर चलती बालू लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट

गई। ड्राइवर समेत दो लोगों की वहीं मौत हो गई। 4 नवंबर, 2023 को दिल्ली के रोहिणी में डीटीसी बस हादसा हुआ। सीसीटीवी से पता चला कि ड्राइवर को हार्ट अटैक आया था और उसने गिरते हुए भी बस को रोकने की नाकाम कोशिशें कीं। लेकिन रफ्तार में चल रही बस फुटपाथ पर बाइकों को रौंदते हुए बढ़ती रही। 14 दिसंबर, 2023 को देवरिया में एक गांव से बोलेरो में बरातियों को लेकर ड्राइवर मनोज यादव बस्ती की ओर निकला। अचानक उसे हार्ट अटैक आया, तो उसने गाड़ी रोक दी। लेकिन उसे जब अस्पताल पहुंचाया गया, तो डॉक्टरों ने मृत करार दिया। राजस्थान के जैसलमेर में 4 नवंबर, 2023 को बस ड्राइवर की हार्ट अटैक से तत्काल मौत हो गई। गनीमत रही कि कंडक्टर ने फुर्ती दिखाकर बस रोक ली। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 3 दिसंबर, 2022 को शहर के बीचों-बीच सिटी बस चला रहे ड्राइवर हरदेव सिंह को हार्ट अटैक आया और वहीं मौत हो गई। उस हादसे में छह राहगीर घायल हो गए।

विशेषज्ञ हाल के दिनों में बढ़ते हार्ट अटैक में कोरोना की भूमिका बता रहे हैं। एक प्रख्यात अमेरिकी संस्थान की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है कि जिनमें कोरोना के हल्के लक्षण मिले, उनमें भी मौत का जोखिम 20 प्रतिशत बढ़ा। कोरोना के बाद दुनिया भर में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं। आज कहीं भी और किसी भी उम्र के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक से मौतें पहले भी होती थीं, लेकिन इस तरह नहीं। पहले अधिकतर बड़े-बूढ़े या बीमार इसके शिकार होते थे।

सड़क पर अचानक वाहन चलाते वक्त हार्ट अटैक से हुई मौतें चिंताजनक हैं। इस पर सरकार को चेतना होगा। ऐसी स्थिति में वाहन को कैसे नियंत्रित किया जाए और ड्राइवर के अलावा अन्य लोगों के साथ होने वाली दुर्घटना को कैसे रोका जाए, यह एक बड़ी चुनौती है। वाहन पर काबू करने की कोई पहल भी समझ में नहीं आती। लगता है, परिवहन विभाग इस नई चुनौती से बेसुध है। लाइसेंस जारी करने से पहले ड्राइवर की आंखों की जांच का प्रावधान है, लेकिन शारीरिक स्थिति की नियमित जांच नहीं होती।

आज चिकित्सा विज्ञान काफी तरक्की कर चुका है। सेहत की छोटी-छोटी जांच से बड़े-बड़े खतरे भांपना बहुत आसान है। यदि ड्राइवर को हार्ट अटैक का शिकार होने से पहले ही इसका संकेत मिल जाए, तो वह अपनी और दूसरों की जान जोखिम में क्यों डालेगा? इसलिए ड्राइवरों की शारीरिक स्थिति की नियमित जांच होनी चाहिए। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि टोल नाकों की तर्ज पर स्वास्थ्य नाके भी बनें, जहां अत्याधुनिक, सक्षम व उन्नत मशीनें और विशेषज्ञ तैनात रहें, जो ड्राइवरों की जांच कर ताजा रिपोर्ट ड्राइवर को देने के साथ उसे लाइसेंस की चिप में ट्रांसफर करे। हर ड्राइवर का हेल्थ डाटा कहीं भी, कभी भी एक्सेस किया जा सके और सूचना क्षेत्र सहित रूट के स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाए, ताकि समय-समय पर जांच-परख कर सलाह, उपाय व दवाएं देकर लाइसेंस में उसकी जानकारी अपडेट की जा सके। इससे एक तो ड्राइवर की सेहत पर सतत चौकसी होगी और दूसरे, वाहन चलाते वक्त हार्ट अटैक का जोखिम भी कम होगा।

काश, 'दुर्घटना से देर भली' का नारा अलापने वाले सरकारी महकमे, समाजसेवी संगठन, नुमाइंदे और सरकारें उस गरीब ड्राइवर की सेहत को लेकर भी फिक्रमंद होतीं, जो हर नाके पर टैक्स अदा कर सरकारी खजाने को भरता है, तो कितना अच्छा होता!

edit@amarujala.com

कल्पमेधा

राजनीतिज्ञ भावी चुनाव के बारे में सोचता है, जबकि राजनीति-कुशल व्यक्ति भावी पीढ़ी के विषय में चिंताग्रस्त रहता है।

– जेम्स क्लार्क

प्रतिनिधि का आचरण

सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति का आचरण बहुत मायने रखता है। मगर विचित्र है कि बहुत सारे राजनेता इस तकाजे का ध्यान रखना जरूरी नहीं समझते। कर्नाटक में हासन सीट से जनता दल (सेक्युलर) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। उन पर करीब तीन हजार महिलाओं का यौन शोषण करने, उन्हें धमकाने और प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप हैं। उनके दुराचार के वीडियो सार्वजनिक हुए और मामला तूल पकड़ने लगा तो उसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने विशेष जांच दल गठित कर दिया। जांच दल का गठन होते ही रेवन्ना देश छोड़ कर भाग गए। बताया जा रहा है कि वे यहां से सीधे जर्मनी गए और वहां से यूरोप के किसी देश में छिप गए हैं। इस बार रेवन्ना भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे। इसलिए विपक्षी दलों ने न केवल जद (सेकु), बल्कि भाजपा और प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। इस राजनीतिक विवाद के बीच जद (सेकु) की कोर समिति ने रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया है। मगर लगता नहीं कि इतने भर से जद (सेकु) और भाजपा को कोई राहत मिलने वाली है, क्योंकि रेवन्ना पर लगे आरोप बहुत गंभीर और महिलाओं के सम्मान से जुड़े हैं।

हालांकि रेवन्ना ने सार्वजनिक हुए सारे वीडियो को फर्जी और साजिश के तहत तैयार किया बताया है। बताया जा रहा है कि चुनाव से कुछ दिनों पहले ये वीडियो पेन ड्राइव में भर कर बड़ी तेजी से लोगों के बीच फैलाए जाने लगे। मगर मामले पर कानूनी कार्रवाई के लिए कदम तब उठाया गया जब रेवन्ना के घर में काम करने वाली एक अधेड़ सहायिका ने उसके और उसके पिता के खिलाफ आरोप लगाया। प्रज्वल रेवन्ना के पिता भी जद (सेकु) से विधायक हैं। हालांकि इन मामलों के बारे में जानकारी लोगों को बहुत पहले से थी। भाजपा के एक नेता ने तो कहा है कि उन्हें एक वर्ष पहले ही ये वीडियो उपलब्ध हो गए थे और उन्होंने रेवन्ना को चुनावी टिकट देने से केंद्रीय समिति को रोका था, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। यह भी जानकारी आई है कि रेवन्ना खुद करीब एक वर्ष पहले इसी मामले में अदालत से स्थगन आदेश ले आए थे। यानी मामला बिल्कुल ताजा नहीं है। हैरानी की बात है कि न केवल इस प्रकरण को दबा-छिपा कर रखा गया, बल्कि रेवन्ना को फिर से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया गया।

यह बेहद भयावह है कि रेवन्ना ने किसी भी आयु और वर्ग की महिला को नहीं बख्शा। घरेलू सहायिकाओं, सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों, पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर हर तरह की महिलाओं का यौन शोषण किया। वे खुद इसलिए अपनी घिनौनी हरकत का वीडियो बनाते थे, ताकि उनके आधार पर वे उन महिलाओं को डरा-धमका कर चुप रहने को बाध्य कर सकें। हालांकि यह किसी राजनेता या रसूखदार व्यक्ति का पहला और अकेला मामला नहीं है, मगर चिंताजनक बात यह है कि एक व्यक्ति खुद सांसद रहते हुए ऐसा वीभत्स कृत्य कर रहा था। राजनेता सार्वजनिक मंचों से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बातें करते नहीं थकते, मगर जब उन्हीं के बीच ऐसा कोई व्यक्ति नजर आने लगता है, तो उसे बचाने या ढंक-छिपा कर रखने का प्रयास करने लगते हैं। अब देखना है कि केंद्र और राज्य सरकार किस तरह मामले की निष्पक्ष जांच कराती तथा रेवन्ना को वापस लाकर उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करती हैं।

अलगाव की आंच

जब भी भारत की ओर से कनाडा पर खालिस्तानी अलगाववादियों को लेकर नरम रुख अपनाने या संरक्षण देने के आरोप लगाए जाते हैं, तो वहां की सरकार इससे इनकार करती है। मगर अक्सर ऐसे उदाहरण सामने आते रहते हैं, जिनसे साफ है कि कनाडा में शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर खालिस्तान समर्थकों पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं होती। बल्कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन्हें संरक्षण दिया जाता है। बीते रविवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी में खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए और वे उस पर मुस्कुराते रहे। गौरतलब है कि टोरंटो में मनाए गए 'खालसा दिवस' और 'सिखों के नव वर्ष' के कार्यक्रम में ऐसी नारेबाजी तब हुई जब ट्रूडो सिख समुदाय को संबोधित करने के लिए आगे बढ़े। उस कार्यक्रम में ट्रूडो ने सिखों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की कसम खाई। अपने देश में किसी व्यक्ति या समूह के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना अच्छी बात है, पर सवाल है कि जिस व्यक्ति या समूह के लिए यह बात की जा रही है, उसकी मंशा और राजनीति क्या है।

एक देश का नेतृत्व करते हुए क्या ट्रूडो इस बात को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि खालिस्तानी अलगाववाद की समस्या भारत को किस तरह प्रभावित करती है? एक समुदाय के रूप में सिखों का योगदान भारत के लिए बेहद अहम रहा है और एक आम सिख भारत से प्यार ही करता है। ऐसे में चंद अलगाववादी तत्त्वों को प्रश्रय देकर ट्रूडो क्या दर्शाना चाहते हैं? स्वाभाविक ही ताजा मामले को लेकर भारत ने कनाडा के उप-उच्चायुक्त को तलब कर सख्त विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह एक बार फिर उस राजनीतिक स्थान को दर्शाता है, जो कनाडा में अलगाववाद, उग्रवाद और हिंसा को दिया गया है। ट्रूडो शायद इस बात से भी बेफिक्र दिखते हैं कि भारत के खिलाफ अलगाववाद पर उनकी नरमी दोनों देशों के संबंधों को किस स्तर पर प्रभावित कर सकती है।

डिजिटल दुनिया में भाषाई वर्चस्व

अगर राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में देश की भाषाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाई गई होती, तो भारतीय भाषाएं अंग्रेजी के संघर्ष में एक बेहतर स्थिति में होतीं और आज कृत्रिम मेधा वाले दौर में उन पर आसन्न नए खतरे अपेक्षाकृत कम होते।

अरिमर्दन कुमार त्रिपाठी

भाषा व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, वैसे ही जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। व्यक्ति की पहली भाषा ही उसकी जातीय पहचान और उसकी आंतरिक क्षमता के विस्तार का सशक्त माध्यम होती है। इसलिए व्यक्ति की क्षमता का महत्तम उद्घोष उसकी मातृभाषा में होता है। जाहिर है कि भारत जैसे बहुभाषिक देश में अल्पसंख्यक भाषाओं के संकुचन को स्वीकार करना दरअसल लोगों की मौलिक क्षमता के विस्तार में व्यवधान उत्पन्न करने के समान और राष्ट्र की व्यापक क्षमता के विकास को रोकने जैसा है।

हालांकि, भारत में भाषाई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बहस पुरानी है, लेकिन धरातल पर जो नीति बनी, वह सब अंग्रेजी और उसके इर्द-गिर्द घूमती रही। इसलिए नीति-निर्माण, अनुपालन की मानसिकता, शिक्षण, शोध और रोजगार जैसे क्षेत्रों में अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता गया। भारतीय भाषाओं को द्वितीयक होना पड़ा है। इसका जो नुकसान सामान्य संदर्भों में हुआ, उनका मूल्यांकन होना बाकी ही था कि आज इन्हीं कारणों से डिजिटल संदर्भों में भारतीय भाषाओं और प्रकारांतर से उनके मूल भाषा-भाषियों को जो नुकसान हो रहा है, वह पहले से अधिक भयावह है।

अगर राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में देश की भाषाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाई गई होती, तो भारतीय भाषाएं अंग्रेजी के संघर्ष में एक बेहतर स्थिति में होतीं और आज कृत्रिम मेधा वाले दौर में उन पर आसन्न नए खतरे अपेक्षाकृत कम होते। ध्यान रहे कि हमारे संविधान-निर्माता इसको लेकर सजग थे और भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 29 (1) के माध्यम से भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों की अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार, अनुच्छेद 29 (2) द्वारा राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने का अधिकार और अनुच्छेद 30 (1) के माध्यम से भाषा सहित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने के अधिकार की व्यवस्था की गई थी। संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र के अनुच्छेद 1 (3) के माध्यम से भी आश्वासन दिया गया था कि वैश्विक मामलों में बिना किसी भाषाई भेदभाव के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता और सम्मान को बढ़ावा दिया जाएगा।

आज भारत की विशाल आबादी, उसमें स्मार्टफोन के प्रयोक्ताओं की वृहद संख्या, उनमें इंटरनेट की खपत और नागरिकों की सोशल मीडिया में सामग्री निर्माणकर्ता के रूप में उपस्थिति अभूतपूर्व और संख्या की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर निर्णायक है, लेकिन इन सबके बावजूद भारतीय भाषाओं की डिजिटल क्षमता द्वितीयक है। इसलिए भी हमने भाषाओं को द्वितीयक बनाए रखने को अपनी प्राथमिकता में शामिल कर लिया है। इसीलिए वैश्विक आबादी में सर्वोच्च स्थान होने के बावजूद हमारी भाषाएं डिजिटल उत्पादों में उस मात्रा में नहीं दिखतीं। इंटरनेट सोसायटी फाउंडेशन के मई 2023 के एक आंकड़े के अनुसार वेब-पृष्ठों के माध्यम के रूप अंग्रेजी पचपन फीसद वेबसाइटों की भाषा है, दूसरे स्थान पर स्पेनिश है, जो महज पांच फीसद है। इस सूची के शीर्ष दस भाषाओं में

किसी भारतीय भाषा का कोई नामलेवा भी नहीं है।

बात यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसी बुनियाद पर कृत्रिम मेधा में भाषाई सामर्थ्य विकसित होता है। यहां कृत्रिम मेधा की स्वीकृति की गति को समझना आवश्यक है। कृत्रिम मेधा टूल 'चैटजीपीटी' को अपने दस

अब भाषा का उपयोग सिर्फ घर-परिवार और समाज से संवाद के लिए नहीं, बल्कि मशीनों को निर्देश देने के लिए भी किया जा रहा है। इन सबमें निस्संदेह अंग्रेजी का वर्चस्व है, लेकिन अब बाजार अपने दूसरे चरण के विस्तार के रूप में अनेक भारतीय भाषाओं को जोड़ना शुरू कर चुकी है। दूसरी तरफ, भारत सरकार कृत्रिम मेधा आधारित भाषा-संसाधन टूल 'भाषिनी' के माध्यम से भारतीय भाषाओं की डिजिटल क्षमता के विकास की योजना पर काम शुरू कर चुकी है। मगर आवश्यकता इस बात की है कि इसकी गति और मात्रा दोनों बढ़ाई जाए, ताकि समय रहते अधिकतम भारतीय भाषाओं को कृत्रिम मेधा से जोड़ा जा सके।

करोड़ ग्राहकों तक पहुंचने में केवल दो महीनों का समय लगा, जबकि इस संख्या तक पहुंच बनाने में दूसरे इंटरनेट उत्पाद, जैसे ट्विटर, को पांच साल और पांच महीने, फेसबुक को चार साल और छह महीने, वाट्सएप को तीन साल और छह महीने, इंस्टाग्राम को दो साल और छह महीने, गूगल को एक साल दो महीने लगा और टिकटाक को नौ महीने लगे थे। गौरतलब है कि इस गति में भारतीय भाषाएं तो द्वितीयक हैं, लेकिन संख्या बल में सर्वाधिक होने के कारण भारतीय उपभोक्ता प्राथमिक हैं, जिनको अपनी भाषाओं से परे अंग्रेजी की प्राथमिकता को स्वीकार करना पड़ रहा है। ऐसे में, हमारी स्थिति बिना किसी मेहनताना के मजदूर जैसी है।

इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा में जब हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची की भाषाएं नहीं हैं, तो अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति क्या होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। ऐसे में, इनसे उभरने वाले बाजार में भी उनके प्राथमिक होने के उम्मीद प्रायः नहीं करनी चाहिए, जब तक कि सरकार द्वारा व्यक्तिगत डिजिटल डाटा के मुक्त दोहन प्रक्रिया पर प्रभावी हस्तक्षेप न करे। दिलचस्प है कि भारतीय उपभोक्ताओं की डिजिटल गतिविधियों से ही कृत्रिम मेधा की कंपनियों ने अपनी क्षमता बढ़ाई है और अब जब उत्पाद बन गए, तो उनके ग्राहक भी यही भारतीय बन रहे हैं। कई कंपनियां तो कृत्रिम मेधा के आधार पर बने अपने उत्पाद बेचना शुरू भी कर चुकी हैं।

इसका दूसरा पक्ष यह है कि उपलब्ध डिजिटल सुविधाओं की स्वाभाविक भाषा अंग्रेजी होने के कारण देश में आम आदमी, जो सिर्फ अपनी भाषा जानता है, उनके शोषण की संभावना और बढ़ रही है। जैसे, देश में 'यूपीआइ' के माध्यम से पैसे का लेन-देन एक क्रांति की तरह है और इसका सुदूर ग्रामीण बाजारों में भी चलन हो गया है। दूसरी तरफ, जन-धन योजना के तहत एक बहुत बड़े ऐसे तबके को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है, जो इससे पहले शायद ही कभी बैंक गए हों। इन लोगों के लिए 'यूपीआइ' और स्मार्टफोन दोनों का उपयोग नई बात है। ऐसे में मोबाइल प्रचालन प्रणाली में अंग्रेजी के वर्चस्व और अल्पसंख्यक भाषाओं की अनुपस्थिति भी साइबर अपराध के विस्तार में एक कारक बन रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2022 में साइबर अपराध के 65,893 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 की तुलना में 24.4 फीसद अधिक है। इनमें से अधिकांश मामले अनलाइन खरीदारी, एटीएम और ओटीपी आधारित बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले हैं। इस तरह भारतीय भाषाओं की डिजिटल अनुपस्थिति ने शातिर अपराधियों के हौसले और बढ़ाए हैं।

अब भाषा का उपयोग सिर्फ घर-परिवार और समाज से संवाद के लिए नहीं, बल्कि मशीनों को निर्देश देने के लिए भी किया जा रहा है। इन सबमें निस्संदेह अंग्रेजी का वर्चस्व है, लेकिन अब बाजार अपने दूसरे चरण के विस्तार के रूप में अनेक भारतीय भाषाओं को जोड़ना शुरू कर चुकी है। दूसरी तरफ, भारत सरकार कृत्रिम मेधा आधारित भाषा-संसाधन टूल 'भाषिनी' के माध्यम से भारतीय भाषाओं की डिजिटल क्षमता के विकास की योजना पर काम शुरू कर चुकी है। मगर आवश्यकता इस बात की है कि इसकी गति और मात्रा दोनों बढ़ाई जाए, ताकि समय रहते अधिकतम भारतीय भाषाओं को कृत्रिम मेधा से जोड़ा जा सके। साथ ही लोगों को जागरूक किया जा सके, अन्यथा देश की हजारों भाषाओं का असमय अवसान हो जाएगा। साथ ही, उनकी सांस्कृतिक थाती, देश की विविधता के अनेक रंग और सबसे महत्त्वपूर्ण, किसी व्यक्ति का अपनी भाषा में डिजिटल जीवन का अधिकार भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मेहनत बनाम किस्मत

प्रभात कुमार

दुनिया मेरे आगे

जिस दौर में विज्ञान अपने विकास की ऊंचाई पर पहुंचता और साबित करता दिख रहा है, जीवन के लगभग सभी क्षेत्र इससे प्रभावित और संचालित दिखते हैं, उसमें भी कई लोगों को यह कहते और मानते हुए देखा जा सकता है कि चमत्कार होते हैं। तांत्रिकों या बाबाओं के चमत्कारों को सही मानने वाले लोग हमें अपने आसपास ही मिल सकते हैं। मगर इससे इतर एक दूसरे मोर्चे पर 'चमत्कार' अलग तरीके से जगह पा रहा है। विज्ञान के जरिए चमत्कार। हालांकि पहले भी जो चमत्कार होते रहे, उसके पीछे विज्ञान ही रहा, बस समस्या यह रही कि उन चमत्कारों में विज्ञान को परदे के पीछे रखा गया। दरअसल, विज्ञान की दुनिया में जगह बनाने के लिए मेहनत करनी जरूरी है। फिर बहुत से चमत्कार किए जा सकते हैं। दूसरी ओर, इस सवाल का भी जवाब मिलना चाहिए कि विज्ञान के ज्ञान और चमत्कारों से मानवता का भला किस हद तक हो पाया। मौजूदा उदाहरण कृत्रिम बुद्धिमता है, जिससे परेशान होने की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। इस बारे में भ्रम है कि नकली बुद्धि वाले इस इंसानी उत्पाद से नैसर्गिक बुद्धि वाले इंसान की किस्मत बनी या बिगड़नी शुरू हो गई!

क्या हम अपनी किस्मत या अच्छी किस्मत के कारण मेहनत करते हैं या निरंतर मेहनत ही हमारी किस्मत में होती है या किस्मत बना देती है? इस संदर्भ में एक मशहूर फुटबाल खिलाड़ी की बात याद आती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके द्वारा किए गए गोल किस्मत की देन हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मैं जितना ज्यादा अभ्यास करता हूं, उतना ही किस्मतवाला बनता जाता हूं। धन-दौलत, प्रसिद्धि, नौकरी, उच्च पद, यानी किसी भी तरह की सफलता मिल जाए तो उसे अच्छी किस्मत के साथ जोड़ दिया जाता है। एक नन्ही-सी जान के रूप में सभी बच्चे हर तरह की संभावना लेकर दुनिया में जन्म लेते हैं। वे ऊर्जा से भरे होते हैं। ज्यों-ज्यों उनका विकास होता है, अलग-अलग तरह के पारिवारिक माहौल, वित्तीय स्थिति, शिक्षा से उनमें विचार उगते हैं। उनका घर ही उनके जीवन की पहली वास्तविक पाठशाला होता है।

जिंदगी सभी को अवसर देती है। सवाल यह है कि क्या उन अवसरों को पहचान कर, स्वीकार कर वांछित प्रयास किए गए। उतनी मेहनत की, जितनी जरूरी थी या फिर अवसर पहचानने में नासमझी, देर या भूल हुई और अवसर हमारे हाथ से निकल गए! इसका विश्लेषण करना भी लाजिमी है।

यह भी देखा गया है कि कितने ही मामलों में मेहनत बेचारी होकर रह जाती है और पारिवारिक, राजनीतिक, धार्मिक या अन्य किस्म के जुगाड़ कितनी ही किस्मतें बदल देते हैं। सामयिक जागरूकता, चतुराई और चपलता सफलता दिला देती है। यह माना जा सकता है कि सिर्फ मेहनत से काम करना काफी नहीं है, चुस्त और चौकन्नी मेहनत करना ज्यादा जरूरी है। ऐसे में मेहनत करने की शैली बहुत महत्त्वपूर्ण है। जीवन की परिस्थितियां सबसे बड़ी अध्यापक होती हैं। वे खूब सिखाती हैं। यह इस पर निर्भर है कि हम कितनी संजीदगी से सीखते हैं।

सफल लोगों के पास भी चौबीस घंटे होते हैं। उनकी किस्मत उनको एक लम्हा भी ज्यादा नहीं देती। वे जो भी करते हैं, इसी समय सीमा के भीतर करते हैं। यानी वे अपने समय का सदुपयोग करते हैं। ऐसा करना वे अपने अभिभावकों से सीखते हैं और अभिभावक वही सिखाते हैं, जो उन्होंने सीखा है। उस सीख में अपनी जिंदगी के सकारात्मक अनुभव जोड़ते जाते हैं। किसी कारणवश जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, अपनी किस्मत को दोष देते हैं। दरअसल, वे वक्त की नब्ज पर काबू नहीं रख पाते। ऐसा वे अपने हालात और पारिवारिक स्थितियों के कारण आत्मसात करते होंगे। अगर किसी व्यक्ति, स्थिति, घटना, प्रवचन या प्रेरक किताब से उनका नजरिया बदल जाए तो वे फिर से सफलता की राह पर निकल सकते हैं।

जिंदगी सभी को अवसर देती है। सवाल यह है कि क्या उन अवसरों को पहचान कर, स्वीकार कर वांछित प्रयास किए गए। उतनी मेहनत की, जितनी जरूरी थी या फिर अवसर पहचानने में नासमझी, देर या भूल हुई और अवसर हमारे हाथ से निकल गए! इसका विश्लेषण करना भी लाजिमी है। आजकल यह प्रवृत्ति भी जोर पकड़ती जा रही है कि हर क्षेत्र में भावी विजेता बच्चे का जन्म पारिवारिक या किसी प्रसिद्ध ज्योतिषी के बताए शुभ समय पर करवाएं, ताकि नवजात के साथ उच्चकोटि की शानदार और जानदार किस्मत भी जन्म ले ले। अब तो ज्यादातर कामकाजी माताएं शिशु जन्म से पहले होने वाला दर्द सहना नहीं चाहतीं। अस्पताल की दवाई लेने की कोशिश करती हैं, फिर आपरेशन से बच्चे का संसार में प्रवेश होता है। इससे अभिभावकों के अभिभावक भी सांसारिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं।

भारतीय परिवेश में किस्मत बनाने के लिए ठोस उपाय बताने वालों की काफी सक्रिय भूमिका रहती है। यह भी दिलचस्प है कि भाग्य बनाने के लिए महंगे से महंगे रास्ते उपलब्ध हैं। इंसान जब अपने हिसाब से मेहनत कर परेशान हो जाता है, उसे मनचाहा फल नहीं मिलता तो वह भाग्यवादी होकर, मजबूरन इन रास्तों पर चलना शुरू करता है। वह दूसरों की मेहनत और जुगाड़ों के साथ अपने प्रयासों की तुलना नहीं करता, इसलिए उसके जीवन में कुंठा और निराशा की अस्वादिष्ट खिचड़ी पकती रहती है।

किस्मत बनाए रखने में राजनीति की काफी सक्रिय भूमिका देखी गई है। हमारे देश में मतदाताओं की किस्मत को राजनीति ने संभाला हुआ है। उन्हें निवाला दिया जा रहा है और किस्मत शासकों की पकाई जा रही है। इसमें राजनीतिक कौशल के कुशल प्रबंधन की मेहनत की संजीदा भूमिका है। मेहनत का रास्ता मुश्किल है, लेकिन यह हर मुश्किल का हल है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। मेहनत कर लें तो किस्मत चाहे न बदल पाएं, लेकिन जिंदगी बना सकते हैं और बदल भी सकते हैं।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

खुशहाली और समाज

'वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान की तलाश' (लेख, 22 अप्रैल) महत्त्वपूर्ण और विचारोत्तेजक है। यह तथ्य वाकई सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमारी संस्कृति दुनिया भर के लिए गौरवशाली, प्रशंसनीय, सम्माननीय और बेहद आदर्श होने के बावजूद ज्यादातर बुजुर्ग युवा वर्ग स्वयं को दुखी क्यों समझते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वाधान में 'गैलप' संस्था द्वारा पिछले वर्ष किए गए वार्षिक सर्वेक्षण का नतीजा है। सन 2011 से प्रति वर्ष मानव जीवन में खुशहाली के विभिन्न बिंदुओं पर आधारित यह सर्वेक्षण दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस सर्वेक्षण में फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। सरकार को संबंधित बिंदुओं का निष्पक्ष अध्ययन करना चाहिए और देश की वास्तविक सामाजिक स्थिति को जनता के समक्ष लाना चाहिए। साथ ही, अगर जरूरी हो तो सामाजिक खुशहाली के लिए अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी विकास किया जा सके, नीतियां बनाई जा सकें। यह अत्यंत जरूरी है कि हमारे आधुनिक, प्रगतिशील और विकसित भारत में समाज का प्रत्येक तबका और प्रत्येक वर्ग सामान रूप से सुखी और खुशहाल हो।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

उम्मीद की बिसात

हाल ही में शतरंज प्रतियोगिता में गुकेश ने इतिहास रच दिया और वे विश्व खिताब के सबसे कम उम्र के चेहरे बने। गुकेश ने अपनी शानदार प्रतिभा को साबित किया। वे अपनी कम उम्र में ही इस खेल में एक परिपक्व खिलाड़ी की तरह प्रतियोगिता में उतरे हैं। 2024 के चार महीनों में शतरंज में भारत के पांच खिलाड़ी शीर्ष वरीयता पर रह चुके हैं- विश्वनाथन आनंद, गुकेश, अर्जुन, विदित और प्रज्ञानानंद। इससे यह साबित होता है कि शतरंज की प्रतिभा की जड़ें बहुत गहरी हैं हमारे देश में। खुशी की बात यह है कि आज छोटे शहरों में भी युवा और बच्चे आनलाइन के माध्यम से शतरंज की बारीकियां बड़े गुरुओं से सीख रहे हैं। भारतीय कंपनियों के द्वारा किसी भी खेल में निवेश से उस खेल को बहुत प्रोत्साहन और लाभ मिलता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि न केवल गुकेश विश्व चैंपियनशिप में कार्लसन के विरुद्ध जीतें, बल्कि देश के हजारों बच्चे उनसे प्रेरित होकर शतरंज खेलना शुरू करेंगे।

– बाल गोविंद, सेक्टर- 44, नोएडा

सुधार का तकाजा

भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने के लिए नीतियों पर गौर करने की जरूरत है। इसमें आयात शुल्क को सरल करना, निर्यात को बढ़ावा देना और उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना शामिल है। उद्योगों को निर्यात केंद्रित बनाना और उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देना भी महत्त्वपूर्ण है। चीन ने अपने विकास के लिए अमेरिकी और अन्य देशों के निवेश का लाभ उठाया। भारत को भी अपनी नीतियों में सुधार करके विदेशी निवेश को आकर्षित करना चाहिए। अगर भारत अपने उत्पादन क्षेत्र को उन्नत करता है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी जगह बनाता है, तो देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हो सकता है। भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने का सपना सच हो सकता है अगर सरकार और उद्योग जगत मिलकर काम करें। नीतियों में सुधार, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और उत्पादन क्षेत्र को उन्नत करना ही भारत को इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा।

– अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़

अंकों का हिसाब

हर वर्ष माध्यमिक या दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के वार्षिक परीक्षा के नतीजों में कुछ विद्यार्थी शानदार अंक हासिल करते हैं और कुछ को उम्मीद के मुताबिक अंक प्राप्त नहीं होते हैं। कुछ विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा परिणाम निराश करने वाला भी होता है। मगर जिन विद्यार्थियों को उनकी उम्मीद के अनुसार परीक्षा परिणाम नहीं होता है, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी कमजोरियों का मंथन करते हुए और ज्यादा हिम्मत, लगन और मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में ज्यादा अंक आएं। सभी शिक्षकों को भी चाहिए कि वे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाएं, कक्षा में विद्यार्थियों की तुलना न करें। लोगों को भी चाहिए कि वे कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लेकर नकारात्मक बातें न करें।

– राजेश कुमार चौहान, जलंधर

www.readwhere.com

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। **–वाल्तेयर**

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

मेडिकल लापरवाही के बढ़ते मामले चिंताजनक

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले वर्षों में हमारे देश में मेडिकल सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस विस्तार के साथ ही मेडिकल लापरवाही के मामलों में भी तेजी से इजाफा होने लगा है। हाल ही में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का नवीनतम अध्ययन चौंकाने वाला है जिसमें कहा गया है कि देश में पिछले एक वर्ष के दौरान मेडिकल लापरवाही के 52 लाख मामले सामने आए। इतना ही नहीं इस दौरान मेडिकल मुकदमेबाजी के मामलों में 400 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि भी हुई है।

इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स के एक अध्ययन का यह निष्कर्ष भी चिंतित करने वाला है कि सिर्फ 46 प्रतिशत अस्पताल या देखभाल केंद्र ही नैतिक दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं। चिकित्सक समुदाय से हमेशा अपेक्षा की जाती रही है कि वे मरीजों के उपचार में अधिक सतर्कता और पारदर्शिता से काम करेंगे। यह अपेक्षा इसलिए भी क्योंकि किसी भी तरह की लापरवाही मरीज की जान जोखिम में डालने को काफी है। मेडिकल लापरवाही के जो आंकड़े सामने आए हैं उससे तो यही लगता है कि संबंधित निगरानी तंत्र भी इस दिशा में बेपरवाह है। ऐसे अधिकांश मामलों में यह तथ्य सामने आता रहा है कि चिकित्सक मरीजों का उपचार करते समय उपचार से जुड़े समय-समय पर सरकारों की तरफ से जारी निर्देशों की या तो पूरी तरह से पालना ही नहीं करते या फिर आधी-अधूरी पालना कर मरीजों को संकट में डालने का काम करते हैं। यह भी देखा गया है कि मेडिकल लापरवाही के ज्यादातर मामले मेडिकल और लीगल टर्मिनोलॉजी को समझने- समझाने में ही अटके रहते हैं। यही वजह है कि मरीजों और उनके परिजनों को चिकित्सकों और अस्पताल प्रबंधन से बात करने और अपने अधिकार समझने में भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पीड़ितों की ऐसे मामलों में सबसे बड़ी शिकायत यह रहती है कि उन्हें उपचार से जुड़े जरूरी दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं कराए जाते। जबकि ये आम तौर पर अस्पताल और डॉक्टर के पास ही होते हैं। दुर्भाग्य यह है भारत में ये आंकड़े ट्रेक आसानी से ट्रेक ही नहीं हो पाते हैं।

यह बात सही है कि मेडिकल लापरवाही से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने ने कई उपाय किए हैं। लेकिन जो तस्वीर सामने है उसे देखते हुए सरकारी स्तर पर कोई कारगर सिस्टम तैयार करने की जरूरत है जिससे उपचार में लापरवाही की शिकायत पर तत्काल समाधान की राह निकलती हो। अस्पताल स्तर पर किसी पोर्टल की व्यवस्था हो तो बेहतर है जहां मरीज या परिजन उपचार संबंधी सभी जानकारी को आसानी से ट्रेक कर सकें।

तीसरे चरण में यूपी में 100 प्रत्याशी

तीसरे चरण में महाराष्ट्र में 258, उत्तरप्रदेश में 100, मध्यप्रदेश में 127, गुजरात में 266, असम में 47, पश्चिम बंगाल में 57, छत्तीसगढ़ में 168 और गोवा में 16 प्रत्याशी मैदान में हैं।

पत्रिका लोकतंत्र का उत्सव

163 के पास 5 करोड़ से ज्यादा संपत्ति

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 5 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति वाले प्रत्याशियों की संख्या 163 हैं। 2 से 5 करोड़ तक संपत्ति घोषित करने वाले प्रत्याशियों की संख्या 102 है।

लोकसभा चुनाव 2024

मैनपुरी : समाजवादी पार्टी के गढ़ में इस बार रोचक है मुकाबला

त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे बड़ा सवाल विरासत बचेगी या इस बार होगा बदलाव

मैनपुरी से
फिरोज सैफी

उत्तरप्रदेश में तीसरे चरण में जिन 10 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होना है, उनमें से मैनपुरी सीट पर सबकी नजर है। यह हॉट सीट मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव यहां से चुनाव मैदान में हैं। वे मौजूदा सांसद भी हैं। भाजपा ने मैनपुरी सदर से विधायक और योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने वोटों में सेंधमारी करने के लिए पूर्व विधायक शिवप्रसाद यादव को मैदान में उतारा है। ऐसे में इस सीट पर चुनाव दिलचस्प बना हुआ है। हालांकि मुकाबला सपा और भाजपा के बीच ही नजर आ रहा है।

मैनपुरी लोकसभा सीट पर करीब तीन दशक से भी ज्यादा समय से मुलायम सिंह परिवार का कब्जा रहा है। मुलायम सिंह स्वयं यहां से पांच बार सांसद रहे हैं, उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव, भ्रातृ पौत्र तेज प्रताप यादव भी यहां से सांसद रह चुके हैं।

दिलचस्प बात यह भी है कि 2014 और 2019 की मोदी लहर के बावजूद समाजवादी पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की थी। भाजपा एक बार भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। ऐसे में भाजपा इस बार यहां जीत के लिए पूरी ताकत लगा रही है। इसलिए उसने अपने मंत्री को मैदान में उतारा है।

मैनपुरी लोकसभा सीट में पांच विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें भोगांव, किशनी, करहल, मैनपुरी सदर और जसवंत नगर है।

इस सीट के मतदाताओं का मन टटोलने के लिए मैं आगरा से बस में सवार होकर मैनपुरी पहुंचा। आगरा से मैनपुरी के सफर के बीच ही बस में कुछ मुसाफिरों से चुनावी चर्चा छेड़ी। मैनपुरी के रहने वाले मनीष कश्यप ने कहा कि मैनपुरी यादव बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र है। मुलायम सिंह और अखिलेश सरकार ने यहां खूब विकास किया है। जनता ने वो काम देखे हैं इसलिए इस सीट पर मुलायम परिवार को ही चुनते आए हैं। डिंपल यादव प्रचार में आगे नजर आ रही हैं। हालांकि जयवीर सिंह की छवि भी अच्छी है और क्षेत्र में काफी काम भी किया है।

मैनपुरी बस स्टैंड पर ही चाय की दुकान पर बैठे अनमोल यादव ने कहा, यहां सपा प्रत्याशी को लेकर चर्चा ज्यादा है। इस लोकसभा क्षेत्र में यह नई बात देखने को मिली कि यहां पर राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दों की चर्चा नहीं है। घंटाघर मार्केट में अगरबत्ती कारोबारी दिनेश चंद्र ने कहा कि इस बार सपा के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह भी इस इलाके के प्रभावी नेता हैं और मैनपुरी सदर से ही विधायक हैं। मंत्री रहते हुए क्षेत्र में विकास कराया है। केंद्र सरकार की कई योजनाओं का भी लाभ जनता को मिल रहा है, लेकिन मतदाता जातिगत आधार पर बंटे दिख रहे हैं। यादव और मुसलमान मतदाताओं में ज्यादातर का झुकाव सपा की तरफ माना जा रहा है वहीं राजपूत और सामान्य वर्ग के मतदाताओं की गिनती भाजपा के वोट बैंक में होती रही है। फिर भी मुकाबला कांटे का है। फूल कारोबारी कमल कुमार सैनी का कहना था कि यहां तो कोई भी आ जाए, सपा को हराना आसान नहीं है। मुलायम सिंह यादव का पैतृक गांव सैफई भी इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहां भाजपा के सामने चुनौती रहने वाली है। वैसे लोग भाजपा का मजबूत पक्ष कानून-व्यवस्था में सुधार को मानते हैं।

रोजगार, विकास के मुद्दों की चर्चा

सदर बाजार निवासी मोहम्मद उमर का कहना था कि यहां राम मंदिर जैसा मुद्दा चुनाव में नहीं चल पा रहा है। जनता समझ चुकी है कि भाजपा ने इस मुद्दे को खूब भुनाया है। अब लोग रोजगार और विकास की बात करते हैं, युवाओं के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। इस तरह सपा का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर बहस और चर्चाओं में हर तरफ से तर्क चल रहे हैं। इनसे एक रोचक मुकाबले की तस्वीर सामने आ रही है। हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक है कि इस बार मुलायम परिवार की विरासत बचेगी या फिर बदलाव होगा।

मुख्य मुकाबला भाजपा- सपा के बीच

पेशे से वकील राजेंद्र यादव का कहना है कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर कौन जीतेगा कौन नहीं, यह तो चुनाव परिणाम आने पर ही पता चलेगा। यहां सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को मुलायम परिवार की सदस्य होने का फायदा मिल रहा है। भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह की भी स्थानीय होने के नाते लोगों तक सीधी पहुंच है। लोग यह भी मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की राह इस बार आसान नहीं है। हालांकि सपा को यादव और मुस्लिम मतदाताओं से ज्यादा उम्मीदें बंधी हैं। इंडिया गठबंधन के तहत यह सीट कांग्रेस ने सपा के लिए छोड़ी है। इसलिए सपा को अल्पसंख्यक मतों में बिखराव की ज्यादा चिंता नहीं।

उपचुनाव में बड़े अंतर से जीती थी डिंपल

साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव को कन्नौज लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में डिंपल यादव ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी।

चुनावी चटकारा

खतरा भांप कांग्रेस ने चौकसी बढ़ाई

मध्यप्रदेश में पिछले दो दिनों से चुनाव की हार-जीत से ज्यादा चर्चा बम फटने की है। हर कोई यह जानने को उत्सुक है, देश की बड़ी पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नाम वापस कैसे ले लिया। भाजपा नेता इसे अपनी जीत के रूप में प्रचारित कर रहे हैं और कांग्रेसी बचाव में यह कह रहे हैं कि कभी उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। जो जैसा करता हैं उसके सामने वैसा ही आता है। इसके साथ ही जिन सीटों पर चुनाव नहीं हुए हैं, वहां के प्रत्याशियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पार्टी नेता अब यही कह रहे हैं कि एक बम फूट गया सो फूट गया। अब दूसरा कोई बम नहीं फूटना चाहिए। इसका इंतजाम समय रहते सुनिश्चित करना होगा। मध्यप्रदेश ही नहीं कांग्रेस ने चुनाव के शेष बचे पांच चरणों वाले राज्यों की गतिविधियों पर चौकसी बढ़ा दी है।

राग सियासी

बम फटा इंदौर में,
कांग्रेस के माय।
पल्ला झाड़ा पल में,
भाजपा हाथ मिलाय।।
भाजपा हाथ मिलाय,
अचंभा भारी।
सूरत दोहराने को,
निर्विरोध की त्यारी।।
चाल चरित्र चेहरा हुआ,
सबका एक समान।
कुर्सी आंख अर्जुन की,
रहे निशाना तान।।

-सुरेंद्र पगारिया

बतंगड़

...लो अब गुनगुनाओ 'बम' चिकी चिकी बम

हरीश पाराशर

आखिर काफी मेहनत से तैयार किया गया 'बम' इतनी आसानी से फुस्स क्यों हो गया? कोई मामूली बम नहीं था यह। देश की 'सबसे पुरानी आयुध फैक्ट्री' में तैयार किया गया था। बात तो यही निकल कर आ रही है कि बम बनाने की तकनीक जानने वाले ही कमजोर निकले। चिंता तो यह है कि देश के 'सबसे स्वच्छ शहर' में बम को इस तरह 'डिफ्यूज' करने की किसी को भनक तक नहीं लगी। सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं- बम आखिर जहां रखा उस जगह की नाप-जोख ठीक से क्यों नहीं की? अब नाप-जोख के लिए 'पटवारी' तैनात किए गए हैं। नाप-जोख से क्या होगा? तब ही क्यों नही चेते जब 'बम' की खामियों की जानकारी आने लगी थी? बड़ी उम्मीदों से बम बनाया था कि इस बार 'दुश्मन' पर भीषण बमबारी होगी। सब सदमे हैं। मेहनत करते-करते 'हाथ' थक गए थे। गोला-बारूद भी खूब भरा था। शायद कुछ 'तार' ही ढीले रह गए थे। चर्चा अब यही हो रही है कि ढीले तारों को छेड़ते ही बम आसानी से डिफ्यूज हो गया। उधर 'बम निरोधक दस्ता' जश्न के मूड में है। 'सूरत' बदलने में माहिर हैं इसलिए यह काम भी आसान लगा। तैयारी तो आगे की भी थी लेकिन दस्ता तनिक विलम्ब से पहुंचा बताया। बम निरोधक दस्ते में से किसी ने कहा- अब तो समझ में आ गया है न कि हम किसी भी 'बम' को डिफ्यूज कर सकते हैं। हमें पता रहता है कि तुम्हारे बमों में क्या-क्या खामियां हैं? हम करते कुछ नहीं -सबसे पहले ढीले पुर्जों को ही टटोलते हैं। तुम बम ही बना सकते हो पर इसे कब और कहां नष्ट करना है इसमें तो हमें ही महारत है। शहर में 'बम' की खबर लगी तब से ही हमारा बम निरोधक दस्ता सक्रिय हो गया था। बम डिफ्यूज करने का तरीका तुम्हें भी बता देते हैं- पानी भरा कंटेनर साथ रखो, इसमें डुबोने पर भी डिफ्यूज नहीं हो तो फिर 'लाठी-भाटों' से बम पर तब तक वार करो जब तक कि उसका 'कचूमर' नहीं निकल जाए। इसके बाद तो फिर बस ...'बम चिकी चिकी बम' ही करो।

बड़ी उम्मीदों से बम बनाया था कि इस बार 'दुश्मन' पर भीषण बमबारी होगी। मेहनत करते-करते 'हाथ' थक गए। गोला-बारूद भी खूब भरा था। शायद तार ही ढीले रह गए थे।

प. बंगाल वामदलों के सामने अस्तित्व बचाए रखने का संकट, मुकाबला तृणमूल व भाजपा के बीच

बड़े चेहरों की कमी के साथ कम होता जा रहा जनाधार

रवीन्द्र राय

पश्चिम बंगाल में एक तरफ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने की होड़ मची हुई है। दूसरी तरफ माकपा नीत वाममोर्चा और कांग्रेस गठबंधन अपने अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहा है। मौजूदा लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान में एक बारगी भले ही लगे कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के निशाने पर भाजपा और मोदी सरकार ही है। लेकिन ममता के निशाने पर कांग्रेस और माकपा भी हैं। वह इसलिए कि ममता यह कहती आई हैं कि ये दोनों दल भी भाजपा के साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस या माकपा को वोट देने का मतलब मोदी की मदद करने के समान है। इसीलिए ममता लोगों से इन दोनों पार्टियों को दरकिनार करने की अपील करने से नहीं चूकती। बंगाल के इस चुनावी युद्ध में कांग्रेस-वाममोर्चा गठबंधन को इस बार पहले से बेहतर नतीजों की उम्मीद है। माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम कहते हैं कि जो लोग पिछले चुनावों में माकपा या अन्य वामदलों से दूर होकर भाजपा अथवा तृणमूल कांग्रेस के पाले में चले गए थे उन लोगों का भरोसा फिर से वामदलों के प्रति बढ़ा है। वामदलों की सभा या रैलियों में लोग उमड़ रहे हैं। उनका दावा है कि राज्य में कांग्रेस और वाममोर्चा गठबंधन को 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं। पिछले डेढ़ दशक में राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 2011 में वाममोर्चा को राज्य की सत्ता से उखाड़ फेंकने के बाद से तृणमूल कांग्रेस लगातार तीन बार से सत्ता में है। मोदी मैजिक के सहारे भाजपा राज्य में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। 34 साल तक राज्य की सत्ता पर काबिज वाममोर्चा की मौजूदा स्थिति यह है कि विधानसभा में उसका एक भी विधायक नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य में माकपा का खाता तक नहीं खुल सका।

माकपा के बेहद खराब प्रदर्शन के पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। प्रमुख कारण यह है कि मजदूरों और किसानों के बीच वाममोर्चा ने अपना समर्थन खो दिया है। मोर्चा के पास कोई रणनीति नहीं दिख रही है। एक जमाने में ज्योति बसु, अनिल विश्वास, बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे बड़े चेहरे थे। अब पार्टी के पास ऐसा कोई जनाधार वाला नेता नहीं दिखाई देता जो, उसे उसका खोया जनाधार वापस दिला सके। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के किले ध्वस्त होने के बाद माकपा के पास केरल ही बचा है।

लगातार घट रही वामदलों की सियासी ताकत

गत 15 साल से माकपा नीत वाममोर्चा की सियासी ताकत घटती जा रही है। पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि वामदलों को केरल और त्रिपुरा में मिलने वाली सीटें भी तो लगातार कम होती ही जा रही हैं इन राज्यों में उसका वोट प्रतिशत भी गिरता जा रहा है। वामदल अब तीनों राज्यों में पहले के मुकाबले कम सीटों पर प्रत्याशी भी उतार रहे हैं।

साल	सीटों पर उतारे	प्रत्याशी जीते
2004	69	43
2009	82	16
2014	93	09
2019	69	03
2024	50	--

श्रम दिवस आज कर्म ही जीवन को गढ़ने-संवारने का माध्यम

कम नहीं हैं मशीनीकरण से जुड़े खतरे

गिरीश्वर मिश्र

हमारा कर्म ही जीवन को गढ़ने, संवारने और आकार देने का माध्यम होता है। हमारे समाज में परिश्रमी की पूछ होती है और निकम्मे व्यक्ति का तिरस्कार होता है। उपनिषद की सीख है कि जो बैठा रहता है उसका भाग्य भी बैठ जाता है और खड़े रहने वाले का सौभाग्य खड़ा हो जाता है। कर्तव्य या सेवा की प्रतिष्ठा ऐसी प्रक्रिया के रूप में होने लगी जो व्यक्ति को जीविकोपार्जन (कमाई) के लिए नियमित रूप से संलग्न रखती है। इसे ही तकनीकी भाषा में काम (वर्क) कहा जाने लगा और कार्य के महत्व और गुणवत्ता के अनुसार वेतन या तनख्वाह तय होने लगी। कार्य का सीधा सम्बन्ध समय से होता है। इसलिए समय पालन एक बड़ी चुनौती है। भारत के बड़े दफ्तरों, कारोबारी गतिविधियों और बड़े संस्थानों में प्रायः ओहदों की ऊपर से नीचे एक व्यवस्थित कतार होती है जिसका ध्यान रखना आवश्यक होता है। निर्णय ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं। वस्तुतः कर्मियों के आचरण ज्यादातर संदर्भ पर टिके होते हैं । विरोध का इजहार लोग परोक्ष ढंग से और चुप्पी से करते हैं। एक तथ्य यह भी है कि उदारीकरण के फलस्वरूप पश्चिमी कार्य संस्कृति का प्रभाव बढ रहा है। 'जुगाड़' को नवाचारी क्षमता के रूप बढ़ावा मिल रहा है जो सीमित साधन में सक्षम और प्रभावी समाधान दिलाता है। वैश्वीकरण के दौर में कार्य-परिवेश में भी बदलाव आ रहा है। अब टीम द्वारा मिल जुल कर काम करने पर ज़ोर दिया जाने लगा है । स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं भी कर्मियों के लिए बढ़ रही हैं। परंतु कई सवाल अभी भी मुंह बाएं खड़े हैं। जेंडर से जुड़े भेद भाव और शोषण, बंधुआ मजदूर, स्वचालन वाली मशीनों से से जुड़ी स्थानीय कलाओं और हुनर को ख़तरे भी उभर रहे हैं। लोग वेतन से अलग 'ऊपरी आमदनी' को भी महत्व देते हैं। थाना, कचहरी, रजिस्ट्री आदि के दफ़्तर अभी भी भ्रष्टाचारमुक्त नहीं हुए हैं। कार्य के प्रति लगन और गुणवत्ता की चुनौतियों के प्रति के बीच संचार तकीनीकें नए तरह के संतुलन की अपेक्षा कर रही है। तकनीकी का प्रवेश यदि काम को सुगम बना रहा है दूसरी ओर साइबर दुनिया में अपराध भी बढ़ रहे हैं। इनसे हमारी कार्य-व्यवस्था पर नए दबाव पड़ा रहे हैं। कार्य की दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है पर उसकी अनिवार्यता से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। सृजनात्मक समाधान के साथ मनुष्य अपने सामर्थ्य को बढ़ाने में सदैव लगा रहेगा। काम करते हुए जीना ही जीना है। उसका कोई विकल्प नहीं है।

मोटे तौर पर वक्त के बदलाव के साथ-साथ श्रम संबंधों को लेकर भी अपेक्षाएं बढ़ने लगी हैं। बदलती दुनिया में वही बदलाव के साथ चल पाएगा जिसे कार्यक्षमता पर भरोसा होगा।

पोलीटून

आज का सवाल

राज्यों की ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी की निष्क्रियता के लिए कौन जिम्मेदार हैं?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

सक्रियता में कमी आई

इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता का असर मनुष्य पर व्यापक रूप से हो रहा है। युवा वर्ग इसका आदी हो रहा है। बहुत से कार्य इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से संपन्न हो जाते हैं। इंटरनेट के अत्यधिक प्रयोग से दुनिया में साइबर अपराध भी बढ़े हैं। **-ललित महालकरी, इंदौर**

स्मरण शक्ति कमजोर हो रही

इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता खतरनाक बनती जा रही है। लगातार उपयोग से स्मरण शक्ति कमजोर हो रही है। सामाजिक जीवन पर विपरीत असर पड़ रहा है। इंटरने का उपयोग स्वास्थ्य के लिए चुनौती बन कर उभर रहा है। एकाकीपन बढ़ रहा है। **-नरेश कानूनगो, देवास**

सामाजिक दूरी बढ़ रही

बच्चों, युवा, बुजुर्ग सबके करीबी मित्र, हमसफर और रिश्तेदार इंटरनेट आधारित उपकरण हो चुके हैं। पारिवारिक और सामाजिक दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इंटरनेट पर निर्भरता इंसान को चिड़चिड़ा बना रही है। **-मुकेश भटनागर, भिलाई,छत्तीसगढ़**

एकाकीपन घर कर रहा

इंटरनेट पर निर्भरता से लोगों में विभिन्न सामाजिक बदलाव आए हैं। व्यक्ति घर, परिवार, समाज को भूलकर केवल इंटरनेट की दुनिया में खोया रहता है। जिससे संयुक्त परिवार रूपी वटवृक्ष उखड़ गए, लोगों में एकाकीपन घर कर गया और व्यक्ति अवसादों से ग्रसित रहने लगे हैं। **-बलवीर प्रजापति, हरढाणी जोधपुर**

https://t.me/AllNewsPaperPaid

चिंतन

सभी वैक्सीन सुरक्षित हों जीवन से न हो खिलवाड़

कोरोना का टीका कोविशील्ड की निर्माता ब्रिटिश फार्मास्युटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका का साइड इफेक्ट को लेकर कबूलनामा डराने वाली है। विश्व भर में ढाई अरब डोज कोविशील्ड टीके की दी गई, भारत में करीब 1.7 अरब डोज दी गई। कोरोना के विभिन्न टीके लगने के बाद विश्व के विभिन्न हिस्से से अचानक मौत की खबरें आती रहती हैं, लेकिन किसी भी मेडिकल बॉडी ने घोषित तौर पर यह नहीं कहा है कि ऐसे मौतें कोविड टीके के साइड इफेक्ट के चलते हुई हैं। अब कोविशील्ड टीका बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश अदालत में खुद स्वीकार किया है कि उसका कोविड टीका रक्त के थक्के (ब्लड क्लॉटिंग) जमाने संबंधी दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया था कि कोविड-19 से बचाव के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा ईजाद किया गया टीका ''बहुत दुर्लभ मामलों में'' रक्त के थक्के जमा सकता है और प्लेटलेट की संख्या (टीटीएस) को घटा सकता है। टीटीएस के परिणाम संभवतः जानलेवा हैं, जिनमें दिल का दौरा पड़ना, मस्तिष्क को नुकसान पहुंचना, फेफड़े में रक्त प्रवाह बाधित होना आदि शामिल हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सजेव्रिया टीके का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने भी किया था और इस टीके को भारत में 'कोविशील्ड' नाम से लोगों को लगाया गया था। यूं तो मॉडर्न मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स जगजाहिर हैं, लेकिन ये नियंत्रित और अल्प हैं, इनमें जीवन रक्षक की अधिक खूबिया हैं। लेकिन टीके के मामले में अधिक गंभीरता की आवश्यकता है। टीका बचाव के लिए स्वस्थ आदमी को भी लगता है, इसलिए इसके सुरक्षित होने की गारंटी जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के नियमों के मुताबिक एक टीका के विकास, ट्रायल, अध्ययन आदि के लिए औसतन दस वर्ष निर्धारित हैं, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान कोविड टीके को जिस जल्दबाजी में डब्ल्यूएचओ और विश्व की केंद्रीय सरकारों व ड्रग नियामकों ने मंजूरी दी, वह अपने आप में सवाल है। कोविड से पहले जीका, इबोला समेत दो सौ से अधिक वायरस सामने आए हैं, जिसने विश्व के अलग-अलग क्षेत्र में तबाही मचाई, लेकिन इन वायरसों के टीके के लिए फार्मा कंपनियां, डब्ल्यूएचओ और सरकारों ने तत्परता नहीं दिखाई, जबकि कोविड के दौरान दिखाई। स्पेनिश फ्लू के मामले एक शताब्दी पहले आ चुके, इसके बावजूद वायरस के टीके नहीं बनाए। कोविड के टीके महामारी के दौरान ही आ गए। कोविड टीके के लिए ट्रायल के नियमों में संशोधन तक किया गया। बेशक कोविड टीके के चलते करोड़ों लोगों की जान बची हो, लेकिन इसके दुष्प्रभाव के चलते अगर सौकड़ों लोगों की ही जिंदगी खतरे में है, तो भी यह मानवता के प्रति अपराध ही है। इसलिए दवा निर्माण को नियंत्रित करने वाले सभी नियामकों –सरकार, ड्रग कानून, डब्ल्यूएचओ को अधिक जिम्मेदार बनने की आवश्यकता है। टीका बनाने वाले वैज्ञानिकों व फार्मा कंपनियों को अधिक जवाबदेह बनने की जरूरत है। आखिर मानव जीवन का सवाल है। किसी भी रोग की कोई भी दवा बनती है, तो इसको मंजूरी देने से पूर्व के सभी स्तर पर और भी कड़े मानकों का पालन किया जाना चाहिए। आज विश्व में अनेक दवाएं हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स हैं। ऐसी दवाओं से निजात पाने की आवश्यकता है। मुनाफे के लिए मानव जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। कोविड टीटा लग जाने के बाद अब दुष्प्रभाव का सरकारी स्तर पर अध्ययन होना चाहिए, ताकि प्रभावित लोगों को सुरक्षित किया जा सके। सभी वैक्सीन सुरक्षित होनी चाहिए। फार्मा उद्योग को अधिक नैतिक बनने की जरूरत है। किसी के जीवन से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए।

विश्व मजदूर दिवस
योगेश कुमार गोयल

आज भी हाशिये पर श्रमिक

उद्योग, व्यापार, भवन निर्माण, पुल, सड़कों का निर्माण, कृषि इत्यादि समस्त क्रियाकलापों में श्रमिकों के श्रम का महत्वपूर्ण योगदान होता है और वर्तमान मशीनी युग में भी उनकी महत्ता कम नहीं है। सही मायनों में विश्व की उन्नति का दारोमदार इसी वर्ग के कंधों पर होता है। समाज के इसी वर्ग के लिए प्रतिवर्ष 1 मई को 'अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस' अथवा मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसे 'मई दिवस' भी कहा जाता है। भारत में श्रमिक दिवस मनाए जाने की शुरूआत किसान मजदूर पार्टी के कामरेड नेता सिंगारावेलू चेट्यार के सुझाव पर 1 मई 1923 को हुई थी। उनका कथन था कि चूंकि दुनियाभर के मजदूर इस दिन को मनाते हैं, इसलिए भारत में भी इसे मनाया जाना चाहिए। इस प्रकार भारत में 1 मई 1923 से मई दिवस को राष्ट्रीय अवकाश के रूप मान्यता दी गई। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाए जाने की शुरूआत अमेरिका में 8 घंटे से ज्यादा काम न कराने के लिए की गई कुछ मजदूर यूनियनों की हड़ताल के बाद 1 मई 1886 से हुई थी। दरअसल वह ऐसा समय था, जब कार्यस्थल पर मजदूरों को चोट लगना या काम करते समय उनकी मृत्यु हो जाना आम बात थी। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने, कार्य करने के घंटे कम करने तथा सप्ताह में एक दिन के अवकाश के लिए मजदूर संगठनों द्वारा पुरजोर आवाज उठाई गई। 1 मई 1886 का ही वह दिन था, जब वह हड़ताल हुई थी और शिकागो शहर के हेय मार्केट चौराहे पर उनकी रोज सभाएं होती थी। 4 मई 1886 को जब शिकागो के हेय मार्केट में उस हड़ताल के दौरान पुलिस भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास कर रही थी, उसी दौरान अज्ञात शख्स ने एकाएक भीड़ पर बम फेंक दिया। उसके बाद पुलिसिया गोलीबारी के कारण कई श्रमिक मारे गए। हालांकि उस समय अमेरिकी प्रशासन पर उन घटनाओं का कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन बाद में श्रमिकों के लिए 8 घंटे कार्य करने का समय निश्चित कर दिया गया।

मजदूरों पर गोलीबारी और मौत के दर्दनाक घटनाक्रम को स्मरण करते हुए ही 1 मई 1886 से अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाने लगा। 1889 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय महासभा की द्वितीय बैठक में फ्रांसीसी क्रांति को याद करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि इसे अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाए। उसी समय से विश्वभर के 80 देशों में मई दिवस को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मान्यता प्रदान की गई। कर्म को ही पूजा समझने वाला यह वर्ग श्रम कल्याण सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। मई दिवस के अवसर पर देशभर में भले ही मजदूरों के हितों की बड़ी-बड़ी योजनाएं बनती हैं, ढेरों लुभावने वादे किए जाते हैं, जिन्हें सुनकर एकबारगी तो लगता है कि उनके लिए अब कोई समस्या नहीं बचेगी, किन्तु अगले ही दिन मजदूरों को पुनः उसी माहौल से रूबरू होना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर किसके लिए मनाया जाता है श्रमिक दिवस? बहुत से मजदूरों की तो इस दिन भी काम करने के पीछे यही मजबूरी होती है कि यदि वे एक दिन भी काम नहीं करेंगे तो उनके घरों में चूल्हा कैसे जलेगा? देश की स्वाधीनता के साढ़े सात दशक से भी ज्यादा बीत जाने के बाद भी अनेक श्रम कानूनों को अस्तित्व में लाने के बावजूद हम ऐसी कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, जो मजदूरों को उनके श्रम का उचित मूल्य दिला सके। भले ही इस संबंध में कई कानून बने हैं, किन्तु श्रमिक वर्ग की समस्याएं इसके बावजूद कम नहीं हैं। हालांकि सच यह भी है कि अधिकांश श्रमिक या तो अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ होते हैं या वे अपने अधिकारों के लिए इस कारण आवाज नहीं उठा पाते कि कहीं नाराज होकर उनका मालिक उन्हें काम से न निकाल दे और उनके परिवार के समक्ष भूखे मरने की नौबत आ जाए। जहां तक मजदूरों द्वारा अपने अधिकारों की मांग का सवाल है तो मजदूरों के संगठित क्षेत्र द्वारा ऐसी मांगों पर उन्हें अक्सर कारखानों के मालिकों की मनमानी और तालाबंदी का शिकार होना पड़ता है और प्रायः जिम्मेदार अधिकारी भी कारखानों के मालिकों के मनमाने रवैये पर लगाम लगाने की चेष्टा नहीं करते। श्रमिक दिवस और श्रम के महत्व को रेखांकित करते हुए मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्दों में कहें तो इंसानियत को ऊपर उठाने वाले सभी श्रमिकों की अपनी प्रतिष्ठा और महत्व है, अतः श्रम साध्य उत्कृष्टता से किया जाना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मुद्दे
रवि शंकर

स्वास्थ्य चुनावी मुद्दा क्यों नहीं

चुनाव की सरगर्मी, लोकलुभावन घोषणाओं और वादों के बीच स्वास्थ्य संबंधी चर्चा मौन है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए केंद्र सरकार के जरिये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च की जाने वाली राशि का बजट में प्रावधान लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी उपलब्धता होनी चाहिए, उतनी व्यवस्था अभी भी नहीं हो पाई है। बीते कुछ सालों में भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति की है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य इलाज मुफ्त में उपलब्ध है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार से जोड़ने का काम हुआ है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में आम चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन चुनाव की सरगर्मी, लोकलुभावन घोषणाओं और वादों के बीच स्वास्थ्य संबंधी विकरालता की चर्चा मौन है। देश की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है इससे हम सब बखूबी वाकिफ हैं। देश को आजाद हुए लगभग 77 साल हो गए, लेकिन आज भी मेडिकल के क्षेत्र में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यही वजह है कि देश की आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। देश में अस्पतालों और डॉक्टरों की उपलब्धता जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से बहुत कम है और सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं, आधारभूत संरचना, चिकित्सकों, कमरों, दवाइयों, कुशल व प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ और दूसरे सुविधाओं की कमी है। इन्हीं अभावों के चलते अपने देश में निजी स्वास्थ्य क्षेत्र को विस्तार करने का मौका मिल गया जिसका गरीब लोगों से कोई वास्ता नहीं।

चुनावी मौसम में राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को हर तरीके से रिझाने में लगी हुई हैं। देश की राजनीति धर्म, जाति, ग़रीबी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के इर्द-गिर्द घूम रही है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। हर साल करोड़ों भारतीय इलाज संबंधित आपात स्थितियों के कारण वित्तीय रूप से बर्बादी के कगार पर पहुंच जाते हैं, लेकिन चुनाव में स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख मुद्दा गौण रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों के भारी भरकम बिल भरने की वजह से भारत में हर साल करीब छह करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। ऐसे लोग इलाज के लिए भारी कर्ज लेते हैं। इसका प्रमुख कारण भारत के लोगों की सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं होना है। कहते हैं कि असली भारत गांव में बसता है, मगर गांव के लोगों की सेहत का ख्याल रखने वाले चिकित्सा केंद्र 21 सदी के भारत में भी बदतर ही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल एक्सपर्ट की काफी कमी देखी जाती है। ऐसे शहर और गांव के बीच एक ऐसी खाई बन गई, जिसका परिणाम भविष्य में काफी भयावह हो सकते हैं। भले देश में तरक्की की कितनी भी दावे किए जाएं पर गांव में करीब 60 से 70 फ़ीसदी चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी होना अपने आप में कई सवाल पैदा करता है। ऐसे में स्वस्थ भारत खुशहाल भारत कैसे बनेगा। ये एक बड़ा सवाल है। भले सरकार हर साल स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों रुपये का बजट पेश करती है, मगर आज भी देश की स्वास्थ्य सेवाएं सवालों के घेरे में हैं। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में उदारीकरण के बावजूद, देश की कुल आबादी के पांचवें हिस्से से भी कम जनसंख्या स्वास्थ्य बीमा के दायरे में है। ऐसे में विश्व बैंक की उस रिपोर्ट पर विचार करने की जरूरत है, जिसमें कहा गया है कि 90 फीसदी बीमारियों की पहचान की जा सकती है और इसे ठीक भी किया जा सकता है। अफसोस है कि किसी ने इस सुझाव पर गंभीरता से विचार नहीं किया। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं,

जिससे मानव संसाधन को बेहतर बनाया जा सकता है। अमर्त्य सेन का कहना है कि उदारीकरण के लिए चाहे जितने भी सेक्टर खोल दें, शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं, जिसे हर हाल में सरकारी क्षेत्र में ही होने चाहिए, लेकिन ऐसी सलाह पर कौन ध्यान देता है। कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, यूके, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में दुनिया की सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रहीं हैं, पर भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में बिना ज्यादा पैसे खर्च किए आपको अच्छी स्वाथ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। जाहिर है, आबादी लगातार बढ़ने के बावजूद आधारभूत ढांचे में सुधार पर अब तक जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया गया। ये विडंबना तब है जब देश में इन समस्याओं से निपटने के लिए सभी जरूरी कार्यक्रम और नीतियां मौजूद हैं, लेकिन इन्हें सही तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। हालांकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की घोषणा और क्रियान्वयन से आस जगी थी कि अस्वस्थ भारत की तस्वीर बदल जाएगी परंतु ऐसा नहीं हुआ।

भारत की करीब तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, पर जानकर यह आश्चर्य होता है कि भारत अपनी कुल जीडीपी का करीब दो फीसदी हिस्सा भी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च नहीं करता है,जो 141 करोड़ आबादी वाले देश के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के सामान है। साफ है, दूसरे विकसशील देशों की बराबरी के लिए हमें काफी कुछ करना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च का वैश्विक स्तर 6 फीसदी माना गया है, लेकिन नई स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार भारत 2025 तक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च जीडीपी का 2.5 फीसदी करने का लक्ष्य रखा है। 6 फीसदी का आंकड़ा भारत कब हासिल करेगा इसके लिए कोई प्रस्तावित वर्ष नहीं बताया गया है। जाने-माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन भी लगातार जोर देते रहे हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किसी एकीकृत एक्शन प्लान की सख्त जरूरत है। उनका मानना है कि आर्थिक प्रगति के साथ-साथ सामाजिक प्रगति भी उतनी ही जरूरी है। यदि हम चीन और भारत के आर्थिक विकास की तुलना करें, तो चीन के आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण उसका स्वास्थ्य एवं शिक्षा में निवेश करना रहा है। भारत को भी अपने नागरिकों को विश्व की स्पर्धा में आगे लाने के लिए उन्हें ये उपहार देना होगा। हमारा देश दिल, किडनी और श्वास रोगों का घर बनता जा रहा है। डायबिटीज के लिए तो उसे विश्व की राजधानी ही कहा जाने लगा है। नेशनल हेल्थ सर्वे में ये बात सामने आई है कि 15 से 49 वर्ष आयु के पुरुषों में दिल की बीमारी मौत का प्रमुख कारण बन रही है। खैर, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने जब कार्यकाल संभाला तब उनको स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के निरंतर खराब प्रदर्शन से दो-चार होना पड़ा। उनको ये पहले ही पता था कि भारत की तरक्की तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाए। इसके साथ ही उनको ये भी पता था कि यह कार्य एक-दो साल में संभव नहीं है। इसके लिए एक बड़ी नींव रखने की जरूरत है, क्योंकि चीन को भी अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में एक दशक से ज्यादा का समय लग गया था। यह ठीक है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए केंद्र सरकार के जरिये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च की जाने वाली राशि का बजट में प्रावधान लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी उपलब्धता होनी चाहिए, उतनी व्यवस्था अभी भी नहीं हो पाई है। बीते कुछ सालों में भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति की है।

आयुष्मान योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य इलाज मुफ्त में उपलब्ध है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार से जोड़ने का काम हुआ है। सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी आसान पहुंच हो और कम खर्च में इलाज हो सके।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

उपकार

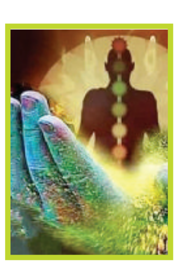

संकलित
दर्शन

किसी संकट एवं कष्ट के समय हर क्षण हमारी जिह्वा पर प्रभु का नाम होता है। मन, कर्म एवं वचन से भी हमें उनके अनुनय-विनय की मुद्रा में ही रहते हैं। फिर एक दिन जब हम प्रभु की अनुकंपा से उन बुरे दिनों की चपेट से उबर जाते हैं तो उन्हें भूल जाते हैं। इस प्रकार जन्म से लेकर आज तक हमारे ऊपर ईश्वर के ऐसे उपकारों का सिलसिला अनंत है। प्रभु के उपकार रूपी ऋण से उऋण होना हम मनुष्यों के लिए जीवनपर्यंत असंभव है। धन्य हैं वे करुणानिधान, जिन्होंने विशेष कृपा कर हमें बनाया। हाथ, कान, नाक, पांव, बुद्धि एवं घ्राण क्षमता-सब कुछ कार्योपयोगी। यदि वह एकाध अंग-उपांग से अथवा अनेक जीवनोपयोगी शारीरिक क्षमताओं से वंचित कर विपरीत परिस्थितियों में जन्म दे देते तब भी हमें जीवन जीना ही पड़ता। तो क्या फिर हम अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य पर इतना इतरा पाते? बिल्कुल नहीं। तब पल-पल संघर्ष एवं परिश्रम कर सब कुछ डोलना ही होता। प्रभु ने कुछ तो समझ-बूझकर हम मनुष्यों को जीवन की ये तमाम अनुकूलताएं दी होंगी। भगवान ने इतनी सुविधाएं दीं तो बदले में हमने क्या विलक्षण किया? वास्तव में ईश्वर ने हमें ये सारी अनुकूलताएं एवं सुविधाएं कुछ विशेष कार्य करने के लिए दी हैं, न कि केवल व्यर्थ में कुछ विशेष होने-समझने के लिए। समस्या यह है कि औरों के कल्याण एवं हित के लिए प्रभु-दरबार से अनुकंपा पर मिली वस्तुओं को हमने भूलवश नितांत अपना ही समझ लिया।

प्रत्येक वस्तु पर हमारा ही अधिकार हो?

संकलित
प्रेरणा

एक राजा ने यह घोषणा करवा दिया कि कल सुबह जब मेरे महल का मुख्य दरवाज़ा खोला जायेगा तब जिस व्यक्ति ने भी महल में जिस वस्तु या जीव को हाथ लगा दिया वह वस्तु या जीव उसकी हो जाएगी। कुछ लोग कहने लगे मैं तो सोने को हाथ लगाऊंगा, कुछ लोग चांदी को तो कुछ लोग कीमती जेवरात को, कुछ लोग घोड़ों को तो कुछ लोग हाथी को, कुछ लोग दुधारू गाय को हाथ लगाने की बात कर रहे थे। जब सुबह महल का मुख्य दरवाजा खुला और सब लोग अपनी अपनी मनपसंद वस्तु या जीवों के लिये दौड़ने लगे। सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद वस्तु या जीव को हाथ लगा दूं ताकि वह वस्तु या जीव हमेशा के लिए मेरी हो जाए। राजा अपनी जगह पर बैठा सबको देख रहा था और अपने आस-पास हो रही भाग दौड़ को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी समय उस भीड़ में से एक व्यक्ति राजा की तरफ बढ़ने लगा और धीरे-धीरे चलता हुआ राजा के पास पहुंच कर उसने राजा को छू लिया। राजा को हाथ लगाते ही राजा उसका हो गया और राजा की हर वस्तु भी उसकी हो गयी। जिस तरह राजा ने उन लोगों को मौका दिया और उन लोगों ने गलतियां की। ठीक इसी प्रकार सारी दुनियाँ के कर्ता प्रभु भी हम सबको प्रत्येक दिन अवसर देते हैं, लेकिन हम लोग भी प्रत्येक दिन वही गलतियां करते रहते हैं। हम प्रभु को पाने की बजाए उस परमपिता की बनाई हुई दुनियां की चीजों की कामना करते हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

हानिकारक हैं शिक्षा क्षेत्र के भर्ती घोटाले

हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। भ्रष्टाचार इस कद्र फैला है जो कानून के जरिए अब समाप्त होना भी मुश्किल ही लगता है। भ्रष्टाचार भावी पीढ़ी के कैरियर को भी ग्रहण लगा रहा है और मेहनतकश युवाओं के कैरियर के सपनों को भी चकनाचूर कर रहा है। हाल ही में कोलकाता में शिक्षा के क्षेत्र में घोटाले की खबर सुर्खियों में है। हालांकि इस भर्ती की नियुक्तियों को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने बहुत ही अच्छा किया कि इसने शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया, लेकिन कोर्ट को इस पर भी विचार करना चाहिए कि आटे के साथ घुन तो नहीं पिस गया, अर्थात जो लोग मेहनत से भर्ती हुए होंगे, उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा? शिक्षा के क्षेत्र में भर्ती घोटाले देश के लिए हानिकारक हैं।

– मानक बैनर्जी, दुर्ग

ट्रेंड

स्वास्थ्य निवेश है लागत नहीं

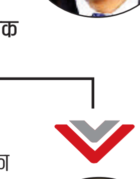

स्वास्थ्य एक निवेश है, लागत नहीं। यही कारण है कि स्वास्थ्य और वित्त मंत्रियों को अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए, और देश के विकास और समृद्धि के लिए स्वास्थ्य को नींव के रूप में उपयोग करना चाहिए।

-डॉ टेड्रोस, डब्ल्यूएचओ महानिदेशक

ट्रंप ने सीखा

डोनाल्ड ट्रंप ने सीखा कि अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका विरासत में प्राप्त करना है। जब मैं अर्थव्यवस्था को देखता हूं, तो मैं इसे मार-ए-लागो की नजर से नहीं देखता। मैं इसे स्क्रैंटन की आंखों से देखता हूं।

-जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति

जीवन मन के लिए नहीं

आपके भीतर का जीवन आपके शरीर, मन या भावना की सेवा के लिए नहीं है। शरीर, मन और भावनाएं जीवन की सेवा के लिए हैं। हर चीज़ को वैसे ही देखना जैसे वह है, आपको जीवन में सहजता से चलने की शक्ति और क्षमता प्रदान करता है।

-सदगुरु, आध्यात्मिक गुरु

आपका दिमाग एक चुंबक

आपका दिमाग एक चुंबक है। अपने आशीर्वाद पर ध्यान केंद्रित करें और वे आएंगे, अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करें और वे दस्तक देंगे। हमेशा अच्छे विचार और सकारात्मकता विकसित करें।

-हर्ष गोयनका, उद्योगपति

करंट अफेयर

पश्चिमी मीडिया भारत की प्रगति नहीं देख पा रही

अमेरिका के सैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रख्यात भारतीय-अमेरिकी शिक्षविद डॉ.अनुराग मैराल ने गत 10 साल को भारत की उल्लेखनीय प्रगति वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम मीडिया भारत की प्रगति को समझ नहीं पा रही है और उससे दूर बैठकर अलग कहानी लिख रही है जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। स्टैंडफोर्ड विश्वविद्यालय के स्टैंडफोर्ड बेयर्स सेंटर फॉर डिजाइन में वैश्विक संपर्क कार्यक्रम के निदेशक और औषधि विभाग के प्रोफेसर डॉ.मैराल ने 'पीटीआई-भाषा' को दिए साक्षात्कार में कहा, 'अगर आप वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं तो जमीन पर जाकर काम करें।' उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि भारत जैसे जटिल देश के लिए दूर से रिपोर्टिंग करना ऐसी कहानियां लिखने का एक नुस्खा है जो आपको विश्वसनीयता प्रदान नहीं करती हैं।' मैराल भारतीय चुनावों, लोकतंत्र की स्थिति और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर पश्चिमी मीडिया में विशेष रूप से अमेरिका में हाल में प्रकाशित नकारात्मक लेखों की श्रृंखला को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अधिकांश प्रमुख वैश्विक मीडिया की जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वे उन्हें कुछ मायनों में कम विश्वसनीय और हास्यास्पद बनाती हैं।

ऑफ बीट

हमेशा बने रहने वाले रसायन के बढ़े खतरे

एक ऐतिहासिक कानूनी समझौते ने एक बार फिर हमारा ध्यान 'हमेशा बने रहने वाले रसायनों' के खतरों पर केंद्रित कर दिया है। रसायनों का यह वर्ग, जिसे तकनीकी रूप से पर-एंड पॉलीफ्लोरोएल्किल पदार्थ या पीएफएएस के रूप में जाना जाता है, का व्यापक रूप से नॉनस्टिक या जलरोधक उत्पाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। समस्या यह है कि यह रसायन पर्यावरण में आसानी से घूमते हैं, भूजल और नदियों को प्रदूषित करते हैं, अक्सर कैंसरकारी होते हैं – और वे नष्ट नहीं होते हैं। इस महीने, इन रसायनों के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक, 3एम ने पीएफएएस-दूषित जलमार्गों को साफ करने के लिए 16 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर देने की पेशकश की थी, जिसे अमेरिकी अदालत ने मंजूरी दे दी थी। यह पूरे अमेरिका भर में पीएफएएस मुकदमों की श्रृंखला में नवीनतम है। हालाँकि बढ़ा हुआ ध्यान स्वागतयोग्य है, लेकिन सफलता की कोई गारंटी नहीं है। अकेले अमेरिकी राज्य, मिनेसोटा में अपशिष्ट जल धाराओं से पीएफएएस को हटाने और नष्ट करने पर 20 वर्षों में कम से कम 21 अरब डॉलर की लागत आएगी। विश्व स्तर पर, रासायनिक सुरक्षा गैर-लाभकारी संस्था केमसेक की एक हालिया रिपोर्ट में पाया गया कि अकेले पीएफएएस उपचार की लागत लगभग 26 खरब डॉलर प्रति वर्ष है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid